राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम सत्र, १९६६ का २७ वां दिवस [संख्या २२

गुरुवार,
दिनांक २४ मार्च, १९६६.

विधान सभा की बैठक म. प. ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, खनिज, कृषि, नियुक्ति, सिंचाई, स्वायत्त शासन, मंत्रि-मंडल, सामान्य प्रशासन, जन-अभियोग निराकरण, पशु-पालन, जन स्वास्थ्य, राजस्व–भूमिसुधार एवं खाद्य-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह ।

पाकिस्तान गये भारतीय नागरिक

४५९ **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले के दौरान राजस्थान के पश्चिमी सीमान्त जिलों से कई व्यक्ति अथवा परिवार पाकिस्तान भाग गए ?

(२) अगर हां, तो किस २ जिले से कितनी २ संख्या में गए ?

(३) उनका भारत छोड़ कर पाकिस्तान जाने का क्या कारण था जब कि वे भारतीय नागरिक थे ? राज्य सरकार ने इसका कारण जानने का क्या प्रयास किया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति अथवा परिवार जो भारत (राजस्थान) छोड़ के पाकिस्तान चले गये उनकी मवेशी व काफी सामान यहीं पर रह गया ?

(५) अगर हां, तो बाड़मेर जिले में उनकी कितनी मवेशी व कितने ऊंट रह गये ?

(६) उक्त मवेशी व सामान का राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

(७) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले से जो व्यक्ति पाकिस्तान भाग गए हैं वो चोरी छुपके कभी-कभी वापिस आकर अपनी मवेशी या माल व सामान ले जाते हुए पकड़े गये हैं ? अगर हां, तो कितनी संख्या में आज तक पकड़े गये हैं ?

(८) उक्त व्यक्तियों के साथ सरकार क्या सलूक करेगी ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने निवेदन किया था ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये समय चाहते है मंत्री महोदय ।

श्री जोधसिंह : चौहान (गिरवा) समय का मतलब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पोस्टपोनमेन्ट फोर कलेक्टिंग इन्फॉरमेशन ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

जैसलमेर में गैस एवं पैट्रोल की खोज

४६० **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जैसलमेर क्षेत्र में गैस और पैट्रोल की खोज के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो अभी तक कितनी सफलता मिली और किन-किन मुल्कों की अनुसंधान संस्थायें खोज कर रही हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) वायु चुम्बकीय Aero Magnetic)

भूमि चुम्बकीय Ground Magnatic)

तथा गुरूत्वीय सर्वेक्षणों का कार्य जैसलमेर क्षेत्र के अधिकांश भाग में पूरा हो चुका है । भूकम्पीय सर्वेक्षण Seismic Surveys) का कार्य भी एक बडे क्षेत्र में पूरा हो चुका है तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य जारी है ।

खोदे गये दो कुओं में गैस के मिलने के कुछ थोड़े बहुत चिन्ह मिले हैं एक और कुआ खोदा जा रहा था परन्तु शत्रु की कार्यवाहियों के कारण वहां का कार्य ६. १०. ६५ से स्थगित कर देना पड़ा । वह फिर २७–१–६६ से प्रारम्भ कर दिया गया है और प्रगति पर है ।

फ्रान्स की किसी कम्पनी के साथ मिल कर यह अनुसंधान ओयल एण्ड नेचरल गैस कमीशन कर रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कितना अर्सा अनुसंधान करने में और लग जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वक्त के बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि यह स्टेट का सब्जेक्ट है नहीं ।

श्री रावतराम (चूरू) : यह अनुसंधान कार्य कब शुरू हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत अर्से से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है । यह नहीं कहा जा सकता कि कितने अरसे में पूरा होगा । पहले २ कुए खोदे थे फिर तीसरा शुरू किया, चौथा और खोदा जा रहा है । जब तक कंप्लीटली इस काम को उनके सैटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं करलें तब तक यह कहना कठिन है कि यह कब पूरा होगा ।

श्री रावतराम : आज जो रिजल्ट्स आये हैं उनको संतोषजनक मानती है क्या सरकार ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के संतोष का सवाल नहीं है । उन्हें कुछ चिन्ह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दो कुए जो खोदे हैं उनमें नजर आये हैं लेकिन कमर्शियल है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। शायद कॉमर्शियल पोइन्ट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फायदे मंद नहीं हैं, इसलिये खोदना बंद कर दिया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या १२ कूंए और खोदने पड़ेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है।

प्रश्न संख्या ४६१

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण

४६२, **श्रीमती सुमित्रा** (झूंझुनू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार के ये आदेश हैं कि २५०) रु० तक वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण उनके स्वयं के जिले या निकट जिलों में ही किये जायें ?

(२) क्या उपरोक्त आदेशों के विपरीत किसी विभाग को यह आदेश दिये गये हैं कि राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थानान्तरण उनके स्वयं के जिलों में नही किये जावें चाहे उनका वेतन २५०) रु० तक ही हो ? यदि हां, तो ऐसे कौन से विभाग हैं ?

(३) क्या सभी प्रकार के प्रसार अधिकारियों की उनके जिलों में नियुक्ति व स्थानान्तरण नहीं करने का राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय ले लिया है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, राज्य सरकार के ये आदेश है कि सभी अधिकारी जिनका मासिक वेतन २५०) रु० से कम है, आम तौर पर अपने जिलों से बाहर स्थानान्तरित न किये जायें लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा ट्रान्सफर करना मुनासिब समझा जाय तो वह उसके डिवीजन तक ही सीमित होना चाहिये।

(२) उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार ने पंचायत समिति के प्रसार अधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार और इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर पुलिस को अपने जिलों में नियुक्त न करने बाबत आदेश जारी किये थे।

(३) जी हां, जनवरी, १९६२ में ऐसा निर्णय लिया गया था।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, वे विशेष परिस्थितियां कौनसी हैं जिनकी वजह से अल्प वेतन पानेवालों को उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रान्सफर करना मुनासिब समझा गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इन्स-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पेक्टर पुलिस उसी स्थान पर रहें यह मुनासिब इसलिये नहीं समझा गया, सरकार के निर्णय के बाद यह महसूस हुआ है कि स्थानीय व्यक्ति होते हुए ये कई बार पार्टी पोलिटिक्स और दूसरे तरीकों में फंस जाते हैं और काम की एफिशियेन्सी में फर्क आता है इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाय।

श्रीमती सुमित्रा : पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी के अलावा बाकी किसी डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों पर यह लागू नहीं किया गया। इस विशेष विभाग के लिये ही क्यों लागू किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विशेष विभाग के लिये नहीं लागू किया गया बल्कि रेवेन्यू के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इन्सपेक्टर आदि के लिये भी किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने प्रसार अधिकारी के बारे में पूछा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खाली डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट के लिये ही ऐसा आदेश दिया है यह जरूरी नहीं है दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के बारे में भी ऐसा निर्णय किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा : यह पंचायत समितियों के प्रसार अधिकारियों का सवाल है सिर्फ एक डिपार्टमेन्ट के लिये आदेश दिया गया कि अल्प वेतन वालों को अपने डिविजन व जिले में नहीं रखा जाय, बाहर भेजा जाय। ऐसा कौनसा विभाग है जिसमें और यह लागू किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अर्ज करूं कि एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर, एनिमल हस्बेन्ड्री एक्सटेन्शन ऑफिसर, कोऑपरेटिव प्रोग्रेस असिस्टेन्ट, शीप एण्ड वूल और मेडिकल ऑफिसर इतने डिफरेन्ट एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होते हैं और यह नियम इस तरह के एक्सटेन्शन ऑफिसर्स पर लागू होता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या कोओपरेटिव विभाग के लोकल अधिकारी होने की वजह से किसानों के साथ उनका संपर्क रहता है और वह ज्यादा कारगर हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों ही पहलू है।

श्री तेजाराम गहलोत : तो क्या कारण है कि किसानों से संपर्क के महकमों के लोकल कार्यकर्ताओं को वहां नहीं रखा जाता ? यदि रखा जाय तो कार्यक्रम सफल होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अनुभव ने अवगुण ज्यादा सिद्ध किया गुण कम।

श्रीमती सुमित्रा : क्या इस ओर्डर के बाद किसी जिले में लोकल अधिकारी नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सब विभागों से इत्तला मंगाने का प्रयत्न किया था। मेरे पास सूचना अभी विभागों की आई नहीं है लेकिन इस बात को मानने में मुझे कतई एतराज नहीं है कि नियम विरुद्ध कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात है।

खारी बांध से सिंचाई व्यवस्था में अनियमित कार्यवाही से फसलों को नुकसान ।

४६३. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : (आसीन्द) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खारी बांध की राइट केनाल से एस. डी. ओ. इरिगेशन गुलाबपुरा ने गागेड़ा के तालाब में दूसरी पिलाई के वक्त पानी भरवा दिया ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त तालाब में पानी भरवाने से पेटे में जो काश्त बोई हुई थी वह नष्ट हो गई ।

(३) क्या यह सही है कि उक्त तालाब में पानी भरने से काफी पानी खराब हुआ जो अब तक भी तालाब में नहीं निकलने से भरा हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त तालाब में पानी भरने से जितना पानी दूसरी पिलाई में खर्च होना चाहिये था, उससे कहीं ज्यादा हुआ जिससे आगे की पिलाई में कमी आ जायगी ?

(५) क्या यह सही है कि खारी बांध के ओवरसीयर के मना करने पर भी एस. डी. ओ. इरिगेशन ने लिखित में आज्ञा देकर इस तालाब को भरवाया ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त तालाब आज तक कभी इस नहर से नहीं भरा गया था ?

(७) क्या यह सही है कि इस प्रकार पानी को खराब करने से बकाया फसलों को चौथी पिलाई नहीं मिल सकेगी और गेहूं की सारी फसलें बरबाद हो जायेंगी ?

(८) क्या सरकार उक्त अनियमित कार्य के लिए एस. डी. ओ. इरिगेशन गुलाबपुरा के खिलाफ कार्यवाही करने व जिन काश्तकारों को इससे नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिलाने का विचार रखती है ?

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री सिंचाई) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) जी हां. मगर तालाब के पिछोर की जमीन जो पहले तालाब के पानी से पीती है बाद में तालाब का पानी खत्म हो जाने पर खारी बांध का पानी इस तालाब की मोरी में से होकर उक्त भूमि की पिलाई करता है ।

(७) खारी बांध से केवल तीन पानी देने का निर्णय लिया गया था फिर भी तीसरी पाण पूरी होने के बाद जो पानी उससे करीब २००० बीघा जमीन में चौथी पाण दे दी गई ।

(८) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह सही है कि इस तालाब में आज तक पानी भरा हुआ है ?

Page No. 6

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि सहाड़ा तहसील के ३-४ गांवों की एक हजार एकड़ जमीन को पानी देने का तय किया था डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने लेकिन एस. डी. ओ. ने पक्षपात और नाजायज फायदे के कारण ४००० एकड़ में पानी दिया ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, पिछले जितने वर्षों में सिंचाई हुई है उनके आंकड़े देखते हुए १९६०–६१ में दस हजार एकड़ में सिंचाई हुई है जब कि गये साल ७५६२ एकड़ में सिंचाई हुई है। इससे साफ जाहिर है कि इस साल ज्यादा में की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि पिछले साल यह टैंक पूरा भरा था ?

श्री दिनेशराय डांगी : गये साल यह तालाब पूरा भरा था या नहीं—यह अलग से प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अलग से कैसे है,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सलाहकार समिति है उन्होंने क्या निर्णय लिया था और क्या प्लान किया गया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : सलाहकार समिति ने जिस प्रकार से निर्णय लिया था उसी प्रकार से पानी वितरण हुआ है और हमारे विभाग के अधिकारी वहां पास में खड़े होकर उस निर्णय के अनुसार काम करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया था कि सतरह सौ एकड़ में हुर्डा तहसील में पानी दिया जायगा उसके बावजूद भी पक्षपात किया गया है और चार हजार एकड़ में पानी दिया गया है। आसीन्द तहसील के गांव पानी से वंचित रहते हैं। आपने कहा कि दो हजार एकड़ में पानी दिया है जब कि बारह सौ एकड़ में पिलाई हुई है। वह पानी से वंचित रह गये और चौथा पानी न मिलने से फसल नष्ट हो गई, गेहूं की फसल।

श्री दिनेशराय डांगी : सलाहकार समिति का निर्णय इस प्रकार का था कि तीन बार पानी दिया जायगा। जितना पानी देना चाहिए था उतना दे चुकने पर जो पानी बाकी बचता है उसमें से दो हजार एकड़ में पानी दिया गया है। यह निर्णय से बाहर की बात थी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने निर्णय लिया था कि पिलाई बांध के ऊपर से की जाय लेकिन उसके बजाय एस. डी. ओ. ने तीसरा पानी, जो ऊपर से देना चाहिए वह नीचे से दिया। दूसरा ऊपर से देना चाहिए वह भी नीचे से दिया है। इसके अलावा एक सवा महीने बाद में पानी मिला है और फीस पूरी ली गई है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात नहीं है। पानी देने का कायदा यह है कि पहले टेल से दिया जायगा, उसके बाद मे ऊपर से दिया जायगा। तीन पानी लिये गये है और यह भी मालूम

Page No. 7

(श्री दिनेशराय डांगी)

हुआ है कि कई जगह से नहर को तोड़ने की कोशिश की गई है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय, जानकारी करके अगर किसी को दोषी पायेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : जानकारी की गई है और रिपोर्ट आने के बाद में पता लगा कि दोषी कोई है तो आवश्य की जायगी ।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम धाकड़ ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : श्री अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है । मैं निवेदन करता हूं कि इसे ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आगे और भी इम्पोर्टेन्ट आ रहे हैं ।

(विराम)

श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

राणा प्रताप सागर डेम के निर्माण के पूर्व इकट्ठा करवाये गए रेत व पत्थर पर व्यय

४६५ **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणा प्रताप सागर डेम के निर्माण कार्य के पूर्व विभाग के किस अधिकारी द्वारा सन् १९५९—६१ में सरकारी व्यय पर कितना पत्थर व रेत इकट्ठा करवाया गया व सरकार का क्रमशः इस पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सारा सामान पानी में बह चुका है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उपमन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राणा प्रताप सागर डेम के निर्माण कार्य हेतु सन् १९५९—६१ में अधिशासी अभियंता मेन डेम द्वारा नीचे लिखी मात्रा में पत्थर व रेती इकट्ठी की गई है और उसका व्यय उसके सामने दिया हुआ है :

अ. पत्थर २,८६,३४० घनफुट ९२९४०)
ब. रेती ६,६०,३७६ घनफुट १०९,५१६)

(२) जी नहीं ।

(३) ऑडिट में इस पत्थर के नहीं काम में आने के बारे में उल्लेख किया है । इस पत्थर को जल्दी से जल्दी काम में लिया जा रहा है रेती पूरी काम में ले ली गई है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि सन् १९५९-६१ तक जो सामान आपने इनके अन्दर बताया, वह स्टॉक रजिस्टर के अन्दर विभाग ने नहीं बताया था ?

श्री दौलतराम सारण : जी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्टॉक रजिस्टर के अन्दर इसकी एन्ट्री विभाग ने नहीं बताई थी ?

Page No. 8

श्री दौलतराम सारण : बताया था या नहीं बताया—यह नहीं कह सकता । जो स्थिति थी वह बता दी है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो पत्थर, मिट्टी और सामान बताया १९६०-६१ से लेकर अब तक इसका क्या उपयोग किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह विभागीय कार्य में इस्तेमाल किया जाता रहा है जैसा मैंने निवेदन किया, रेत इस्तेमाल कर ली गई है पूरी और पत्थर इस्तेमाल किया गया है, किया जा रहा है, और जून १९६६ तक काम पूरा हो जायगा और उस तक पत्थर काम में ले लिया जायगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह स्थिति है, आप यह बता सकते हैं कि जो रेत पूरी काम में ली गई है, वह विभाग के कामों में कहां कहां लगाई गई है और जो अमाउन्ट होता है वह एड्जस्ट किया गया है या नहीं ?

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अलग से सूचना चाहते तो मैं पूरी जानकारी करके बता देता । वैसे मेरी सूचना है कि जो रेत और पत्थर था वह विभागीय कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो विभागीय कार्य हुए हैं मकान वगैरह के, उनमें रेत इस्तेमाल की गई है और पत्थर इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अलग अलग स्थिति आप बता सकते हैं कि पत्थर का रेत के मुकाबले में कितना स्टॉक है ?

श्री दौलत राम सारण : अब कितना आया और कितना स्टॉक मौजूद है—यह मैं नहीं कह सकता । यह कह सकता हूँ कि यह जो पत्थर है, इसमें से अधिकांश पत्थर कार्य में ले लिया गया है और आशा की जाती है कि बकाया जून १९६६ तक कार्य में ले लिया जायगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने अधिकांश कह कर प्रश्न को टाल दिया । मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि कुछ पत्थर मोर्डन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को भी बेचा गया है ?

श्री दौलत राम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है कि पानी में बह गया । वह पानी में नहीं बहा है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आरम्भ में पानी में बहना बताया था । लेकिन उस पर ऑडिट ने ऑब्जेक्शन किया, और ऑडिट ने नहीं माना कि वह पानी में बह गया । उसके बाद में जो पत्थर मौजूद है वह धीरे धीरे मोर्डन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दे रहे हैं । जो स्टॉक बता रहे हैं उसकी स्थिति यह है कि कितना माल खरीदा गया वह स्टॉक रजिस्टर में नहीं बताया है । एक्चुअली स्पोकिंग स्पोट पर इतना सा सामान भी नहीं है । आप बता सकते हैं कि जो सामान रेत और पत्थर बता रहे हैं वह कितना है ? और यह बता सकते हैं कि वह कहां कहां है, किस जगह पर रखा हुआ है ?

Page No. 9

श्री दौलतराम सारण : जिस जगह पर पहले रखा हुआ था वही है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पहले किस जगह पर रखा था ?

श्री दौलतराम सारण : साइट पर ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : साइट पर कहां ?

श्री दौलतराम सारण : किस पोइन्ट पर रखा हुआ है–यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रश्न के बारे में आप दुबारा क्वेरी कीजिये । आप को जो डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया है वह गलत दिया है। स्पोट पर एक किलो, एक छटांक पत्थर या रेत नहीं है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : किलो !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इतना सा पत्थर नहीं है, एक क्यूबिक फुट पत्थर नहीं है और केवल बुक एड्जस्टमेंट किया जा रहा है सारा ?

श्री दौलत राम सारण : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा ।

प्रश्न संख्या ४६६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ललितमोहन !

झाडोल तालाब

४६७. **श्री ललित मोहन** (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) उदयपुर जिले में झाडोल तालाब कब बांधा गया ? जिस समय बांधा गया उस समय इससे कितने एकड़ भूमि सिंचित होने वाली थी ?

(२) इस वक्त इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेश राय डांगी) : (१) झाडोल योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । इसमें योजना के पूर्ण विकसित होने पर १३५० एकड़ प्रति वर्ष सिंचाई होने का अनुमान है ।

(२) सन् १९६६ में लगभग १५० एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है ।

श्री ललित मोहन : यह तालाब कब बांधा गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने आपको बताया, १९६५–६६ के अन्दर १५० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है उसी साल पूरा हुआ है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जब एस्टीमेट बनाया गया था तब कितने एकड़ सिंचाई का एस्टीमेट था ? कितनी सिंचाई होनी थी और अब कितनी हुई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : खास बात यह है कि १९६६ में बांध पूर्ण हो चुका था । बीच में ठेकेदार काम छोड़कर चला गया था ।

Page No. 10

(श्री दिनेशराय डांगी)

उसके बाद में जो डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाती है उसमें टाइम लग जाता है। वह काम अब पूर्ण हो गया और सिंचाई चालू है।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं जानता हूँ कि कितने एकड़ की सिंचाई योजना थी, कितनी अब हुई है ? मैं समझता हूं कि जितनी सिंचाई की योजना थी उसके अनुसार नहीं हुई है और सरकार को मुगालता दिया गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इसके अन्दर १३५० एकड़ की प्रतिवर्ष सिंचाई होने का अनुमान है। लेकिन १९६५–६६ के अन्दर १५० एकड़ सिंचाई हुई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : शेम शेम।

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार का पैसा इस तरह वेस्ट किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०) : कम सिंचाई होने का क्या कारण था ?

श्री ललितमोहन : अध्यक्ष महोदय, तालाब पूरा हो गया लेकिन नहर नहीं बनने की वजह से जो अनुमान था कि इतनी जमीन की पिलाई होगी वह नहीं हो पाई है। इसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, उदयपुर के अग्रवाल साहब हैं उनकी ढिलाई है। इस तालाब में ही नहीं है और भी तालाब के अन्दर है कि हजार, दो हजार के खर्चों से ठीक हो सकते हैं। कितने ही ऐसे तालाब हैं, गोगुन्दा का तालाब है, कोटड़ा का तालाब है। इसके लिए कई बार कहते हैं लेकिन सरकार की सुस्ती की वजह से जो अकाल सहायता लोगों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है बल्कि अकाल पैदा करने में सहयोग दिया जाता है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री दिनेशराय डांगी : यह सूचना गलत है कि अकाल पैदा करने में सहायता देते हैं, हम अकाल में मदद नहीं देते हैं। सवाल यह है दांई कैनाल इसकी पूरी हो चुकी है और बांई कैनाल पूरी नहीं हुई है। जो पूरी हो चुकी है उससे सिंचाई हो रही है और जो बनी नहीं है वह जल्दी बन जायगी। और ईश्वर करे यह बांध पूरा भरे इतनी बारिश हो तो पूरी सिंचाई होगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : तखमीने के अनुसार कितनी सिंचाई होने वाली थी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसका दो बार उत्तर दे दिया है, बहिनजी। १३५० एकड़ का अनुमान है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप सारे का अनुमान बता रहे हैं। जो एक नहर बन गई है उससे कितनी सिंचाई होने वाली थी ?

श्री अध्यक्ष : ठेके के अनुसार यह कब पूरा होने वाला था ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस साल में पूरी होगी नहर तब सामने आयगी स्थिति।

श्री ललितमोहन : जो नहर बनने वाली है वह कब पूरी हो जायगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : काम चालू है ।

श्री रावतराम : जब १९६३ में यह बन गया था और दो साल नहर बनाने में टाइम लगाया तो इस बीच में सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : ठेके की शर्तों के मुताबिक कब खत्म होना चाहिये था काम और क्या कार्यवाही की गई नहीं होने पर ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जब ठेकेदारों को ठेका दिया गया और जब ठेकेदारों ने काम नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उनको शर्तों के मुताबिक ठेका छोड़ना पड़ा और जब एक आदमी ठेका छोड़ता है और विभाग उस काम को करता है उसमें समय लगता ही है ।

श्री अध्यक्ष : ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिन ठेकेदारों ने ठेके का काम पूरा नहीं किया उन पर जो भी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : दो साल लग जावें और आपको यह भी पता नहीं ।

(विराम)

उत्तर देते हैं तो उत्तर देते समय आपके दिमाग में होना चाहिये कि दो साल में काम नहीं हुआ और सिंचाई में देरी की और उसने अपनी शरायतों को भी तोड़ दिया, उसके खिलाफ क्या किया, आपको यह भी पता नहीं !

श्री दिनेशराय डांगी : मैं जांच कर लूंगा ।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या जांच करायेंगे, इसका पेमेन्ट कर दिया गया है ? सरकार जांच नहीं करती । इससे चुनावों में पैसा आता है और आज तक आपने जांच नहीं की ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, विभागीय अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं । नहर नहीं हुई, उससे सरकार और किसानों को उससे कितना नुकसान हुआ ?

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : सारी जानकारी करके अगले सप्ताह आप बता दें कि क्या कार्यवाही की गई और क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

नैक्स्ट । श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

आयातित कारें

४६८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से राजस्थान राज्य को इम्पोर्टेड कारें दी गई ?

(२) यदि हां, तो कितनी कारें दी गईं और उन कारों के उपयोग करने की शर्तें क्या थीं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(३) क्या यह सही है कि इस शर्त पर ये कारें दी गई थीं कि उनका उपयोग टूरिज्म के लिए किया जायेगा ?

(४) इन कारों में से कितनी कारों का उपयोग टूरिज्म के लिये किया गया और कितनी मन्त्रीगणों की सवारी के काम आ रही हैं ?

(५) यदि मन्त्रियों की सवारी के लिए काम में ली गई तो किस रूल के तहत ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) कुल १५ कारें दी गई । इस शर्त पर कि इसमें से ९ गाड़ियां स्टाफ कार के कार्य में उपयोग की जावेंगी, शेष ६ गाड़ियां टूरिस्टों के उपयोग में ली जावेंगी ।

(३) केवल ६ गाड़ियां टूरिज्म के उपयोग के लिए दी गई थीं जैसा कि अभी कहा गया है ।

(४) इनमें से ६ गाड़ियां टूरिज्म के उपयोग में आ रही हैं और शेष ९ गाड़ियां मन्त्रीगण, वी० आई० पी० के कार्य में आती हैं ।

(५) स्टाफ कार्य के लिये खरीदी गई ९ गाड़ियां मन्त्रीगण एवं अन्य अधिकारियों के लिए काम में ली जाती हैं ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : ६ गाड़ियां टूरिज्म के लिये रखी हैं, क्या वे अलग अलग नम्बरों से हैं या उन्हीं १५ गाड़ियों में से मर्जी आवे उसका उपयोग किया जा सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनका अलॉटमेंट अलग अलग नम्बर से है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि ये ६ गाड़ियां जो टूरिस्टों के लिये हैं वे किसी भी प्रकार से वी० आई० पी० या स्टाफ के रूप में काम में नहीं आती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टूरिस्ट नहीं हों और उनकी गाड़ियें काम में ली जावें तो उसका पैसा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है ।

श्री भैरोंसिह : क्या उतना ही पैसा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जमा होता है, जितना टूरीस्ट ये करते हैं या इससे कम ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे मालूम नहीं, मगर यह मैं कह सकता हूं कि उनके किराये का पैसा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है ।

श्री भैरोंसिह : क्या इसके लिये कोई रूल्स बने हुये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितना सरकारी गाड़ी के लिये जाते हैं ...

श्री भैरोंसिह : टूरिस्ट के लिये रूल्स बने हुये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बने हुये हैं ।

श्री भैरोंसिह : उन रूल्स के अनुसार टूरिस्ट के डिपार्टमेंट में पैसा जमा होता है या नहीं ।

Page No. 13

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उतना ही होता होगा या कम होता होगा, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि जो गाड़ियां टूरिस्टों के लिए निर्धारित हैं उन से जो इन्कम होती है इस प्रकार से वह उनके खाते में जमा की जाती है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अलग से प्रश्न है । इस समय इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो गाड़ियें टूरिस्टों को दी गई हैं उन पर टूरिस्टों की प्लेट है या सब पर एक ही प्लेट है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टूरिस्टों की गाडियों पर आर. जे. टी. आर. प्लेट है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इम्पोर्टेड कारों की कीमत क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मालूम नहीं है ।

श्री भैंरोंसिंह : टूरिस्टों के लिए परमानेन्ट गाड़ी उदयपुर में लगाई गई है, क्या यह आपको मालूम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : फिर आपकी जानकारी में क्या है ? यह भी नहीं, वह भी नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये वी. आई. पी. के लिए या मंत्रियों के लिए काम में ली जाती है और जिस समय काम में ली जाती है तो उसका किराया दिया जाता है ।

श्री भैंरोंसिंह : ये गाड़ियें अलग अलग जगह लगा रखी हैं या जयपुर में ही रहती हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर से यहीं पर रहती हैं ।

श्री भैंरोंसिंह : क्या कारण था कि एक गाड़ी तीन महीनों तक लगातार उदयपुर में रही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर टूरिस्ट आते हैं उनके लिये ।

श्री भैंरोंसिंह : आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर एक भी टूरिस्ट उन दिनों में नहीं आया और वे गाड़ियें मंत्रियों के उपयोग में आई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रोज तो मंत्री वहां जाते नहीं हैं ।

श्री भैंरोंसिंह : वहां पर गाड़ी पड़ी रहती है और जब मंत्री वहां आते हैं तो वह गाड़ी उनके काम में आती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या राज्य के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कारें उनके उपयोग में ली जाती हैं ? क्या इतनी बड़ी बड़ी कारें मंत्रियों के लिये इस कल्याणकारी राज्य में जरूरी हैं ? जो कारें टूरिस्टों के लिए खरीदी जाती हैं. .

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट की प्रतिलिपि आप के पास नहीं है, इसको आप तैयार करा लें

(श्री अध्यक्ष)

कि टूरिस्टों ने उन गाड़ियों को कितनी इस्तेमाल की और दूसरों ने कितनी । इसको अगले सप्ताह आप बता दें तो उचित होगा ।

ग्राम श्यामपुरा में नाला रोक कर बन्ध बनाने का सर्वे

४६६. **श्री नाथूलाल फरौल** (चाकसू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू जिला जयपुर के ग्राम श्यामपुरा में एक नाला रोक कर बन्ध बनाने का सर्वे हो चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा काफी अर्से से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बन्ध का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, किन्तु सर्वेक्षणकाल में अनेक तकनीकी बाधाएं आ रही हैं । अतः सभी दृष्टिसे उपयुक्त पाया गया तो इस पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मोहनराज ।

जन अभियोग निराकरण विभाग के सुझाव

४७०. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत दो वर्षों में जन अभियोग निराकरण विभाग के समक्ष कुल कितने मामले किस किस विभाग से सम्बन्धित पेश हुए ? ऐसे कितने मामलों का फैसला हो चुका है ?

(२) क्या इस विभाग ने इस प्रकार के मामलों को कम करने हेतु, राज्य सरकार को सम्बन्धित कानूनों, नियमों व प्रचलित कार्य-प्रणाली में सुधार, संशोधन कराने मुतल्लिक कोई सुझाव दिये हैं ? ऐसे सुझावों की कुल कितनी संख्या है ? अब तक इस प्रकार प्राप्त कितने सुझावों पर अमल किया गया है ?

उप मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : **(१)** सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । ऐसे सुझावों की संख्या ६ है । इनमें से ८ सुझावों पर अमल हो रहा है । नवां सुझाव अभीविचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज : क्या यह सही है कि इस मामले में बहुत देरी हो रही है ? इस देरी को कम करने के लिए क्या किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई बातें थीं जिनको ध्यान में रखते हुए यह विभाग कायम किया गया और उसमें से देरी का भी एक कारण है ।

श्री मोहनराज : जिन मामलों को विभाग द्वारा किया जा रहा है उसमें जांच में देर हो रही है; क्या आप बता सकेंगे कि कितने ऐसे मामले हैं जिनको छः महीनों से अधिक समय हो गया और निपटे नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कितने महीने पुराने कितने मामले हैं यह नहीं बता सकता । सैंकड़ों मामले आते हैं । इसलिये हर एक के लिये यह कहना कि ६ महीने से अधिक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समय लग गया है वे कितने केसेज़ हैं, संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि काफी मामले इसमें तय हुए हैं और जो सुझाव दिये हैं उनका पालन हुआ है और उसके आधार पर काफी फर्क हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जन-अभियोग को कितने समय में फैसला करना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने समय में फैसला होना चाहिये। यह तो नेचर ऑफ दी केस और इन्क्वायरी पर डिपेन्ड करता है। दूसरे विभाग से सूचना आने में देरी हो जाती है। इसलिये इसके लिये कोई निश्चय समय तय करना कि इतने समय में केस को निकाल दिया जाए मुश्किल है।

श्री विजयसिंह झाला : अन्य मामलों के बारे में जल्दी फैसला होना चाहिये उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

खारी बांध से सिंचाई

४७१. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खारी बांध से पहली व दूसरी सिंचाई ऊपर बांध की तरफ से शुरू की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि तीसरी पिलाई राइट कैनाल से नीचे से शुरू की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने यह तय किया था कि अलग अलग तारीखों को पानी दिया जायगा ?

(४) क्या यह सही है कि राइट कैनाल के टेल एण्ड पर दूसरा पानी दिये हुए २० दिन भी नहीं हुए कि तीसरा पानी दे दिया गया जबकि ऊपर के खेतों को १ माह व १० दिन से ज्यादा होने पर भी पानी नहीं दिया गया ?

(५) क्या यह सही है कि इस प्रकार अव्यवस्था की वजह से खारी बांध की राइट कैनाल के बांध के पास से हिस्से को १ माह व १० दिन तक तीसरा पानी न देने से वहां की फसलें सूखने लग गई और फसलों में भारी नुकसान हुआ ?

(६) क्या यह सही है कि पहला व दूसरा पानी दिया गया उसकी व्यवस्था तीसरे पानी देने में बदल दी गई उसके लिये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, खारी बांध को नहीं पूछा गया ?

(७) क्या यह सही है कि यह सारी अव्यवस्था एस० डी० ओ० इर्रिगेशन, गुलाबपुरा के द्वारा ही की गई और सारे नुकसान के लिये जो काश्तकारों को हुआ, उसके वे ही जिम्मेदार हैं ?

(८) क्या यह सही है कि खारी बांध के आसीन्ददातड़ा, माईसिंगजी खेड़ा, साव-दड़ा, खातोला, चित्तौडिया, केसरपुरा, गणेश-पुरा, रामरा, शम्भूगढ़, बासरनी, आम्बेसर व अन्य गांवों के काश्तकारों ने जिलाधीश, भीलवाड़ा को उनको समय पर पानी न देने से फसलें जल जाने व विकास अधिकारी व

Page No. 16

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट पर तुरन्त पानी देने के लिये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तारीख २-२-६६ को आदेश दिया उसके बावजूद भी इन गांवों को पानी नहीं दिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि इस सारी अव्यवस्था का कारण एस० डी० ओ० गुलाबपुरा, सिंचाई विभाग हैं जिनकी मन-मानी की वजह से इन काश्तकारों की फसलें जल गई ? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी व काश्तकारों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलायेगी ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) पहली और दूसरी पाण में सिंचाई एक साथ चालू की गई थी ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं, सिंचाई विभाग ने नहरों को एक निश्चित प्रोग्राम से चलाने का अवश्य निर्णय लिया था ।

(४) जी नहीं, खारी बांध की दूसरी पाण के बाद नहर दिनांक ३१-१२-६५ को बन्द की गई थी और तीसरी पाण के लिये पुनः नहर दिनांक ३०-१-६६ को खोली गई थी । इस प्रकार से नहर पूरी एक माह पश्चात् खोली गई है ।

(५) जी नहीं, विभाग की सूचना के अनुसार फसलों की हालत अच्छी है ।

(६) जी हाँ, पहले व दूसरे पाण में यह तजुर्बा हुआ कि एक साथ पानी देने पर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है, अतः तीसरे पाण से टेल की ओर से पानी दिया जाना शुरू किया । यह प्रश्न तकनीकी दृष्टि से विभाग द्वारा ही तय किया जाने वाला था ।

(७) जी नहीं ।

(८) जी नहीं, जिलाधीश व अन्य कार्यालयों से अधिशासी अभियन्ता को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए । पानी तो काश्तकारों की मांग के अनुसार खोला जाता रहा है ।

(९) जी नहीं, एस० डी०ओ० गुलाब-पुरा द्वारा कोई मनमानी नहीं की गई और फसलें मौके पर अच्छी हालत में हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महो-दय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी ने पहली दूसरी पाण ऊपर से देने का निर्णय किया था तीसरी और चौथी पाण ऊपर से न देकर नीचे से क्यों दे दी? इसका क्या कारण है कि एस० डी० ओ० ने तीसरी पाण नीचे टेल से शुरू करा दी ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने बताया कि हमने पहले दो बार एक साथ पानी दिया, ऊपर से पानी देने के कारण नीचे पानी नहीं पहुंचता है तो नीचे वाले चिल्लाये कि हमारे यहां पानी नहीं पहुंच रहा है, लोगों ने नहरें तक तोड़ दीं । यह तय भी इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को करना था कायदा भी यही है कि टेल से पानी पहले दिया जाना चाहिये । दो बार ऊपर से पानी दिया गया फिर नीचे वाले चिल्लाये, कई शिकायतें हुईं । वह एरिया अभाव-ग्रस्त था, बी० डी० ओ० ने भी शिकायत की थी अगर टेल से पानी

(श्री दिनेशराय डांगी)

नहीं दिया गया तो वहां अकाल की स्थिति हो सकती हैं, इसलिये टेल से तीसरी पाण से पानी दिया गया । यह टैक्निकली भी ठीक है ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : इरिगेशन एक्ट के मुताबिक नहर खोल दी जाती है तो एस० डी० ओ० को कोई अधिकार नहीं होता कि किसी प्रकार का निर्णय उसके विपरीत दे, वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी ही निर्णय दे सकती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी यह नहीं कर सकती कि एक भाग को ही पानी दे और दूसरे भाग को बिल्कुल सूखा ही रखे । सारी स्थिति को देख कर ठीक निर्णय लिया गया जो टैक्निकली ठीक है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : टेल की तरफ से पानी देने का निर्णय किया तो हैड की तरफ से क्यों दिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे खुद वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी में थे, वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी ने निर्णय दिया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी ने एस. डी. ओ. को इन्कार कर दिया था कि तीसरी पाण की पिलाई ऊपर से की जाय, टेल से नहीं की जाय, पर वाटर कमेटी के इस निर्णय के खिलाफ एक आदमी ने यह तय किया कि टेल से पिलाई की जाय ?

श्री दिनेशराय डांगी : आपने अपनी मेजोरिटी से ऊपर से पानी दिलाने का निर्णय किया होगा पर वह टैक्निकली गलत था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या विभाग मानता है कि वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी जो निर्णय लेती है वह गलत है और इस प्रकार की कमेटीज कहीं नहीं रखी जायं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं यह नहीं कहता पर जब टैक्निकल ऑब्जेक्शन हो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कर्त्तव्य है कि सही काम किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि नीचे के काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा था इसलिये ऐसा निर्णय किया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : भाई साहब आपने सुना नहीं, ऊपर से दो बार पानी दिया गया तो नीचे वाले चिल्लाये कि हमारे यहां पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिये टेल से पानी देने का निर्णय लिया गया ।

श्री अध्यक्ष : यही तो वे कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ये टैक्निकल मिनिस्टर है, टैक्निकल बात ही आपको पूछनी चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब मनमानी इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी का केवल नाम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मत्स्य विभाग के विकास हेतु दी गई धनराशि का उपयोग

४७२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य विभाग को विकसित करने के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) स्वीकृत धनराशि का उपयोग कहां व कैसे किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि सरकार इस निमित्त स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं कर सकी और उससे सरकार को हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो अनुमानित कितनी ?

उप मंत्री, पशुपालन (श्री भीमसिंह) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९,००,००० (नौ लाख) रुपये थी और तृतीय में १२,०९,००० रुपये थी।

(२) विवरण संलग्न है।

(३) जी हां, परन्तु इससे कोई हानि नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोधसिंह चौहान : बताइये कि उदयपुर में कहां कहां खर्च हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर में फिशरीज़ डिपार्टमेन्ट के लिये कहां कहां कितनी रकम खर्च हुई ?

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी है क्या कि उदयपुर में ही खर्च हो जाय ?

श्री जोधसिंह चौहान : विवरण इस बात का मांगा गया है कि कहां कहां हुआ है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है, खण्ड दो में साफ पूछा गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग कहां व कैसे किया गया, विवरण मांगा है।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, सभी जगह विभाग के काम खुले हुए हैं।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री अब्दुलजब्बार !

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को राज्य सेवा में लिये जाने हेतु आयु सम्बन्धी नियमों में रियायत

४७३. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवारों को राज्य सेवा में लिये जाने के लिये आयु सम्बन्धी नियमों में कितने वर्षों की रियायत (रिलेक्सेशन) दी जाती है ?

(श्री अब्दुल जब्बार)

(२) राज्य सेवा में लियें जाने वाले उम्मीदवारों को जब उक्त रियायत दी जाती है तो उन्हें रिटायरमेंट के समय में यह रिलेक्सेशन तथा एक्स्टेन्शन का फायदा क्यों नहीं दिया जाता ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ५ वर्ष की रियायत दी जाती है।

(२) रिटायरमेंट की आयु सभी के लिये ५८ वर्ष है। जिनका सर्विस रेकार्ड अच्छा न हो उन्हें ५५ वर्ष की आयु पर भी रिटायर किया जा सकता है। ५८ वर्ष की आयु के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से राज्य सेवा के योग्य नहीं समझा जाता है और इसलिये इसके बाद एक्स्टेन्शन आम तौर पर नहीं दिया जाता।

श्री अब्दुल जब्बार : यहां प्रश्न एक के जवाब में बताया कि ५ साल का ग्रेस दिया जाता है, तो यह ५ साल का ग्रेस देने का कारण क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी शिक्षा–दीक्षा दूसरे लोगों जितनी जल्दी नहीं होती है इसलिये उनको तरजीह देने के लिये यह किया गया है कि पांच साल निर्धारित उम्र के बाद भी उनको सर्विस में लिया जाता है।

श्री अब्दुल जब्बार : जब पांच साल बाद में सर्विस में लिया जाता है तो क्यों नहीं उनको निर्धारित उम्र से ५ साल बाद रिटायर किया जाता ? क्या कारण है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ५ साल का नुकसान पहुंचाया जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो आयु निर्धारित आम तौर से की गई है उससे पांच साल बाद भी वे राज्य सेवा में लिये जा सकते हैं; यह कन्सेशन इन्हें दिया गया है, यदि वे पांच साल पहले सर्विस में आयें तो इसके लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : जो पांच साल बाद आये उसको ५ साल बाद क्यों नहीं रिटायर किया जाता, ५ साल पहले क्यों रिटायर किया जाता है, पांच साल बाद रिटायर करें तो सरकार को इसमें क्या नुकसान है ?

श्री चन्दनमल वैद : ५८ साल के बाद मानसिक और शारीरिक कमजोरी आ जाती है इसलिये राज्य सेवा में नहीं रखा जाता।

श्री अब्दुल जब्बार : यह तो शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के अधिकारों का हनन है, पांच साल बाद लिया जाता है तो उनको पांच साल बाद रिटायर करना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, यह बिल्कुल सही नीति है, सरकार इस पर अडिग है।

श्री भरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ५८ वर्ष के बाद शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ जाती है यह मन्त्री महोदय ने कहा, तो यह आम चीज मान कर चलते हैं या मैडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : आम तौर पर मान कर चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ग्राम तौर से मान कर चलते हैं तो फिर ५८ वर्ष के बाद में रीएम्प्लोय कैसे करते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : पब्लिक इन्ट्रेस्ट में एक्सेप्शनल केसेज़ में जरूरी समझते हैं तो २ साल के लिये एक्स्टेन्शन देते हैं, रेग्रर केसेज़ में ऐसा करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ग्रापकी ग्राम धारणा है कि मानसिक शारीरिक कमजोरियां ५८ साल की उम्र के बाद ग्रा जाती है तो जिनको ग्राप रीएम्प्लोय कर रहे हैं, उनकी क्या गारन्टी है कि उनमें मानसिक ग्रौर शारीरिक दुर्बलता नहीं ग्राई है ?

श्री चन्दनमल बैद : देख कर करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कौन देखता है, क्या कोई मेडिकल बोर्ड बैठाया जाता है ? किस ग्राधार पर निर्णय लेते हैं कि वह शारीरिक ग्रौर मानसिक दृष्टि से दुर्बल नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बताया कि ग्राम नियम है कि ५८ साल के बाद सर्विसेज में नहीं रखते हैं। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रेग्ररली एक्सेप्शनल केसेज में रखते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : रूल में एक्सेप्शन बताया इसमें मुझे ग्रापत्ति नहीं है; पर ग्राप बतायें कि ग्राम तौर पर ५८ साल की उम्र में मानसिक ग्रौर शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं तो मैं पूछता हूं कि मानसिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों को ग्राप रीएम्प्लोय क्यों करते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह किसने कहा ?

श्री भैरोंसिंह : ग्रापने स्वयं ने बताया, कि एक्सेप्शनल केसेज में ५८ साल के बाद भी रीएम्प्लोय करते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : ग्राप कोई स्पेसिफिक केस बतायें कि फलां को शारीरिक ग्रौर मानसिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी रीएम्प्लोय किया तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा ।

श्री भैरोंसिंह : ग्राप ने कहा कि ग्राम तौर पर ५८ वर्ष की उम्र के बाद शारीरिक ग्रौर मानसिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है तो जिन लोगों को रीएम्प्लोय किया जाता है उनको किस ग्राधार पर रीएम्प्लोय करते हैं क्या उनकी इस जांच के लिये कोई बोर्ड बैठता है ?

श्री चन्दनमल बैद : उनके काम का ग्राउटपुट ग्रौर पब्लिक यूटिलिटी को देखते हुए रीएम्प्लोय करते हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : कमजोर होते हुए भी उपयोगी हो सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर हो सकते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के लिये कोई इस प्रकार की रुकावट नहीं है । ग्रगर जनता ग्रापको चुने तो ग्राप ग्रा सकते हैं ।

श्री ग्रब्दुल जब्बार : सवाल यह ग्राता है कि राज्य सेवा में उन लोगों को पांच साल का ग्रेस देकर शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रादमियों को लिया जाता है तो क्यों नहीं पांच साल का रिलैक्सेशन रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है ?

Page No. 21

श्री चंदनमल वैद : यह फैलेशस आरग्यूमेंट है। उनको तर्जीह दी जाती है ताकि अगर वे पहले नहीं आ सकते तो पांच साल बाद भी आ सकें। अब क्योंकि पांच साल के बाद में आए इसलिए उनको पांच साल बाद में भी सर्विस में रखा जाय ......

श्री अब्दुल जब्बार : ५५ साल की उम्र वाले शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बहुत अच्छे अधिकारी रिटायर किए गए। सरकार अगर इस नियम को उचित समझती है तो क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड बिठाती है ताकि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को रिटायर करने से पहले उनकी राय ली जाय, अगर वे काबिल हैं आगे सेवा करने के लिए तो उनको एक्सटेन्शन दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद : सरकार के विशेष नियम बने हुए हैं, यह कहना सही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया है। हो सकता है कोई केस आपकी नजर में आया हो, हमारी नजर में नहीं हो बाकि यह कहना कि केवल डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया गया है कि वह शिडयूल्ड कास्ट का है, यह सही नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : ऐसे फिटेस्ट पोसीबल कितने ही आदमी हैं जिनकी बोडी, दिमाग, फीचर्स सब सलामत हैं और फिर भी रिटायर किए गए हैं, वे ईमानदार हैं लेकिन मक्खनबाजी नहीं करते। यह शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के शाथ अन्याय है ? सरकार का कोई कानून उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता।

श्री चंदनमल वैद : यह सही है कि ऐसे केसेज में माननीय सदस्य से नहीं पूछा गया और न हम पूछेंगे ही रिटायर करने से पहले।

श्री जयनारायण सालोदिया : (निवाई) एक प्रश्न कई बार पूछा गया मंत्री महोदय से कि अमुक आदमी में मानसिक दुर्बलता है इसका क्या आधार है ?

श्री चंदनमल वैद : कल हम ५८ के बजाय ५७ या ५६ करेंगे तो भी आप आधार पूछेंगे। यह माना गया है कि ५८ साल के बाद मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। अगर सरकार ५७ साल फिक्स कर दे तो भी आप फिर पूछते कि कोई थर्मामीटर लगा हुआ है ? हो सकता है कि आदमी ५५-५६ की उम्र में ही कमजोर हो जाय लेकिन.......

श्री जयनारायण सालोदिया : आप किस किस आधार पर ५८ साल के बाद भी रखते हैं ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ४७४

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री **श्रवणलाल**।

व्यक्तिगत कुओं से लिये गये पानी का मुआवजा, पाली

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन सु०) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रवणलाल)

(१) क्या पाली में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यक्तिगत कुओं से पानी लिया जाता है ?

(२) क्या कुओं के मालिकों को कोई मुआवजा दिया जाता है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

चम्बल नहरों के कारण सीपेज व वाटर लोगिंग से प्रभावित भूमि

४७६. श्री कृष्ण**कुमार गोयल** : (कोटा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) चम्बल नहरों के कारण कितना क्षेत्र सीपेज व वाटर लोगिंग से प्रभावित है ?

(२) क्या उक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई सर्वे किया है ? अगर हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(३) अभी तक सरकार ने इस समस्या के निवारण के लिए कितनी रकम स्वीकृत की है और कितनी व्यय हो चुकी है ?

(४) ड्रेनेज के लिए क्या ब्रेक-अप प्रोग्राम बनाया है ? यदि हां, तो अभी तक कहां कहां कितना कितना कार्य हो चुका है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग १८,००० एकड़ भूमि के वाटर लोगिंग से प्रभावित होने का अनुमान है ।

(२) जी हां, प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है और उससे उक्त समस्या के समाधान पर करीब ५८१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(३) अभी तक इस समस्या के समाधान हेतु करीब १४ लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति हुई है और उसमें से इस वर्ष लगभग १० लाख रुपये व्यय हो जाने की संभावना है ।

(४) बूंदी एवं कोटा जिले में अभी तक चार लघु योजनाएं दल्लोप, भंवरिया, कुआ, भाटुन्डा, एवं रायपुरा, धाकड़ खेड़ी बनाकर उनका कार्य हाथ में लिया है । कार्य लगभग ७५ प्रतिशत हो चुका है । अभी तक उपलब्ध परिणाम सन्तोषजनक हैं । विस्तृत परिणाम योजनाओं के कार्य पूर्णतया समाप्त होने पर ही प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने स्वीकार किया है कि १८,००० एकड़ भूमि वाटर लोगिंग से प्रभावित है । इसके साथ मैंने आखिरी प्रश्न में पूछा कि ड्रेनेज के लिए क्या ब्रेक-अप प्रोग्राम बनाया है ? आपने ४ पाइलट स्कीम्स बताई हैं । क्या ये १८ हजार एकड़ भूमि को कवर करती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने सारे चम्बल क्षेत्र का एरिया बताया है जो वाटर

(श्री दौलतराम सारण)

लोगिंग से प्रभावित हो सकता हैं और हुआ है, जिसका सर्वेक्षण हुआ वह १८,००० एकड़ लगभग है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो चार स्कीम्स बताई हैं वे केवल कुछ एरिया को कवर करती हैं। आपका एस्टीमेटेड खर्चा ५८१ लाख रुपये है जिसके द्वारा आपकी जो १८,००० एकड़ भूमि वाटर लोगिंग से खराब हो गई है उसको ठीक करना है। उसका ब्रेक अप प्रोग्राम क्या है?

श्री दौलतराम सारण : हमने एक प्रोग्राम बनाया है उसके अनुसार हम नहरों को कुछ जगहों पर पक्का करेंगे, ड्रेनेज बनाएंगे और सारे क्षेत्र में जिस जगह वाटरलोगिंग की समस्या है या हो सकती है, वहां प्रोग्राम के अंतर्गत व्यवस्था की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न यह नहीं है। जैसे आपने बताया कि चार पाइलट स्कीम्स के लिए आपने अमुक अमुक गांव सिलेक्ट किये हैं तो आप ब्रेक-अप प्रोग्राम का बताएं। आपने जो पांच करोड़ खर्च करने के लिए रखे हैं वह आपने कैसे बनाया है कि अमुक जगह इस साल में कवर होगी और अमुक जगह उस साल में होगी।

श्री दौलतराम सारण : इसके लिए हमने ड्रेनेज कार्यों के लिए ड्रेनेज खंड और ड्रेनेज उपखंड खोल दिए हैं और जैसे जैसे उसका ब्रेक-अप इअरवाइज दिया है कि १९६५–६६ से लेकर १९७५–७६ तक सारे कार्य को पूरा करेंगे और इअरवाइज ब्रेक-अप संभावित लक्ष्य १९६५–६६ में पांच हजार एकड़ भूमि बचाने का था और १९६६-६७ में १० हजार एकड़ भूमि बचाना है। इस प्रकार हमारे अलग अलग........

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं तो ब्रेक-अप प्रोग्राम पूछूंगा कि अमुक अमुक एरिया कवर करके कौन कौन से साल में कौन कौन से गांव कवर करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : किस गांव को किस वर्ष में लेंगे इस समय मेरे पास डिटेल्ड सूचना नहीं है। यह तो लंबी चौड़ी योजना है लेकिन आवश्यक बात यह है कि चंबल में सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार १८ हजार एकड़ जमीन वाटर लोगिंग से प्रभावित होने की संभावना है और हम मानते हैं कि पांच फीट से नीचे जहां वाटर लेविल होता है उस जगह वाटर लोगिंग बढ़ने की संभावना हो सकती है इसलिए ऐसी जमीन १८,००० एकड़ मानी गई है सर्वेक्षण के अंतर्गत और जो जमीन है ५ फीट से १० फीट—१,७७,००० १० फीट से, वह क्षेत्र जिसमें सब-सोइल वाटर है, १० फीट से नीचे है २,५६,०००। इससे ऊपर १,३१,०००। जो १,१३१,००० एकड़ है उसमें वाटर लोगिंग की संभावना नहीं है और दस हजार वाली भी है उसकी संभावना नहीं हो सकती।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो आपने पांच फीट तक बताई कि १८,००० एकड़ भूमि है, जहां पर आप कन्सन्ट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद ५ फीट और १० फीट के बीच जो है क्या सरकार गंभीरता से नहीं सोच सकती कि कल यह चार पर आ जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : इसलिए मैंने निवेदन किया, वाटर टेवल जो बताया पांच फीट के नीचे, पांच और दस फीट के बीच, दस से ऊपर, उस सारे वाटर टेबल वाले क्षेत्र को हम वाटर लोगिंग के संभावित खतरे से भी बचाना चाहते हैं इसलिए डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया है, सर्वे की है और सर्वेक्षण के अनुसार, हमने उसका ईयरवाइज निश्चय किया है कि इस साल में इतना काम करेंगे। अभी वह स्वीकृत नहीं हुआ है, वह वाटर पॉवर कमीशन के पास सैंक्शन के लिए पड़ा है। जब स्वीकृत हो जायगा तब आगे के कार्य लेंगे। जैसे मैंने कहा, इस वर्ष इतना काम किया है लगभग १० लाख रुपया उसमें व्यय होने की संभावना है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मंत्री महोदय के कहने के अनुसार १,७७,००० एकड़ भूमि पांच और दस फीट के बीच है उसमें वाटर-लोगिंग की संभावना हो गई है। एक्चुअली १८ हजार एकड़ भूमि में वाटरलोगिंग शुरू हो गया है। मंत्री महोदय के सामने जो इमीजियेट प्रोब्लम है वह है १८,००० एकड़ का। इसके लिए उन्होंने अभी पिछले साल जो रुपया लगाया है उससे कितनी भूमि बच पाई है ?

श्री दौलतराम सारण : लगभग हम पांच हजार एकड़ भूमि बचा पाए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पांच हजार एकड़ बचा पाये हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि कितनी जमीन पर रबी की फसल खड़ी है ?

श्री दौलतराम सारण : जहां पहले जमीन पानी से भरी हुई थी उसको खाली कराया गया है। पांच हजार एकड़ ऐसी जमीन काबिल काश्त हो गई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

१८ हजार एकड़ जमीन वाटर लोगिंग से खराब हो रही है।

श्री दौलतराम सारण : अभी खराब नहीं हो रही है। पांच फ़ीट से नीचे का वाटर टेबल है उसमें जल्दी वाटर लोगिंग की सम्भावना आ सकती है। पांच हज़ार एकड़ खराब थी। उसको पानी की डूब से निकालने का प्रयत्न किया। इसमें खतरा हो सकता है इसलिये प्रयास किया गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सीपेज से जमीन खराब हुई है और फसल खराब हुई है तो काश्तकारों को मुआवजे का क्या प्रावधान किया ?

श्री दौलतराम सारण : मुआवजा किस बात का ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोई फसल हो नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। ४७७

म्युनिसिपल ऑफिसर्स को वेतन का भुगतान

४७७ **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितने म्युनिसिपल ऑफिसर्स, जिनकी नगरपालिकाओं में नियुक्तियां व

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ट्रान्सफर्स के अधिकार सरकार को प्राप्त हैं, अभी अवेटिंग ऑर्डर्स में हैं ?

(२) उक्त अधिकारियों को वेतन के भुगतान की क्या व्यवस्था इस अवधि के लिये बनाई हुई है ?

उप-मन्त्री. स्वायतशासन (श्री दौलत-राम सारण) (१) केवल एक ।

(२) जहां भी अधिकारी कार्यभार संभालेगा, वहीं से ही इस समय के वेतन का भुगतान करवाया जायगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने कर्म-चारी बताये ?

श्री दौलतराम सारण : केवल एक अधिकारी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि सरकार की ढ़िलाई के कारण वैटिंग ऑर्डर्स में वे पड़े रहे, जिस म्युनिसिपैलिटी में उनको भेजा जाता है उन पर यह भार डाला जाता है कि छः छः सात सात महीने की बकाया का पेमेन्ट करे ?

श्री दौलतराम सारण : न सरकार की गलती है और न ढिलाई का सवाल है । यह जो अधिकारी हैं उनको बीकानेर से सीकर ट्रान्सफर किया गया तो नगरपालिका लेने के लिये तैयार नहीं हुई, दूसरा आदमी सस्पेन्ड किया हुआ था उसको बहाल कर दिया गया तो उसको लगा दिया, अलवर किया तो वहां भी लेने के लिये तैयार नहीं हुई, ब्यावर किया तो वहां भी लेने के लिये तैयार नहीं हुई । इन परिस्थितियों में यह रह गये । इसमें सरकार की ढिलाई का सवाल नहीं हैं ।

श्री भंरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : इसका मतलब यह है कि नगरपालिकायें जिस एग्जीक्युटिव ऑफिसर को लेना चाहें ले सकती हैं और इनकार कर दे तो उनको वापिस भेजा जा सकता है ?

स्वायत्त शासनमन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक हो सकता है इस बात की कोशिश की जाती है कि म्युनिसिपल कौंसिल में जो भी अधिकारी लगाया जाय पहले उसके बारे में बातचीत करके लगाया जाय । इस तरीके से नहीं लगाया जाताहै कि उनके मनमें यह हो कि जबरदस्ती उन पर थोपा गया है। आम तौर पर बातचीत करके लगाया जाता है । वह अधिकारी एक चीफ एक्जीक्युटिव ओफिसर होता है इसलिये यह देखा जाय म्युनिसिपल कौंसिल से पूछा जाय ।

श्री भंरोंसिह : यह आम रूल है यह जिस जिस के लिये आप चाहें उसके लिए उस उस नगरपालिका से पूछा जाय ? या आमतौर पर इस पर विचार किया गया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह म्युनिसिपल कौंसिल के लिये है । ५० हजार से ऊपर की आबादी के लिये है ।

श्री भंरोंसिंह : जिस जिस नगरपालिका में, या आप कहते हैं उस प्रकार की नगर परिषद् में जो कानूनी परिभाषा हैं, उनसे सलाह मश्विरा करते हैं ?

श्री बरक्तुल्ला खां : जो नगरपालिका ५० हजार से ऊपर डिफाइन की गई है कानून में उसके सम्बन्ध में है।

श्री भैरोंसिंह : इनसे नीचे की नगरपालिकायें हैं उनसे सलाह मशविरा करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं ?

श्री बरक्तुल्लाखां : उनसे भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर म्युनिसिपल कौंसिल के लिये ही है कि अमुक एक्जीक्युटिव ऑफिसर कहीं चाहते हैं तो ट्रान्सफर कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कई जगह हालत यह है कि कांकरोली नगरपालिका जन संघकी है। वहां पर एग्जीक्यूटिव ओफिसर ऐसे व्यक्ति को लगा रखा है कि नगर पालिका और एक्जीक्युटिव आफिसर के बीच में युद्ध चलता रहता है। नगरपालिका की ओर से प्रस्ताव भी पास कर दिये गये कि इन एक्जीक्युटिव ओफिसर को नहीं रखा जाय। लेकिन उनको रखा गया और नगरपालिका को भंग कर दिया गया। हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुई और वहां से वे जीत कर आये और उन्होंने वापिस नगरपालिका का चार्ज लिया। यह दो तरफ़ा व्यवहार क्यों होता है। एक तरफ तो एग्जीक्युटिव ओफिसर को नगरपालिका चाहे तो हटाया जा सकता है और दूसरी तरफ विरोधी पक्ष की नगरपालिका हो तो नहीं हटाया जाता। वहीं पर उनको रखा जाता है। खास तौर पर जन संघ की नगरपालिकाओं में इसलिए ऐसे अधिकारियों को भेजा जाता है कि वे चोरी करें, हर प्रकार की गोलमाल करें और नगरपालिका को बदनाम करें........

श्री बरक्तुल्ला खां : दो प्रकार का व्यवहार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल है।

श्री बरक्तुल्ला खां : मैं बताना चाहता हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की दो जिम्मेदारियां आती हैं। म्युनिसिपेलिटी की इच्छा के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभायें। जो अधिकारी अपोइन्ट किये जांय उनको वहां जलील नहीं किया जाय। जहां पर पर डिस्क्रशन आवश्यक होता है वहां पर करते हैं। जहां पर एग्जीक्युटिव ऑफिसर को चार्ज नहीं दिया जाय, दफ्तर से उनको निकाल दिया जाय, जहां पर ताला लगा दिया जाय, जहां एक्जीक्युटिव ऑफिसर की उसके पद से हटा कर नाकेदार बना दिया जाय, तो उस हालत में गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है कि वह आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह : जिस अधिकारी का प्रश्न आ रहा है उस अधिकारी के साथ यही की यही स्थिति कांग्रेस की नगरपालिका के अन्दर होती है. दफ्तर के बाहर बैठा दिया, चार्ज नहीं दिया, फाइलें छिपा दीं, नीचे के कर्मचारियों को कहा कि इसको बदनाम करो, उसके खिलाफ नारे लगाओ जहां कांग्रेस के लोगों ने शिकायतें कीं उनको, तुरन्त हटा दिया दूसरी नगरपालिकाओं में विरोधी पक्ष की नगरपालिकों में खास तौर से यह बात आती है तो चेयरमेन को गाली दे, थप्पड़ मार दे जिस तरह से चाहे

(व्यवधान)

पालिका को दबाया करे। मन्त्री महोदय बतायेंगे कि नाकेदार वहां लगाया गया, एब्यूजेज कराया गया, कितनी बार सस्पेन्ड किया, जो व्यवहार आपने काकरोली नगरपालिका

Page No. 27

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ किया....वैसा कितना दूसरों के साथ किया ?

(शोरगुल)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह समझता था कि जनसंघ के नेता इस बात की कोशिश करेंगे कि सारी बात बगैर झगडे के निपट जाय

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह: आपके सदस्यों की किसी की हिम्मत नहीं होगी ।

श्री बरकतुल्ला खां : इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे कि नाकेदार से भी निकालेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आप सहयोग नहीं करेंगे तो नाकेदार से भी उठाकर फेंकेंगे । एक तरफ कांग्रेस की नगरपालिकाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार और जनसंघ की नगरपालिकाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ।

श्री बरकतुल्ला खां : एग्जीक्युटिव ऑफिसर को काम नहीं (शोरगुल) करने दिया गया । जिस नगरपालिका में तो काम कराया गया है, उसने फंक्शन किया है और काम कराया गया है और मेन्टेन कराया गया है ।

(शोरगुल) -

श्री भैरोंसिंह : चूंकि वह कांग्रेस की नगरपालिका है इसलिए उसको वहां से हटा दिया और जनसंघ की नगरपालिका में मन्त्री महोदय एक्जीक्युटिव ऑफिसर को इन्स्टीगेट करके भेजते हैं कि खड़े हो जाओ, बाज़ार में गालियां निकालो ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (श्री बरकतुल्ला खां के बोलने के लिए खड़े होने पर) डूब मरो । बैठ जाओ ।

श्री बरकतुल्ला खां : झूठे आरोप लगा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस सरकार को कई वार कहा है कि उनको रोको ।

श्री बरकतुल्ला खां : आप सपोर्ट कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप और डिप्टी मिनिस्टर दोनो सपोर्ट कर रहे हैं । इस की स्थिति न आये.......

श्री बरकतुल्ला खां : इस तरह की स्थिति को फेस किया है और मेन्टेन किया है ।

श्री विजयसिंह झाला : बैठ जाओ, बैठ जाओ ।

(शोरगुल व्यवधान)

डूब मरो, बैठ जाओ ।

श्री बरकतुल्लाखां : डूब मरने वाले मरेंगे ।

श्री भैरोंसिह : आज तक नाकेदार बनाया है । यही हालत है तो उसको नगरपालिका में नहीं बैठने देंगे । यह ही करना है तो एक बार नहीं हजार बार करिये । हम नगर पालिका में उसको नहीं बैठने देंगे ।

श्री बरकतुल्ला खां : एक जिम्मेदारी लेकर, असेम्बली के मेम्बर होकर, एक पार्टी के नेता होकर, म्युनिसिपैलिटी के लिये ऐसी बात करना आपको शोभा नहीं देता ।

श्री विजयसिंह झाला : बैठ जाओ !

श्री भैरोंसिह : आपको यह शोभा नहीं देता कि राजस्थान मन्त्रिमन्डल के सदस्य होकर, राजस्थान गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर होकर, एम. ए, एल. एल. बी. होकर, पढ़े लिखे आदमी होकर, अनपढ़ जैसा काम करें और ऐसी नगरपालिकायें जो ईमानदारी से काम करें उनमें बेईमान एक्जीक्युटिव ओफिसरों को बनाये रखें जो लोगों को करप्ट करें उनके द्वारा आप लोगों को गालियां निकलवायें, यह आपको और आपकी सरकार को शोभा नहीं देता ।

श्री बरकतुल्लाखां : कोई भी ऐसा केस बता दें कि पोलिटिकल एग्जम्पशन किया है ?

श्री भैरोंसिह : आपने डीडवाना की म्युनिसिपैलिटी को सस्पेन्ड कर दिया, कांकरोली नगरपालिका को सस्पेन्ड कर दिया । एक शिकायत कर दी कि कब्रिस्तान की जमीन को सरकारी जमीन डिक्लेयर कर दिया । वह तो सरकार की ही थी । हमारी हजारों बीघा श्मशान की भूमि को खा गये उसका पता नहीं । उस कब्रिस्तान पर सरकार का अधिकार था ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों न इस प्रकार का एक कन्वेन्शन बनाया जाय जहां का म्युनिसिपल बोर्ड यदि किसी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर को नहीं रखना चाहे तो उसका ट्रांसफर कर दिया जावे, यही डूंगरपुर में हाल, सगवाड़ा में भी यही किस्सा है । सगवाड़ा में तो एक्जीक्युटेटिव आफिसर तीस मील के फासले पह बैठकर सगवाड़ा नगरपालिका की व्यवस्था कर रहा है । इसी प्रकार जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी कांकरोली में है वहां भी यही हालचाल हैं । यह एक आम भावना होती जा रही है कि जहां भी विरोधी पार्टी की नगरपालिकायें हैं वहां पर एक्जीक्युटिव ऑफिसर को एक प्रकार से निरीक्षक बनाकर भेजा जाता है, छाती पर मूंग दलने के लिये भेजा जाता है । स्वस्थ परम्परा के अनुसार नगरपालिकाओं की प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए कोई कन्वेशन बनाया जावे । हमेशा के लिये अविकल रूप से सभी जगह कांग्रेस का ही बहुमत अनादिकाल तक रहेगा जो हो नहीं सकता । जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा को मद्देनजर रखते हुए नगरपालिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री भैरोंसिह : असेम्बली के अन्दर अध्यक्ष ही न्यायाधीश बन सकते हैं । मैं अपना रेजिग्नेशन और बरकत साहब भी अपना रेजिगनेशन अध्यक्ष महोदय को देदें । अध्यक्ष महोदय के सामने वे सब कागजात आयें जहां जहां जनसंघ की म्युनिसीपेलिटियां हैं जिनको सस्पेन्ड किया गया या, डिजोल्व किया गया उनके कागज अध्यक्ष महोदय मंगवा लें ।

कांग्रेस की नगरपालिकायें जो दिन-दहाड़े डाका डाल रही हैं गरीबों को लूट रही हैं, सरकारी धन का जहां दुरुपयोग हो रहा है, सीकर झूंझुनू ये ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिनमें दुनियां भर के घोटाले हैं, वे कागजात मैं

(श्री भैरोंसिह)

सदन में प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं। बरकत साहब की कलम चली डीडवाना और कांकरोली की म्युनिसिपैलिटियों पर, जहां जनसंघ की म्युनिसिपैलिटियां हैं। क्योंकि वह किसी मंत्री की कॉन्सीट्यू-एन्सी है।

श्रीमती सुमित्रा (झूंझुनू) : झूंझूनू में तो एड मिनिस्ट्रेटर है।

श्री भैरोंसिह : कब हुआ है? वहां की म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ आप भी बोलती थीं और मैं भी बोलता था, दोनों खिलाफ बोलते थे उस समय इसको ससपेन्ड नहीं किया गया, कितनी अपन ने मेहनत की तब जाकर हुई।

मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं के लिये एक स्टेन्डर्ड कायम करें यह भी रख दें कि कांग्रेस की नगरपालिकाओं में पांच हजार रुपये तक के गबन की छूट है आप उनके लिये इतना कन्सेशन भी कर दें। लेकिन न्यायपूर्वक और ईमानदारी से काम करें, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज नहीं हों उन नगरपालिकाओं को सरकार इसलिये नहीं चाहती क्योंकि वे जनसंघ की हैं, ऐसी नगरपालिकाओं को आप सुपरसीड कर दें बाकी की जो लूट मचाती रहे, दिन दहाड़े लोगों को लूटती रहे वैसी नगरपालिकाओं को आपने बचाया है। इसलिये दोनों अपना अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दें। और कागजात उनको दे दिये जांय और वे यह देखें कि डीडवाना और कांकरोली की नगरपालिकाओं के साथ कहां तक न्याय हुआ है? सीकर म्युनिसिपल बोर्ड जिसको आप पेट्रोनेज़ कर रहे हैं जिसमें दुनियां भर के घोटाले हैं, उसको आप पेट्रोनेज कर रहे हैं उसको डिज़ोल्व नहीं किया ये दोनों मामले अध्यक्ष महोदय के सामने रख दिये जावें।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जब जब भी म्युनिसिपल बोर्डस् की शिकायतें आती हैं उन पर एक सवाल किया गया है। (**व्यवधान विरोधी पक्ष द्वारा डूब मरो त्याग पत्र दो आदि की आवाज व्यवधान**

अश्रव्य)

भैरोंसिह : अजमेर की नगरपालिका खुले आम डाका डाल रही है यह मैं नहीं कांग्रेस के लोग भी कहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मेजों की थप-थपाहट के कारण (अश्रव्य)।

श्री जोधसिह चौहान (गिरवा) : मैं भी मन्त्री महोदय से उदयपुर नगरपालिका के बारे में मिला था। मन्त्री महोदय ने कहा कि आप मुख्य मन्त्री से मिलें उनके हाथ में है. मेरे हाथ में नहीं मुख्यमन्त्री यहां के एम० एल० ए० हैं। इस प्रकार कहना, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष : आपसी बातों का उल्लेख नहीं करें।

ज्वाला प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की या जनसंघ की नगर पालिका का प्रश्न उठाने का यह दृष्टिकोण नहीं, इस पर इस प्रकार से विचार नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की अनियमिततायें, खराबियां में

(श्री ज्वालाप्रसादशर्मा)

व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। इस कारण जिस समय इसकी मांग पर डिस्कशन होगा मैं वे सब बातें हाउस में रखूंगा। मैं आपके वे कागजात भी शो करूंगा।

श्री **विजय सिंह झाला** : अब तो डूब मरो। अब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है तो।

श्री **बरकततुल्ला खां** : जिस समय म्युनिसिपैलिटी पर डिस्कशन होगा आप भी खोलकर उन बातों को रखिए, मैं जी खोल कर उनका जवाब दूंगा।

श्री **अध्यक्ष** स्थगित प्रश्न। श्री तेजाराम गहलोत।

स्थगित प्रश्न

३–३–६६

तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खाद्यानों के निर्यात की आज्ञाएं

६७. श्री **तेजाराम गलहोत** (सोजत) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जुलाई १९६४ से १९६५ तक की अवधि में तहसीलदार बिलाड़ाद्वारा मोठ, ज्वार व अन्य खाद्यानों के निर्यातकी आज्ञायें दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि जिन खाद्यान्नों के निर्यात की आज्ञा दी गई थी उनके निर्यात पर उस अवधि में रोक दी थी ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

प्रश्न संख्या ६७ स्थगित किया गया

श्री **भैरोंसिंह** :

स्थगित प्रश्न

(१७-३-६६)

सैनिकों को सहायता

३०८. श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : (किशनपोल, बाजार जयपुर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "डिफेंस एफर्टस इन राजस्थान, के अनुसार फौजियों के लिए जो आश्वासन दिये गये उनका अब तक किस किस सीमा तक अमल किया गया है तथा इन कार्यवाहियों के अनुसार कितने लोगों को किस किस प्रकार की क्या क्या सहायता मिल चुकी है ?

(२) इस पुस्तिका में जिन घोषणाओं का उल्लेख किया गया है, क्या उसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा कुछ अन्य सुविधाओं की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

(३) इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से नियम बनाये गये और कौन कौन से सरक्यूलर्स जारी किए गए ? कृपया ऐसे नियमों तथा सरक्यूलर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) नेफा तथा लद्दाख के युद्ध में कितने फौजियों के मारे जाने, गुम हो जाने, बन्दी बना लिए जाने तथा अपंग होने की सरकार को सूचना मिली और सरकारी

(श्री भैरोंसिह)

घोषणाओं के अनुसार उनको कब कब तक कितनी सहायता दी गई ?

(५) सैनिकों के राजस्थान में किस किस प्रकार के कितने कितने फन्डस हैं ? इन फन्डस में पिछले ५ वर्ष में कितनी कितनी आय हुई और किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान के फौजियों को उनकी बढ़िया सर्विसेज के इनाम के फलस्वरूप मेडल्स वितरण करने के लिए राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे ?

(७) यदि हां, तो ये मेडल्स कब कब कितने २ आये और कब कब कितने सोल्जर्स को यह वितरण किये गये और अब कहां कहां कितने कितने बचे हैं ?

(८) कितने फौजियों को तथा उनके आश्रितों को अब तक उनके रिजर्वेशन के अनुसार नौकरी में लिया गया है तथा किस किस विभाग में और कब कब ?

उप–मन्त्री सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सम्बन्धित पुस्तिका में जो जो रियायतें फौजियों को दी जानी बताई हैं, उनका सभी क्षेत्रों में पालन किया गया है । मोटे तौर पर नेफा लद्दाख में वीरगति को प्राप्त हुए, अपंग हुए, गुमशुदा तथा कैदी हुए सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा नकदी एवं बचत बौन्डस के रूप में कुल ३, ८८, २४६ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई । नकद राशि के अलावा ४,३६४ एकड़ व २,३३५ बीघा भूमि का भी आवंटन किया गया । भारत पाक संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को ३,२६,६०० रुपये नकद तथा बचत बोन्डस के रूप में और १८०३ बीघा भूमि भी आवंटन की गई । दो अपंग घोषित हुए सैनिकों को ५० बीघा १७ बस्वा जिमीन और ४,००० रुपये की नकद धनराशि तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बचत बोंड भी दियेगये ।

सैनिकों के आश्रित १,१५४ विद्यार्थियों को राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रकार की फीस की छूट दी गई, इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सभी स्तर की संस्थाएं सम्मिलित हैं । इसके अलावा छात्रवृति के रूप में १९६२-६३ से १९६५-६६ तक २, ७०, ५४० रुपये दिये गये हैं और लगभग २७,३७० रुपये इसी वित्तीय वर्ष में और दिये जाने की आशा है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये दिये गये आश्वासनों के अनुसार विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में ४,८०४ सैनिकों को नौकरी पर लगाया गया । औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में १६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये जयपुर, कोटा एवं पाली में प्रवेश दिया गया ।

रिहायशी मकान बनाये जाने के लिये राज्य में सैनिक अधिकारियों एवं आश्रितों को ४७ प्लाट्स अलॉट किये गये । सैनिकों तथा उनके परिवारों को हर सम्भव सुविधाएं एवं सहायता दिये जाने के लिये जिला अधिकारी, पंचायत समितियों आदि को हिदायतें दे दी गई थीं । प्रतिरक्षा सैनाओं में काम करने वाले सैनिकों के खसरों में

(उप मन्त्री सामान्य प्रशासन)

किसी भी तरह के परिवर्तन उनके हितों के विरुद्ध नहीं किये जाने बाबत आदेश प्रसारित किये गये ।

(२) सम्बन्धित घोषणाओं का संकलन दो पुस्तिकाओं में (१) कन्सेशन्स टू मिलिट्री पर्सनल्स इन राजस्थान और (२) सैनिक सुविधाएं (प्रगतिशील राजस्थान) किया गया है । जिनकी एक एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है ।

(३) कन्सेशन्स टू मिलिट्री पर्सोनल्स इन राजस्थान में ऐसे सभी आदेशों एवं नियमों का संकलन है । इसके अतिरिक्त तीन परिपत्र जो इस सम्बन्ध में प्रचलित किये गये थे, उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(४) नेफा तथा लद्दाख के युद्ध में २२६ मृत, १० गुमशुदा, १३ अपंग एवं १३ कैदी होने की सूचना प्राप्त हुई । इनको उपरोक्त प्रश्न के खण्ड (१) में दिये गये उत्तर के अनुसार सहायता दी गई है ।

(५) राजस्थान में सैनिकों के तीन फन्ड्स हैं :—

(क) राजपूताना वार पर्पजेज फन्ड,

(ख) राजस्थान पोस्टवार रिकन्सट्रक्शन फन्ड व

(ग) बेनवोलेन्ट फन्ड

उक्त फन्डों में गत ५ वर्षों में हुई आय व व्यय का ब्योरा तालिकाओं अ, आ, और इ में दिया गया है, जो इसके साथ संलग्न है ।

(६) जी हां ।

(७) गत ५ वर्षों में समय समय पर ६६,१७४ तगमें प्राप्त हुए हैं जिनमें से ६५,८२६ वितरित कर दिये गये हैं और शेष ३,३४५ वितरित किये जा रहे हैं । कहां कहां कितने बचे, उसकी तालिका सदन की मेज पर रखदी गई हैं ।

(८) १९६२ से १९६५ तक राजस्थान में ३,५४१ फौजी विभागों की सेवाओं में लिये गये तथा नियोजन कार्यालय के मार्फत निजी संस्थाओं में १,२६३ फौजियों को नौकरी में लिया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इसके साथ एक और प्रश्न है, उसका भी साथ ही उत्तर दे दूं ।

स्थगित प्रश्न (१७ मार्च १९६६)

भारत पाक युद्ध में राजस्थानी सैनिक

३२१. श्री मोहनराज (बाली) व श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अब तक की सूचना के अनुसार गत वर्ष के भारत पाक युद्ध में राजस्थान के कितने वीर (फौजी) शहीद हुए हैं ? कितने घायल व कितने अपंग ? नाम व पदों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री मोहनराज)

(२) राज्य सरकार द्वारा इन वीरों के परिवारों को सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि दी जा चुकी है ? क्या कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें यह राशि अभी तक नहीं दी जा सकी है ?

(३) शहीद हुए फौजियों के परिवार वालों यानी स्त्री व बच्चों को राज्य सरकार की ओर से नकद रुपयों की सहायता के अलावा और क्या क्या सहायता व सुविधायें दी जाती हैं ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान के कुल १७२ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। घायलों की संख्या ४३१ है और अपंग व्यक्तियों का वर्गीकरण डाक्टरी निर्णय के पश्चात् किया जाता है। जिसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल दो व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध हैं। नाम व पदों की सूची सदन की मेंज पर रख दी गई है।

(२) ऐसे परिवारों को सहायतार्थ कुल ३, २६, ६०० की धनराशि दी जाचुकी हैं जिसमें १,६१,५०० नकदी के रूप में और १,६७,५०० राष्ट्रीय बचत योजना बोन्ड्स के रूप में राज्य सरकार द्वारा तथा ६०० रुपये बून्दी जिले के नागरिकों द्वारा दिये गये हैं। ऐसे परिवारों की संख्या ७ है जिन्हें नकदी सहायता नहीं दी जा सकी है और ६ परिवार ऐसे हैं जिन्हे राष्ट्रीय बचत योजना बोन्ड के रूप में कोई धन-राशि अभी तक नहीं दी जा सकी है। ऐसे परिवारों को :

१. कृषि के लिए बिना मूल्य भूमि ।

२. आवास के लिये उचित मूल्य पर जमीन ।

३. गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाले कर्जों में प्राथमिकता।

४ बालकों के लिये निशुल्क शिक्षा ।

५. छात्रवृत्ति की सुविधा ।

६. मुकदमों की पैरवी के लिये सुविधा ।

७. उद्योग धन्धों के लिये दिये जाने वाले कर्ज में प्राथमिकता आदि आदि ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : इन फौजियों के लिये काश्त की जमीन सिंचित क्षेत्र में क्या रिजर्व कर रक्खी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि आपको मालूम होगा डिसएबुल्ड जो सर्विसमैन हैं उनके लिये राजस्थान कैनाल में पंचायत वालों के लिये, राजस्थान वालों के लिये दो लाख रु० और पांच हजार एकड़ जमीन हिमाचल प्रदेश वालों के लिये कुल दो लाख पांच हजार एकड़ जमीन का रिजर्वेशन कर रखा है। चम्बल में एक हजार बीघा और भाखरा में दो हजार बीघा सुरक्षित कर रक्खी है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान कैनाल में राजस्थान के सोल्जर्स के लिये कितनी रिजर्व है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो लाख एकड़ हैं इसमें राजस्थान और पंजाब दोनों जगह के सोल्जर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें अलग से राजस्थान के सोल्जर्स का निर्धारण किया हुआ नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तहकीक तो मुझे मालूम नहीं है पर जो दो लाख एकड़ रखी गई है पंजाब वालों को भी उसमें से दी जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : कितनी जमीन पंजाब वालों को दी जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तहकीक अभी मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह जो रिजर्वेशन किया गया है, यह क्या उन सभी फौजियों के लिये है जो या तो मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं, या जो फोज की एक्टिव सर्विस में काम करते हैं या जो फोज में सर्विस करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह डिसएबल्ड सर्विसमैन के लिये है।

श्री भैरोंसिंह : और जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनके परिवार वालों को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां है।

श्री भैरोंसिंह : तो इस हिसाब से राजस्थान में दो लाख एकड़ जमीन का जो रिजर्वेशन किया गया है, इसमें एक्ससर्विसमैन भी हैं ? या इन इन को ही देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्स सर्विसमैन के लिये अलग से रिजर्वेशन है। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि सारे के सारे उसमें जाने ही चाहिये। यह तो दो लाख का सीलिंग है। इस सीलिंग तक हम इन आदमियों को जमीनें नियमानुसार दे सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। सरकार ने दो लाख एकड़ जमीन फौजियों के लिये रिजर्व की है। वे फौजी हैं कौनसे ? नेफा, लद्दाख, या पाकिस्तान के युद्ध में मारे गये सिर्फ उनके परिवारों के लिये या जो एक्टिव सर्विस में काम कर रहे हैं, उनके लिये भी है ? यदि केवल युद्ध में मारे जाने वालों के ही लिये या जो अपंग हो गये उनके लिये ही है तो दो लाख एकड़ की आवश्यकता नहीं रह गई। यह जो रिजर्वेशन जिस भावना से किया गया था, मेरी शिकायत है सरकार से कि सरकार ने जो पहले प्रोमिज किया था, उससे बैक आउट कर रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बैक आउट करने की कोई बात नहीं है। यह तो सदन में भी बात आ चुकी है कि डिसएबल्ड, और डिसीज्ड पर्सन्स के लिये हैं और एक्स-सर्विसमैन के रूप में जो उनके लिये अलग से रिजर्वेशन है ५० हजार एकड़ का और इसके लिये अलग नियम है।

इसमें से पंजाब वालों को भी देना है और पाच हजार एकड़ हिमालय वालों के लिये भी है।

अगर इतनी जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती किसी को देने का प्रश्न नहीं है यह उस वक्त तय किया गया था जब देश में और किस्म की फिजा थी और उस वक्त इसका महत्व था। ज्यादा लेंगे ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा नहीं लेंगे। महत्व तो यह था कि जो भी एक्टिव सर्विस में हैं उनको सबको दी जावेगी। इस बात का महत्व था। मैं तो चाहूंगा कि चार लाख आप दे दें। मेरी तो शिकायत है इस पर कि सरकार इसका स्कोप छोटा कर रही है, अपनी बात से बैक आउट कर रही है यह कह कर कि यह सिर्फ मर गये उनके लिये है या डिसएबल्ड हैं उनके लिये हैं।

मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा यह थी कि सभी एक्टिव सर्विस वालों को दी जावेगी। यही नियम था तो मुख्य मंत्री अमृतसर के अपने स्वागत को देखकर ही आवेश में आकर घोषणा यों ही कर गये थे? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खुश रखने के लिये दो लाख एकड़ में पंजाब को भी शामिल कर लिया था क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लड़ाई की क्या स्थिति उस समय चल रही थी, डिफेन्स के बारे में, पैंशन के बारे में, उनको रियायतें देने के बारे में, यह एक लक्ष्य था कि इससे उनको प्रोत्साहन मिले तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी। न तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खुश रखने की बात थी, न किसी और भावावेश की बात थी। यह तो एक भावना थी।

श्री भैरोंसिंह : एक्स सर्विस मैन की सर्वे कराई है आपने?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे पास फिगर्स नहीं हैं, पर डिस्ट्रिक्ट सोल्ज़र्स बोर्ड के पास फिगर्स रहते हैं और जानकारी उनके पास रहती है।

श्री भैरोंसिंह : फिगर्स का सवाल नहीं है। आपने कहा था कि सर्वे करा रहे हैं एक्स सोल्ज़र्स का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के जरिये कराते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ सोल्जर्स ने क्या सर्वे कराया है?

रामप्रसाद लड्ढा : उनके फिगर्स उनके पास रहते ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं, सर्वे कराया या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे उसका करें जिस चीज का पता नहीं हो, जब सारे रेकॉर्ड वे रखते हैं तो क्या जरूरत है?

श्री भैरोंसिंह : नहीं रखते हैं। क्या पता है डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड को कि अमुक गांव में अमुक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने एक्स सोल्जर्स हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा - अध्यक्ष महोदय, वैसे सरकार ने कलेक्टरों को भी लिखा था कि अपने अपने क्षेत्रों में एक्स-सोल्जर्स की संख्या के बारे में जानकारी दें। पर इसमें कहीं की इत्तला आई है, और कहीं की नहीं आई है। पूरी जानकारी नहीं होने से हम डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड से फिगर लेते हैं। इसके पास सेपरेट रेकॉर्ड रहता है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य की सर्विस में भी क्या एक्स-सोल्जर्स के लिये रिजर्वेशन किया हुआ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में जो किताब छपी है उसमें है जिसको आपने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देखा है। इसमें उस समय कन्सेशन देने की बात थी और उसके फलस्वरूप ही बताया।

श्री भैरोंसिंह : फलस्वरूप की बात नहीं है। है या नहीं यह बताएं, है तो कितना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्विस रूल्स में है।

श्री भैरोंसिंह : सर्विस रूल्स की मैं नहीं पूछता, मैं तो पूछ रहा हूँ आपने कन्सेशन्स डिक्लेअर किये या नहीं?

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : जो पुस्तिका आपको दी गई है उसमें इसका वर्णन है। उसको मद्दे नजर रखते हुए जहां जिस पोस्ट के लिये योग्य व्यक्ति मिला तो रखने की कोशिश की गई है।

श्री भैरोंसिंह : रिजर्वेशन टू दी मिलटरी परसन्स की जो बात है, उससे स्टिक करते हैं या नहीं!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई परसेन्टेज फिक्स हो, इस प्रकार की तो बात है नहीं। पर जो किताब, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें, इस बात का ध्यान सरकार ने रक्खा है और उस बात को ध्यान में रखते हुए ही जो आंकड़े प्रश्न के उत्तर में बताये हैं उतने आदमियों को नौकरियां दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने १२ परसेन्ट का रिजर्वेशन किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे नहीं मालूम।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या आई. पी. एस. और आर. पी. एस. में भी रिजर्वेशन है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : अध्यक्ष महोदय, १० एकड़ जमीन भी दें तो इस हिसाब से भी बीस हजार की आवश्यकता है और बीस हजार डिसएबल्ड और डेड आर्मी पर्सन्स दस वर्ष तक नहीं मिलने वाले हैं। जब यह तादाद दस वर्ष में भी पूरी नहीं होने वाली है तो क्या आप उस रिजर्व की गई जमीन को अनयूटीलाइज्ड यों ही पड़ी रक्खेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अन-युटीलाइज्ड पड़े रखने का प्रश्न नहीं है। प्लेस का फाइनेलाइजेशन नहीं हुआ है, ज्यों ही ऑथोरिटी बन जाती है, रिजर्वेशन उसके साथ अटेच्ड है उससे मुताबिक अलॉटमेन्ट होगा। बच जावेगी तो सरकार की वह जमीन है ही, कोई जबर्दस्ती बसाने का सवाल थोड़े ही है।

फिर यह भी है कि उधर एकड़ में नहीं दी जाती जमीन, एक मुरब्बा, दो मुरब्बा इस तरह दी जाती है। चम्बल के हिसाब से आप दस एकड़ का हिसाब लगाते हैं, ऐसा नहीं है।

श्री मोहनराज : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि शहीद हुए सैनिक परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है उसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका कारण सक्सेशन और वारिश नहीं होने का, घर में किसी के नहीं होने का कारण है और हम बहुत जल्दी इसको निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह : मन्त्री महोदय ने दो लाख एकड़ भूमि के लिए कहा मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसकी अलग अलग आफिसर्स को इत्तला कर दी है कि हमने इतनी जमीन उनके लिए रिजर्व की हैं ? अगर ऐसी इत्तला गयी है तो कब गयी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एरिया रिजर्व कर दिया और प्लान में बता दिया सुरक्षित है और वह किसी और को अलाट नहीं होती है और वैसे भी राजस्थान कैनाल एरिया में परमानेन्ट अलाटमेंट हो भी नहीं रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान कैनाल एरिया में सरकार कोई अलाटमेंट कर सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल के अन्दर हम मैटर ऑफ पॉलिसी फाइनलाइजेशन नहीं होने की वजह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा कमिटमेंट है और शायद सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मालूम है and this commitment will be protected, whatever law may come.

श्री भैरोंसिंह : क्या शहरों के अन्दर सरकार ने इसका आश्वासन दिया था कि फौजियों की अलग कोलोनी बनाई जायेगी और वैलफेयर सेन्टर बनाये जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसमें दिया था ?

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग नगरों के अन्दर फौजियों के लिए कालोनीज बनाई जायेंगी और वैलफेयर सेन्टर खोले जायेंगे और सब प्रकार की सुविधा दी जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह इस किताब में है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता रहा हूं जहां तक कालोनी बसाने का सवाल है तीन, चार शहरों में जैसा बताया गया कि ४७ प्लाट्स दिये हैं और उनके अलावा उनकी और दरख्वास्तें हैं, कुछ खारिज हुई हैं और कुछ पेन्डिंग हैं उनके ऊपर निर्णय लिया जाता है और वह इस तरह से उनकी कालोनी स्वतः ही अपने आप में बस जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है जो सेकिण्ड वर्ल्ड वार के मैडल और जो ४७ के पहले राजस्थान की अलग अलग रियासतों की सरकार के पास आ चुके थे और अलग अलग तहसीलों में पड़े थे क्या यह सही है कि १५ साल तक यों ही पड़े रहे और उनका वितरण नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ६२ से अब तक के बताये थे।

श्री भैरोंसिह : १५ वर्ष पहले आये थे सन् ६२ के ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने उम्मीद की थी कि माननीय सदस्य यह सवाल पूछेंगे और इसलिए मैंने इसको मालूम किया था कि कुछ पुराने मैडल्स जरूर पोते होना पाया गया है लेकिन वह ७ हजार के करीब मैडल थे और अब कम बाकी रह गये हूं इसलिए कि उनमें से काफी बंट चुके हैं और आगे ६२ के बाद है उनमें कुछ रह गये हैं और कुछ पुराने रह गये हैं । इस तरह से टोटल बाकी जो रह गये हैं वह मैंने आपको बताया है । अब क्योंकि दिक्कत आ जाती है, आदमी नहीं मिलते हैं, कोई मर जाता है इसलिए बिना वितरण के रह जाते हैं ।

श्री भैरोंसिह : एक प्रश्न और है । क्या यह सही है कि ७ हजार मैडल खो गये और उनका पता नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खोने की सूचना मेरे पास नहीं है । बैलेन्स में होने की सूचना है और उसके साथ ही साथ उन मैडल्स में से जो ६२ से ६५ की सूचना दी है और जो ७ हजार मैडल्स पहले के थे वह इनमें गिने जाकर अब थोड़े से मैडल बाकी रह गये है; अगर खो गये होते तो पोते में जो मिले उसके हिसाब से ७ हजार से ज्यादा निकलने चाहिए थे ।

श्री भैरोंसिह : क्या मैडल्स का कोई रजिस्टर मैन्टेन किया था कि इतने मैडल्स आये थे और अमुक अमुक आदमी के आये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड इसका रेकार्ड रहता है ।

श्री भैरोंसिह : रेकर्ड नहीं हैं । मैं जाकर आया हूं : मैंने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी से पूछा है । वहां कोई रेकर्ड नहीं है । एक बोरी में भरे हुए तहसील में आखों से मैंने देखे थे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि छोटे-छोटे और हजारों और लाखों की तादाद में मैडल हैं तो वह बोरी में पड़े रहेंगे । और किस में पड़े रहेंगे ।

श्री भैरोंसिह : तो फिर आपने किस आधार पर कह दिया कि सारे के सारे डिस्ट्रिब्यूट हो गए और खोये नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितने डिस्ट्रिब्यूट हुए हैं वह बता दिये और अगर खोते हमारे पास इत्तला तो आती ।

श्री अध्यक्ष : सरकार से निवेदन है कि सोल्जर्स बोर्ड के प्रेसीडेन्ट आपके जिलाधीश महोदय होते हैं और कभी कभी यह बहुधा देखा जाता था कि वह इस सोल्ज़र्स बोर्ड के कामों में कोई विशेष दिलचस्पी या तवज्जोह नहीं लेते हैं और वर्षों तक मीटिंग नहीं होती । जो सोल्जर्स बोर्ड के मेम्बर्स होते हैं उनको कभी बुलाते नहीं हैं । उनका कितना काम पड़ा रहता है और मैडल वगैरह पड़े रहते हैं तथा और भी केसेज पड़े हुए हैं तो सरकार उनको हिदायत दे कि मीटिंग समय पर बुलायें और काम को पूरा करें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : We will issue instructions, Sir.

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट

(श्री भैरोंसिंह)

मैं कलेक्टर के पास ऐसा रजिस्टर होना चाहिए कि फौजी के किसी काम के लिए दर्खास्त आये तो उसकी एन्ट्री उस रजिस्टर में हो ताकि यह जानकारी मिल जाये कि किस की किस बात के लिए एप्लीकेशन आई थी और उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे रजिस्टर भी खुल जायेंगे, मगर पड़े रह जायेंगे। सबसे आवश्यक यह है कि उनका दृष्टिकोण बदले सैनिकों के प्रति तो अपने आप सहूलियत हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आप एक-दो मेम्बर्स को सोल्जर्स बोर्ड का मेम्बर बना दो, मैं आपको बदलकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो यहां भी बदलते रहते हो। एक और निवेदन है कि आई० पी०एस० और आई०ए०एस० के अन्दर भारत सरकार ने उनको सहूलियत देने के लिहाज से कुछ नियम बना रखे हैं, उनके नियम और मंगवा लें और यथासम्भव हो सके तो अपने रूल्स में उनको कैसे इनकॉरपोरयेट कर सकते हैं उनको भी देखें।

(विराम)

श्री गोविन्दसिंह!

स्थागित-प्रश्न

१७-३-६६

कैटल ब्रीडिंग फार्म, डग

३२०. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कैपीटल ब्रीडिंग फार्म पंचायत समिति डग (जिला झालावाड़) में प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितनी जमीन ली गई है मकान बनाने में कितना खर्चा हुआ है और वहां कितने मवेशी व स्टाफ रखा गया है ?

(२) इस योजना की स्वीकृति कब हुई थी व कब तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए था ?

(३) मालवी नस्ल की गाय व बैलों की उपयोगिता देखते हुए राज्य सरकार ने इस नस्ल को प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में क्या कठाये जायेंगे ?

उप मन्त्री पशुपालन, (श्री भीमसिंह) : (१) ३१८ एकड़ भूमि की आवश्यघता है। जमीन भी ली नहीं गई है। मकान पर कोई खर्चा नहीं हुआ। कोई मवेशी नही रखे गये।

(२) योजना की स्वीकृति १९६४-६५ में हुई थी परन्तु आर्थिक कटौतियों वा जमीन नहीं मिलने से कार्य नहीं हो सका।

(३) नस्ल सुधारने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया गया है।

(क) एक ग्रामाधार खण्ड की स्थापना की गई है।

(ख) दो मवेशी मेलों का झालरापाटन में आयोजन किया गया है।

(ग) पंचायत में सांड वितरित किये गये हैं।

Page No. 40

(श्री भीमसिंह)

(च) बीमारी की रोकथाम के लिए चलते फिरते इकाई रखे गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले प्रश्न में बताया गया था कि इस साल काम शुरू कर रहे हैं और इसी तरह का पहले प्रश्न पूछा गया था तो इसका उत्तर नेगेटिव आ गया। दो मेले झालरापाटन में में आपने ले लिए इससे आपने नगरपालिका की आमदनी खत्म कर दी और उसको नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आपने कोई इन्तजाम नहीं किया।

श्री भीमसिंह : इसमें, अध्यक्ष महोदय, निवेदन ऐसा है कि जो जमीन ली जानी थी वह जमीन जंगलात महकमे की थी और रेवेन्यू के पास नहीं आ सकी और रेवेन्यू विभाग रिलीज नहीं कर सका। इससे डिले हुई और इस साल आर्थिक कठिनाई के कारण इसको रोक दिया गया और स्थिति ऐसी है कि कोई काम नहीं हुआ। अलग-अलग पंचायतों को ५४४ सांड बांटे गये और इसके अलावा २५ पशु-चिकित्सालयों में भी सांड रखे गये हैं।

श्री गोविन्दसिह : अध्यक्ष महोदय, मेला तो गन्टूर का था। आप यह तो देखते नहीं है कि ज्यादा मवेशी कहां मिलते हैं आप यह अपने रेकार्ड से मालूम करें तो मालूम होगा कि जो मवेशी होते हैं वे पंचायत समिति डग में होते हैं और आपने मेले दूसरी जगह लगाये हैं। आपने इन्तजाम जरूर किया है सांड बांटे हैं लेकिन यह देखने की बात है कि जहां मेले लगते थे वहां से आपने उल्टे ले लिए और वहां की नगरपालिका की आमदनी खत्म हो गई लेकिन मालवी नस्ल को सुधारने के लिए आपने कोई काम नहीं किया है।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि जो जो डिटेल्स और जो प्रमुख डिफिकल्टीज आ रही हैं वे डिटेल्स में मुझे दें तो इसमें मैं उनको संतोष दिला सकूंगा और और जो कार्यवाही है उसको शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह : आपने कभी यह देखा है कि झालरापाटन में जो मेला लगाने की व्यवस्था की है वहां उसमें मालवी नस्ल के पशु आते हैं ?

श्री भीमसिंह : जब तक सारे आंकड़े और डिटेल्स नहीं होंगी तब तक कमिटमेन्ट कोई नहीं कर सकते।

श्री गोविन्दसिंह : ये आंकड़े कौन देगा ?

श्री भीमसिंह : आपकी मदद से विभाग से मंगाये जायेंगे। आप तो बतायें कि क्या-क्या दिक्कतें हैं और डिपार्टमेन्ट से फिगर्स मंगाकर यदि गैर वाजिब होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह : विभाग ने तो झालरापाटन बता दिया........

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय से बात कर लें और कोई न कोई व्यवस्था निकल आयेगी।

(प्रश्नकाल समाप्त हुआ)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर दिला दें। यह बहुत ही इम्पोंर्टेन्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नं० ४६६, इसमें सभी इन्टरेस्टेड हैं और गवर्नमेन्ट भी रिप्लाई में इन्टरेस्टेड है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर पढ़ लें और कभी वहस में उसको ले आयें और उसका उपयोग कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहस का सवाल नहीं हैं। मेरे पास उत्तर कहां आ गया ?

श्री अध्यक्ष : सदन में आ गया है। और समय भी बहुत हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़ियाजी की जमीन का मामला है और बहुत इम्पोर्टेंट मामला है........

श्री अध्यक्ष : नहीं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भू-संरक्षण कार्य, पंचायत समिति, सांगोद

४६१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि विभाग द्वारा पंचायत समिति सांगोद के किन-किन गांवों में, कितनी कितनी जमीन पर, कितने खर्चे से अब तक भू-संरक्षण कार्य किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम कन्दाफल, गेहूं खेड़ी, लबानिया, डाबरी कलां, कमोलर व गोपालपुरा में किया गया काम अधिकांशतः भूमि का कटाव रोक सकने में असफल रहा है और वहां की जनता इसमें से भारी असन्तोष है ?

(३) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य के प्रोग्राम के सफल नहीं हो सकने के कारणों की जांच करवाई है ? और यदि हां, तो क्या कारण सरकार की निगाह में लाये गये हैं और उन्हें भविष्य में दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(१) ८ ग्रामों में १,१११ एकड़ में भू-संरक्षण कार्य किया गया जिसकी लागत ३३७५८) रु० है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीवर लाइनों पर कार्य करने वाले मेहतरों की सुरक्षा के साधन

४६४, **श्री हरिराम घारू** (सिवाना सु.): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बन्द सीवर (sewer) लाइनों पर कार्य करने वाले महतरों की जान खतरे में रहती है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि देश के अन्य कई बड़े नगरों में सीवर और गटर की सफाई के लिये महतरों को वैज्ञानिक साधन उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे वे सुरक्षित रह सकें ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर नगरपालिका के महतर कर्मचारियों के लिये इस प्रकार के साधन

(श्री हरिराम धारू)

उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। इस बारे में नगर-पालिका की राय मांगी जा रही है।

कृषि भूमि दिये जाने की जांच

४६६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में मुख्य मंत्री महोदय के रिश्तेदारों को अनियमित रूप से बून्दी जिले में कृषि भूमी दिये जाने के सिलसिले में जांच हेतु राजस्व मंडल के सदस्य श्री मधोक को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट सरकार को पेश की है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

(२) क्या श्री मधोक की सहायतार्थ राज्य सरकार ने किसी अन्य अधिकारी अथवा वकील को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो किसको और किस आधार पर ?

(३) राज्य सरकारने श्री मधोक की नियुक्ति कमीशन ऑफ एन्क्वायरीज एक्ट के अधीन क्यों नहीं की ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९५३ में बून्दी जिले में कलेक्टर और तहसीलदार ने मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के कुछ सम्बन्धियों को जो जमीन अलॉट की थी उस सम्बन्ध में गत सत्र में फरवरी व मार्च, १९६५ में जो आपत्तियां उठाई थीं उनकी जांच करने के लिये राजस्व मंडल के अध्यक्ष से निवेदन किया था कि वे मंडल के किसी सदस्य को नाम जद करें। अध्यक्ष ने श्री आर० एन० मधोक, सदस्य, राजस्व मंडल को नामजद किया। पुना उनकी नियुक्ति इस जांच के लिये की गई। श्री मधोक मौके पर गये और उन्होंने सम्बन्धिय सभी कागजों को देखा और जांच की तथा बयानात लिये। बाद में उन्होंने रिपोर्ट दी कि जो आंवटन किया गया था वह समय के बूदीं रियासत के कानून और राजस्थान सरकार की हिदायतों के अनुसार थे और उन जमीनों के आंवटन में कोई अनियिमितताए नहीं बरती गई और न उसमें कोई बदनियती (malafides) हैं। जिन शर्तों पर भूमि आंवटन की गई थी उनकी पाबन्दी की गई है और अलॉटीज को कानून के मुताबिक खाते दारी हकूक प्राप्त हो गये हैं, और जो हक अब निरस्त नही किये जा सकते और न ऐसा करने की कोई माकूल वजह ही हैं और न इन खातेदारों को अब बेदखल किया जा सकता है। श्री मधोक ने अपनी रिपोर्ट मैं यह भी बताया है कि मौजा सातली में श्री मन्नलाल और श्रीकिशन लाल को जो जमीन सन् १९५२ में आंवटन की गई थी और उस आंवटन को बाद में कमिश्नर कोटा, ने मंसूख कर दिया था। उस मंसूखी के हुक्म पर अमल हो गया था और वह जमीन इन दोंनो

(श्री मुख्य मन्त्री)

के कब्जे से वापस लेली गई थी और उनका ईन्द्राज बिला नाम सरकार में कर दिया गया था। और अब भी वे जमीन पड़त गैर मखबूजा हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट पर राजस्व विभाग और न्याय विभाग के अधिकारियों और एडवोकेट जनरल वगैरह की भी राय ली और उन्होंने भी जो नतीजा श्री मधोक ने निकाला है उससे सहमति प्रकट की। इसलिये इस सम्बन्ध में अब किसी भी मजीद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(२) सरकार ने श्री मधोक की सहायता के लिये कोई सरकारी वकील या अधिकारी नियुक्त नहीं किया था।

(३) यह एक ऐसा मामला नहीं था कि कमीशन और एन्क्वायरीज एक्ट के अन्तर्गत इन्क्वायरी कराई जाती।

बावडी बान्ध की मरम्मत

४७४. **श्री हनुमान सिंह चौधरी** (नावां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से स्थानीय जनता ने बावडी बांध (त०नावां) की मरम्मत हेतु सरकार से मांग कर रखी है ? यदि हां, तो इस संबंध ये आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) उक्त बांध कितना पुराना है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के बिलकुल टूट जाने से सिंचाई के कुओं का पानी खारा व कम हो गया है जिससे उत्पादन पर बुरा असर पडा है व इसकी जानकारी लगातार सरकार को दी जा रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि सन् १९६० में पंचायत समिति कुचामन ने उक्त बांध की मरम्मत के लिये कोई धन-राशि स्वीकृत की थी ?

(५) उक्त मरम्मत कब तक कराने का वीचार हैं व इतनी विलम्बता के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, किन्तु यह बांध सांभर झील केचमेन्ट में जाता है इस कारण इसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सका।

(२) यह बांध जागीर काल का है, सही तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(३) बांध तीन चार स्थानों से टूटा पड़ा है, किन्तु इसमें कुओं पर प्रभाव का सर्वेक्षण विभाग ने नहीं किया है।

(४) पंचायत समिति कुचामन द्वारा सन् १९६० में इस बांध की मरमत हेतु स्वीकृतई की गई धनराशि के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खेरवाड़ा में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण

६३ **श्री देवीलाल** (सराड़ा–सु) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री देवीलाल)

(१) क्या तहसील खेरवाड़ा में घोड़ी तालाब का निर्माण सम्पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कार्य कब समाप्त हुआ है ?

(२) क्या जिस नहर से घोड़ी गांव, टयाणा व पानी माला आदि स्थानों के काश्तकारों को पानी दिया जायेगा उस नहर का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है ?

(३) क्या उक्त नहरों से इस वक्त काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां तक दिया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां, इस तालाब का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(२) जी हां।

(३) जी हां, इस वर्ष घोड़ी गांव तक पानी दिया गया था।

पुलिस कर्मचारीयों को कम्पलसरी रिटायरमेन्ट

९४. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मार्च, ६५ में राज्य सरकार ने कितने थानेदार व हैड कांस्टेबल तथा सिपाहियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया है ?

उत्तर

मार्च, १९६५ में किसी भी थानेदार व हैड कान्स्टेबिल तथा सिपाही को कम्पलसरी रिटायरमेन्ट नहीं दिया गया।

सोम नदी तालाब नागी जवास के नाके का सर्वे

९५. **श्री देवीलाल** (सराड़ा—सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सोम नदी तालाब नागीजवास के नाके की सर्वे पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी ? क्या सर्वे पूर्ण हो चुकी है ?

(२) क्या इसका एस्टीमेट बन चुका है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ? क्या इसकी स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि इससे उस क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी जो अकालग्रस्त रहता है ?

उत्तर

(१) जी हां, प्रारम्भिक सर्वे पूर्ण हो चुका है ?

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, यदि विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त योजना उपयुक्त पाई जाकर कार्यान्वित की जा सकी तो कुछ क्षेत्र में सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

राजस्थान वक्फ बोर्ड

९६. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा): क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान वक्फ बोर्ड कब बना तथा उसके सदस्यों की संख्या कितनी है ?

Page No. 45

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बोर्ड बनने के बाद से अब तक इसकी कुल कितनी बैठकें हुई तथा ऐसे कितने सदस्य हैं जो केवल एक बैठक में ही उपस्थित हुए हैं और बाकी बराबर गैर हाजिर रहे हैं ?

(३) ऐसे गैर हाजिर रहने वाले सदस्य को क्या डिस्क्वालिफाई किया गया है ? यदि हां, तो किसे और कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

१. राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ अगस्त सन् १९६२ में बना। उनके सदस्यों की कुल संख्या ११ (ग्यारह) है। नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. बोर्ड बनने के बाद से अब तक कुल २५ बैठकें हुई। ऐसा कोई सदस्य नही है जो केवल एक ही बैठक में उपस्थित हुआ हो और बाकी में बराबर गैर हाजिर रहा हो।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशुओं की संख्या

६७. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राज्य सरकार के पास यह जानकारी है कि राजस्थान में अलग २ किस्म के कितने पशु हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या हर किस्म के पशुओं के जन्म व मृत्यु के आंकड़े रखे जाते हैं ? यदि हां, तो आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किये जाते हैं ?

उत्तर

१. जी हां सूची संलग्न है।

२. जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.२६ म० प्र०)

हायर सैकन्डरी स्कूल, बूंदी में छात्रों द्वारा परीक्षा में नकल करने सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कृष्णकुमार गोयल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसका सम्बन्ध हायर सेकेन्डरी स्कूल, बूंदी में परीक्षा के समय हुई कुछ घटनाओं से है। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन किया गया था कि स्पष्टीकरण सदन में वे दें और वे कुछ वक्तव्य दें उससे पहले अगर माननीय सदस्य कुछ बात रख दें ताकि उन्हीं मुद्दों पर मंत्री महोदय अपना जवाब दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्षजी, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जो मैंने शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया है मैं समझता हूं कि ऐसी घटना घटी है जो केवल राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान में भी आज तक इस प्रकार की घटना नहीं हुई। आज तक हम शिक्षा–स्तर गिरने की बातें करते थे और यह स्वीकार भी करते आ रहे थे कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और हम विचार करते थे कि शिक्षा का स्तर किस प्रकार बढ़ाया जाय, लेकिन आज उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि शिक्षा के स्तर के गिरने की बात को किस प्रकार से छिपाया जा रहा है और किस प्रकार से ढका जा रहा है, अपना प्रमोशन इसकी वजह से रुक न जावे, उस पर किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, इसका उदाहरण जो यहां सामने आया है वैसा हिन्दुस्तान के अन्दर पहले कभी देखने में नहीं आया। बूंदी हायर सेकन्ड्री स्कूल में हायर सेकन्ड्री की परीक्षाएं १० मार्च से आरम्भ हुईं। १० मार्च से लेकर १६ मार्च तक लगातार विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक के द्वारा और दूसरे अध्यापकों के द्वारा टीपने दिया गया और विद्यार्थियों को टीपने ही नहीं दिया गया बल्कि इस तरह की व्यवस्था की गई कि वे खुलकर किताबों से, पर्चों से टीपें और उनके टीपने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं डाली जाय। इसी बीच में जब बूंदीवासियों को यह मालूम हुआ कि इस प्रकार की घटना हो रही है कि जिसके द्वारा हमारे बच्चों के जीवन-स्तर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को तार के द्वारा सूचना दी कि यहां पर इस प्रकार से प्रधानाध्यापक और दूसरे अध्यापक बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर बोर्ड ने झुंझनू के इकोनॉमिक्स के जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट थे उनको एकदम सर्प्राइज़ चेकिंग के लिए बूंदी भेजा। १७ मार्च को वह हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बूंदी में एकदम चेकिंग के लिए आए और उन्होंने जाकर देखा कि विद्यार्थी खुलकर, आंख मींचकर, बिना किसी प्रकार के डर के, अध्यापकों और इन्वीजिलेटर्स की मौजूदगी के अन्दर किताबों से, पर्चों से टीप रहे थे और उन्होंने जब टीपते हुए लड़कों को पकड़ा तो माननीय सदस्यों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि जो कागजात पकड़े गए, जब्त किए गए वे कोई मामूली कागज नहीं थे, दो बोरे भर कर कागज पकड़े गए।....

(विराम)

और जब वे एक जगह पर लड़कों को पकड़ कर दूसरी तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अध्यापक महोदय हाथ में किताबों का ढेर लेकर चले आ रहे थे। उन्होंने जब उनसे पूछा कि महाशय ये क्या हैं तो अध्यापक महोदय कहने लगे कि लड़के टीप रहे थे, मैंने उनसे ये किताबें पकड़ी हैं उनको ला रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो एग्जामिनेशन ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब आप क्या ला रहे हैं ? तो उन्होंने कहा कि साहब हम क्या करें, हमें तो प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि लड़कों को टीपने दो और उसका नतीजा यह हुआ कि ११ लड़कों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया और उनको परीक्षा में बैठने से इन्कार कर दिया गया। उनमें से तीन लड़के वहां से भाग गए जिनका आज तक पता नहीं है। और जहां तक मुझे सूचना मिली है, मैं कह नहीं सकता कि इसमें कहां तक सचाई है, यह तो शिक्षा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मंत्रीजी स्वयं जानकारी करके विधान सभा में बताएं कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार एक लड़के की लाश १८ तारीख का एक कुए के अन्दर पाई गई।

(विराम)

यह लड़का वहां का ही है, यह तथ्य जरूर है कि ११ लड़कों के जीवन को बर्बाद किया जा चुका है, उनको परीक्षा से निकाल दिया गया है और तीन लड़के घर से फरार हैं और यह स्थिति और कहीं नहीं, आपके क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा मंत्रीजी। आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है और आज तक उस सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही नहीं की कि जिससे हमें, विधान सभा को मालूम होता कि आपने यह कार्यवाही की है। मैं समझता हूँ कि इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है ?

आज शिक्षा विभाग पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। आज इस महंगाई के टाइम में माता-पिता अपना पेट काट कर अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करते हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा है और आपकी आंखों के नीचे, आपकी गरदन के नीचे आपके क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की घटना हो जाय तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर लज्जा की बात आपके लिए और हो नहीं सकती। अगर आपके अन्दर जरा भी हया है तो मैं आप से मांग करता हूँ कि आप भी श्री लालबहादुरजी शास्त्री का दृष्टांत सामने रखें और स्तीफा दे दें अपनी कुर्सी से। आज आपके क्षेत्र के अन्दर ऐसी घटना हो जाय और वह भी किसी गांव में नहीं, खास बूंदी में कि आपका प्रधानाध्यापक आंख मींचकर लड़कों को टीपने की छूट दे दें, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूँ कि इसकी इण्डीपेंडेंट इन्क्वायरी कराई जाय और जो वहां के प्रधानाध्यापक और इन्वीजिलेटर हैं उनको तुरन्त ट्रांसफर किया जाय और उसके बाद इन्क्वायरी होकर जो नतीजा सामने आवे उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ये शिक्षा मंत्री जी ऐसा कर सकेंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रधानाध्यापक हैं वे शिक्षा मंत्री जी के लंगोटिया यार हैं उनके साथ शिक्षा मंत्रीजी ऐसा कैसे कर सकेंगे। अगर आप शिक्षा के स्तर को वास्तव में कायम रखना चाहते हैं तो मैं फिर निवेदन करता हूं कि वहां के प्रधानाध्यापक को तुरन्त सस्पेंड किया जाय और जिन इन्वीजिलेटर्स के बारे में प्राइमाफेसिया यह आपके सामने आ गया है कि ये इन्वीजिलेटर्स जिम्मेदार हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाय और प्रधानाध्यापक को हटा कर इसकी इन्डिपेंडेंट इन्क्वायरी कराई जाय। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो ११ लड़के स्कूल से निकाले गए हैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उनको इस प्रकार से प्रेरणा की गई है कि डिविजन बनाने के लिए टीपो। स्कूल का राजस्थान में अच्छे से अच्छा स्थान दिखाने की गरज से जो लड़कों को टीपने के लिए प्रेरित किया गया है तो इसमें इन लड़कों का कोई कुसूर नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन अध्यापकों के कारण जो इन लड़कों का जीवन खराब हो रहा है तो इसमें इन लड़कों को दुःखी न कर इसमें जिनकी गल्ती है उनको

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दुखी किया जाय। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्माननीय मित्र ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जरा जोर से बोलो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज गला ही ऐसा हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कल चौमू में जोर जोर से भाषण दे रहे थे, उसी तरह से दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चौमू में भाषण दिया वैसे ही दो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह घटना इस प्रकार हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं तो करीब महीने भर से बूंदी गया ही नहीं और इन सब बातों का मुझे पता भी नहीं लगा। जब मेरे सम्माननीय सदस्य ने यह बात यहां कही तो मैंने तुरन्त उसी रोज इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और जो सबसे बड़ी बात मेरे माननीय मित्र ने कही कि साहब एक लड़का इसी कारण से वहां आत्म-हत्या करके मर गया तो मैंने कलेक्टर से उसी दिन, यहां से जाकर टेलीफोन पर बात की, उसके बारे में फरदर जानकारी जो प्राप्त हुई है वह मैं अभी बाद में कहूँगा।

यह लड़का दो साल से हाई स्कूल के इम्तिहान में फैल हो रहा था और यह उसका तीसरा वर्ष था जबकि वह बतौर प्राइवेट कैंडीडेट के इम्तिहान दे रहा था। १८ तारीख को यह लड़का अपने माता-पिता के पास से इम्तिहान देने जाने के लिए यह कह कर गया कि उसके पहले के पर्चे बहुत खराब हो गए हैं और वह फैल हो जाएगा। १८ तारीख को जाकर वह किसी कुए में कूदा, उसी मोहल्ले में लालचन्दपाडा में। मैंने इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की क्योंकि यह मेरे ही मोहल्ले का लड़का था तो मालूम हुआ कि उसका दिमाग कई दिनों से चला हुआ था और इस बारे में यह भी पता चला है कि यह लड़का उन नौ लड़कों में नहीं है जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इसलिए उस कारण से उसे कोई कष्ट हुआ हो ऐसी बात नहीं है, यह लड़का उन पकड़े जाने वाले लड़कों में नहीं था। इसने जो आत्म-हत्या की है वह दूसरे कारण से की है, इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़े जाने का कारण नहीं है।

९ लड़कों के पकड़े जाने का जहां तक सम्बन्ध है, यह बिलकुल सही है। श्री अमर नाथ सक्सेना, झुंझनूं कालेज के प्रिंसिपल हैं उनको बोर्ड की तरफ से उस तरह की स्कूलों की सर्प्राईज चैकिंग करने के लिए नियुक्त किया गया था और तारीख १७ को जब वे बूंदी हाई स्कूल में पहुंचे तो नीचे के कमरे में शुरु में उन्होंने दो लड़कों को नकल करते हुए पकड़ा और उनके पास पर्चे मिले लिखे हुए। उसके बाद वे दूसरे कमरों में भी गए और कुल मिला कर ९ लड़के उन्होंने रैंडहेण्डेड नकल करते हुए पकड़े। उन नौ लड़कों को भी जैसा बोर्ड का कायदा होता है, उनसे वे कापियां उसी वक्त लेली जाती हैं और उनको दूसरी कापियां दे दी जाती हैं,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उसी प्रकार उन्होंने उन नौ लड़कों से वे कापियां ले लीं और उनको दूसरी कॉपियां देकर उनको इम्तिहान में बैठा दिया और वे अभी तक इम्तिहान दे रहे हैं। इस बारे में बोर्ड आगे इन्क्वायरी कर रहा है और उसके बाद जो कुछ भी सजा उनको देनी होगी, दी जाएगी।

जहां तक वहां के प्रधानाध्यापक का सवाल है, जैसा मेरे मित्र ने कहा कि वे मेरे लंगोटिया यार हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर दूं कि वे मेरे से बहुत सीनियर हैं, वे मेरे लंगोटिये नहीं रहे हैं। वे वहां के रहने वाले जरूर हैं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह दूं कि उनके खिलाफ भी जो कुछ कार्य-वाही करनी होगी वह अवश्य की जावेगी, लेकिन यह बोर्ड के ऊपर हैं कि वह किस नतीजे पर पहुंचता है।

जो अध्यापक की बात कहीं गई कि अध्यापक के पास ढेरों किताबें थीं तो उसके लिए मुझे मालूम पड़ा है कि जब लड़के इम्तिहान में बैठने जाते है तो अपने साथ जो किताबें लाते हैं उनको अध्यापक को देकर इम्तिहान टेबल पर जाकर बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी किताबें वहां पर इस तरह की थी और जब सर्प्राइज चैकिंग हुआ तो इम्तिहान के बाद भी जब लड़के इन्वीजिलेटर से किताबें मांगने आए तो वे किताबें उनको नहीं दी गई और उन किताबों को जमा कराने के लिए ही वे अध्यापक ला रहे थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।

जिसमें यह कहा जाना कि इस प्रकार से वहां पर जानबूझ कर नकल कराई गई यह तो बोर्ड का काम है और बोर्ड जो है वह इस बात की जांच करेगा। मैं तो अपने आपको अधिकृत इस बारे में नहीं मानता। बोर्ड की फाइंडिंग आ जाने के बाद इस बात का निर्णय किया जायेगा कि वहां इस बारे में अध्यापकों ने योगदान दिया है या नहीं। अगर किसी का कसूर होगा तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा कि इस बारे में कदम उठाऊंगा। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि वहां पर अध्यापक कौन है। मैं इस बात का सदन को विश्वास दिलाता हूं कि परि-क्षाओं के अन्दर कोई गड़बड़ न हो इस बारे में बोर्ड के द्वारा सर्प्राइज विजिट और सर्प्राइज चेकिंग का सिलसिला उठाया गया है। जहां की शिकायत आ जाती है वहां पर सर्प्राइज चेकिंग कराया जाता है। मेरे पास तार आया तो मैंने फौरन बोर्ड को इत्तिला दी कि इन्तजाम किया जाय और चैक करें। और उसका चेकिंग भी हुआ। जहां की शिकायत आती है वहां पर सर्प्राइज चेकिंग होती है। शिकायत न आने के बावजूद भी सर्प्राइज चैकिंग का अधिकार बोर्ड को है, क्योंकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ न हो इसका इन्त-जाम करना बोर्ड का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ एन्क्वायरी होगी वह बिल्कुल ठीक तरह से होगी। बोर्ड जिस प्रकार से एन्क्वायरी करेगा उसके आधार पर एक्शन लिया जायेगा और किसी इन्विजीलेटर या सुप्रिन्टेन्डेन्ट का मामला पाया गया तो दण्डित किया जावेगा। हां, यह बात जरूर है कि जब वहां पर श्री अमरनाथ सक्सेना ने ९ लड़कों को पकड़ा तो उसके बाद में बोर्ड ने जो कदम उठाया वह बहुत ही सराहनीय कदम था कि वहां के सारे सुप्रिन्टेंन्डेन्ट और इन्वि-जिलेटर्स को वहां से हटाकर दूसरे इन्वि-जिलेटर्स मुकर्रर कर दिए गये। कोटा से इन्सपेक्टर को बुला लिया और उनको वहां

Page No. 50

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर रखा। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बोर्ड का जो था वह वहां जाकर रहा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ न हो और वहां इम्तिहान शान्तिपूर्वक चल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तथ्यों को कुछ संशोधनों के साथ शिक्षा मन्त्रीजी ने स्वीकार किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड जो एन्क्वायरी करेगा तो क्या वह एन्क्वायरी आपके एक्शन से हो सकेगी। यह जो श्री अमरनाथ सक्सेना सर्प्राइज चेकिंग पर गए थे वह तार के द्वारा बूंदी बुलाए गए थे। तार जब बून्दी से दिया गया था तब आये थे। वह बोर्ड के द्वारा जो रूटीन चेकिंग के लिए भेजे जाते है उस तरह से नहीं गए थे। बूंदी से तार के द्वारा बोर्ड को कहा गया था कि वहां पर टीपने की कार्यवाही खुलकर अध्यापकों के षड़यन्त्र से चल रही है। उसके ऊपर उनको सर्प्राइज चेकिंग के लिए भेजा गया। इसके उपरान्त जिस समय श्री अमरनाथ सक्सेना बूंदी हायर सेकण्डरी स्कूल में पहुँचे तो कौनसी शिफ्ट चल रही थी ? शिफ्ट का टाइम कौनसा था ? कितने बजे वे पहुंच पाये और पहुँचने के बाद कितनी क्लास की परीक्षाएं वहां पर चल रही थीं ? कितने क्लासेज का चेकिंग कर पाये ? और आपका यह कहना कि जो किताबें लेकर चले आ रहे थे वे इसलिए अध्यापक लेकर चले आ रहे थे कि लड़के वहां छोड़कर चले गए थे, यह तथ्यों का मोड़कर रखना है।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक हायर सेकण्डरी स्कूल के हैडमास्टर और दूसरे अध्यापक जो प्राइमा फेसी इसमें शामिल नजर आते हैं उनको तुरन्त नहीं हटाया जायेगा, सस्पेन्ड नहीं किया जायेगा और आप केवल बोर्ड की एन्क्वायरी के नाम पर सदन को संतोष दिलाना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वह गलत होगा। जब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, उनको आप सस्पेन्ड नहीं करेंगे तब तक कोई इन्डिपेन्डेन्ट एन्क्वायरी नहीं होगी। प्राइमा फेसी साफ नजर आता है कि टीपने के अन्दर जितना सारा यह काण्ड हुआ है उसमें अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों का हाथ है। वह किस्सा आपके सामने बनकर आया है। आप चाहें कि जो तथ्य है वह स्पष्ट होकर आपके सामने आयें तो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप सारे के सारे लोगों को सस्पेन्ड न कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तो एक्जामिनेशन पीरियड के लिए दूसरी पार्टी ले ली गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सारी एन्क्वायरी बोर्ड के मत्थे लगा दी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल तो हैडमास्टर का है और यह जो कुछ हुआ है एग्जामिनेशन के अन्दर जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वह उन्होंने का है, उस गड़बड़ का इम्पेक्ट एग्जामिनेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से क्या पड़ता है बोर्ड उसकी एन्क्वायरी कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इर्रेग्युलेरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशियेन्सी के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। वह बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। बोर्ड का एक ऑफीसर जो एन्क्वायरी होल्ड करेगा तो वह यही एन्क्वायरी कर सकता है कि एग्जामिनेशन जो हुए हैं वह थ्योरली हुए कि

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं। इनमें इन्विजिलेटर्स का किस प्रकार का काम था। तो उनके सोचने का माप-दण्ड जो था वह यह था। एग्जामिनेशन ठीक प्रकार से हुए कि नहीं, एग्जामिनेशन में क्या गलती हुई यह बोर्ड के परव्यू की बात नहीं है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल की परव्यू की बात नहीं है। आप यह कहें कि बोर्ड की एन्क्वायरी के आधार पर एक्शन लिया जायेगा तो आप सीधे यह कह दें कि जिन लोगों ने सहयोग दिया उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। जब आपके पास में प्राइमाफेसी रूप से इस प्रकार के कारण मिल जाते हैं कि हैडमास्टर सहित और जो आदमी इस सारे मामले में शामिल होते हैं उनको तुरन्त सस्पेन्ड किया जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तक जो कुछ मेरे पास है और जो मैंने कहा है वह बोर्ड की इत्तला के आधार पर कहा है। मैं आपको कहूँ कि मैं २८ तारीख को डाइरेक्टर आने वाले हैं उनको भेज कर इसके बारे में मालूम करूंगा कि क्या मामला हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : श्री अमरनाथ सक्सेना सरप्राइज चैकिंग के लिए गये और ६ लड़कों को टीपते हुए पाया तो क्या इसके पूर्व वहां के हैडमास्टर को यह ज़ानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि यहां पर लड़के बाकायदा टीप रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दरशर्मा : मुझे जैसा मालूम हुआ है, उसके अनुसार हैडमास्टर ने पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट को यह जरूर लिखा था कि बाहर के लोग यहां आकर इकठ्ठा हो जाते हैं, इसलिए पुलिस का इन्तजाम किया जाये। इसके अलावा और मालूम नहीं है।

श्री हरिप्रसादशर्मा (पाटन) : ११ बच्चे जो इम्तिहान से निकाले गये हैं उनका क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह इम्तिहान में बैठ रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : तार के द्वारा बुलाया गया है या नहीं ? उसकी भाषा क्या हो सकती हैं। हैडमास्टर को बचाने की चेष्टा की जाती है। जो श्री अमरनाथ सक्सेना आये वह तार के द्वारा बुलाये गये थे। तार किसने दिया था ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : बाहर से ऐसे कौन से लोग आये थे जिनकी वजहसे पुलिस सुप्रिटेन्डेन्ट को बुलाया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बारे में मेरे पास जो बोर्ड की इत्तिला है यह इस प्रकार है।

"Shri Amar Nath Saxena, Professor, Seth Motilal College, Jhun-Jhunu, was appointed to pay a surprise visit and inspect the examination centre at Government M. P. H. S. School, Bundi, during the course of the current examinations. He visited the institution on the 17th March, 1966 in the morning session. In his report, Mr. Saxena made the following observations:.."

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। मंत्री महोदय ने यह

Page No. 52

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

बताया कि हैड मास्टर ने पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट को यह इन्फर्मेशन दी थी कि बाहर के लोग आ जाते हैं इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है तो क्या पुलिस सुप्रिटेन्डेन्ट ने वहां आकर जानकारी प्राप्त की ? मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में, जो उनके स्वयं का क्षेत्र है, वहां से सारी जानकारी मंगवाई है तो निश्चित डिटेल में जानकारी मंगवाई होगी । इसलिये यह बतावें कि हैड मास्टर के नोटिस में यह आया कि नहीं ? यदि आया और उन्होंने एस० पी० को इन्फर्मेशन दी तो एस० पी० ने क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह कहा कि बोर्ड के द्वारा आगे कार्यवाही की गई और उनका यह कहना है कि उनकी जब रिपोर्ट आजायेगी उसके पश्चात् तय करेंगे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको क्या कार्यवाही करनी चाहिए । इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले को और ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष, तार क्या था और तार की लैंग्वेज क्या थी यह बता दें तो उससे पता लग जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : उस पर कोई निर्भर नहीं करता । एक्शन लिया गया और मामला पकड़ा गया और सारी बातें सामने आ जायेंगी । उसके अनुकूल रिपोर्ट आजायेगी तो मंत्री महोदय ने कहा कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हैडमास्टर जब तक वहां पर मौजूद हैं तब तक कुछ नहीं होगा । इस समय लड़कों के एग्जामिनेशन का प्रश्न है और लड़के हैडमास्टर से दबे हुए हैं तो वह एवीडेन्स देने वाले हैं, जो कुछ हिस्ट्री है वह रिवील करने वाले हैं वह नहीं करेंगे । आज आवश्यकता इस बात की है कि हैड मास्टर को तुरन्त हटा कर एक इन्डिपेन्डेन्ट अधिकारी वहां पर लगाया जाये ताकि इन्डिपेन्डेन्ट रूप में लड़के जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको प्रकट कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : हैडमास्टर से चार्ज ले लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : हैडमास्टर से नहीं लिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री महोदय कह रहे थे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एग्जामिनेशन सुप्रिन्टेन्डेन्ट बोर्ड के आदेश से नियुक्त किये जाते हैं और वे हैडमास्टर बोर्ड के आदेश से एग्जामिनेशन सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में हैडमास्टर को हटाया है आपने ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : और ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन वे बोर्ड के ही कन्ट्रोल में रहते हैं । हमारे कन्ट्रोल में नहीं रहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि जो एग्जामिनेशन सुप्रिन्टेन्डेन्ट इन हैडमास्टरों को बोर्ड ने नियुक्त किया है तो उस बोर्ड ने ही दूसरे व्यक्ति को सुप्रिन्टेन्डेन्ट नियुक्त कर दिया है तो वह तो एग्जामिनेशन कन्डक्ट करने के लिए दूसरे

Page No. 53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यक्ति को किया गया है तो हैडमास्टर को वहां पर क्यों बैठा रखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हैडमास्टर क्या करता है वहां पर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो गड़बड़ है । जब एग्जामिनेशन कन्डक्ट करने के लिए दूसरे सुप्रिन्टेन्डेन्ट को बोर्ड ने नियुक्त कर दिया है तो प्राइमाफेसी बोर्ड ने यह मान लिया है कि हैडमास्टर एग्जामिनेशन कन्डक्ट करने के लिए कॉम्पीटेन्ट नहीं है । फिर भी मैं नहीं समझता कि उनका हैड मास्टर में क्या इन्ट्रेस्ट है कि सिवाय लड़कों को दबाये रखें और एन्क्वायरी को सेबोटेज करें और अपने खिलाफ कार्यवाही नहीं होने दें । आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रोटेक्शन देने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष, उन जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रश्न को सदन में रखने के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ा, क्योंकि मैं भी उनके पास पढ़ा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति बूंदी में रहता है, उसका सारा जीवन बूंदी में बीता हो, जिसको आप बूंदी में हैडमास्टर बना कर रखना चाहते हैं, चाहे एग्जामिनेशन कन्डक्ट करने से उनको अलग कर दिया गया हो लेकिन जब तक वह हैडमास्टर बन कर वहां पर बैठा रहेगा तो कैसे इन्डिपेन्डेन्ट एन्क्वायरी हो सकेगी ? आप चाहते हैं कि इन्डिपेन्डेन्ट एन्क्वायरी हो तो आपकी यह मोरल और लीगल ड्यूटी हो जाती है कि उस व्यक्ति को कहीं अलग ले जाकर बैठाते ।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन एक और है । आप यह जानते हैं कि बोर्ड ऑफ हायर सैकेन्डरी एज्युकेशन उसको सस्पेन्ड नहीं कर सकता है । उसे सस्पेन्ड करना है तो गवर्नमेंट को करना है । प्राथमिक रूप से बोर्ड वालों ने उसको दोषी माना और उसको हटाकर दूसरे को इन्वेजिलेटर और सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर कर दिया । तो बोर्ड का जहां तक प्रश्न है उन्होंने तो अपनी फाइन्डिंग दे दी । प्राथमिक रूप से स्वीकार किया यह दोषी है इसकी जगह दूसरे को नियुक्त करना चाहिये । जब प्राथमिक रूप से बात सिद्ध होती है तो क्यों नहीं उसको सस्पेन्ड किया जाता ? यदि आप उसको सस्पेन्ड नहीं करते हैं तो इसलिये नहीं करते हैं कि शिक्षा मंत्री का घर बूंदी में है, उनका निर्वाचन क्षेत्र बूंदी है । हैड मास्टर बूंदी का रहने वाला है, उसका घर बूंदी में है इसलिये शिक्षा मंत्री और हैड मास्टर दोनों मिल कर कुछ गड़बड़ी करें तो उसको सजा मिलने वाली नहीं है । आप से मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आप उसको सस्पेन्ड कर दें ताकि लोगों की यह धारणा हो जाय कि बृजसुन्दरजी में इतना साहस है कि अपने मित्र को, अपने साथ पढ़े हुए को और अपने सहयोगी को भी न छोड़ कर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिये तैयार है । नहीं तो यह मालूम होगा कि बृजसुन्दरजी बूंदी के हैं । हैड मास्टर बूंदी का है, उनके साथ पढ़ा हुआ है, इसलिये उसके खिलाफ जांच न करके उसको बचा लेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो इन्क्वायरी होगी तब पता चलेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी हो गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एन्क्वायरी नहीं हुई । बोर्ड ने उनको सुपरिन्टेंडेंट के पद से

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हटा दिया, मैं इसको अच्छा मानता हूं हट गया लेकिन बोर्ड की ओर से अभी इन्क्वायरी नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड ने उसकी गलती मानकर सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद से डिस-मिस कर दिया। जब कि प्राइमोफेसी प्रूव हो गया फिर भी आप उसको चिपका कर रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय मान नहीं रहे हैं। कानूनी पहलू यह है कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड इनविजिलेटर्स नियुक्त करता है लेकिन उसके कंडक्ट की इन्क्वायरी वह नहीं कर सकता। बोर्ड ने उसको इनविजिलेटर के पद से हटा दिया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेन्ट का काम है कि इन्क्वायरी करावे कि जिस कारण से उसको हटाया गया वह कितना सीरियस है। उसकी गलती के कारण लड़कों ने टीपणी की। बोर्ड ने तो आदेश देकर इनविजिलेटर से निकाल दिया भविष्य में भी नहीं बनायेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी तो गवर्नमेंट को करनी है और गवर्नमेंट ने नहीं की।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी कायम अवश्य की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : अब तक क्यों नहीं की? यदि आप हायर सेकेन्डरी बोर्ड के रूल्स और मेन्युअल में बता दें कि जिनको वे इन्वेजिलेटर या सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ एग्जामिनेशन नियुक्त करते हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका है और वे उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं तो मैं मान लूंगा, लेकिन एडमिनि-स्ट्रेटिव कंट्रोल उनका नहीं है सरकार का है, इसलिये सरकार ही उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सस्पेन्ड कर सकती है। बोर्ड तो इन्वेजिलेटर नियुक्त करता है और वहां से हटाने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि इन्विजिलेटर और सुपरिन्टेन्डेन्ट की हैसियत से गड़बड़ी की है तो यह सबसे बड़ी अनियमितता है, यदि बोर्ड इस बारे में हमें लिखेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड के लिखने का सवाल नहीं है, बोर्ड ने तो उसको हटा दिया, सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट से हटा दिया, दूसरा आदमी उसके स्थान पर भेज दिया। वह और कोई एक्शन नहीं ले सकता सिवाय इसके कि भविष्य में उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं रखे, एग्जामिनर नहीं रखे, सेंटर नहीं रखे। सिवाय इसके बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। यदि राजस्थान गवर्नमेंट का कर्मचारी दुष्कर्म करता है तो उसके लिये राजस्थान गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आप एक्शन इसलिये नहीं लेते क्योंकि एक गांव का रहने वाला है, एक साथ रहा है, सीनियर रहा है, वह आपकी मदद करता रहता है, आपके कहने के मुताबिक लड़कों को निका-लता है, भर्ती करता है, इम्तिहान में फेल करता है, फेल को पास करता है, लड़कों को टिप्पणी करवाता है, तो ऐसा हैडमास्टर रहने लायक नहीं है। हैड मास्टर ही नहीं बल्कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री रहने काबिल नहीं है। आप को बर्खास्त करने की मांग करनी होगी, आप शिक्षा मंत्री के पद पर रहने काबिल नहीं हैं क्योंकि आपकी सहमति से, आपकी अनुमति से सारा काम हैड मास्टर ने किया है, आपका उसके साथ सहयोग है। उसने जो कुकर्म किया है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक आप यहां पर हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके जोर से बोलने से नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह : जो आदमी ऐसी चीज को पीकर बैठ जाय उस पर क्या असर होता है ? आप इसको शिक्षा मंत्री के दायित्व के तौर पर नहीं ले रहे हैं इस मसले का मजाक हो रहा है । आज तक राजस्थान के इतिहास में यह नहीं सुना था कि हैड मास्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट और इन्विजिलेटर्स मिल कर यह तय करें कि लड़कों को टिप्पणी करने की इजाजत दी जाय और यह काम राजस्थान के शिक्षा मंत्री के घर की स्कूल में हो तो आपकी स्वीकृति से ही हो सकता है, यह आपके ऊपर चार्ज है, आपके हाथ में शिक्षा विभाग सुरक्षित नहीं है । ऐसी स्थिति में मैं मांग करूंगा मुख्य मंत्री से और गवर्नर महोदय से कि ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या आपने हैड मास्टर को पूछा है कि इस संबंध में उनको क्या कहना है........

कुछ माननीय सदस्य : हैड मास्टर से तो इनकी दोस्ती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दूसरी क्या वजह है कि इस घटना के बाद उसका स्कूल प्रेमिसेज़ में रहने की इजाजत दी गई है, क्या उसका वहां रहना उचित रहेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्कूल प्रेमिसेज़ में वह अपने कमरे में बैठा रहता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'Two and two makes four' का इल्लोजिकल आन्सवर है; न इसके सींग हैं न पूंछ, पक्षपात की भावना है । यदि निष्पक्षता से समस्या के तथ्य जानना चाहते हैं तो सस्पेन्शन के बाद आप उसको फ्लेटली कह दीजिये कि स्कूल प्रेमिसेज़ छोड़ दें । कम से कम एक शिक्षा मंत्री के नाते आपको हैड मास्टर को यह तो पूछना चाहिये कि एज़ हैड मास्टर उसको क्या कहना है । यदि ये दोनों काम आप नहीं करते हैं तो फंडामेन्टल ड्यूटीज़ अदा नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जैसा मंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया है, बोर्ड ने केवल सुपरिन्टेन्डेन्ट को ही नहीं बल्कि इन्विजिलेटर्स को सबको हटा दिया और नये इन्विजिलेटर्स और सुपरिन्टेन्डेन्ट भेजे हैं इसलिये मैं समझता हूं, इसे आप गंभीरता से लेंगे और जांच करायेंगे जिससे पता लगे कि सारी व्यवस्था बोर्ड को क्यों करनी पड़ी, एक हैड मास्टर और सब इन्विजिलेटर्स को हटाया, किस तरह की साज़िश है । मंत्री महोदय कुछ भी कहें लेकिन जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसका गहरा असर पड़ा है, वे आवश्यक जांच करवायेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा यह निवेदन करना था कि यदि आप एक व्यक्ति को सस्पेन्ड करते हैं तो ओटोमेटिकली कुछ तो होगा.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार दिन पहले आपको सूचना दी गई थी । आपने हैड मास्टर से जानकारी क्यों नहीं की ? मैंने चार दिन पहले सवाल खड़ा किया था, स्थगित प्रस्ताव तो आज दिया गया है, हैड मास्टर से जानकारी की है क्या आपने ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेंट अवश्य इस मामले में देखेगी । पहली स्थिति बोर्ड से रिपोर्ट मंगाने की थी वह आज आई है ।....

Page No. 56

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मामला है । चार दिन से कुछ नहीं किया, सदन में मैंने कहा, हैड मास्टर ने टिप्पणी कराई है, किसी ऑफिसर को भेज कर जांच करवा सकते थे । अब यदि बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हैं और उसका प्रोटेक्शन लेते हैं तो उसको सदन की मेज पर रख दीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : परसों आपने मामला उठाया था अपने भाषण में, परसों शाम को मैंने बात की, कल की और आज रिपोर्ट मिली है....

श्री अध्यक्ष : आज कुछ और कर लीजिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जब बोर्ड को सूचना मिली तो बोर्ड ने स्पेशल ऑफिसर भेजा, उसने सर्प्राईज चेकिंग किया । राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसी ऑफिसर को भेज कर कार्यवाही नहीं की, उनको किसी ऑफिसर को भेज कर तुरन्त जांच करवानी चाहिये थी खास कर उस हालत में जब कि मंत्रीजी बूंदी के हैं, हैड मास्टर बूंदी का है, उनका और इनका संबंध है । जो कुछ भी कार्यवाही करनी चाहिये थी, जांच करवानी चाहिये थी आया ओमिशन, कमिशन है या क्या है ? सभी जानते हैं कि कुछ न कुछ गलती जरूर है । ऐसी हालत में उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना शक पैदा करता है, इसलिये मंत्री जी को चाहिये कि जांच शीघ्र करावें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमको यह रिपोर्ट दिखाई जाय । उस रिपोर्ट में बोर्ड ने यह लिखा है कि हैड मास्टर ने टिप्पणी करवाई, हैड मास्टर के कनाइवेन्स से, उसके सहयोग से टिप्पणी करवाई गई है । उन्होंने इन्क्वायरी करवा कर रिपोर्ट भेजी है, उसमें यह निश्चित बात है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जोश में आने का सवाल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोश में आने का सवाल कैसे नहीं है, हैड मास्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हैड मास्टर की इन्क्वायरी जरूर होनी चाहिये, यह हम भी कहते हैं ताकि बला कटे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कॉमर्स कॉलिज के ४० लड़के रोके गये है, महाराजा कॉलेज के लड़के रोके गये हैं ।

(१. म. प.)

बजाय इसके कि उनको अलाउ करके, उनका भविष्य खराब होने से बचायें, ऐसे निकम्मे लोग हैं कि औरों को भी रोका गया । जो बजाय इसके कि कुछ रिलिफ दें लोगों का गला काटते हैं । धन्यवाद देना चाहिए मथुरादासजी माथुर को कि उन्होंने आश्वासन दिया कि एन. सी. सी. की अटेंडेंस के कारण रोके हुए विद्यार्थियों को इम्तिहान में बैठाया जायगा । आप एश्योरेन्स दे नहीं सकते, ऐसा इनकाम्पीटेंट आदमी बैठे इस हाउस में, शिक्षा मंत्री होकर बैठे, जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं ।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : मैं एक निवेदन करके ग्रापसे प्रार्थना करूंगा कि यह खुद तो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं ग्रौर मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दिलाना हमारे वश का नहीं है ...

श्री भैरोंसिंह : यह वश की बात हो गई है। मैं ग्रापकी जानकारी के लिए कहूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इन्क्वायरी हो चुकी है ग्रौर उसमें इनका नाम है।

श्री मानसिंह महार : इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन से इनको सस्पेन्ड कर दिया जाय। एक छोटे से मामले पर हमारे कम्युनिस्ट ग्रौर सोश-लिस्ट भाई एक महिने से घर बैठे हैं, तो यह इतना सीरियस मामला है कि इनको ग्रविलम्ब सस्पेन्ड कर दिया जाय। मैं ग्रापसे प्रार्थना करता हूं कि यह ऐसे ग्रयोग्य मंत्री हैं, जो पक्षपात से भरपूर हैं इनको सदन से सस्पेण्ड कर दीजिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसा सहयोग हमेशा मिलता रहा तो कुछ न कुछ करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order Sir, ग्रापकी व्यवस्था हुई है, कई बार सरकारी पक्ष की ग्रोर से या विधान सभा का कोई सदस्य किसी रिपोर्ट का कोई रेफरेन्स दे, तो जिस रिपोर्ट से रेफर किया है उसको सदन के सदस्य चाहें तो मेज पर रखवाया जा सकता है। एक दो बार ग्रापने ऐसी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखवाने के ग्रादेश दिये हैं ग्रौर ग्रापकी रूलिंग हो चुकी है जो इस मामले में रिलेवेन्ट है। माननीय मंत्री ने रिपोर्ट को दो-तीन बार रेफर किया है ग्रौर माननीय सदस्य ने उसमें कुछ बातें विपरीत होना बताया है। ऐसी बात बताई गई है या ऐसा लिखा गया है, इन सब बातों के बारे में, यदि रिपोर्ट को देख लिया जाय तो हम भी संतोष कर सकते हैं कि क्या लिखा है ग्रौर क्या नहीं लिखा है। यह कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो पब्लिक इन्ट्रे-स्ट में नहीं बताई जाय। इस वक्त कोई पाकिस्तान–हिन्दुस्तान का इससे युद्ध नहीं हो सकता, कोई साम्प्रदायिक तनाव भी नहीं हो सकता। एक हैड मास्टर की एफीशियेन्सी का मामला है। यह मंत्री जी के हित में है कि वह रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें जिससे मालूम हो सके कि बोर्ड ने क्या एक्शन लिया है, बोर्ड ने क्या जानकारी की है।

श्री ग्रध्यक्ष : इस प्रकार की रिपोर्ट, जिसका माननीय सदस्य संकेत कर रहे हैं, वह नहीं है। यह इन्होंने जांच करके जान-कारी की है कि यह बातें ध्यान में ग्राई हैं ग्रौर बोर्ड में क्या कार्यवाही की है। ऐसी स्टेज पर सरकार ने कोई जाँच शुरू नहीं की है ग्रौर उसको रखना, क्योंकि जांच हुई नहीं है, इसलिए ग्रनुचित है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको केवल हैड मास्टर का सवाल न बनायें, वह सीमित दायरा हो जायगा। सारा का सारा मामला, मैं समझता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है जिस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। सारे इन्विजिलिटर्स को हटाया गया है, इस प्रकार का एक बड़े पैमाने पर ग्रनुचित कार्य हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : ग्राप जो फर्मा रहे हैं वह सही है, लेकिन गवर्नमेंट कितनी निकम्मी है कि उनको हटाने को या एक्शन लेने को तैयार नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज रिपोर्ट ग्राई है, एक्शन ग्राज ले लेंगे। मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी इजाजत हो तो हम हटा दें।

श्री भैरोंसिंह : नन्दाजी हटा रहे हैं। किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पानखा खा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके विद्ड्रॉग्रल के समय को बढ़ा दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि कोई स्थगन प्रस्ताव हो या कोई और प्रश्न उठाना हो तो पहले उसके औचित्य के बारे में मुझे संतुष्ट करायें और फिर यहां उठायें।

(१.०५ म० प०)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नामजद उम्मीदवारों संबंधी घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, १९६६–६७ एवं प्राक्कलन समिति, १९६६–६७ के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किए गए हैं।

जन-लेखा समिति १९६६–६७

क्रम सं०	नाम	वि० सं०
१.	श्री अलदाराम	३
२.	श्री फूलचंद जैन	१३२
३.	श्री गिरधारीलाल व्यास	४९
४.	श्री रघुनाथ विश्नोई	१४०
५.	श्री गोविंदसिंह	५५
५.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	६४
७.	श्री रविशंकर याज्ञिक	१४९
८.	श्री मानसिंह	१०६
९.	श्री अमर्रासह	२
१०.	श्री दिग्विजय सिंह	३७
११.	श्री अमरसिंह	४
१२	श्री कृष्णकुमार गोयल	९१
१३.	श्री भैरोंसिंह	१३
१४.	श्री मूलचंद चौधरी	११५

प्राक्कलन समिति १९६६–६७

१.	श्री उमराव सिंह	१७१
२.	श्री ललितमोहन	९६
३.	श्री जुगलाल	८२
४.	श्रीमती नगेंद्रबाला	१२०
५,	श्री मजलिस खां	१०१
६.	श्री सांवलियाराम	१५७
७.	श्री पोहूलाल ईसरदास	१३३
८.	श्री रविशंकर याज्ञिक	१४९
९.	श्री ज्वाला प्रसाद	८४
१०.	श्रीमती सुमित्रा	१६४
११.	श्री फतहसिंह	४१
१२.	श्री मानधाता सिंह	१६१
१३.	श्री अभय सिंह	२
१४.	श्री चौसरसिंह वात्रेल	३०
१५.	श्री अमर सिंह	४

Page No. 59

(श्री अध्यक्ष)

१६.	वैद्य श्री गोविंद सहाय	५३
१७	श्री जयनारायण सालोदिया	७६
१८.	श्री जोधसिंह चौहान	८१
१९.	श्री रामसहाय	१४७
२०.	श्री मोतीलाल चौधरी	११६
२१.	श्री हरिप्रसाद शर्मा	६३
२२.	श्री गणपतलाल वर्मा	४६
२३.	श्री भानुप्रसाद करोड़िया	१४

कुल २३ सदस्य नामजद किये गये हैं। इन माननीय सदस्यों में से जो नाम वापिस लेना चाहें वे आज, या कल, या परसों..

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फिर २८ तक कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): चुनाव से एक दिन पहले कर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : चुनाव से एक दिन पहले।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं निवेदन नहीं कर सकता लेकिन दोनों तरफ से तय किया जा रहा है कि चुनाव २९ को न करा कर पोस्टपोन कराये जायें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नहीं साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह स्थिति है कि ३० तारीख निर्धारित की गई है, यदि २९ को खत्म हो गयी और ३० को नहीं हुए तो आगे किये जायं। इसलिए विदड्राउल की डेट २८ तक कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : नाम वापिस लेने की तिथि २८ तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देख लेना साहब।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांग पर.....

(१.१७ म. प.)

राजस्थान विश्व विद्यालय की कॉमर्स कॉलेज के कुछ छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल के बारे में एक वक्तव्य देना था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एन. सी. सी. के बारे में।

श्री दुर्गालाल बाकुदार (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे क्षमा करें, इस प्रकार का उल्लेख न करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन में एन. सी. सी. की परेड्स में छात्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से निकलने वाले परिणामों पर चर्चा हुई है। इस विषय पर कुछ भी कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा एवं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सामरिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारत के सभी विश्व विद्यालयों ने एन. सी. सी. के प्रशिक्षण को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हुए–उसे उच्च शिक्षा के साथ अभिन्नतम रूप से जोड़ने का निर्णय लिया था। सन् ६२ में चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो गया था कि शिक्षा क्षेत्र में एन. सी. सी. को आवश्यक महत्व दिये बिना हम सुरक्षा की दृढ़ नींव को प्रस्थापित नहीं कर सकेंगे। उसी दृढ़ निश्चय का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सभी विश्व विद्यालयों ने एन. सी. सी. के शिक्षा सम्बन्धी नियमों का कठोर पालन प्रारम्भ किया–जो उचित और देश की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक था।

इसी पृष्ठ भूमि में राजस्थान विश्व विद्यालय के निर्णय को देखना आवश्यक होगा। राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर की तारीख १ जुलाई, १९६५ की आज्ञा के अनुसार छात्रों को कुल परेड्स की ८० प्रतिशत परेड्स में हाजिर होना आवश्यक माना गया। इस सत्र में कुल १२० परेड्स हुई–जिनमें से ९६ परेड्स में हाजरी जरूरी थी। नियमों के अनुसार जो छात्र प्रति माह आवश्यक हाजरी से पीछे रह जाते थे–उनकी सूचियां एन. सी. सी. कमांडिंग आफिसर प्रति माह डाइरेक्टर्स अथवा प्रिंसिपल्स को भिजवा देते थे–जो उन सूचियों को नोटिस बोर्ड पर लगा देते थे। साथ ही साथ छात्रों को हाजरी की इस स्थिति से बराबर प्रिंसिपल्स द्वारा अवगत भी करा दिया जाता था।

केवल इतना ही नहीं २३ दिसम्बर, १९६५ को प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज ने सभी कम-हाजरी वाले छात्रों के संरक्षकों अथवा अभिभावकों को पत्र द्वारा सूचित भी किया था कि उनके संरक्षित छात्र की उपस्थिति अमुक संख्या से कम है। इसी पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि प्रति दिन ३ से ५ बजे संध्या तक हाजरी पूरी करने के लिए अतिरिक्त परेड्स का भी प्रबन्ध किया गया है। जिन छात्रों की उपस्थिति कम है–वे इन परेड्स में शामिल होकर अपनी उपस्थिति पूरी कर लें–अन्यथा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायगा।

३१ जनवरी, १९६६ तक कॉमर्स कॉलेज के पी. यू. सी. के १९ छात्रों एवं प्रथम वर्ष के ५४ छात्रों की उपस्थिति कम थी इस कॉलेज में १५ फरवरी, ६६ तक ८० अतिरिक्त परेड्स की व्यवस्था की गई। ठीक इसी प्रकार अन्य कालेजेज में भी अतिरिक्त परेड्स आयोजित कराई गई ताकि सभी छात्रों को अपनी हाजरी पूरी करने का अवसर मिल सके और उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए कॉमर्स कॉलेज के पी. यू. सी. के सभी छात्रों ने अपनी आवश्यक उपस्थिति पूरी कर ली और ऐसा कोई छात्र नहीं रहा जिसे एन. सी. सी. की परेड्स के कारण परीक्षा से वंचित रहना पड़ा हो। तारीख १७ मार्च, ६६ को राजस्थान विश्व विद्यालय की अकादमिक कौंसिल ने ५ प्रतिशत अनुपस्थिति की और रियायत देने का फैसला किया। परिणामस्वरूप ७ छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई।

इतनी सब सुविधायें एवं रियायतें देने के बाद सारे राजस्थान में कुल ५२ छात्र ही ऐसे बचे (जिनमें १९ छात्र कॉमर्स कॉलेज

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

के भी शामिल हैं) जिनकी आवश्यक उपस्थिति पूरी नहीं हो सकी और उन्हें नियमानुसार परीक्षा से वंचित रहने का भागी बनना पड़ा। इनकी संख्या राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेज में कक्षाओं के अनुसार इस प्रकार है :

पी. यू. सी.	१४
प्रथम वर्ष	३८

किन्तु, इस विषय में सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि जिन छात्रों ने पाकिस्तानी आक्रमण के समय नागरिक सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होकर काम किया उनको उन दिनों की हाजरी का परेड्स के निमित्त फायदा दिया जाना चाहिये। यहां, यह कहना उचित होगा कि जिन छात्रों को एन. सी. सी. अधिकारियों ने नागरिक सुरक्षा के कर्तव्यों की परिपूर्ति के लिये लगाया था उनके परेड्स की हाजरी को पहले ही जोड़ लिया था। किन्तु कुछ ऐसे छात्र भी बच रहे जिन्होंने स्वेच्छा से स्वयं को नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए अपनी सेवायें देने का निर्णय लिया। नियमानुसार स्वेच्छा से किये गये कार्य के एवज में, वे अधिक अथवा अन्य रियायतों के भागी नहीं हो सकते थे। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अनेक छात्रों ने देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है। कल सदन के सभी माननीय सदस्यों का वही आग्रह भी था कि इस प्रकार के प्रयत्नों को करने वाले कर्तव्यशील छात्रों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें परेड्स का कुछ लाभ मिल जाना चाहिये। अतः इस बारे में राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय से विचार-विमर्श कर, यह निश्चय किया गया है कि जिन छात्रों ने नागरिक सुरक्षा कार्यों में एन. सी. सी. अधिकारियों के निर्देशन के अतिरिक्त भी काम किया है और ये अपने जिले के नागरिक सुरक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें आवश्यक रियायत प्रदान कर दी जायेगी। ऐसे कर्तव्यशील छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निश्चय किया गया है कि एक दिन के कर्तव्य पालन के लिए उन्हें तीन परेड्स की हाजरी की सुविधा मिलेगी और इस प्रकार जिन छात्रों की आवश्यक उपस्थिति पूरी हो जायेगी, उनकी परीक्षा के लिए इसी वर्ष विश्वविद्यालय के अधिकारी उचित प्रबन्ध करेंगे।

इसी वक्तव्य के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने एन. सी. सी. के पवित्र उद्देश्यों और देश की सुरक्षा के लिये किये जाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नियमों की शिथिलता से हम अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम सभी को मजबूती और दृढ़ता का ही आधार चुनना चाहिये।

(चीयर्स)

श्री दुर्गालाल बादशाह (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अभी शिक्षा मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया और जो कार्य किया उसके लिये तो वे बधाई के पात्र हैं और राज्य सरकार कम से कम विचार कर रही है कि जिन विद्यार्थियों ने ऐसे संकटकालीन स्थिति में कार्य किया उनके प्रति सहानुभूति रखती है। यह महाराजा कालेज का कलेन्डर है

Page No. 62

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उसमें आप देखेंगे कि जिन विद्यार्थियों को तीन बार एटेन्ड करने का चांस दिया और उसके बाद आपके ऑर्डर से उनको रोक दिया गया ।

[घंटी]

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : यह मामला अदालत में है ।

श्री अध्यक्ष : यह मामला अदालत में चला गया है । माननीय सदस्य इस पर नहीं बोलें मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि सब-जुडिस मामलों पर आप न बोलें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष, महोदय, जिन विद्यार्थियों के शोर्ट एटेन्डेन्स के बारे में अभी कहा गया और कल योजना मन्त्री ने आश्वासन दिया, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक दिन में अपनी सहानुभूति दिखाई । मैं यह शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को, सिविल डिफेन्स में काम किया, उसका सर्टिफिकेट कब तक पेश करना होगा, किन के पास पेश करना होगा, आया वे कालेज में दें या रजिस्ट्रार को दें या कालेज के प्रिन्सीपल को दें या युनिवर्सिटी में दें तो किसको दें । अभी भी वे दे देते हैं तो उनको परीक्षा चल रही है उनमें अहमियत मिलेगी या बाद में उनको अलग से परीक्षा देने का अवसर दिया जावेगा । इसके अलावा एक बात और भी है कि जो एग्जामिनेशन होगा उसको सप्लीमेंट्री की तरह से गिना जायेगा या अभी जो परीक्षा हो रही है उसी प्रकार से माना जावेगा । क्योंकि बहुत से टेक्निकल सबजेक्ट होते हैं उसमें सप्लीमेन्ट्री में डिविजन नहीं मिलता है और डिविजन लोगों को नहीं मिलता है तो टेक्निकल साइड में वे नहीं जा सकेंगे इस प्रकार की दो तीन बातें हैं जिसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में बात-चीत हो चुकी है । यह नागरिक सुरक्षा में काम करने का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के पास पेश कर दिया जाए । जितना जल्दी हो जल्दी परीक्षाओं का इन्तज़ाम कर दिया जावेगा मैं समझता हूँ कि १५ दिन के अन्दर कर देना चाहिये । राजस्थान के कुल ५२ छात्र हैं । उनके लिये यह परीक्षा आगे करनी होगी । यह सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में नहीं होगी । बाकायदा परीक्षा होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इन परीक्षाओं के बारे में वे कोई चिन्ता न करें । क्योंकि कल से अगर बैठ जावें तो उनको क्या फायदा होगा ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : यह बात मेरे सामने आई थी । अभी स्टुडेन्टों को नागरिक सुरक्षा में काम कर के सर्टिफिकेट आदि लाने पड़ेंगे और उनका ध्यान उधर होगा इसलिये उनकी परीक्षा बाद में ही एक महीने में ली जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इतना ध्यान दें कि ये परीक्षा अप्रेल या जून में ही हो जाए जिससे जुलाई में लोगों को टेक्निकल साइड में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि इससे पहले हो जावेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): अब तो इस्तीफा नहीं मांगेंगे।

(१.२० म० प०)

टोंक जिले में अकाल की स्थिति सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, एक और स्टेटमेंट था टोंक जिले में ७ व्यक्ति मरे उसके बारे में। उसका स्टेटमेंट भी रेडी है वह भी दे दिया जाए।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व एवं अकाल सहायता मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक ४-३-६६ को टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा यह सूचित किया कि ग्राम टोकड़ावास, तहसील देवली, जिला टोंक में पिछले तीन साल से लगातार अकाल होने के कारण यहां के लोग पत्ते व कन्दमूल खा रहे हैं, तथा इस क्षेत्र में कोई भी राहत कार्य न चलाये जाने के कारण भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मामले की जांच-पड़ताल के लिये उसी समय जिलाधीश टोंक को कहा गया। उप-जिलाधीश टोंक ने मौके पर पहुँच कर उसी दिन वास्तविक हालत की जानकारी प्राप्त की और जांच से माननीय सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखी गई सभी बातें सर्वथा गलत पाई गईं।

इस ग्राम में तीन साल से बराबर अकाल है-सही नहीं है इस ग्राम में सम्वत् २०१६, २०२० व २०२१ में अकाल नहीं था। सम्वत् २०२२ में फसल खरीफ खराब होने के कारण ही यहां अकाल की स्थिति पैदा हुई है, अतः स्थिति अत्यन्त शोचनीय होना नितान्त गलत बात है। जांच के समय ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से उप-जिलाधीश को स्पष्टतया यह बताया कि उनके ग्राम में किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु नहीं हुई है। ग्राम के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस ग्राम में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है।

माननीय सदस्य का यह लेख है कि इस क्षेत्र में कोई राहत कार्य चालू न होने से लोग पत्ते व कन्दमूल खा रहे हैं तथा भूख से मर रहे हैं। माननीय सदस्य की यह सरासर गलत बयानी तो इसी से स्पष्ट है कि जहां एक ओर माननीय सदस्य यह लिखते हैं कि इस क्षेत्र में कोई राहत कार्य नहीं है, वहां तथ्य यह है कि इस ग्राम के दोनों ओर तीन चार मील की दूरी पर दो सड़कों पर राहत कार्य चल रहे हैं। ग्राम टोकड़ावास के एक ओर दूनी नगर सड़क तथा दूसरी ओर दूनी आवा सड़क का कार्य (दूनी आवा दिसम्बर से और दूनी नगर के मोड़ से) चालू है। जांच के समय दूनी आवां सड़क पर ११५ व्यक्ति कार्य कर रहे थे, जिनमें से २४ व्यक्ति इसी ग्राम टोकड़ावास के थे और आज भी इन दोनों कार्यों पर इस ग्राम के करीब ६० व्यक्ति रोजगार पा रहे हैं तथा अन्य सभी जरूरतमन्द व्यक्तियों को इन सड़कों पर कार्य पाने की पूरी छूट है। कार्य पर आने वाले सभी व्यक्तियों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है तथा ग्राम दूनी में राज्य

Page No. 64

(श्री कुम्भाराम आर्य)

द्वारा स्थापित सस्ते गल्ले की दुकान से बराबर अनाज भी दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि ३-४ मील के अन्दर ही राहत कार्यों तथा सस्ते अनाज की पूर्णरूपेण व्यवस्था होने के बावजूद भी भूख से मौत होने की बात माननीय सदस्य द्वारा कही जाना अपने आप में सिवाय एक राजनैतिक स्टंट के और कुछ नहीं। इस सारे मामले में असलियत तो यह है कि इस ग्राम के वासी उपरोक्त किसी भी सड़क पर कार्य के लिये न जाकर अपने ग्राम से होती हुई एक तीसरी सड़क आवां नगर रुख निकलवाना चाहते थे जिसके लिये टोकड़ावास के सरपंच तथा टोंक से आने वाले दूसरे माननीय सदस्य उप-मन्त्रीजी से भी कुछ दिन पहले मिले थे। उप-मन्त्रीजी ने ऐसी स्थिति में जब कि वहां दो सड़कें पहले से स्वीकृत हों वहीं पर एक तीसरी सड़क और स्वीकृत करना उपयुक्त नहीं बताया तो उन्होंने अपनी मांग स्वीकृत कराने के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का राजनैतिक सहारा लिया। उप-जिलाधीश द्वारा की गई जांच के समय भी ग्राम टोकड़ावास के लोगों ने यही कहा कि आवां नगर सड़क चालू कराई जाय तथा उनके गांव में बांध बनाया जाय।

उपरोक्त सारे हालात व मोके पर की गई जांच से बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों द्वारा अपनाया गया यह तरीका उनके द्वारा ग्रामवासियों को दिये गये गलत आश्वासनों को राजनैतिक दबाव से पूरा कराने का एक मात्र जरिया था। यह जरिया जब सही नहीं उतरा तो माननीय सदस्य ने तारीख २१-३-६६ को और भी बड़े असत्य का सहारा लिया तथा दुर्भिक्ष सहायता की मांग के कटौती प्रस्तावों पर बोलते समय वह कहा कि इस टोकड़ावास पंचायत क्षेत्र में ९ व्यक्तियों की भूख से मौत हो गई है और उसके समर्थन में सरपंच की एक चिट्ठी सदन में पेश की जिसमें ७ व्यक्तियों के नाम लिखे थे।

जिलाधीश टोंक ने इन सातों व्यक्तियों की मौत के बारे में जो विस्तृत जांच रिपोर्ट दी है उससे अपने आप स्पष्ट हो जायेगा कि माननीय सदस्य का यह कथन भी कितना गलत व गैर जिम्मेदारी पूर्ण है।

जिन ७ व्यक्तियों की भूख से मृत्यु होना बतलाया गया उनके प्रत्येक के विषय में तथ्य निम्न प्रकार है :

(१) श्री श्रवण मीना, साकीन खरोई :

श्रवण की बेवा, रामधनी के बयानों के अनुसार ५० वर्षीय श्रवण की मृत्यु भूख से नहीं बल्कि निमोनिया के कारण करीबन तीन माह पूर्व बूंदी जिले के ग्राम कोड़ी में हुई है। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी इसकी पुष्टि की है।

(२) श्री चतरा बलाई :

चतरा के पुत्र नारायण के बयान के अनुसार ६५ वर्षीय चतरा की मृत्यु भूख से नहीं बल्कि १२-११-६५ को ज्वर से अर्थात् ४।। महीने पूर्व हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम खरोई की मृतक पंजिका क्रम सं० ५ पर उपलब्ध है, जिसमें मृत्यु का कारण ज्वर लिखा हुआ है। इसकी पुष्टि ग्राम के मुखिया व्यक्तियों ने भी की है।

Page No. 65

(श्री कुम्भाराम आर्य)

(३) भूरा ब्राह्मण :

भूरा की बेवा रामनारायणी के बयानों के अनुसार यह व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित था और इसी बीमारी के कारण करीब ६० वर्ष की आयु में २ माह पूर्व मृत्यु हुई जिसकी पुष्टि ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी की है। यह व्यक्ति दुकानदारी करता था, और आर्थिक स्थिति सामान्य थी।

(४) मु० गल्लू पत्नी जैला मीना साकीन खरोई :

मृतक के पति ने बतलाया है उसकी औरत मु० गल्लू की मृत्यु करीब ६ माह पहले ज्वर के कारण हुई थी। मृतक का पति और उसके लड़के ३० वर्ष व १५-१६ वर्ष के जीवित हैं और उनके खाते में ग्राम खरोई टोकरावास में काश्त की जमीन है, जिसमें रबी और खरीफ दोनों काश्त हुई हैं।

(५) मु० ओंकारी :

मृतक ओंकारी के मौजूद पति रामचन्द ने उसकी धर्मपत्नी को मरे ६ माह हो गये बतलाये और वह अपने काल से ही मरी, और भूख से नहीं।

(६) हरनाथ की औरत भूरी :

भूरी की मृत्यु भूख से नहीं बल्कि बीमारी से करीब साढे चार माह पूर्व हुई है। हरनाथ की अनुपस्थिति में इसकी पुष्टि क्षेत्रीय न्याय पंचायत के अध्यक्ष श्री मथुरा-लाल ने तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी की है।

(७) गोरू गूजर टोकरावास।

यह व्यक्ति करीब-तीन वर्ष से बीमार था और इसकी मृत्यु ग्राम टांपा जिला बूंदी में इसके में इसके रिश्तेदार के यहां करीब एक महीने पूर्व में हुई। न्याय पंचायत के अध्यक्ष और अन्य प्रतिष्ठित ग्रामीणों ने इसकी पुष्टि की है।

उपरोक्त विवरण से यह साफ है कि उपरोक्त किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं हुई है बल्कि आज से २, ४ ६, महीने पूर्व बीमारी से अथवा प्राकृतिक हुई है। भूख से मौत बताई जाना यह अपने आप में राजनैतिक दबाव का प्रमाण है। अतः माननीय सदस्य का यह कथन एकदम गलत व निराधार है जिसके लिये उन्हें सदन में क्षमा मांगनी चाहिये और अपना कथन वापिस करना चाहिये।

राज्य पक्ष के अनेक माननीय सदस्य : Shame ! Shame ! एक्स्पोज हो गये !

श्री राधा कृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जो भाषा और उत्तर राजस्व मंत्री जी ने दिया, उसके लिये तो मैं उनकी अक्ल की और काबलियत की तारीफ करता हूं, पर जो तथ्य इस जवाब में दिये हैं किस प्रकार बनावटी और केवल अपनी इस ढिलाई और काले कारनामों को भुलावे में डालने के लिये दी है।

(शोरगुल)

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : आपको शर्म आनी चाहिये कि इस प्रकार पहले मरे हुए लोगों के लिए, छः–छः महीने और चार–चार महीने, दो–दो महीने पहले

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मरे हुए लोगों के लिए कहते हैं कि वे भूख से मर गये। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चैलेंज करिये कि ये तथ्य सही नहीं हैं !

(शोरगुल)

श्री राधा कृष्ण गोयल : मैं पोइन्टवार अर्ज कर रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

पहली गलत बात तो राजस्व मंत्रीजी ने मेरे लिए यह कही कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य उप-मंत्रीजी से मिले....

श्री गोविन्द सिंह (पिडावा) : On a point of order, Sir, पहले माननीय सदस्य यह कह दें कि जो लोग मरे हैं, वे दो–दो, चार–चार महीने पहले नहीं मरे; फिर आगे की बात कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : और इनके खिलाफ सदन को धोखा देने की कार्यवाही की जाय।

श्री राधा कृष्ण गोयल : पहली बात तो राजस्व मंत्रीजी ने कही कि टोकड़ावास के सरपंच के साथ मैं उप-मंत्रीजी सेमिला, मैं उप-मंत्री जी से नहीं मिला।

श्री मथुरादास माथुर : पहले इन्डीविज्युअल्स के मरने के बारे में जो कहा गया है, उसको रिबट कर दीजिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप इनको बोलने दीजिये, आप बोलते हैं तब हम तो इस तरह नहीं कहते and you are nobody to dictate us.

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप जबाब दीजिये, सदन में इस तरह की गलतबयानी करते हैं।

श्री मानसिंह महार : दबाने के लिये ऐसी बातें करते हैं।

श्री राधा कृष्ण गोयल : पहली बात तो राजस्व मंत्रीजी ने सरासर झूठ बोली कि "मैं उप-मंत्रीजी से मिला, उप-मंत्राणीजी कह दें कि मैं किसी सरपंच को लेकर उनसे मिला हूं ...

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हाउस की इन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाय और माननीय सदस्य ने हाउस को धोखा दिया है उसके लिये कार्यवाही की जाय।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री,स्वायत्त शासन) : राजस्व मंत्रीजी ने आपके लिए नहीं कहा, दूसरे माननीय सदस्य के लिये कहा।

(श्रीमती कमला बेनीवाल के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लीजिये, मन्त्री महोदय को उत्तर देने का अवसर मिलेगा, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री राधा कृष्ण गोयल : बयान में बताया कि टोकड़ावास में माननीय सदस्य उप

Page No. 67

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

मंत्री से मिले, अगर यह उनकी सूचना है तो भ्रमपूर्ण है, गलत है वह उसको सुधारें।

जैसा कि हमें संदेह था, जब यह प्रस्ताव आया, जब यहां यह बात कही गई तो उसके बाद मन्त्रिमंडल के कुछ सदस्यों में एक तूफान मचा और उनको यह महसूस होने लगा कि अगर यह बात जैसे सदन में कही गई है सही साबित हो गई तो हमारे माथे पर जबर्दस्त कलंक होगा। तो फिर यहां से फोन हुए, कलेक्टर को डांटा-डपटा और वहां पहुंचे। फोन यहाँ से किया जा रहा था कि तुम खुद जाकर या एस० डी० ओ० को भेजो और फौरन रिपोर्ट करो कि सब बातें गलत हैं। ये हिदायतें श्री दामोदर लाल व्यास ने फोन पर दीं, जिनका कोई इस सवाल से सम्बन्ध नहीं था और आप उम्मीद कर सकते थे कि सदन में सही रिपोर्ट दी जाय !

(शोरगुल-घण्टी)

फोन राजस्व मन्त्री को करना था। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिये।

(व्यवधान)

मैंने कहा था कि आपकी ईमानदारी इसमें है कि आप उस समय मौके पर चलते ही जांच करते, उसकी औरत ने कहा, उसके भाई ने कहा....

श्री गिरधारी लाल व्यास : दो-चार, छः महीने पहले वाले कब मरे ? अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई सबूत नहीं है।

श्री राधा कृष्ण गोयल : चिलमची की तरह चिलम भरने से क्या काम चलेगा ? यह मामला ऐसा आसान नहीं कि आप ठीक करें, आप कितना ही हल्ला मचा दें, कितनी झूठी रिपोर्ट तैयार करवायें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है।

(शोरगुल)

श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा): On a point of Order। अभी शाम को मेरी इनसे बात चीत हुई थी, यह आप सब झूठ बोल रहे हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पसीना आ गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पसीना तो जो मुफ्त में खा रहे हैं उनको आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे पास सूचना आई है कि एस० डी० ओ० और कलेक्टर, टोकड़ावास के न्याय पंचायत के मथुरा मीना को पकड़ कर टोंक लाए और मजबूर कर उससे लिखवाया जिसके लिए आखिर में कहा गया कि उसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई, उसको मजबूर कर लिखवाया गया। वह बार बार इन्कार करता रहा कि यह सही नहीं है। टोकड़ावास के सरपंच पर निहायत निकम्मे दर्जे का दबाव डाला गया और मजबूर किया उसको एस. डी. ओ. और कलेक्टर ने हर तरह से उसको डराया धमकाया यह लिखने के लिए, परन्तु आप....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये झूठ बोल रहे। हैं

Page No. 68

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप सुपर-मिनिस्टर क्यों बन रहे हो ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : पूछने का तो मुझे अधिकार है ।

श्री राधा कृष्ण गोयल : आपको पिद्दी जैसी भी जानकारी नही है आपको किसी बात का ज्ञान नहीं । झूठ और सच का जज बनने लगे तो....

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहना है ?

श्री राधा कृष्ण गोयल : राजस्व मंत्री ने नितांत गलत बात बताई है कि आदमी ४–६ महीने पहले मैरा और राजस्व मन्त्री चाहें तो अब भी मेरे साथ वे चलें, मैं चलने को तैयार हूं. उनके पास जो रिपोर्ट आई है, वह बेबुनियाद साबित होगी ।

राजस्व मंत्रीजी ने जो कहा है कि टोकड़ावास पंचायत के पास दो या तीन मील की तरफ दो काम ऐसे चल रहे हैं जिनमें वहां के लोग काम कर रहे हैं, बेबुनियादी है । एक सड़क जो पहले दूनी से जा रही थी उस पर दो साल पहले फेमिन में काम हो रहा था उसका थोड़ा ही हिस्सा उस पंचायत क्षेत्र में है, वह भी बन्द हो गया था । जब उस दिन सदन में सवाल पूछा गया उस पर तो कुछ आदमियों से मस्टर रोल के जरिए काम कराना शुरू कर दिया और राजस्व मंत्री कहते हैं कि काम चालू था, यह झूठ है । यहां सदन में बात हुई, यहां से टेलीफोन हुआ, एस. डी. ओ. ने ४ आदमियों को खड़ा कर दिया कि तुम कहो कि काम चालू था इससे ज्यादा गुमराह करने वाली चीज नहीं थी ।

आपने कहा दूनी की सड़क बना रहे हैं । उस सड़क का निर्माण किस तारीख से आरंभ हुआ है, कितना चुकारा कर दिया है, जवाब आएगा कि पांच पैसा भी चुकारा नहीं हुआ है, १० गज भी सड़क नहीं बनी है । सदन में कहते हैं कि सड़क का काम जारी था और राहत कार्य जारी था । राजस्व मंत्री ने कहा कि ५६ आदमी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे बताएं कि ५६ आदमी कौन से हैं, अगर सूची हो तो मुझे दें मैं टैली कर दूं । अगर ५६ आदमी काम कर रहे हैं तो कितने आदमियों को पैसा चुका दिया है । उस क्षेत्र में जहां कि अकाल है, कई हजार अकालग्रस्त हैं, वहां डिमेन्ड्स परसन्स भी हैं, एक को भी ग्रांट या राहत नहीं मिली, अगर हो वो नाम बता दो ।

इसी प्रकार राजस्व मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि वहां के आदमियों ने कौन कौन से गांव में कितना रुपया सरकार से किसी भी स्थान पर काम करके प्राप्त किया । आपने बताया तीन मील दूरी का सड़क है उसका नीयरेस्ट पाइन्ट कभी बन चुका है दूनी टोकड़ावास से ११ मील दूर है । अगर आप आशा करें कि वहां के आदमी एक रुपये दो आने में काम करने आएं तो बहुत ज्यादा संभव नहीं है । वहां १०–१५–५० स्थानीय आदमी आसपास के आ जाते हैं, उनको काम पर लगाया जाता है और बाकी को कहते हैं कि चले जाओ । इसलिए यह जो कहा कि सड़क बना रहे हैं, वह गुमराह करने की बात है और आपसे जो कुछ गलती हुई है, उस पर पर्दा डालने के लिए जवाब दिया गया है ।

जिन आदमियों के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री ने यह बताया कि निमोनिया,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

तपेदिक या बुखार से मरे हैं यह आपकी खुद की तजवीज है । राजस्व मंत्री में साहस होना चाहिए । वे आज भी मेरे साथ चलें तो पता लगेगा कि यह रिपोर्ट बेबुनियादी है, इसमें भूठे तथ्य हैं, इसके लिए वे इस सदन में जवाब हैं और माथे को थामे रखें ।

राजस्व मंत्री ने स्वयं ने जांच नहीं की, जांच उस एस० डी० ओ० से करवाई है और कलेक्टर से करवाई है, जिनको हिदायतें दी गई हैं कि जाओ और जाकर रिपोर्ट करो कि सब बातें गलत हैं और वे हिदायतें दामोदर लाल व्यास ने एक चीफ व्हिप के कमरे से फोन पर दीं । अगर वह एस० डी० ओ० दामोदरजी के हक में नहीं बोले तो वहां कहां रहेगा, जिस आदमी के लिए शिकायतें मौजूद हैं । पहले भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया था । ७ जुलाई को उन्होंने चार्ज दे दिया । चार्ज देने के बाद वे रवाना हो गये, रवाना होने के बाद दामोदरजी ने कलेक्टर को फोन करके ट्रांसफर को रुकवा दिया, चार्ज अभी लिया नहीं है और काम कर रहे हैं । मामले को दबा दिया गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एक बात का जवाब दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप यह बताये कि ६ आदमी कौन कौन सी तारीख को मरे ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं बिलकुल सही बात बता रहा हूँ । वह ऑफिसर गुलाम बन कर रहेगा, उसने ट्रांसफर पर जाने के बाद, चार्ज देने के बाद लगातार काम किया है और अब तक कर रहा है, पांच-छः साल से । आप यह उम्मीद करते हैं कि वह सरकार के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है, मुख्य मंत्री जी से मैं और दो एम० एल० ए० मिले । उन्होंने माथा ठोक कर कहा कि किसी ने मुझ से यह गलती करवायी । उन्होंने पूछा कि वह वहां मौजूदा है ? हमने कहा, हां अभी तक मौजूद हैं । जिसने चार्ज दे दिया, उसको प्राईवेट टेलीफोन पर रिटेन कर लिया गया । जिस व्यक्ति का इतना रोबदाब हो, बिना मंत्री हुए ही जिसका इस प्रकार हुक्म चलता हो वह मंत्री बनने पर क्या ट्रांसफर को टेलीफोन करके नहीं रोक सकता, क्या वह कह नहीं सकता कि इस प्रकार की रिपोर्ट दो, क्या वह इशारा नहीं कर सकते ? यह नहीं हो सकता ? इस लिए माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह जो रिपोर्ट दी है वह निहायत भूठी है, निहायत गलत है । ऐसे दबे हुए भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, उनसे यह लिखवा लिया गया हैं और सदन में आकर अपने कारनामों को छिपाने के लिए यह ढोंग मचायें । मैं चैलैञ्ज करता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी में हिम्मत हो तो मेरे साथ चलें और जो उन्होंने सदन में कहा है वह निहायत गलत कहा है । जिन्होंने दबवा कर रिपोर्ट लिखवायी है बिलकुल भूठी है । आप में शक्ति है तो आप मेरे साथ चलिये ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी से पर्टेन करता है। जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर दिया उसका मेरे माननीय साथी ने जवाब दिया। मैं दो बातें ही कहूंगा।

उन्होंने यह कबूल किया है कि तीन साल से मुतवातिर अकाल पड़ रहा है। आप यह बतायें कि वहां टोकड़ा वास के कितने व्यक्ति उस सड़क पर काम कर रहे थे, ऐसे कितने डिसएबल्ड आदमी थे जिनको राज्य सरकार ने रिलिफ दिया। जो अपंग हैं उनको कितना रिलिफ दिया? यही आदमी भूखा मर सकता है। वह ही मर गये।

जब यह प्रस्ताव आया था और मामला उठा तब टोंक के अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि फौरन मौके पर पहुँचो। मुझे सही जानकारी है कि क्लेक्टर साहब और एक दो अधिकारी मौके पर पहुंचे। सरपंच टोकड़ावास नहीं थे। पुलिस थाने से थानेदार को साथ लिया। टोकड़ावास पहुंचे। पंचायत का ताला तुड़वाया, मृतक रजिस्टर अपने कब्जे में लिया और क्या किया, यह मालूम नहीं पड़ता।

तो आप यह जानकारी दें सदन को कि वहां पर रजिस्टर वगैरह निकाले या नहीं? हो सकता है उसको ले जाने के बाद उसमें एन्ट्री कर दी। सरपंच की और हर वार्ड के पंच की जांच से यह स्पष्ट है कि मृत्यु हुई थी, उनके पास लिखा हुआ है कि अमुक अमुक आदमी मर गया, अनाज खाने को पास में नहीं था इसलिए मर गया। एस० डी० ओ० वहां पर पधारे, जिस व्यक्ति की मां मर गयी, उससे पूछा मां कैसे मर गयी। उन्होंने कहा—भूखे मरते मर गयी। यह बात कैसे करते हो, ऐसी बात मत कहा करो यह राज्य के लिए और मेरे लिए शर्म की बात है। ऐसा दबाव देकर उल्टा कह-लाया गया। सरकार कहती है कि भूख से नहीं मरे तो उनको इसमें क्या संशय होता है कि दो तीन आदमी आपके और हमारे वहां जाकर जांच कर लें। जो कुछ हुआ बता देंगे। यदि आप डेफिनेट हैं तो डरते क्यों हैं। हमारी तरफ से जिसको चाहें ले लें। यह आप मान कर चलिए कि सही रूप से अधिकारियों से सरकार के विपक्ष में उत्तर नहीं आ सकता। टेलीफोन पर ऐसी बात हुई है। उसी समय मुख्य मंत्रीजी से भी कहा कि क्यों जांच करवाते हो, इसका रिजल्ट आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मैं भी एक मिनिट निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो पांच मिनिट ही मैं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह चर्चा हुई इस गम्भीर विषय के सम्बन्ध में उस दिन मैं यहां नहीं था। मैं कभी भी इस बात का पक्षपाती नहीं हो सकता कि तथ्यहीन बातें इस सदन में लायी जायें और मैं कभी इस बात का भी समर्थन नहीं कर सकता कि प्रोपेगेन्डा स्टन्ट के रूप में बात लाकर सदन में उसकी चर्चा की जाय और सदन का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समय नष्ट किया जाय । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, स्पष्टतया निवेदन कर देना चाहूंगा कि हम जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको रात और दिन यह अनुभव हो रहा है कि किस हद तक सर्विसेज डिमोरेलाइज हो चुकी हैं ।

(हियर-हियर)

मैं आपसे बार-बार यह निवेदन करता आया हूँ कि यह समस्या सारे राजस्थान की है । यह कांग्रेस प्लस सर्विसेज वर्सेज ऑपोजिशन की नहीं है । यह निरन्तर कटु अनुभव है और मेरा तो गत १७ साल का अनुभव है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारा भी अनुभव है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कह सकते हैं । आपको अधिकार है । आप जो चाहें कह सकते हैं लेकिन हमें भी कहने का अधिकार है । यह जनतन्त्र है । अगर इस तरह से सर्विसेज डिमोरेलाइज होंगी और तथ्यों के साथ सच्ची बात यहां आती है, मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य ने यहां बातें रखी हैं कहां तक सच्ची हैं, लेकिन मोटे-मोटे मुद्दे हैं, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह निर्विवादित बात है कि आज राजस्थान के अन्दर हजारों लोग ऐसे हैं जिनको २४ घंटों के अन्दर दो स्क्वायर मील्स नहीं मिले । उसके साथ साथ माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अभी यह कहा कि वहां पर रिलिफ वर्क्स खोले गये हैं, दरअसल वहां पर रिलीफ वर्क्स खोले गये या नहीं इसकी जांच की जाय, दरअसल ९ आदमी मरे हैं वे क्या दो-चार वर्ष पूर्व मरे या नहीं मरे हैं अभी, यह निष्पक्षता से इन्क्वायरी जांच करने की मोहताज है । निष्पक्षता से जांच की जाय तो कुछ हद तक मालूम हो सकता है कि सत्य किस हद तक किस पक्ष के अन्दर है । वरना मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय राजस्व मन्त्री जी का जो कुछ भी कहना था वह कोई निराधार है, मैं कभी भी माननीय सदस्य का पक्ष नहीं लेना चाहता, वे निराधार बात करते हैं तो मैं उनका समर्थक नहीं हूँ लेकिन मुझे यह दृढ़ विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, आज के मिनिस्टर और खास कर माननीय राजस्व मन्त्री जैसे इन्फ्लयुएन्स वाले मिनिस्टर अगर कर्मचारियों को आदेश देते हैं तो वह ही होगा :

"राजा कहे दिन को रात तो रात,
राजा कहे रात को दिन तो दिन,
सांच झूठ को निर्णय हांजी हांजी
से करनो ।।

अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी सरीखे इन्फ्लयुएन्स के व्यक्ति यह कहें कि Do this then that will be done वह हो कर रहेगा । इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बेचारे जनतन्त्र के खातिर इस बेचारे जनतन्त्र को आप रखना चाहें तो इस बात की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिये यह मेरा आप से पुरजोर निवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं यह कोई विवाद का विषय नहीं है । रही यह बात कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ व्यक्ति भूख से मर

Page No. 72

(श्री भैरोंसिंह)

गये । यह बात तो राजस्व मंत्री महोदय ने स्वीकार की है कि वे मर गये । भूख से मरे या किस कारण से मरे यह बात दूसरी । वे मरे हैं इस बात को तो मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि वहां निरन्तर तीन साल से अकाल पड़ रहा है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, कृषि) : यह नहीं । इसी साल अकाल है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दो वर्ष से पड़ रहा है सारे राजस्थान में, २४ महीनों से पड़ रहा है । यह कल-परसों की बात थोड़े ही है ····

श्री भैरोंसिंह : मैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उस पर कह रहा था, लेकिन आपके कहे अनुसार भी इस साल तो अकाल है । अब अकाल है इस अकाल में वे भूख के कारण मरे या नहीं यह विवाद का प्रश्न आता है । राजस्थान सरकार और राज्य की जनता यह मानकर चल रही है कि राजस्थान में काफी वर्ग ऐसा है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है । आज यह प्रश्न है मंत्री महोदय भूख से मृत्यु हुई उसीको मानते हैं जिस आदमी को आज खाना नहीं मिले, कल भी नहीं मिले इस–तरह से लगातार २५ दिन तक या जब तक उसकी एनर्जी एक्जास्ट नहीं होती है तब तक यदि भूखा रहता है तभी उसको भूख से मरा हुआ माना जायगा । अगर वे इसी सिद्धान्त को मानकर चलते हैं कि इस तरह से किसी आदमी को लगातार २५ दिन या चालीस दिन तक खाना नहीं मिले और उसकी मौत हो जाय उसी को भूख से मरा हुआ माना जायगा । यदि उनका यह मानना है तो दूसरी बात है ।

मौत का कारण निमोनिया भी होता है और तपेदिक भी हो सकता है । क्या आपने इस बात की जांच की कि जिन व्यक्तियों की आप निमोनिया से मौत हुई मानते हैं क्या उनके पास दवाई लाने के लिए पैसा था ? क्या बीमारी की हालत में रहते हुए उनके पास एक समय या दो समय तक खाने के लिए अनाज था ? क्या उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी कि वे बीमारी की हालत में रहते हुए भी अपना पेट भरने के लिये खाने का इन्तजाम कर सकते थे ? भूख से मरने का मतलब आप यह लगाते हो कि चालीस दिन तक रोटी नहीं मिले, वही भूख से मौत है, यह वेसिकली सोचने का ढंग है, यह प्रक्रिया है, वह गलत है ।

आज सोचने का ढंग यह होना चाहिए कि उसके पास पर्याप्त अन्न था या नहीं, उनको दोनों समय खाना मिलता था या नहीं, कितने दिन तक उनको खाना नहीं मिला, कितने दिन में खाने के अभाव में उनकी एनर्जी खत्म हुई, उनको बीमारी किस प्रकार से पैदा हुई, उस बीमारी के इलाज के लिये कोई साधन था या नहीं ? यदि ये चीजें उनके पास नहीं थीं तो यह माना जायगा कि उनकी मृत्यु भूख के कारण हुई ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में ही निवेदन कर दूंगा । मैं जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनको दोहराना नहीं चाहता ।

(श्री मानसिंह महार)

मैं जिस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि राजस्व मंत्री महोदय ने इस सदन के एक सम्माननीय सदस्य को खुद द्वारा जाँच किये बिना कलेक्टर और एस० डी० ओ० की रिपोर्ट के आधार पर, जो लोग दस वर्षों से एक ही जगह पर पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम १९६२ से लगातार यह कहते आ रहे हैं कि ये भ्रष्ट है अन्याय करते हैं इनका तबादला किया जाय। ऐसे आदमियों की रिपोर्ट पर सदन के सम्माननीय सदस्य को झूठा बताया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इन शब्दों को वापिस लें। आप सरकारी नौकरों को सदन के माननीय सदस्यों से ऊंचा समझते हैं यह सदन के माननीय सदस्य का अपमान है और सारे सदन का अपमान है, आप किस मुंह से कहते हैं कि माननीय सदस्य ने झूठ बात कही आपने कोई जांच नहीं कराई। कलेक्टर को टेलीफोन कर दिया और यह हुक्म दे दिया जांच करके यह साबित मत होने देना कि इनकी मृत्यु भूख से हुई है। आखिर आपने जांच क्या कराई, आपने डाक्टरी रिपोर्ट ली डाक्टरों ने क्या कहा किस तरह से वे मरे। आपने देखा यह आदमी दो साल मेलन्युट्रीशन से पीड़ित था। आप तो भूख से उसको मरा हुआ मानते हैं जैसे चौपड़ पर पन्द्रह दिन से अनशन कर रहे वे यदि मर जाय तो उनको भूख से मरा हुआ मानते हैं। वे इस तरह से भूखे नहीं थे वे तो दो वर्ष से आधा पेट खाकर जी रहे थे वहां कोई उनके लिये रिलीफ वर्क्स नहीं खोले गये। आप इस सदन को गुमराह करते हैं गलत स्टेटमेन्ट देते हैं। आप यह बतलायें कि डोगरावास के पास तीन मील के एरिये में कहां रिलिफ वर्क चल रहा था केटेगोरिकली बतायें। आप यह नहीं बताकर सरविसेज के गलत कारनामों से इस सदन के माननीय सदस्य को जिसकी साईद दूसरे माननीय सदस्य ने की उसको झूठा कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं राजस्व मंत्री के लिये मुझे कहना तो नहीं चाहिये आप झूठों के बादशाह हैं। आपको सदन से माफी मांगनी चाहिये इस प्रकार तथ्यहीन बातें आप सदन में कहते हैं। यह बात नहीं होगी तो राजस्व मंत्री जी आप यहां टांट खुजलाते बैठे रहेंगे, हमें सदन छोड़ना पड़ेगा। हम इस तरह की गलत बातों को यहां पर कहना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) आप केवल यही बतला दें कि कितने काम वहां शुरु हुए ?

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कही है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं की मेरा यह आग्रह नहीं कि अनशन करने वाले को ही भूख से मरा हुआ माना जाय। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस दलील के लिये भी तैयार नहीं हूं, वहां कभी अकाल था ही नही। इस साल वहां अकाल पड़ा पहले वहां रिलिफ काम का होने का सवाल नहीं क्योंकि कहत नहीं तो रिलिफ वर्क का सवाल नहीं। इस प्रकार से जोर २ से बोलने से कोई बात बनती नहीं असलियत उससे छिप नहीं सकती।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने वहां रिलिफ के काम खोले हैं क्या ?

श्री **कुम्भाराम आर्य** : इस बारे में अफी ना पक्ष के नेता ने कहा मेरा सेवाओं

(श्री कुम्भाराम आर्य)

पर बहुत दबाव है। यह बात उन्होंने कैसे महसूस करली मुझे पता नहीं। उनको जिस प्रकार का अनुभव, हैं वह अनुभव मुझे भी कराने की कृपा करें। मैं उनका सहयोग करूंगा।

इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरे सामने टेलीफोन कर कलेक्टर को धमकाया। ये यहां उपस्थिति का नाजायज लाभ ले रहे हैं इनके सामने बैठकर के मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिश से बात की थी। दामोदरजी भी थे, मैं भी था और श्रीमानजी खुद भी थे। आपने यह भी फरमाया कि टेलीफोन करने की जरूरत नहीं हैं सरपंच वहां के यहां घूम रहे हैं उनको बुला देता हूं आपने टेलीफोन भी किया क्या पता झूठ ही किया सच लेकिन मेरे रवरू टेलिफोन जरूर किया था सिरपंच आज दिन तक नहीं मिले।

मैं नम्रता के साथ माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं न तो अफसरों को दबाने की बात में विश्वास रखता हूं न उनके समर्थन करने की बात में विश्वास करता हूं मैं तो असलियत के नजदीक रहना चाहता हूँ और आपको रखना चाहता हूं। लेकिन जान बूझकर किसी विवाद को खड़ा किया जाय तो हमारे लिये कठिनाई होजाती है जो इस पक्ष के हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इनकी मौत अकाल की वजह से हुई उनको अन्न नहीं मिला यह बहुत गलत बात है। कोई आदमी बाहर से भी आया होता है उस इलाके का रहने वाला भी नहीं होता है अकाल पड़ता है टोंक जिले में और उसका असर होता है दूसरी जगह यह समझ में नहीं आता है। जो भी बात इस हाउस में रखी जाय वह ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ दिलाने के लिये एक ही मार्ग है वह यह कि सत्य बात रखी जाय हम सत्य के अधिक निकट रहें जिद करके या रस्साकस्सी करने लग जाय किसी बात पर तो यह आप के लिये मुबारिक हो सकती हैं क्योंकि आपने पीछे 'ना' लगा रखा है। यह हमारे लिये मुबारिक नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं जो भी गलतफहमी इसमें रह गई है आपको सही कर लेनी चाहिये इसी में समाज का हित है और इस सदन का हित हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपको यही तो भ्रम है, आप मौके पर मेरे साथ चल कर परिस्थिति देख लें।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल जयपुर) अध्यक्ष महोदय, बड़े ढंग से यह राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि उनका यह कहना नहीं हैं कि ४० दिन तक भूखा रहे और उसकी मौत होजाय उसी को भूख से मरा हुआ माना जाय। मैं उनसे कहना चाहता हूं जिस हालत में वे मरे हैं क्या उस हालत को देखते हुए आप इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उनकी माली हालत अच्छी थी। वे इस तरह से सम्पन्न थे कि वे दवाई का इन्तजाम कर सकते थे या इसके अभाव में उनकी हुई ?

श्री कुम्भाराम आर्य : दुनियां में कौन किस तरह से मरता है, सबका ठेका तो हमने नहीं लिया। मेरा तो यह कहना है कि वे अकाल की वजह से नहीं मरे हैं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्री महोदय इस बात का ठेका नहीं लेते हैं कि राजस्थान

Page No. 75

(श्री भैरोंसिंह)

में गरीब जनता रोटी के अभाव में, दवाई के अभाव में, मर जाय तो यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका कहना है कि वे इस तरह से मरने वालों का ठेका नहीं लेते है तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि राज्य करने का भी आपका ठेका नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य : राज करने का ठेका किसी का नहीं है और न हमारा है इसमें तो लोगों के समर्थन का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह भी निवेदन कर दूं कि लोगों के समर्थन के कारण ही आप राज्य करने बैठे हैं, यह सही है कि आपको लोगों का समर्थन है उसी समर्थन के कारण हमने आपको कहा है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उससे आपने यह मन्शा जाहिर की है लोग कैसे मरते हैं उसका हमने ठेका नहीं लिया है। आप इस बात को गहराई से सोचें तो आप यह महसूस करेंगे कि सरकार ने यह ठेका लिया है कि लोगों को रोजी, रोटी और बीमारी की हालत में दवा का इन्तजाम करेगी। इन चीजों के अभाव में लोगों को मरने नहीं दिया जायगा यह जिम्मेदारी सरकार की है। आपका यह अभिमान सही है कि आप हमारे कहने से मंत्री नहीं हैं जनता के वोटों के कारण मंत्री बने हैं, तो इस कारण आपने इस बात की भी ठेकेदारी ली है कि जनता को रोजी, रोटी और बीमारी में इलाज के साधन उपलब्ध करें। अगर मैं आपके इन अधिकारों में एन्क्रोचमेन्ट करता हूं तो गलती करता हूं। इसके साथ साथ आपके उपयुक्त भी ये शब्द नहीं कुम्भारामजी जैसा व्यक्ति जो जनता में बराबर यह कहता फिरता है कि एक गरीब व्यक्ति सारी सरकार को श्राप देकर समाप्त कर सकता है।

श्री कुम्भाराम आर्य : भला होने की दुहाई देकर आप मेरा मोरल डाउन करना चाहते हैं।

जो बात मैंने कही अकाल के संदर्भ में कही थी। सरकार का ही नहीं हरएक सभ्य नागरिक का यह जिम्मा है कि लोगों की सहायता करे, लोगों का ज्यादा से ज्यादा उपकार करें। सरकार का इस जिम्मेवारी से बाहर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जो बात कही थी वह अकाल के संदर्भ में थी।

श्री अब्दुल अज़ार : राजस्व मंत्री महोदय को मेरे साथ चलने में क्या आपत्ति है? चार घंटे का रास्ता है। उनके सामने सारी जानकारी आ जायगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको सही जानकारी कराता हूँ। इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी। अब आगे की कार्यवाही ली जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्व मंत्री महोदय का यह पहला ही कोर्स एग्जामिनेशन था, जिसमें फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स प्राप्त किये हैं। थोड़ा इस बहस को और चलने दिया जाय तो डिस्टिंक्शन मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये और दूसरा मौका ढूंढे।

(२.०६ म.प.)

मांग संख्या १ व ३३–भू-राजस्व व वन

श्री राम प्रसाद लड्ढा : (उप-मंत्री, राजस्व) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३२,४२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। मांग संख्या ३३

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३३ मुख्य शीर्षक ७०-वन के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५,४८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[दोनों मांगों पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :]

मांग संख्या ३३

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

(१) मांग संख्या ३३ मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा वन सम्पदा और अन्य जन्तुओं के संरक्षण और संवर्धन में उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू राजस्व वसूल करने में गंभीर अनियमितताएं पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्त के लिये भूमि एलाटमेंट में अनियमितताएं पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत सरोद की काबिल काश्त भूमि को पंचायत गुड़ा को चरनोट के रूप में दे देने पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय और सुनेल टप्पा के भूवपूर्व जागीरदारों के रेकार्ड अभी तक राजस्थान में उपलब्ध न होने पर जागीरदारों की कठि[illegible] पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ मेंचरनोट के रक्वे की कमी पर मालवी नस्ल के मवेशियों की वृद्धि में रुकावट पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील गंगधार में ग्राम माट खेड़ी में भूमि एलोटमेंट में अनियमिततायें पर चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फार्मर झालावाड़ स्टेट में काश्तकार

(श्री गोविन्दसिंह)

फंड की वसूली में काश्तकारों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या १, शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में बन्दोवस्त की नई दरें घोषित नहीं करने पर काश्तकारों की असुविधा पर चर्चा के लिये)।

१०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में जागीर के गांवों में काश्तकारों से अधिक सरचार्ज वसूल किए जाने पर चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चरनोट पर अनधिकृत कब्जे व चरनोट गांवों को सुपुर्द नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में भूमि एलाट-मेंट में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आंशिक प्लान्टेशन की अव्यवस्था पर के अर्थ के खर्च पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात की हद ग्राम के पास तक लगा देने पर जनता की असुविधा पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चन्दन के वृक्षों की रक्षा न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु–)

१६. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (घास लकड़ी के काम करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की वन से वस्तुयें न मिलने से बेरोजगारी पर चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग के द्वारा कटवाये जंगलों की उचित कीमत न लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

१८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि के गलत अवंटन से उत्पन्न काश्तकारों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

१९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय) बन्दोवस्त विभाग द्वारा बन्दोवस्त में भय कर अनियमितताओं के संबंध पर चर्चा के लिए)।

Page No. 78

(श्री रघुनाथ विशनोई)

२०. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली की प्रणाली के मूल आधार में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए) ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०)

२१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय) (डूंगरपुर जिले में लगान वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

२२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में वन की देख रेख में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा–सु०)

२३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डिविजन उदयपुर में पटवारियों द्वारा एलोटमेन्ट की भूमि बहुत अर्से से पे मुक्ति नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

२४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में जंगलों को ठेकेदारों द्वारा अपनो बाउन्डरी के अलावा कटाई कर जंगलों को बरबाद करने पर चर्चा के लिए) ।

कंवर श्री महेन्द्रसिंह (डीगोद)

२५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में हुए मनमाने ढंग से डिमार्केशन किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०)

२६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय) सिकराय तहसील में सिवाय चक माप की जमीन खत्म की जाकर भूमिहीन किसानों को दी जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

२७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में परचा चकबन्दी बन्दोबस्त करवाया जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

२८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय में रेवेन्यू कर्मचारी द्वारा सही तौर से कागजात नहीं रखे जाने से जमीदारों को नुकसान, इस पर चर्चा के लिए) ।

१६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के कार्य में अनियमितताओं के कारण किसानों में असन्तोष पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

३०. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय तहसील में वन विभाग द्वारा वन सीमा निर्धारण का कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री लक्ष्मीचन्द्र (पीपलदा) :-

३१. मांग संख्या १- मुख्य शीर्षक ६– भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली संबंधित प्रणाली में सुधार कर किसानों को राहत न पहुँचाने के विषय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

३२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक७० वन विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषकों को कृषि हेतु लकड़ी नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :-

३३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत तहसील में पटवारियों को वर्षों तक एक क्षेत्र में रखने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए)।

३४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सरचार्ज वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)

३५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में कृषि कार्य हेतु भूमि हीनों को भूमि आवंटन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा पाली जिले में नामान्तरकरण किये जाने में शिथिलता की जाने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में लैण्डरिकोर्ड न किये जाने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदौरा)

३८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में भूमि हीन कृषकों को भूमि मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

३९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के जंगलों की सुरक्षा न होने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :-

४०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली के दौरान अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खेती योग्य भूमि पर अभी तक भी खेती के लिये अलोट करने की व्यवस्था न करने से राष्ट्रीय हानि पर चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री रामकिशन गोयल)

जाय (टौंक जिले में राजस्व अधिकारियों का स्थानान्तरण के भय कारण राजनीति में भाग लेनें पर चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान के पटवारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवली तहसील के गांवों में कृषि योग्य भूमि आवंटन करने में हुए घोटालों के बारे में चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध (सैटलमेंट) अधिकारियों द्वारा की जा रही भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

४६. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान की वन सम्पत्ति को नष्ट किए जाने को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) :–

४७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि अलाटमेंट में कठिनाई व कार्य में शिथिलता रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

४८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में जंगलात के कर्मचारियों को एक लम्बे अर्से तक वहां रखे जाने से जंगलों का व सरकारी आमदनी का नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांवाई जंगल पंचायतों को दिलाने पर चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील के किसानों को वन विभाग से लकड़ी आदि के लिये पास मिलने में कठिनाई पर चर्चा के लिये)

५१. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में किसानों को जंगलात सम्बन्धी वस्तुएं नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल की स्थिति होने से बेंगू तहसील के बन्द जंगलों में मवेशियों को इस साल चरने के लिये छूट देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री चौसरसिंह जोगेन)

५३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेन्जर बेंगू द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध पर चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू रेन्ज में वर्षों तक कर्मचारियों के तबादले नहीं किये जाते जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

५५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में गांवाई जंगल पंचायतों के सुपुर्द कराने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में फोरेस्टर गांव गांव जाकर पास देवे तो हजारों किसानों को काश्त में लाभ होगा, इस पर चर्चा के लिये)।

५७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील के किसानों को जंगल से उनके जरूरीयात की चीजें नहीं मिलतीं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :-

५९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग द्वारा भूमि के आवंटन में पक्षपात और अन्याय पर चर्चा के लिये)।

श्री मजलिस खां (कामां) :-

६०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों की ओर से ग्राम पंचायतों को सहयोग न मिलने पर चर्चा के लिये)।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़)

६१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

६२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भूराजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूराजस्व की वसूली में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में, इस पर चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भूराजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जागीर खालसा होने के बाद राजस्थान के भूराजस्व पर जो असर हुआ उस पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भूराजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मुंडवा पटवार खाना के भवन को

Page No. 82

(श्री गंगासिंह राठौड)

उपयोग नहीं होने के कारण उसे पाठशाला के लिए देने बाबत चर्चा के लिए) ।

श्री जगन्नसिंह (दांता रामगढ़) :

६५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भूराजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूराजस्व वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) :

६६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सेटिलमेंट विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री मान्धातासिंह (महुआ) :

६७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सेटिलमेंट विभाग, प्रशासनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

६८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :

६९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमि अलाटमेंट में पक्षपात करने व भूमिहीनों को भूमि न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

७०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उनियारा ठिकाना के पटवारियों को उचित राहत नहीं दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

७१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली समय पर न होने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :–

७२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति को कृषि हेतु भूमि नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) :–

७३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के पुनर्बन्दोबस्त की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु.) :–

७४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में पुराने कब्जे वाले कई काश्तकारों को खातेदारी हक देने में अनियमितताओं से रेवेन्यू इन्कम में कमी होने पर चर्चा के लिये) ।

७५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा व खैरवाड़ा में एलोट शुदा भूमि काश्तकारों को कब्जा नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री देवीलाल)

७६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा और खैरवाड़ा में रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

७७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर जयसमन्द गेम संचोरी में गेम वार्डन द्वारा सूअर आदि जानवरों का शिकार कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

७८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भू-मापन व्यवस्था और अभिलेख कार्यवाहियों में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

७९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बही हुई तथा निःस्वामी लकडी तथा राज सात्कृत की उपज में हो रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चिड़ियाघरों में हुक्कू बन्दरों के लिये समुचित व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री ज्वाला प्रसाद (नसीराबाद) :–

८१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भू–अभिलेख में हो रही धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

८२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में मे १००) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वन सम्पदा के नष्ट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयलाल (डग) :–

८३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जनता को जलाऊ लकड़ी लाने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्दिया (जसाड़िया) :–

८४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जंगलों की कटाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है इससे भविष्य में नुकसान होने की संभावना है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) :–

८५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १

चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) :–

८६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में भू-राजस्व की वसूली किये जाने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये

Page No. 84

(श्री चन्द्रसिंह वर्मा)

मांग संख्या ३३

८७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में वन विभाग के सामान्य संचालन तथा नवीन योजनाओं के प्रति विभाग सदैव उदासीन रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) :

८८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमि एकीकरण जो चाकसू व लालसोट तहसील में किया गया है इससे किसानों में असन्तोष, इस पर चर्चा के लिये) ।

८९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भू-राजस्व में ने १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील लालसोट जिला जयपुर के ग्रामों में भूमि के एकीकरण में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

९०. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (काश्तकार लोग जो लकडी अपने खेतों से काट कर जयपुर के बाजार में बेचने के लिये लाते हैं उनको वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा न लाने देने और नाजायज पैसा वसूल करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री मोहरसिंह राठोड़ (चुरू) :

९१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिए जाय (चुरू जिले में किसानों को भूमि प्रदान करने में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

९२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चुरू के सुरक्षित वन के अभाव से वृक्षों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

९३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग की ओर से किसानों पर अनावश्यक जुर्माना करने पर चर्चा के लिये) ।

९४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग की ओर से वर्षा न होने पर चराई वसूल करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

९५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को अकारण परेशान करने पर चर्चा के लिये) ।

९६ **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु०. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जंगलों की उचित सुरक्षा नहीं की जाती है जिस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

९७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोलायत तहसील के जैसलमेर जिले से स्थानांतरित गांवों के काश्तकारों को उनकी कब्जे शुदा जमीनों को सभी सेटलमेंट तथा रेगुलर सेटलमेंट के समय पर दर्ज जमीनों को फर्क को अवैध घोषित करके उन्हें Trespassers दर्ज करने पर चर्चा के लिए)।

९८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भूराजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आरजी काश्त भूमि को दस साला आधार पर एलोट करने हेतु इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

९९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिये जाय (भूमापन, व्यवस्था और अभिलेख कार्यवाहियों में की गई अनिमिततात्रों पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०) :

१००. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय। (ग्राम खिजूरी तहसील हिण्डौन की चरागाह अलोट किए जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

१०१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिये जाय (तहसील हिण्डौन की जमीन अलोटमेंट करने में भूमिहीनों को भूमि न मिलने पर चर्चा के लिये)।

१०२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गरीबों की जमीनों पर नाजायज कब्जे हटवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) :

१०३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली व्यवस्था में माकूल इन्तजाम के बिना सरकार को काफी नुकसान हुआ है. इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

१०४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की उगाई में किसान वर्ग की सुविधाओं की पूर्ण उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) :

१०५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अलोटमेंट को समस्या को विभाग द्वारा क्रियान्वित न करने से उत्पन्न समस्या के विषय पर चर्चा के लिए)।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.)

१०६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (आदिवासी व शिड्यूल कास्ट के भूमिहीनों को काश्त की भूमि न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

१०७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वनों के विकास के काम से धन की बरबादी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

१०८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील लाडपुरा, को कृषि भूमि विक्रय में धांधली पर चर्चा के लिए)।

१०६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (काश्त के लिए भूमि अलाटमेंट में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

११०. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चराई की सुविधा देने में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

१११. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७० वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बारां में अकाल के समय किए गये इकट्ठे घास में वन विभाग द्वारा घोटाला व गबन पर चर्चा के लिए)।

११२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७० वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा कत्थे की हुण्डियों के ठेकों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) :

११३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७० वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जलाऊ एवं काश्तकारी काम की लकड़ी मिलने हेतु चर्चा के लिए)।

११४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को भूमि न मिलने पर चर्चा के लिए)।

११५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सेटिलमेंट विभाग में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) :

११६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा मनमानी और उसी समय एलोटमेंट की तस्दीक का पर्चा न देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

११७. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला चित्तौड़गढ़ के पुराने जंगलों के न कटवाने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

११८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय। (ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए)।

११६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिसमें चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में भूमिहीन किसानों व अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमि एलाटमेंट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१२०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया

Page No. 87

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जाय (टुंगा पासर किसानों की समस्या का समाधान नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

१२१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में अन्त काल खोलने के आदेशों की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए) ।

१२२. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण के नाम पर किये जाने वाले मनमाने खर्च व भृष्ट तरीकों पर चर्चा के लिए) ।

१२३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय) संधारण जीर्णोद्धार तथा नवीकरण के नाम पर अनावश्यक खर्च पर चर्चा के लिए) ।

१२४. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन से में १००) रु. कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार के कारण जंगलों की बरबादी पर चर्चा के लिए) ।

१२५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय । (वन विभाग द्वारा किसानों को समय पर लकड़ी उपलब्ध नहीं कराने से अन्न उत्पादन आदि में होने वाली हानि व कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

१२६. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों के भत्तों पर होने वाले फिजूल खर्चों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री शुभकारसिंह (चेचट) :–

१२७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय) राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूरा राजस्व वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

१२८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सुचारू रूप से काम चलाने में वन विभाग की समस्याओं पर चर्चा के लिए) ।

१२९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले की नदी–कटाव क्षेत्र में भी Aforestation कार्य चालू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री मोहनराज (बाली) :–

१३०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमि सुधार कार्यक्रम में शिथिलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

१३१. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया

Page No. 88

(श्री मोहनराज)

जाय (बाली तहसील के कई ग्रामों में आबादी के निकट व गोचर भूमियों में बलोजर बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

१३२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (आसीन्द के तालाबों के पेटे पर काफी पुराना कब्जा होते हुए उन्हें शिकमी हक दिलाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

१३३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (District wise जंगलों की सीमा निर्धारण कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) :

१३४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को भूमि एलाटमेंट में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

१३५. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ रेन्ज की वन सम्पदा की अवैध कटाई पर चर्चा के लिए)।

१३६, मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (किसानों को वन से मिलने वाली वस्तुओं के नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या १

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा)

१३७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन में अनियमितता एवं विक्रतों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१३८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलों की ठेकेदारी प्रथा बन्द करने बाबत चर्चा के लिये)।

१३९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसान को कृषि कार्य हेतु लकड़ी मिलने में कठिनाई एवं जंगलों में जंगल सेटलमेन्ट के समय उनके rights दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :—

१४०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि सुधार कार्यक्रम में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१४१. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वनों की नीलामी में हो रही धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :–

१४२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि सुधार कार्यक्रम में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१४३. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वनों की नीलामी में हो रही धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :–

१४४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि सुधार कार्यक्रम में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१४५, मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ८०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वनों की काबिल काश्त भूमि किसानों को बांटी जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

१४६. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वनों की नीलामी में हो रही धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :–

१४७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलाटमेंट और नाजायज कब्जे की आने वाले समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

१४८. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों को वन से मिलने वाली वस्तुओं के नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।]

१४९. मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिविजन के जंगलों की नाजायज कटाई पर चर्चा के लिये)।]

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वही सब्जेक्ट वापिस आ गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) माननीय अध्यक्ष, भू-राजस्व वन के संबंध में मेरी कटौती के प्रस्ताव करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि भू-राजस्व एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है किसान की खुशहाली, किसान की समृद्धि, उत्पादन से बहुत निकट सम्बन्ध रखती है। और वैसे भी भूराजस्व का सम्बन्ध निकटतम संबंध वन से भी है। इसलिए मैं इन दोनों महत्व-पूर्ण विषयों पर एक साथ ही निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अनादि काल से, क्या मनु स्मृति, क्या चाणक्य नीति, उसके अन्दर देखा जाय तो अनिवार्य रूप से राज्य का अधिकार है कि किसान की जो कमाई है, उसका एक हिस्सा कोष में ले लेकिन यह इम्पोर्टेन्ट बात है कि जो हिस्सा राज्य अपने कोष में किसान की कमाई का ले, जो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जमीन खेती शुदा है उसका ले, वह नियमित मात्रा में होनी चाहिए और हमारे शास्त्रों में यह बराबर वर्णन है कि वह हिस्सा १–१० से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा :(उप-मन्त्री, राजस्व) : कौन से शास्त्र ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मनु स्मृति में देखिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वन सिक्स्थ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, लेकिन १–१० बराबर लिखा है। १० प्रतिशत, यानी ९० प्रतिशत किसान को दिया जाये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वह तो हिन्दुओं का शास्त्र है, हमारा शास्त्र नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी डिक्शनरी में यह बात नहीं होगी, लेकिन जहां तक मेरे दल का इस समस्या से संबंध है, मेरा दल किसान की खुशहाली को सर्वोपरि मानता है और किसान पर कम से कम टैक्स लगे इस सिद्धान्त को मानकर चलता है। अगर किसान पर सबसे कम टैक्स लगे, जितना कम टैक्स उस पर लगता है, उतनी ही उसकी स्थिरता बढ़ेगी और जितनी स्थिरता किसान में आती है उत्पादन में मात्रा बढ़ेगी। यह कम से कम हमारे दल की मान्यता है और इस मान्यता को लेकर मैं सदन के समक्ष बराबर निवेदन करता आया हूँ कि किसान पर टैक्स कम से कम होना आवश्यक है।

अगर बंदोबस्त के उसूलों को देखा जाय तो पहले राजस्थान में जब कभी भी बंदोबस्त होता था तो यह सिद्धान्त सामने रख कर बंदोबस्त किया जाता था, और मैं बंदोबस्त पर ऑथोरिटीज की बात बताऊं, सर हरकर्ट बटलर वगैरह, उसकी भी यही राय थी कि १-१० का सिद्धांत ही अच्छा है। टोडरमल का भी जो सिद्धांत था वह १-१० का सिद्धांत था। वे बराबर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर किसान १०० रुपये कमाता है तो १० रुपये राज के खजाने में वह दे क्योंकि बाकी की कमाई में से वह वह खर्चा भी निकालता है और पारिवारिक जीवन निर्वाह के लिए भी व्यवस्था करता है। तो मेरे खयाल में किसान की समृद्धि सर्वोपरि है।

अध्यक्ष महोदय, १९५१-५२ में भू-राजस्व की आय ३१८ लाख बताई गई। १९६५-६६ में ७८८ लाख बताई गई और १९६६-६७ में ८७३ लाख बताई गई, यानि १९६५-६६ से १९६६-६७ में ८५ लाख की आमदनी बढ़ाकर बताई गई। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार से हुआ ? राजस्थान के अन्दर २ दुष्काल पडे, लगातार दो साल खराब हुए और अगर आप के आंकड़े सही हैं, तो आप के आंकड़ों में से कह रहा हूं कि १९६५-६६ में ७८८ लाख की आमदनी आपने बताई और १९६६-६७ में आपने एस्टीमेट किया है कि ८७३ लाख यानि ८५ लाख रुपये अधिक। अब ये कैसे ८५ लाख रुपये बढ़ गये, जब आप यह भी कह रहे हैं कि उत्पादन में ५० प्रतिशत घाटा रहा। तो उत्पादन आपका आधा घट गया, लेकिन साथ साथ आप यह कह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो यह तो ताज्जुब की बात है। यह निरंकुश अत्याचार है और इसका मैं विरोध करता हूं। या तो आपके आंकड़े

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अस्पष्ट हैं या फिर वे गलत हैं और अगर आपके आंकड़े सही हैं तो मैं पूछता हूं कि यह व्यवस्था किस प्रकार से हुई, यह मेरी समझ के बाहर है और ये आंकड़े कोई तथ्य रखते हैं तो, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्व मन्त्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने किसानों के साथ इन्साफ नहीं किया, आपने किसानों के साथ गैर इन्साफी की है, बल्कि अत्याचार किया और गई साल के मुकाबिले में इस साल ८५ लाख रुपये की ज्यादा ज्यादा आमदनी लेने का निर्णय आपने किया है।

मैं समझता हूं कि गिरदावरी जो होती है वह भी गलत तथ्यों पर होती है। पटवारी अगर गांवों में जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे अमूमन बैठते हैं और वहां पर गांव वालों को बुला कर सरसरी तौर पर पूछते हैं कि किसान के खेतों में क्या उत्पादन हुआ है। उस समय भी मुझे शंका है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से, छोटे मोटे आपके सफेद टोपी के नेता भी शायद साथ जाते हैं और शायद आपकी नीति भी यही है कि अगर किसी किसान के खेत में धूल भी उड़ती हो तो वहां पर भी ४ आने पक्का है यह आप गिरदावरी पटवारियों से लिखवा लेते हैं। तो आपकी बुनियादी गिरदावरी जो है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से पूर्ण होती है। छोटे मोटे नेताओं को भी मेरे ख्याल में आपकी मिलीभगत है और उसके द्वारा भी आप मेरे ख्याल में प्रभावित होकर किसानों पर ज्यादा से ज्यादा लगान वास्तविकता के विपरीत आप लेना चाहते हैं। यह मेरे ख्याल में बहुत भारी अन्याय है। भू-राजस्व की आय इन १५ वर्षों में अध्यक्ष महोदय, ३०० प्रतिशत याने ३ गुना इस सरकार ने बढ़ाई है। आप लोभी या असंतोषी नीति की पराकाष्ठा है और इसके अलावा जब मैं आपको निवेदन करूं कि भू-राजस्व के अलावा आपने सिंचाई कर, खुशहाली कर सैस कर, कृषि आय कर, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स और बिक्री कर ये भी आपने किसानों पर लगाये हैं। तो मुझको तो आपसे यही निवेदन करना है कि ३०० प्रतिशत अगर किसानों की आय आपने बढ़ाई है तो इन सब करों को मिलाकर देखा जाय तो इससे भी शायद किसान पर आपने वजन विशेष डाल दिया है।

किसान सच्चे रूप में हमारे देश का अन्नदाता है। अगर आप उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे, आये दिन उसको लद्दू गधा बनायेंगे, टैक्सों की भरमार करेंगे तो उसके मन में कभी शांति और स्थिरता उत्पन्न नहीं होगी। और अगर आये दिन आप नये कानून या कथित भूमि सुधार के सम्बन्ध में और कानून बनाते ही चले जायेंगे और उनके नियमों का भी किसानों को कोई अनुमान ही नहीं कि कितने कानून हैं और क्या व्यवस्था है तो मेरे ख्याल में आप इस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। किसानों के मन में जो आपने अस्थिरता उत्पन्न की है उसको स्थिर रूप से, उसको दिलासे के साथ उसके मन के अन्दर जो आशंकायें हैं उनको समाप्त करके उसको विश्वास दिलाइये क्योंकि यह खेती का मामला है, यह कोई मुफ्त में नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है और अगर किसान के मन में स्थिरता नहीं होगी तब तक किसान न पैसा लगायेगा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और न मेहनत करेगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप किसान को उत्तम प्रकार का आश्वासन इस रूप से दे सकते हैं कि कम से कम १० वर्ष के लिए जो कुछ भी आज उसकी भूमि है और उसकी व्यवस्था है, उसके स्वामित्व के अधिकार हैं उसमें नया कानून भूमिसुधार के द्वारा उसकी अशांति में वृद्धि नहीं होगी और उसको शांति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस परमिट, कोटा, लाइसेंस राज्य के अन्दर हम क्या देखते हैं कि फर्टीलाइजर्स का अभाव है, क्या देखते हैं कि क्रूड आइल नहीं मिलता, क्या देखते हैं कि सीमेंट के कोटे में कालाबाजारी और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते और हर एक चीज के अन्दर जहां भी कोटा, परमिट लाइसेंस है वहां भ्रष्टाचार है, जो आवश्यकता की खेती की चीजें हैं उसमें कमी है। तो मेरे ख्याल में सरकार को किसान की बहबूदी के लिए सबसे पहले महत्व देना चाहिए और करों के भार से मुक्त करना चाहिए, यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह तो बहुत लम्बी रामायण है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में विशेष आगे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सदन का समय नियमित है।

मैं वन के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करूंगा। वन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश के अन्दर अगर वन संरक्षण नहीं मिलता है तो हमारी भूमि का जो उर्वरापन है, उत्पादन शक्ति है वह भी खत्म होती है और जमीन का कटाव भी बढ़ता है। आपको चाहिए कि आप वनों का संरक्षण करें। हमारे यहां अरावली पर्वत माला है। इसको भी उलांघ करके पश्चिम की ओर से धीरे धीरे रेगिस्तान बढ़ रहा है। अगर आप जंगलों की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में उपजाउपन, उत्पादन और वर्षा तीनों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर वन के सम्बन्ध में वनों को आप संरक्षण देंगे, मेरे ख्याल में आपकी नोन-टैक्स रेवेन्यू भी स्टडी एक निरन्तर रूप से आपको मिलती जायेगी वर्ना जिस तरह से आप वनों का ह्रास कर रहे हैं जिस निर्दयता से ठेका दे रहे हैं और जंगलों का नुकसान कर रहे हैं उस तरह से मेरे ख्याल में वह दिन दूर नहीं है कि वनों के द्वारा आपकी आमदनी अभी तो आपने ९६ लाख बताई है लेकिन नगण्य सी आमदनी रह जायेगी। यह हमारा महान् महत्वपूर्ण राष्ट्रधन है यह बिल्कुल शून्य सा हो जायेगा। मैं देखता आया हूं १७ सालों से हमारे देश के अन्दर क्या सलूम्बर, क्या पानरवा काण्ड काण्डों का तो मैं विशेष रूप से जिक्र भी नहीं कर सकता-मैं छोड़ता हूं-क्या धरियावद अगर आप पहाड़ों को देखें तो बिल्कुल साफ और मेरी हथेली की तरह नंगे पहाड़ हो गये हैं। कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर सब जगह मेरे ख्याल में आप अगर देखें तो वनों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है।

सन् १९५१-५२ में आपकी आमदनी ४५ लाख थी। मैं समझता हूं कि वह न्यायोचित आमदनी थी और वह न्यायोचित ढंग से भी आप उस आमदनी को प्राप्त कर रहे थे। अब तो वनों के ऊपर आपने हन्टर लगा-लगाकर ५५ लाख की आमदनी की और अब ९६ लाख की आमदनी बनी है। कोई अध्यक्ष महोदय, गवई जंगल जैसी वस्तु नहीं रही है और जो कोई भी आपके रिजर्व जंगल है उनमें सौ, सौ वर्ष के जो पुराने वृक्ष

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

थे वह एक भी दर्शनीय वृक्ष नजर नहीं आता, बिल्कुल कटचुके हैं। ठेकेदारों का यह किस्सा है कि स्टेन्डर्ड ट्रीज भी काट डाले हैं आपको बारबार यहां पर मैंने निवेदन किया है स्पेसिफिक इन्सटान्स साइट की जाती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि सर्विसेस डीमोरेलाइज्ड हैं इस बारे में मैं आपको और भी निवेदन करू कि शायद लिखित रूप में भी निवेदन करूंगा लेकिन यह दरअसल में रात और दिन मेरे देखने में आया है कि अगर मन्त्री महोदय कर्मचारियों को कह दें कि यह बात होनी चाहिए तो उनमें किसी को भी इतना साहस नहीं है, कोई इतना अपराइट आदमी नहीं रहा कि अपनी असहमति प्रकट कर सके क्योंकि यह स्पष्ट है कि असहमति प्रकट करना बड़ा मंहगा सौदा है। जो स्वतन्त्र विचार का आदमी निर्भीकता से मन्त्री महोदय से यह कह दे कि दस फार एण्ड नो फादर यह उचित है इस हद तक और इस हद तक यह अनुचित है ऐसा कहने वाला कोई नहीं है । तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा कह भी दे तो उसको उन्नति तो क्या अवनति का मार्ग देखना पड़ता है। तो इसलिए आज के जमाने में मेरे ख्याल से साहस करके मन्त्री जी को कोई कर्मचारी स्पष्टतया तथ्यों के साथ सच्ची बात कहदे, ऐसी कोई व्यवस्था मेरे नजदीक नहीं आती।

आदिवासियों का क्षेत्र जहां पर है वहां पर आपने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। उनके जो ग्राम निस्तार के हकूक थे, मैंने आपको बराबर कहा है, जहां सरकार के वन हैं आखिरकार जो वनवासी लोग हैं, इन वनखण्डों के अन्दर रहते हैं उनके अधिकार अनादिकाल से रहे हैं। आपकी सरकार ही तो कोई सर्वप्रथम सरकार नहीं है, उसके पहले भी सरकार थी उन्होंने भी इनको ग्राम विस्तारसे हकूक दिए थे। उनकी आवश्यकता के लिए जो लकड़ी चाहिए उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई जाता है पास लेने के लिए कि उसको इमारती लकड़ी चाहिए या मकान और खेत की बाड़ के लिए लकड़ी चाहिए, या कुए के रहट के लिए लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी उसको वहां से नकारात्मक उत्तर मिलता है, या फिर उसके लिए यह कहा जाता है कि जय हिन्द का जमाना है, जेब गरम करो। आदिवासियों के पास कहां पर इतना पैसा है कि इस तरह से कर्मचारियों को, छोटे-मोटे कर्मचारियों को खुश करें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

अब मैं एक बात बांस के बारे में कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बांस के बारे में क्या किया है और खास करके हमारे क्षेत्र में। वह यह कि बांस का उपयोग जो किसानों के लिए सबसे बड़ा है उसको आपने बिल्कुल साफ कर दिया है, करीब २ नष्ट कर दिया है ८०-८५ हद तक आपने इसको नष्ट किया है। बांस एक तरह की फसल है। जिस तरह से घास के बारे में मैं आपको निवेदन करता हूँ और बार-बार आपको कहता हूँ कि आप घास का जखीरा बनाइए। अगर आप घास का जखीरा बढ़ायेंगे तो कम से कम आदिवासियों के लिए आज जो यह समस्या है उससे हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के अन्दर ही मवेशी करीब–

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करीब तीस प्रतिशत तक मवेशी मर जायेंगे। बहुत से काश्तकारों से पास आज बैल भी रहना मुश्किल है। मैंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखी है। इतने विशाल भारतवर्ष के अन्दर कुल मिला कर पाच लाख बैल हैं या ढाई लाख जोड़ी बैलों की है। और गरीब किसान जो बैलों की जोड़ी रखता है उसमें से यदि एक बैल भी मर गया तो मेरे ख्याल में कम से कम दो सौ, ढाई सौ रुपयों के बिना उसको बैल दूसरा नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में वह क्या करे? कहां से आपको खुश करे और कहां से अपना काम चलाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर जहां बांस की उपलब्धि आसानी से हो सकती है और घास की उपलब्धि हो सकती है तो आप घास के जखीरे बनाइए और इस तरह से मेरे ख्याल में आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाइए।

अफोरेस्टेशन के सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि जो कुछ आप रुपया खर्च कर रहे हैं वह बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, फिजूल खर्ची है। मुझे अफोरेस्टेशन की कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां पर जंगल पैदा हुआ हो। आप कहते हैं कि हम अफोरेस्टेशन कर रहे हैं, उस रकबे को बढ़ा रहे हैं लेकिन यह कैसे हो सकता है जबकि वहां पर बकरे जाते हैं, बैल जाते हैं और दूसरे मवेशी चरने जाते हैं। ऐसे जंगल कैसे पैदा हो सकता है? आप लाखों रुपया अफोरेस्टेशन के नाम पर खर्च करते है लेकिन आपके जंगलों का ह्रास हो रहा है। अफोरेस्टेशन के नाम से यह फिजूल खर्ची हो रही है और जंगलों का उत्पादन कहीं नहीं दिखता। सॉयल कंजरवेशन के लिए आपको जंगल पैदा करना चाहिए। पंजाब में जैसा मैंने देखा है, आप सड़क के दोनों तरफ जहां पर भी हो सके, जहां सड़क है वहां आप वन उगाइए और पचास-पचास फुट सड़क के दोनों तरफ आप अगर वन उगायेंगे तो भी मेरे ख्याल में किसानों के लिए और उत्पादन के लिए फायदेमन्द होगा और इससे आपको भी नोन टैक्स रेवेन्यू आएगी। इससे हर तरह से लाभ है, आदिवासियों को है, आपको है। आपको चाहिए कि चाहे सहकारिता अभियान के अन्तर्गत, चाहे व्यक्तिगत रूप से लेकिन उनको फलदार वृक्षों का उत्पादन करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। भीरों पर कलमें लगावें, आम, महुवा, बेड़ा आंवला इन चीजों को उन्हें प्रोत्साहित करके पैदा करिए। अगर हमारे जंगल संरक्षित रहते हैं तो मेरे ख्याल में यह वर्षा के अन्दर भी जो न्यूनता और कमी आ रही है वह भी नहीं आएगी। और अगर दुष्काल भी पड़ते हैं जो इस तरह की क्लाइमेटिक डिसास्टर होता है और यह राजस्थान के अन्दर जो दो-दो वर्षों से अकाल पड़ रहा है, वह भी इसी का कारण है सम्भवतः। इसीलिए आपको मैं वार्निंग देता हूं, मैं आप को बार-बार कहता हूँ कि अगर जंगल साफ हो गए तो मेरे ख्याल में राजस्थान की वर्षा पर भी बहुत विपरीत असर होगा और आपको चाहिए कि जंगलों के संरक्षण के सम्बन्ध में आप उचित व्यवस्था करें, यही मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय। आपके कर्मचारी आज कल बिल्कुल अमीरों की माफिक जीपों का उपयोग करते हैं। वह पैदल चलते नहीं है तो पैदल चले बिना जीपों में तो जंगल या खोहों में नहीं जा सकते और जब वे वहां पर जायेंगे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ही नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा कि कहां क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होगा कि कहां पर नुकसान हो रहा है और कहां पैदावार हो रही है। यह आपाधापी सरकार की जो ठेकेदारों के मार्फत चलती है वह दिन–ब–दिन बढ़ती जाएगी और जंगलों का सत्यानाश और भी बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब में वन–जन्तुओं के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द निवेदन करूंगा। माननीय वन मंत्रीजी ने मुझे एक पेम्फलेट दिया है और इसको मैंने पढ़ा है। इसमें कई अच्छी बातें कही गई हैं लेकिन सबसे पहले मैं वन मंत्रीजी को यह सुझाव दूंगा कि वह पेम्फलेट जो है यह पर्यटकों के लिए है। इसके ऊपर आपने यह घेरे में चिकारे का दृश्य छापा है, चिकारे का चित्र छापा है। लेकिन यह चिकारा इम्मेच्योर है, बच्चा है। अगर हमको हमारी सेंक्चुअरीज का एडवरटाईजमेंट करना है तो हमको हमारे जो फाइनेस्ट स्पेसीज हैं बेस्ट फार्म में उनके चित्र छापने चाहिए। राजस्थान के अन्दर लाखों की संख्या में चिकारे हैं लेकिन अब तो बदकिस्मती से बीसियों की संख्या में ही रह गए हैं। इसमें जो आपने चिकारे का सींग बताया है वह करीब छः या सात इंच का सींग बताया है, इसको अगर आप १३ या १४ इंच का सींग बताते तो पर्यटकों को देखकर प्रसन्नता होगी और लोग कहेंगे कि राजस्थान के अन्दर कोई चीज है। आपने यह फोटोग्राफ इसके अन्दर दिया है वह फोटोग्राफ मेरे ख्याल में बच्चे का है बच्चे चिकारे का है, यह मेरे ख्याल में अपने राजस्थान के लिए शोभनीय चीज नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे चिकारे का जो हमारे यहां पर्यटकों को आकर्षित कर सके डेपिकट करना चाहिए, बताना चाहिए, तभी आपकी गेम सेंक्चुरीज की वेल्यू बढ़ेगी। और यह जो एक्सट्रेक्ट वगैरह बड़े कर्मचारियों के और पर्यटकों के आपने इसमें दिए हैं तो यह तो सब आपको कम्पलीमेंट हैं। वे आपकी प्रशंसा करेंगे ही। वे अगर आपके यहां मेहमान बन कर आते हैं तो आपकी प्रशंसा ही करेंगे, बुराई तो नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहे बुरा मानें या अच्छा, मुझे जो कुछ दिखता है, सच्ची बात कहता हूं और जो पर्यटकों के लिए जो ठीक बात हो सकती है वह आपको निवेदन करता हूं। आप अफ्रिका की सेंक्चुरी के सम्बन्ध में, गेम प्रिजर्वेशन के सम्बन्ध में आप लिट्रेचर मंगावें। अगर आप वहां के जानवरों की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वे जानवरों को किस स्थिति में बताते हैं।

सेंक्चुअरीज के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि पहले आप सेंक्चुअरीज को फेंस करें, हदबन्दी कायम करके फेंसिंग करेंगे तो संभवतः आपकी सेंक्चुअरीज के अन्दर अगर जो जानवर आज हैं, अगर सेंक्चुअरीज नहीं होती तो जो एक साल में मरते उसकी जगह आज चार साल में मरेंगे किन्तु अगर आप फेंस करेंगे, हरएक सेंक्चुअरी को तीन हिस्सों में विभाजित करेंगे और उन हिस्से में से दो हिस्सों को क्लोज करके एक हिस्से को खोलेंगे जहां पर कि मवेशी चर सकें तो इससे बड़ा फायदा होगा। मैंने सिरिस्का की गेम सेंक्चुअरी देखी है जहां पर सौ साम्भर हैं तो एक हजार भैंसें चरती हैं। अगर आप चराई से वनखण्डों को, वन जन्तुओं को चरागाह की माफिक रखेंगे तो उनको बिल्कुल तो आप बन्द नहीं कर सकते, जानवरों की भी समस्या है, यह डेमोक्रेसी का टाइम है; लेकिन फिर भी

Page No. 96

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लीस्ट लाइन ग्राफ रेजिस्टेंस ग्रडॉप्ट करते हैं, ग्रगर ग्राप वन जन्तुग्रों को संरक्षण देते हैं तो ग्राप इनको बढ़ा सकेंगे ग्रौर ग्रगर इनकी ढंग से व्यवस्था नहीं करते हैं तो वह ग्रापका पैसा ग्रौर ग्रापका प्रयास, किया नहीं किया, बराबर सा होगा ।

ग्रगर ग्राप इन सेन्क्चुरीज के एरियाज को बिलकुल बन्द रखेंगे तो मेरे खयाल में जंगली जानवरों की पैदायश भी होगी, वृद्धि भी होगी । उनको ग्राराम से रहने के लिए, शान्तिपूर्वक रहने के लिए कोई जगह मिलेगी । नहीं तो १०-१० दफा जगह तब्दील करते हैं तो वह कैसे रह सकते हैं ?

ग्रापको मैं यही ग्रपील करता हूं कि ग्राप जंगल का संरक्षण करें, लेकिन मुझे यह ग्राशंका है कि ग्राप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था पर हम विचार करते हैं तो ठेकेदार ग्रापको चन्दा देता है । ग्रगर कांग्रेस का ग्रधिवेशन हो तो ठेकेदार चन्दा दे, ग्रगर चुनाव हो तो ठेकेदार चन्दा दे, ग्रगर ऋषभदेव के ग्रन्दर कोई ग्रादिवासियों के हित के लिए कोई सम्मेलन हो तो सबसे ग्रागे ठेकेदार चन्दा दें तो मेरे खयाल से यह परमिट, कोटा, लाइसेन्स ग्रौर ठेकेदारी की जो व्यवस्था है इसका मैं कटु विरोध करता हूं, ग्रौर उसके साथ साथ इसी कारण को लेकर मैं इस मांग का भी विरोध करता हूं ।

यह सब कुकर्म जो सरकार कर रही है यह एक ऐसे भोले-भाले वनबासी को हथियार बनाकर जिन्हें ग्रापने वन मंत्री बना रखा है कर रही है । मुझे यह देखकर इस व्यवस्था पर दया ग्राती है ।

श्री ग्रध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) श्री गोविन्दसिंह ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : माननीय ग्रध्यक्ष, राजस्व की मांग पर मेरे ११ कटौती प्रस्ताव हैं । यह सही है कि समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि-सुधार कानून बनाकर काश्तकारों को राहत दी गई, ग्रौर काश्तकारों को इससे ग्रात्म-विश्वास मिला है, पर सरकारी कर्मचारी जो नियम, जो ग्रादेश ग्राप निकालते हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं, ग्रौर उसी कारण जिन काश्तकारों को ग्राप राहत देना चाहते हैं वह उनके पास ठीक ढंग से नहीं पहुंचता है । इसी विषय पर मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करूंगा ।

मैं इसके पहले, ग्रध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बना हुग्रा है उसके बारे में ग्रर्ज करूंगा । वह यह है कि पिड़ावा तहसील में ५२ से बन्दोबस्त का काम चला ग्रौर ग्राज ६६ तक भी बन्दोबस्त का कार्य पूरा नहीं हो सका । इसके कारण जो वहां के काश्तकार हैं उनको तकलीफ हो रही है । एक प्रश्न के द्वारा भी ग्रापको मालूम पड़ चुका है कि २०-२५ साल से जो कुछ खातेदार मर चुके हैं उनकी जमीनें ग्रभी तक उनके वारीसों के खाते नहीं बन्धी हैं । इसी प्रकार बपानिया गांव में जो कि जागीरदार का सारा गांव है उस गांव की सारी भूमि जागीरदार के खाते में है ग्रौर काश्तकार ही सारी जमीन पर सदा से खेती करते ग्राये हैं वह एक ग्रादमी के नाम खाते बन्धी

(श्री गोविन्दसिंह)

है तो दूसरे काश्तकारों को १०-१२ रुपये का खाता होते हुए भी ज्यादा सरचार्ज देना पड़ता है क्योंकि खाता उनके नाम नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार कम से कम यह घोषणा कर दे कि वह पिड़ावे में कब बन्दोबस्त की घोषणा कर देगी। जब से मैं इस विधान सभा में आया हूं सन् ६२ से लगातार मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं, लेकिन अफसोस है कि कार्यवाही सब हो चुकी है लेकिन वे कागज या तो सेटिलमेंट कमिश्नर के ऑफिस में घूमते फिरते हैं या रेवेन्यू बोर्ड में घूमते फिरते हैं। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार यह घोषणा कर दे कि वे १-२ महीने में इसकी घोषणा कर देंगे। उससे वहां के काश्तकारों को राहत मिलेगी और काश्तकारों को सरचार्ज को फायदा मिलेगा।

इसके छोड़ने के बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं तीन पंचायत समितियों को लेकर बोलूंगा कि जहां पर एलॉटमेंट के सिलसिले में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उनके ऊपर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष, ग्राम सांवतखेड़ा, पंचायत दाता तहसील (पिड़ावा) वहां का एक प्रश्न है। आज से तीन साल पहले वहां पर एक आदमी को जमीन एलॉट हुई थी। वह जो भूमि एलॉट हुई थी। उस समय एलॉटमेंट की मिटिंग में मैं भी मौजूद था एक उस आदमी को जमीन एलॉट की। उस जमीन पर उस आदमी ने खेती नहीं करके ऐसी जमीन पर खेती करने लगा जहां पर कि श्मशान व गांव था। आखिर लोगों में तनाव बढ़ा तो वे मेरे पास आये कि इस जमीन का क्या करें। मैं वहां गया और स्थिति को देखा और पूछा तो असलियत मालूम हुई वह भूमि उसको एलॉट नहीं थी। हमने तो दूसरी जगह एलॉट की थी। जब और तनाव बढ़ा तो विकास अधिकारी, प्रधान पंचायत समिति पिड़ावा, तहसीलदार भी वहां गये। उसको देखने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि यह जमीन इसको एलॉट नहीं की थी और इस आदमी ने दूसरी जगह खेती करली है। उसको हटाया जाये। आप चाहें तो तहसीदार पिड़ावा, प्रधान पंचायत समिति, पिड़ावा और विकास अधिकारी की रिपोर्ट को देख लें। उन्होंने साफ लिखा है कि इसको यहां से हटा दिया जाय। उसने कलेक्टर महोदय के यहां अपील की तो कलेक्टर महोदय अपना फैसला देते हैं कि क्योंकि यह गरीब आदमी है और इसने इन्वेस्टमेंट कर लिया है इस वास्ते इसको यही जमीन इसके खाते बान्ध दी जाये। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने किस अधिकार से वह जमीन उसके खाते बान्धी। खाते बांधने का अधिकार उसका नहीं है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर एक बीघा जमीन भी खाते नहीं बान्ध सकता है। कलेक्टर इस तरह के उलटे काम करते हैं।

ग्राम काली तलाई ग्राम पंचायत मोगरा पंचायत समिति झालारा पाटन के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर जमीन एलॉट हुई काली तलाई में तो जमीन एलॉट होते वक्त जो काबिल काश्त जमीन थी वह काली तलाई के काश्तकारों को एलॉट की और जो नाकाबिले काश्त जमीन थी वह मोगरा के आदमियों को एलॉट हो गई। तो इससे

(श्री गोविन्दसिंह)

झगड़ा पड़ा और इस हद तक झगड़ा पड़ा कि विकास अधिकारी, प्रधान और मुझे जाना पड़ा। काली तलाई के लोगों का कहना था कि जब मोगरा में काबिल काश्त जमीन थी तो तहसीलदार को क्या अधिकार था कि दूसरे गांव में नाकाबिल काश्त जमीन है वह ग्राम मोगरा के काश्तकार जिनके पास मोगरा में भूमि थी को एलॉट कर दें। तहसीलदार ने क्या किया कि जिन काश्तकारों को काबिल काश्त जमीन काली तलाई में एलॉट हुई थी उनको पट्टा नहीं दिया, और आज साल डेढ़ साल से वे बिना पट्टे के बैठे हुए हैं। न उनको पट्टा मिला है और न उनको कब्जा दिया है। जो काबिल काश्त जमीन थी और उस गांव के रहने वाले थे उनको एलॉट हो गई थी उसके बाद भी उनको पट्टा नहीं मिला और नाकाबिल काश्त की जमीन जो दूसरे गांव के लोगों को दी उसमें झगड़ा बढ़ा।

एक दर्दनाक किस्सा निवेदन करूं कि पंचायत समिति डग ग्राम पंचायत तलावली के गांव भाटखेड़ी वहां पर कुछ लोगों को जमीनें एलॉट हुईं। जब जमीनें एलॉट होना शुरू हुआ तो सरपंच मौजूद था और तहसीलदार मौजूद था। जो काबिल काश्त जमीनें थीं वह भाटखेड़ी के काश्तकारों को एलॉट हुईं नाकाबिल काश्त जमीनें जिस वक्त एलॉट करने लगे तो वहां के सरपंच ने आपत्ति की क्यों कि यहां पर चरनोट की कोई जमीन नहीं है इसलिए नाकाबिल काश्त की जमीन एलॉट नहीं होनी चाहिये। इस पर तहसीलदार ने उसको डाटा कि अगर तुम यह काम नहीं करोगे और यहां पर नहीं बैठोगे तो बरखास्त हो जाओगे। उसने उसकी परवाह नहीं की और वह सरपंच उठकर वहां से चला गया। वह नाकाबिल काश्त जमीन तहसीलदार ने सरपंच के जाने के बाद दूसरे गांव के आदमियों को एलॉट कर दी। १६ आदमियों को वह जमीन एलॉट कर दी तो एलॉट करने के बाद उसकी अपील हुई। नाकाबिल काश्त जमीन के एलॉटमेंट के लिए कलेक्टर से मन्जूरी मांगी तो एक महीने में जिन १६ आदमियों को जमीन एलॉट हुई थी उनको मन्जूरी दे दी और जिन व्यक्तियों को काबिल काश्त जमीन एलॉट हुई थी और जो उस गांव के रहने वाले थे उन आदमियों को पट्टे नहीं दिये गये। पट्टे भी क्यों देते ? जिन आदमियों को नाकाबिल काश्त जमीन एलॉट हुई और जिसके लिए कलेक्टर महोदय ने इजाजत दी तो जब पटवारी साहब और कानूनगो साहब जमीनों का कब्जा देने पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जमीनें नपवाना शुरू कर दिया तो जिन लोगों को जमीनें एलॉट हो चुकी थी काबिल काश्त उनकी तरफ से एतराज हुआ। जब विरोध हुआ तो अध्यक्ष महोदय, वह पटवारी और कानूनगो साहब वहां से चाय का बहाना करके गांव भाटखेड़ी में जाकर न जाने क्या बात की तो उन्हीं आदमियों ने जिनको नाकाबिल काश्त जमीन एलॉट हुई और जिनको पटवारी और कानूनगो ने भूमि नपवा दी थी। उनके व ग्राम भाटखेड़ी के काश्तकारों में वहां पर मारपीट हो गई तो वह इस हद तक हो गई कि एक आदमी मर गया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से झगड़ा कराकर जो नाकाबिल काश्त जमीन एलॉट नहीं होना चाहिए उसको तहसीलदार अपने मनमाने ढंग से एलॉट करता है और कलेक्टर से उसकी परमिशन होती है, जो भूमि नाकाबिल

Page No. 99

(श्री गोविन्दसिंह)

काश्त होती है उस जमीन पर कब्जा दिया जाता है इस तरह की बातें होती हैं और अधिकारी गण कुछ ध्यान नहीं देते हैं। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि एक कत्ल हो गया जिन्होंने मार पीट की उन्होंने बहुत बुरा काम किया उनके केसेज चल रहे हैं। मैं उन केसेज के मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस कलेक्टर ने, जिस तहसील दार ने बिना सरपंच की मरजी के विकास अधिकारी व प्रधान मौजूद नहीं था, उस क्षेत्र का एम. एल. ए. मौजूद नहीं था और सरपंचों की भी बिना राय से जमीनें तहसीलदार ने एलॉट की और कलेक्टर को रिपोट की तो उसने जमीनों को मन्जूर कर दिया और इस तरह से झगड़ा पैदा कर दें तो आप चाहे कितना ही अच्छा कानून बनायें वह उनको राहत नहीं देगा। आप चाहते हैं कि कानून बनायें जिससे भूमिहीन काश्तकारों को जमीन मिलेगी। और यह राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि इस तरह से राज्य सरकार झगड़ा करायेगी। मामला यहां तक पहुँचता है कि कत्ल हो जाता है। मैं समझता हूँ जिसकी वजह से एक व्यक्ति मरा है और जिसमें चालान हुआ है उसमें तहसीलदार और कलेक्टर का भी हाथ है। उस गांव में मैं खुद गया यह मालूम करने के लिये कि हुआ क्या है। मैंने वहां पर पूछा कि जमीन एलॉट कैसे हुई तब उन्होंने मुझ से कहा कि हमको तो मरवा दिया। उन्होंने हमसे कहा कि तुम २२) २२) रु० के हिसाब से दोगे तो जमीन एलॉट कर देंगे। उन्होंने कहा रुपये लाकर दो। २२) २२) रु० के हिसाब से १६ के ३५२) रु० होते हैं उन्होंने ३००) रुपये दिये और ५२) रु० जो बचे थे उनके बारे में यह शर्त हुई कि इनका शराब पी लेंगे। जिनको पट्टा मिलने वाला था उनको नहीं मिला और इस बिना पर रोका कि पहले रुपये दे दो। मेरे पास लिखित में मौजूद है जिसको मैं सदन की मेज पर रखूंगा। हम चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को और भूमिहीन काश्तकारों को जमीन मिले लेकिन यह साफ चीज है कि इस मामले में कलेक्टर और तहसीलदार का हाथ है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये।

एक उदाहरण मैं पंचायत सरोद का दूंगा। वहां पर पंचायत ने जमीन एलॉट की लेकिन दूसरे सरपंच ने कह दिया कि यह जमीन एलॉट न की जाय और नोट लगा दिया कि विकास अधिकारी और एम. एल. ए. जाकर जमीन देखें। मैं खुद देखने गया। देख कर आने के बाद मैंने कहा कि देख आया हूँ, एलॉट करदो तो तहसीलदार ने कहा कि नोट लगा हुआ है उस पर राय लिखनी होगी। मेरे पास वे आदमी आये कि अब तक उनको वह जमीन नहीं मिली है तो मैंने तहसीलदार से कहा कि फायल लाइये मैं लिख देता हूँ तब उन्होंने मुझ से कहा कि उसका तो फैसला हो गया वह जमीन तो दूसरों को चरनोट में एलॉट कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक जमीन जिसे एक पंचायत एलॉट कर चुकी है उसी को दूसरी पंचायत एलॉट कर दे यह कहां तक वाजिब है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह नियम बनाया कि जिन काश्तकारों ने अपनी जमीन पर मकान बना लिये हैं उनको रेगुलेराइज कर दिया जाय। रेगुलेराइज करने में तहसीलदार पचपहाड़ ने मनमानी की है। इस तरह के मकानों को

(श्री गोविन्दसिंह)

जब रेगुलेराइज करने का प्रश्न आया तो तहसीलदार कहता है कि फीस देनी पड़ेगी नहीं दोगे तो मवेशी बिका दूंगा । हर एक काश्तकार इज्जत वाला होता है वह नहीं चाहता कि उसके मवेशी बिक जायें या जमीन नीलाम हो जाय इसलिये उन्होंने रुपये दे दिये ।

अध्यक्ष महोदय, एक और किस्सा ग्राम पंचायत आवर का मैं बताना चाहता हूँ । वहां पर भू-राजस्व की भूमि गांव से लगी हुई जो भूमि है उसको सरपंच आबादी में कनवर्ट करवाना चाहता था । लेकिन वहां पर चार आदमियों ने नाजायज तौर पर चार दुकानें बनालीं और तहसीलदार ने उनको रेगुलेराइज कर दिया । तहसीलदार ने किस कानून से रेगुलेराइज कर दी ? कोई आदमी अपनी जमीन पर या पंचायत की जमीन पर मकान बनाता है तो रेगुलेराइज करते है लेकिन दुकानों के लिये कभी रेगुलेराइजेशन नहीं होता । ऐसे चार पांच केसेज हैं । मैं चाहता हूँ कि इन मामलों की गम्भीरता से जांच कराई जावे और जो आदमी दोषी हैं उनको दण्डित करें ।

अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर भूमि का नाप पुरानी तीन अलग अलग रियासतों में प्रचलित जरीब के नाप से होता है । सुनील टप्पा में एकड़ से होता है, पचपहाड़ में, झालावाड़ में, झालावाड़ की नाप से १३ बिस्वे का बीघा और पिड़ावा में अलग २० बिस्वे के बीघा से नाप होता है । एक जगह १६५ जरीब के हिसाब से माना जाता है और झालावाड़ में १३२ जरीब से माना जाता है । एक गांव में तो १५ बीघा १६५ की जरीब के हिसाब से नापा जाकर एलॉट होता हैं और दूसरी जगह १३२ के हिसाब से एलॉटमेन्ट होता है । कम से कम ऐसा तो कर दिया जाय कि जमीन का एलॉटमेन्ट स्टेन्डर्ड नाप से हो ।

दूसरा प्रश्न चरनोट का है । जिला झालावाड़ में मालवी नस्ल की गायें और बैल मिलते हैं । पहले ऐसा था कि एक काश्तकार की एक जोड़ी बैलों के लिए ३ बीघा जमीन चरनोट के लिये छोड़ दी जाती थी । आज हम जो चरनोट के लिये जमीन दे रहे हैं वह १३२ जरीब के हिसाब से दे रहे हैं । मैंने मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन किया था और मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिया था । मैंने झालावाड़ में जाकर इसकी सूचना भी लोगों को दे दी थी, बार बार लोगों से कहा था कि यह काम हो जायगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मन्त्री का आदेश कहां रुक गया । मेरा निवेदन है कि मालवी नस्ल की मवेशियों को चराने के लिये चरनोट का इन्तजाम होना चाहिये ।

सुनेल का इलाका पहले मध्यप्रदेश में था अब वह हमारे यहां आ गया है लेकिन उसके कुछ कागजात अब भी मध्यप्रदेश में पड़े हैं । कुछ जागीरदार मिले थे उन्होंने बताया कि उनके कागजात मध्यप्रदेश में पड़े हैं उनमें काफी असंतोष है इस बात का कि उनके जो एसेटस थे वे तो अभी तक नहीं दिए गए और लाइबलिटीज के लिए कलेक्टर मंदसौर नोटिस देता है तो उसकी रकम उन्हें जमा करानी पड़ती है यदि राज्य सरकार को उनमें रुपये लेने हैं तो जो रेकार्ड मध्य प्रदेश में पड़ा है वह यहां मंगाया जाय और उसकी जांच कराई जाय और जब तक वहां से

(श्री गोविन्दसिंह)

रेकार्ड नहीं आ जाय तब तक मध्यप्रदेश से रुपये मांगने के लिये जो कागज आवें उनको रोक दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो तीन कटौती प्रस्ताव वन पर हैं ! राजस्थान सरकार ने एक टारगेट बनाया है कि इतना प्लान्टेशन लगाना है ।

(२. ४५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुत अच्छी बात है प्लान्टेशन लगाइये । लेकिन जैसा हम कहते है कि एग्रीकल्चर फार्म में नुकसान होता है, एग्रीकल्चर फार्म होना चाहिये रेल, रोड़ पक्की सड़क और शहर के नजदीक होना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं बीच में यह कहना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य चाहें कि एक या दो पूरे तौर से सब विषयों पर बोललें तो ठीक रहेगा । पार्टी के तौर पर सिबोलिकली जैसा कल किया था उसी तरह से बोल लें नहीं तो दो दो मिनिट में पूरी बात नहीं कही जा सकती । तादाद भले ही बढ़ जाय लेकिन पूरी बात नही कही जा सकती ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कल की तरह से ही किया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह : फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से जहां पर प्लान्टेशन किया गया है, झालावाड़ में जहां जहां पर पेड़ लगाये हैं वहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि इसकी उपयोगिता है या नहीं । पक्की सड़क के पास और शहर के नजदीक है इसी बिना पर जगह पसन्द करली है जहां वन विभाग के अधिकारियों की जीपें जा सकें । झालावाड़ में एक मानपुरा गांव है वहां पर १४ हजार रुपये खर्च करके प्लान्टेशन लगाया वहां पर आज कोई जाकर देखे तो उसको पता लगेगा कि वहां पर तार लगे हुए हैं उसके सिवाय कुछ नही है और वे तार भी अब टूट गये हैं । जो प्लान्टेशन की स्कीम बनायें वे सोच समझ कर काम करें तो अच्छा है पंचायत समिति डग में हजारों लाखों की तादाद में चंदन के पेड़ों का वन है । यदि फोरेस्ट विभाग वाले इन चंदन के पेड़ों की रक्षा करलें जो कुदरतन वहां पर पैदा होते हैं तो सरकार की आय बढ़ेगी और साथ ही साथ प्लान्टेशन का लक्ष्य भी पूरा हो जायगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्लान्टेशन सोच समझ कर करें । ऐसा न हो कि जो पैसा खर्च किया जाय वह व्यर्थ चला जाय ।

राजस्व के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना मैं भूल गया था वह यह है कि पिड़ावा तहसील में कुछ जमीन मकबूजा सरकार के नाम चली आ रही है । पुराने जमाने में अकाल पड़ गया होगा तब काश्तकार अपनी जमीन छोड़ कर भाग गये थे । जमाना ठीक हुआ तब वापिस आ गये वह जमीन उनको वापिस मिल गई उन्होंने बकाया लगान जमा करा दिया । आज तक उनके लड़के पोते काश्त करते आये हैं लेकिन वह जमीन सरकार के नाम लिखी हुई है । जमीन उनकी है पैसा वे देते हैं, काश्त करते हैं फिर

(श्री गोविन्दसिंह)

भी मकबूजा सरकार क्यों दर्ज की जाती है। इतना कह कर जो तीन चार बातें मैंने निवेदन की हैं उनके बारे में आशा करता हूँ कि आप ध्यान देंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंड देंगे।

श्री दयाचन्द सोन (बारां मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान कृषि प्रधान देश है इसलिये राजस्व विभाग से किसानों को जितनी ज्यादा सहायता मिले उतना अच्छा है, लेकिन होता यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि उल्टा असर पड़ता है। हमारे कोटा जिले में देखा जाय तो बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं और यहां की भूमि के एलॉटमेन्ट का जो सिस्टम है यदि देखा जाय तो एक तरीके से गलत है क्योंकि जिस वक्त वहां के काश्तकार भूमि के अलॉटमेंट के लिए फार्म लेते हैं तो पटवारी के पास जाते हैं नम्बर वगैरह की जानकारी करने के लिए तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पटवारी उनको सही रास्ते से नहीं बताता है। तो पहली समस्या तो यह नम्बर लेने की है क्योंकि पटवारी टालमटोल करता है। अब या तो पटवारी को पांच पच्चीस रुपये का नजराना दे दो, उसको नजर कर दो तब तो वह सीधे रास्ते से नम्बर दे देगा वरना काश्तकारों के लिए बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जाती है, न तो वह उनके पास पांच पच्चीस रुपये इकट्ठे हों और न वह नम्बर लेकर फार्म ही भर सकें। यदि इधर उधर से मांग मूंग कर पैसे की व्यवस्था भी कर लें तो भी मुश्किल से ही नम्बर उनको मिलता है। उसके बाद वह फार्म भर कर देते हैं और अलॉटमेंट कमेटी के बैठने का नम्बर आता है, जब अलॉटमेंट कमेटी बैठती है उसमें उसको अगर जमीन मिल जाय तो ठीक है नहीं तो उनके पैसे भी बट्टे खाते चले जाते हैं। मैं यह व्यवस्था कराना चाहूंगा कि या तो पंचायत लेवल पर जमीन के नम्बर या फिर तहसील में जमीन के नम्बर नोटिस बोर्ड पर चिपका दें जिसको काश्तकार देख लें कि इतने २ नम्बर की जमीन पड़ी है, इतनी जमीन बेकार पड़ी है और वह जिस नम्बर की चाहे वह फार्म में भरकर दे दें तो उनके लिए एक सीधा रास्ता निकल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो मिनिस्टर वगैरह हैं, जो हमारे क्षेत्र में जाते हैं राजस्व वगैरह के, वह हमारे क्षेत्र में चार पांच बार हो आये हैं लेकिन हम लोगों से नहीं मिलते हैं। अगर वह हम लोगों से नहीं मिल लें तो हम हमारे इलाके की दिक्कत उनके सामने रख दें। लेकिन जब वह जाते हैं तो सिवाय इस काम के कोई काम नहीं करते कि बड़े बड़े आदमियों के यहां तो ठहरना और पार्टीबाजी के, गुटबाजी के काम करना। उनको यह ध्यान नहीं होता है कि जो गरीब लोग इस इलाके में हैं उनसे मिल कर उनकी बात को सुनें। अरे जब हम लोगों से वह मिलना पसन्द नहीं करते तो उन गरीब लोगों से क्या मिलेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप खुद ही बता सकते है।

श्री दयाचन्द सोन : अरे ! आप बैठे रहिये। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप वकील हैं। लेकिन हमें अपने विचार कहने दें। आप बीच में उचक उचक क्यों करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी बात का जवाब देकर समय गंवा रहे हैं।

Page No. 103

श्री दयाचन्द सोन : इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि बडुआ गांव है पचना तहसील में, वहां पर बीसों बर्षों से बीस पच्चीस चन्दन के वृक्ष थे, वह बहुत कीमती थे और उनका बढ़िया चन्दन वैसे मैं नहीं जानता कि वह कौनसा चन्दन था लेकिन वहां पर बीस पच्चीस वृक्ष थे चन्दन के लेकिन वह पेड़ साल दो साल के अर्से में गायब हो गए। उनकी शिकायत हमने राजस्व विभाग के मिनिस्टर और जिलाधीश वगैरह को की लेकिन पता नहीं क्या हुआ ? मैंने अपने इस सम्बन्ध में क्वेश्चन पूछा लेकिन पता नहीं कि सरकार क्यों मौन रहती है ? अगर उन पेड़ों की कीमत आंकी जाय तो उनकी कीमत पचास हजार के करीब होगी। लेकिन वह जो पेड़ गायब हो गए हैं।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूँगा माननीय सदस्य से कि उन्होंने जो कुछ कहा, वहां पर जो चन्दन के दरख्त थे उनको काट कर ले गए हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही, मैं जानना चाहूंगा कि वह फोरेस्ट एरिया में थे या फोरेस्ट के बाहर। फोरेस्ट एरिया के बाहर थे तो उनको अभी रक्षित नहीं माना है, वहां फोरेस्ट विभाग का कंट्रोल नहीं होता है ?

श्री दयाचन्द सोन : नहीं नहीं, वह राजस्व का है। आप चिन्ता मत करो। आप जान जाओगे कि यह फोरेस्ट का है या राजस्थान का है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : फोरेस्ट के वृक्ष काटे जाते हैं–यह जानने को मन्त्रीजी इच्छुक हैं, तो मैं उनको विजयपुर की याद दिलाना चाहता हूं। वहां से सैकड़ों पेड़ चन्दन के काट कर ले गए हैं और उनको प्रोटेक्शन मिला है। आप वहां छानबीन कर सकते हैं और आपको जरूर केस मिलेगा।

श्री भीखाभाई : इस मामले में आपके हुक्म के माफिक जानकारी करा दी थी और सैटिस्फेक्शन करा दिया था। विजयपुर में राजस्व विभाग की जमीन है।

श्री दयाचन्द सोन : अरे ! आप बैठिये। तो ये चन्दन के पेड़.......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपकी आपके विभाग के सामने चलती नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : बीस पच्चीस चंदन के पेड़ काटे गये जो वहां चले थे और बीस साल से लगे चले आ रहे थे। लेकिन उनको जिन लोगों ने काटा है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आपने नहीं की है। जिनके पास आज भी मौजूद है उनके खिलाफ कोई पटवारी को जानकारी है लेकिन उसको फांस रखा है। एक ताल्लुकेदार है नूर मोहम्मद उसके पास अब भी पच्चीस तीस किलो चन्दन है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी बड़े बड़े मिनिस्टरों और नेताओं के पास पहुंच है और उनका आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जमीन का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी हैं वह आज भी पीड़ित हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं उनके पास तो कोई जमीन है ही नहीं। अपने जीवन को चलाने के लिए वह लोग

(श्री दयाचन्द सोन)

छोटे मोटे काम कर लेते हैं, और उनके पास न तो इतना पैसा है और न इतने साधन हैं कि जमीन पर लगा सकें। और जब अलाटमेंट का प्रश्न आता है, जैसे आपके चम्बल एरिया में जो जमीन है, उसका कोलोनाइजेशन के द्वारा नीलाम किया जाता है और एक एक बीघा जमीन के दो सौ, तीन सौ रुपये नीलाम में मिलते हैं। अब अगर कोई हरिजन या छोटा आदमी होता है वह जमीन खरीदना चाहे तो वह खरीद नहीं सकता है और मिनिस्टर साहब उन लोगों का ध्यान रखते नहीं हैं। लेकिन आप जमीन नीलाम कर देते हैं। अगर उन गरीबों से आपकी बड़ी हमदर्दी है तो सही तरीके से जमीन का एलाटमेंट हो सकता है, उसमें कोई आपको दो लाख, तीन लाख, चार लाख का नुकसान नहीं होगा। अगर आपको उन्हें जमीन दिलानी है तो आप चम्बल कमान्ड एरिया में जमीन दिलवा दें और साथ ही उनकी सहायता भी कीजिए, उनको लाभ दिलवाइये, बैल वगैरह के लिए तकावी दिलवाइये तब तो आप उनका भला कर सकते हैं नहीं तो ढिंढोरा पीटते रहिये और कुछ कहते रहिये कि यह राजस्व विभाग करता है और वह नहीं हो सकता।

कोटा जिले के अन्दर जो सीलिंग का सवाल है, वहां २५ एकड़ रखा है वह ५५ बीघा के करीब होता है जब कि गंगानगर में आपने तीस एकड़ रखा है जो ७५ बीघा के करीब होता है। समझ में नहीं आता कि कोटा से आपको क्या दुश्मनी है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : २५ बीघा है, एकड़ नहीं....

श्री दयाचन्द सोन : मैंने तो पहले ही कह दिया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा जानते हैं।

तो मैं मांग करूंगा कि कोटा जिले का भी वैसा ही सीलिंग रखा जाय। वहां मिनिस्टर साहब गये थे और जिला परिषद में लम्बा-चौड़ा भाषण दे आये थे, उन्होंने दुनिया भर की बातें की थीं। मैं कहता हूं कि आप वहां पर तीन चार बार हो आये, आप एक बार भी हमें बुलाकर बात करते तो हम आपको सारी दिक्कतों की जानकारी दे देते। आप कोई छोटी कौम का लाभ करना चाहें भाषण बाजी से तो आप भला नहीं कर सकते। यदि आपके दिल में उनके लिए बड़ा दर्द है और बड़ा प्रेम है तो मैं कहूं कि आप इस साल में यह करके दिखायें कि जो चम्बल कमाण्ड एरिया में जमीन नीलाम कर रहे हैं वह छोटी कौम के गरीब लोगों को दिलवा दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): वह छोटी कौम कौनसी है ?

श्री दयानन्द सोन : तब तो मान सकते है कि आप कुछ उनके लिए करने वाले हैं।

श्री विजयसिंह झाला : विजयसिंह वाली।

श्री दयानन्द सोन (बारां) : और उस जमीन को आप नीलाम के जरिये से मत दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई - अपने को छोटा क्यों मानते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : भीखाभाई छोटे हैं इसलिए छोटी कौम है।

श्री दयाचन्द सोन : बारों तहसील ऐसी हैं जहां पर २० हजार बीघा जमीन बेकार पड़ी है झाडोला, गूंगवा वगैरह गांव है जहां तीन चार हजार बीघा जमीन ऐसी है जो बेकार पड़ी है। वह जमीन आप छोटी कौम के लोगों को दीजिये। उनकी एप्लीकेशन कलैक्टर को दी है और एस. डी. ओ. ने भी कहा कि यह जमीन बेकार पड़ी है इसको उनको एलाट करना चाहिए। लेकिन साल भर हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं स्वयं भी मिला था। और वह लोग जयपुर भी आये थे। लेकिन उनके पास इतना नामा नहीं है कि बार बार जयपुर आयें और कलेक्टर के पास आयें। उनको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। वह काम करें तो दो चार रुपये कमा सकते हैं और अपना गुजारा कर कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह छोटी कौम के लोगों का भाषणबाजी से भला करने की कोशिश न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अपने को छोटा मत कहिये। छोटे नहीं हैं, बराबर हैं।

श्री दयानन्द सोन : बराबर हैं तो आपके और हमारे सम्बन्ध हो जायं। केवल यहां बैठ कर ही बात न करें।

श्री विजयसिंह झाला : very very good !

यह आपसे सम्बन्ध करने को तैयार हैं। दरअसल कांग्रेस का यह सिद्धांत भी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके साथ सम्बन्ध करने से ही आप छोटे नहीं रह जायेंगे, बड़े हो जायेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल हो जायेंगे। आप तैयार हो जाइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम जन संघियों से कैसे सम्बन्ध कर सकते हैं? कांग्रेसी का कांग्रेसी से सम्बन्ध हो सकता है। जनसंघी से नहीं हो सकता है। जनसंघी से नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपकी पार्टी में कर लें।

श्री दयानन्द सोन : मैंने फोरेस्ट के बारे में पिछली बार दो चार बातें रखी थीं। वहां अकाल के टाइम पर घास आई थी उस वक्त उसमें काफी गड़-बड़ घोटाले हुए हैं। यहां तक हुआ कि जो रेल्वे के मजदूर थे उनसे दस रुपये की रसीद ली, जब कि उनको दस दस रुपये देने चाहिए थे लेकिन उनको चार-पांच रुपये देकर टहला दिया।

(३ म० प०)

और उनसे पूरी रसीदें ले लीं। मजदूरों ने इस बात को एस. डी. ओ. के सामने स्वीकार किया कि उनको चार चार रुपये दिये गये और दस दस रुपयों की रसीदें ली गई। इसके अलावा टैन्डर वगैर से माल लिया। दो दो ढ़ाई ढ़ाई रुपये बेकार गये। इसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि हम आपके सामने उन बातों को रखें

(श्री दयाचन्द सोन)

और आप उनको सुने नहीं। आखिर किन्हीं ओफिसरों ने गलती की है तो आपको उसे सस्पेन्ड करना चाहिये। वास्तव में होता यह है कि बड़े बड़े आफिसर्स डकारते हैं और छोटे छोटे ऑफिसरों को चार्ज शीट दे दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में सही जानकारी करके बतावें।

आपके जितने भी प्लान्टेशन लगे हुए है उनकी तरफ आप देखें तो आप को मालूम होगा कि उनकी क्या स्थिति है। कोटा में एक माना हुआ जंगल है और वहां से आपको बड़ी भारी आमदनी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप वहाँ पर जंगल को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि एक पेड़ की कीमत ५०० की है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि वहां पर एक-एक डाली पर नोट लटक रहे हैं। मगर सरकार को उसका अनुभव नहीं है कि वह उन डालियों पर लगे हुए नोटों को निकाल लें। मेरे को वहां के जंगलों का तजुर्बा है। वहां पर लाखों रुपयों की सालाना पैदावार हो सकती हैं। स्टेट के जमाने में लाखों आदमी जंगल से पलते थे। अब यह विभाग इन मन्त्रीजी के हाथ में आया है। इनके दिमाग में भगवान जाने क्या भूसा भरा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)।

मैं अभी बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : घंटी बज चुकी है।

श्री दयाचन्द सोन : घंटी बज गई तो क्या हुआ ! मैं अभी बैठा नहीं हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूँगा माननीय मन्त्रीजी से कि वें इस जिले में चार पांच आदमियों की समिति बना दे जो सही सुझाव दे जिससे ये जंगल बरबाद न हो और लोगों को रोजगार मिलता रहे। बस इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग पर दो कटमोशन रखे हैं और उनके जरिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारे रेवेन्यू लॉज इतने कम्पलीकेटेड हैं और उनसे काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादतियें होती हैं। इन लॉज को सिम्पलीफाई करने के लिये एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई। सरकार ने उस रिपोर्ट को देखकर कुछ संशोधन प्रस्तुत किये और उससे कुछ कठिनाइयें काश्तकारों की दूर करने की कोशिश की। परन्तु समय समय पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर संशोधनों के कारण उनको समझने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में बहुत दिक्कत आती है। टीनेन्सी एक्ट सन् १९५५ में बना और लैंड रेवेन्यू एक्ट १९५६ में बना। और सरकार ने काश्तकारों की कठिनाइयों को देखते हुए भिन्न भिन्न समय में कई संशोधन प्रस्तुत किये और कई धाराओं का संशोधन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने इन कानूनों में संशोधन किये है, उनको देखते हैं तो उससे जाहिर होता है कि संशोधन की संख्या बहुत अधिक है। सन् ५६ में कई संशोधन हुए, सन् ५७ में भी कई संशोधन हुए, ५८ में हुए और ६२ तक संशोधन इतने हो गये कि मेन एक्ट को और संशोधनों को आपस में पढ़ते हैं तो बहुत कन्फिलक्ट और एम्बीग्वीटीज पैदा हो गई और काश्तकारों में और किसानों में ऐसी धारणा पड़ गई कि सन् १९५५ में एक्ट बना था अपूर्ण था और वह यू. पी. और पंजाब के एक्ट को लेकर बना था और हमारे यहां पर भिन्न भिन्न स्टेटों में अलग अलग रूल्स थे। यहां का जो सिस्टम था उसको देखकर वह कानून नहीं बनने से दिन प्रतिदिन कठिनाइयां उपस्थित होने लगीं और ज्यों ज्यों कठिनाइयें उपस्थित होती गईं उनको देखकर हम कानून को देखें तो काश्तकारों की वास्तविक कठिनाइयें दूर नहीं हुई हैं। हम यह देखते हैं कि रोजाना काश्तकार छोटे मुद्दों को लेकर लॉ कोर्ट में जाते हैं और उनका काफी पैसा और समय बरबाद होता है। आप चाहें खातेदारी के कानून को ले लें सब में यहीं हाल है। अलॉटमेंट को ले लें, सेटलमेंट के मुद्द हैं उनको ले लीजिये सब में काश्तकारों को परेशानियां होती हैं।

जिस समय सेटलमेंट ऑपरेशन चालू होता है हमने देखा है कि जिस समय सर्वे होती है उस समय जिस व्यक्ति की जमीन होती है—मगर वास्तव में कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का दर्ज हो जाता है— क्योंकि हमारे उधर जमीन को दो साल और किसी जमीन को तीन साल तक पड़त रखनी पड़ती है और उस दौरान में सेटलमेन्ट होने के फलस्वरूप दूसरे लोगों के नाम जमीन दर्ज हो जाती है और किसानों को कोर्ट में जाना पड़ता है। वास्तव में यह देखना बहुत जरूरी होता है कि आया वास्तव में राइट एक्रू होता है या नहीं। मगर यह देखा नहीं जाता है और अधिकारियों को, अमीनों और पटवारियों व सर्वे एसिस्टेन्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को इसके लिये हिदायत नहीं होने के कारण यह सेटलमेंट जिस समय हुआ उस समय बहुत ही भयंकर भूलें हुईं। जिस जमीन पर सैकड़ों वर्षों से जो काश्तकार काबिज हैं और अगर उस साल उसने उस जमीन में काश्त नहीं की है तो उसकी एन्ट्री नहीं होने की वजह से काश्तकार को उस जमीन से महरूम रहना पड़ेगा और काश्तकार अशिक्षित होने के कारण उजरदारियें नहीं कर सकता। फयूडल लॉर्ड्स के समय से वे यही सोचते थे कि जमीन तो लैन्ड लोर्ड की है मगर हम खेती करते हैं इसलिये हमारा कब्जा उस पर साफ है। इस कारण से काश्तकार का पजेशन दर्ज नहीं हुआ और रिजिड रूल्स की वजह से और किसानों के अशिक्षित होने के कारण आज सैकडों लोगों को अदालत में जाना पड़ा है। हालां कि अब सेटलमेंट ऑपरेशन बन्द हो गया है, लेकिन फिर भी उजरदारियां १०–१२ वर्षों से दाखिल दफ्तर हो गईं और उसके कागजात एस०

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डी० ग्रो० को कुछ मिले ग्रौर कुछ नहीं मिले ग्रौर उससे काश्तकार परेशान हो गये हैं। इन काश्तकारों की मुसीबत को देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि रेवेन्यू लॉज में मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि किसी गलत कारण से या भूल से गलत दर्ज भी हो गई हो तो उसके लिये काश्तकार को दुरुस्त कराने के लिये कोई प्रावधान होना चाहिये। किसी काश्तकार की लड़ाई करने की सामर्थ्य नहीं हो ग्रौर वह ग्रदालत में नहीं जा सकता है, वह इतना गरीब है कि वह पैसा खर्च नहीं कर सकता तो उसके लिये कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि वगैर खर्च के ग्रौर लड़ाई के वास्तव में खातेदारी राइट्स जिसके हों उनको मिलने चाहिये। जिनको मौजूदा कानून के कारण वे लूज कर देते हैं। लोगों की फाइनेन्शियल कन्डीशन ठीक नहीं होने के कारण मुझे मालूम है कि हमारे उधर कई काश्तकारों के राइट्स सेफगार्ड नहीं रह सकें हैं ग्रौर जिन जमीनों पर सैकड़ों वर्षों से काश्तकारों का कब्जा था दूसरों को खातेदारी राइट्स मिल गये हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इन कानूनों में जो वीक सेक्शन्स हैं, उनके नीचे प्रोटेक्शन देने के लिये राज्य सरकार की तरफ से सेफगार्ड होना चाहिये कि ग्रगर गलत इन्दराज हुए हैं तो थोड़े खर्चे से इन्दराज सही हो जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट ग्रॉपरेशन्स जो हुए थे उनके रेकर्ड को मंगा कर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि सेटलमेंट ग्रॉप–रेशन्स में बहुत भूलें हुई है, जो उस समय सेटलमेंट ग्रॉपरेशन्स हुए थे उनमें भूलों के कारण ३५ परसेंट रद्दोबदल हो चुकी है। ग्रब जो दुबारा सेटलमेंट ग्रॉपरेशन्स होंगे वे पहले सेटलमेंट ग्रॉपरेशन्स के २० साल बाद होंगे, इसलिए भी यह ग्रत्यावश्यक है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

इसके ग्रलावा इस लॉ को सिम्प्लीफाई करने के लिए जो रेवेन्यू लॉज कमिशन की सोच विचार के बाद रिपोर्ट हुई है उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगता है। पीस मील्स में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे किसानों को जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। ग्रलॉटमेंट जो १५ बीघा का करते हैं उसमें परिवर्तन करने की ग्रावश्यकता है। जिले जिले की प्रोब्लेम्स को देख कर, वहां सोइल की क्या कन्डिशन है, कितना ग्रलॉटमेंट इकोनोमिक होल्डिंग होगा, यह सब देखकर ग्रलॉटमेंट के नियमों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। १५ बीघा पर जो किसान बैठा हुग्रा है, उसको कोई मशीन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती, न कोई ग्रौर प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं जिससे कि वह प्रोडक्शन बढ़ा सके। इस प्रकार भूतकाल में भी प्रोडक्शन गिरा है ग्रौर भविष्य में भी यदि रेवेन्यू लॉज को सिम्प्लीफाई नहीं करेंगे तो ग्रवश्य प्रोडक्शन गिरेगा। रेवेन्यू लॉज कमिशन की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, वह बहुत सुन्दर है, उसमें लोगों की भावना को देखा है पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सिफारिशें हैं, रेवेन्यू लॉज को सिम्प्लीफाई करने की या ग्रौर परिवर्तन करने की, उनको खड्डे में डाल दिया गया है। सेक्शन १५ ग्रौर १६ में कुछ संशोधन किए हैं, कुछ राइट्स किसानों को दिये हैं खातेदारी के सम्बन्ध में पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एस. डी. ग्रो. के यहां सूट करे, रेवेन्यू लॉज के जो संशोधन हुए हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सब एक जगह नहीं होने से वकीलों को भी पता नहीं चलता है कि क्या क्या संशोधन हुए है। इसलिये रेगिस्तान के इलाकों में दस साल के अलॉटमेंट स्थगित कर रखे हैं, वहां रखा है कि रेगिस्तान के विकास की स्कीम की रिपोर्ट आयेगी, वह रिपोर्ट आ गई है, पर अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रेगिस्तानी इलाकों में १० साल तक के अलॉटमेंट करने चाहिये, सालोसाल अलोटमेंट करने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि १० साल के लिए अलोटमेंट ऐसे इलाकों में हो और मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि अलाटमेंट होने के बाद में कार्यवाही स्लिप शोर्ट वे में होती है, पजेशन किसी का होता है और रेकर्ड में कुछ और ही लिखा होता है और डिस्प्यूटेड लैंड पर अलोटमेंट कर दिया जाता है। डिस्प्यूटेड लैंड पर अलोटमेंट कर देने से वर्षों तक झगड़े चलते रहते हैं और गरीब लोग मुकदमे बाजी में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि अलोटमेंट जो किसानों को किया जाता है वह पजेशन हटा कर अलोटमेंट करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये अपने यहां का उदाहरण रखूंगा। फगुल बनाम मथुरापुरी को हमारे यहां पजेशन दिला दिया, अटेचमेंट होकर हजारों रुपया फगुल अदालत में पड़ा हुआ है। या तो अलोटमेंट करके काश्तकारों को पजेशन नहीं देते हैं तो इस प्रकार किसानों की बर्बादी करते हैं। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने)
(के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल कटारा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.): माननीय उपाध्यक्षजी, अभी हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस चल रही है, यह चर्चा काश्तकारों के हितों के सम्बन्ध में चल रही है। आज हमें यह देखना है कि हम काश्तकारों को कहां तक राहत पहुँचा सके हैं, हमारी सरकार में बैठे हुए लोग और कांग्रेसी नेता जो कि आजादी के पूर्व कहा करते थे वे आज अपने आप जानते हैं कि हमने काश्तकारों को किसी प्रकार की राहत देने की बनिस्बत किसानों को परेशानी में डाला है। आज आपका उत्पादन इस राजस्व विभाग के अन्दर दिन दिन घटता जा रहा है। एक तरफ उत्पादन घटता जा रहा है और दूसरी तरफ आप लगान बढ़ाते जा रहे हैं, इस विषय में सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये और देखना चाहिये। जब एक तरफ आप आन्दोलन मचा कर कहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना चाहिये, काश्तकारों को राहत देनी चाहिये पर दूसरी तरफ आज हम किसानों को न समय पर जमीन उपलब्ध करा सकें, न हल समय पर दे सकें, न बैल समय पर दे सकें तो यह सोचने की बात है कि कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। आज आप 'जय किसान' का काश्तकारों के लिये नारा लगा कर उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं पर इन हालात को देखते हुए किसान आगे बढ़ने में असमर्थ है। काश्तकारों पर आज नाना प्रकार के टैक्स हैं। जो 'नौ तोड़' का कानून आपने पास किया है उससे आपने किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है आपके इस नौतोड़ के

(श्री विजयपाल कटारा)

कानून के जरिये किसानों को नुकसान हुआ है।

आज काश्तकार महसूस करता है कि यह सरकार गांधीजी के सिद्धान्तों की दोहाई देती है पर यह गांधीजी के सिद्धान्तों की दोहाई दे कर चलने वाली सरकार गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलती नहीं। गांधीजी ने गरीब काश्तकारों के लिये कहा था कि जो काश्तकार गांवों में जंगलों में बसे हुए हैं उन पर धीरे धीरे लगान कम करना है। यह गांधीजी की पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गरीब जनता गांवों में जंगलों में, पहाड़ों में रहती है, जिनके पास पांच–पांच, दस–दस बीघा जमीन है और उसमें मक्का आदि बोकर अपना भरण-पोषण करती है, उनका लगान धीरे–धीरे माफ करना चाहिये। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके जरिये इस सरकार को कि आज उसने गरीब जनता को गरीब काश्तकारों को नाना प्रकार के पशोपेश में डाल कर किसी तरह जिंदा रहने तक की समस्या उनके सामने पैदा कर दी है। काश्तकार बड़ी महनत और मुश्किलों के बाद अपना अनाज खलिहानों से लाते हैं, उस समय बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े होर्डर्स जो मुनाफा खोरी के लिये अपने पास बड़े बड़े अनाज के स्टॉक्स रखते हैं, काश्तकार से सस्ते भाव पर वे लोग अनाज ले जाते हैं, फिर कैसे काश्तकार आगे बढ़ सकता है। अगर सरकार ने यही नीति रखी और मजबूती के साथ भाव निर्धारित नहीं किये तो किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। किसान की तरक्की में इस तरह के व्यापारी बीच में रोड़ा बन कर आते हैं इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं राजस्व मंत्रीजी साहब से निवेदन करूंगा, वे अपने आपको यह मान कर चलते हैं कि वे किसान नेता हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप किसान नेता नहीं हैं, आपने किसानों की आत्मा को पीस रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि किसान और जनता के बीच में जो व्यापारियों का माध्यम बना हुआ है इसको खत्म करें। इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकेगा। किसान का अनाज निकल कर आता है तभी व्यापारी उससे सस्ते भावों पर अनाज ले कर अपने पास जमा कर लेता है और मुनाफाखोरी करता है, किसान को उसकी महनत का फल पूरा नहीं मिल पाता, किसान को बोवाई से लेकर अनाज खलिहानों में तैयार करता है तब तक पैसे की जरूरत रहती है इसलिये वह बेचारा लाचार होकर व्यापारियों को अनाज बेच देता है।

आज के युग में काश्तकारों के तीन गुना लगान बढ़ा दिया है, जहां कम करना चाहिए था वहां तीन गुना बढ़ा दिया है। आपने जो जमीन काश्तकार को देने की व्यवस्था की है, हम जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, आपके टीनेन्सी एक्ट को समझते नहीं, उसकी भाषा को, उन रूल्स को वहां के लोग और तरह से यूज करना चाहते हैं, वह मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस राज्य के अन्दर अपशब्द कहना ही पड़ता है। हर साल आपके यहां किसानों के लिए छोटे मोटे कानून बदलते हैं और उससे किसान परेशान होते हैं। आपने जो एलॉटमेंट कमेटी बिठाई है, जिसमें तहसीलदार, बी० डी० ओ०, एम० एल० ए० और प्रधान हैं.......

एक माननीय सदस्य : टीनेन्सी एक्ट को आपके यहां क्या कहते हैं ?

श्री विजयपाल कटारा : मैं आपको क्या जवाब दूं ? वे अगर शब्द नहीं बोलूं तो ठीक है।

एक माननीय सदस्य आप समझते नहीं।

श्री विजयपाल कटारा : गांवों के लोग के तो आपकी सरकार को कोसते हैं और रोते हैं। गांवों में कांग्रेस के नेता भी समझते है, उस रूप में मैं नहीं लाना चाहता। आप जमीन के बारे में काश्तकार को किस प्रकार की मदद देना चाहते हैं ? आपने यह आन्दोलन मचा रखा है कि हम बिजली देंगे, हम बैल देंगे, जंगल से छूट देकर हल दिलाएंगे हम, लेकिन काश्तकार को जंगल से अपना हल प्राप्त करना मुश्किल हो गया। ५०० बीघा जमीन हमारे यहां बांध के नीचे पड़ी है, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जमीन के लिए मैंने बराबर कलेक्टर साहब से और जिला प्रमुख से और एलॉटमेंट कमेटी से कहा कि यह जमीन बड़ी उपजाऊ जमीन है, पानी है और हमने कहा जमीन को जल्दी से जल्दी एलॉटमेन्ट कमेटी बिठा कर एलॉट करें; लेकिन ५०० बीघा जमीन जो तलाब के नीचे पड़ती है आज तक असली एलॉटमेन्ट नहीं हुआ जिससे सरकार का भी काफी नुकसान हुआ और काश्तकार को जो फायदा उठाना चाहिए था वह नहीं मिल सकता। तालाब के बिल्कुल पास में जमीन है, वह आदिवासी एरिया में पड़ती है, उसको हम लेना चाहते है, लेकिन वहां के कुछ कांग्रेसी नेता तुले हुए हैं कि कमांड एरिया में जमीन आती है इसलिए वह नीलाम में देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो गरीब है उनके लिए आप अगर एलॉटमेंट कमेटी बिठा कर, यहां से आदेश देकर एलॉटमेंट करवाएंगे तो काश्तकारों को और यहां की सरकार को काफी फायदा होगा।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से काश्तकारों को पानी पहुँचाना चाहते हैं। घामुला के तालाब के अन्दर पानी आज भी भरा पड़ा है। यह तालाब इरिगेशन के अन्दर है। इरिगेशन विभाग ने ऑर्डर्स कर दिए कि काश्तकारों को पानी दे दिया जाय, लेकिन वहां के अधिकारियों और वहां के नेताओं की वजह से काश्तकारों को पानी नहीं दिया गया। यह ५०० बीघा जमीन है। अगर मौके पर जाकर देखेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में किसानों का अहित किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो आपके राजस्व के नियम हैं उनसे काश्तकारों को नुकसान होता है, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करें।

(अनवरत घण्टी)

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

मेरे दो कट मोशन्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट और दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण शर्मा (मंडावर): हमारा नंबर कब आयेगा ?

श्री विजयपाल कटारा : आदिवासियों के लिए जंगलों की समस्या चल रही है। जगंल आज धीरे-धीरे किस प्रकार से बरबाद होते जा रहे हैं। हम जंगलों में रहने वाले हैं। हमारे देश के अन्दर या जिले के अन्दर जंगल बरबाद हो जायेंगे तो भौगोलिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और ये जंगल धीरे धीरे बरबाद हो गये और आज जंगल ज्यों ज्यों बरबाद होते जाएंगे त्यो त्यों रेगिस्तान बनता जायगा और उसके बावजूद जब वर्षा कम होगी तो उसकी वजह से उत्पादन में घटोतरी होगी, जंगल के जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं।

(अनवरत घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें। ऑर्डर प्लीज़।

श्री विजयपाल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको काफी समय दिया है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयपाल कटारा : मुझे जंगलों के बारे में कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं की भूराजस्व के संबंध में हमारी जानकारी सरकार ने जो कानून और नियम बनाये हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं; इसके अन्दर बहुत सी कमियां रहती हैं। कमियों को दूर करना हमारा फर्ज होता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे किसान अनपढ़, अशिक्षित हैं और उनको कई तरह के रेवेन्यु के कानून हैं जो समझ में नहीं आते, वह काम हमारे विभाग के अधिकारियों का है। परन्तु हमारे पटवारी क्या करते हैं? मैं सभी के लिए नहीं कहता, बहुत तो ईमानदार भी होते हैं और बहुत तो ऐसे होते हैं जो गरीब किसानों को तकलीफ भी देते हैं। जमीन पंचायत समिति से किसानों को एलॉट हो जाती है, लेकिन किसानों को देने में बहुत देरी होती है, जिससे किसान को जमीन को दुरुस्त करने में और आबाद करने में बहुत समय लगता है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि इस तरह से छोटी २ तकलीफों को दूर करने में हमारे अनपढ़ किसानों के लिये और भी सरकार ज्यादा ध्यान दे तो किसान आगे बढ़ेगा और पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि बहुत से एरिया ऐसे हैं, जैसे उदयपुर डिवीजन में आपने देखा होगा कि सारा एरिया पहाड़ी है, उसमें किसान क्या करता है कि पत्थरों को तोड़-तोड़ कर अपने लिये जमीन बनाता है। उस जमीन में पैदावार बढ़ाता है। उस जमीन का अलॉटमेन्ट करने में टाइम लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं जिस गांव में रहता हूं उसके पास ही एक गांव है, उसका नाम है नाल, तहसील

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

सराड़ा. वहां ६ साल पहले जमीन का अलॉटमेन्ट हो गया। लेकिन उनको अब तक कब्जा नहीं दिया गया है। सरकार को इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत से पटवारियों की तो नहीं कह सकता लेकिन एक पटवारी है गांव बलूबा में। वहां मीणों की संख्या है। उस पटवारी ने एक केस ऐसा फंसा रखा था कि दो-तीन मीणों की औरतों की रकमें खुलवायीं, यह उनसे उस केस के लिये रिश्वत लेने की कोशिश की। तहसीलदार, एस० डी० ओ० को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वे पटवारी वहां पर वैसे के वैसे बने हुए हैं और लोगों को तंग करते हैं। सब सरकारी कर्मचारियों के लिये नहीं कह सकता लेकिन बहुत से बुरे होते हैं और बहुत से अच्छे भी होते हैं। उनको सजा देनी चाहिये। मोत्तिल कर देंगे तो वापिस हो जावेंगे। इसी प्रकार सतकड़ा गांव है वहां के पटवारी की भी शिकायतें हैं। सरकार को लिखा है लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, वन के बारे में निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वन के बारे में मैं निवेदन करूं कि हम लोग उदयपुर डिवीजन में ज्यादातर पहाड़ों में ही रहते हैं और हमारी जंगल की जो अमूल्य सम्पत्ति है उसका फायदा उदयपुर के रहने वाले, अच्छे पैसे वाले, गुजरात से आकर वहां पर जंगलों का ठेका ले लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : वन मंत्री को बुला कर कहो।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : मंत्रीजी सुन रहे हैं।

तो उधर के ठेकेदार आकर हमारे जंगलों को बरबाद करते हैं। हमारे यहां की सहकारी समितियां बनाकर ठेके दें। समिति बनाते हैं ठेकेदार मिल जाते हैं। सब अधिकारियों की नहीं कहता, लेकिन अन्दर ही अन्दर उनकी बदमाशी होती है। ठेकेदार को भेज देते हैं उनका कोई न कोई रहता है। इस तरह से मैं निवेदन करूं कि आदिवासी एरिया में जंगलों में रहने वाले लोग हैं ज्यादा से ज्यादा वहां पर वन सहकारी समितियां बनाकर हमारे लोगों को ठेका दें। बचे खुचे हों तो उनको ठेका दे दिया जाय। हमको पहले ठेके दिये जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की ओर से एक प्रगति विवरण नामक पुस्तक निकली है उसमें राजस्व विभाग ने बताया है.......

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है पहले श्री झाला बोलना चाहें। यह आपकी पार्टी के हैं।

कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद) : तो उसमें बताया गया है कि किसान की समस्याओं को हल करने के लिए राजस्व विभाग ने समय समय पर ऑर्डिनेन्स निकाले और कई प्रोब्लम हल हुई। लेकिन मैं निवेदन करूं कि केवल ऑर्डिनेन्स निकाल देने से किसानों की समस्या हल हो जायगी

(कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

यह सम्भव नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है कि सम्बन्धित ऑर्डिनेन्स का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है या नहीं। मुझे मालूम है हमारे उप-मन्त्री लड्ढा साहब ने सन् १९६३ में एश्योरेन्स इस सदन को दिलाया था कि ट्रेसपास की समस्या को लेकर और उन समस्याओं को लेकर किसानों ने बिलानाम भूमि पर मकान बना रखे हैं, उनको सोल्व करने के लिए ऑर्डिनेन्स जारी किया कि सन् १९६२ से पहले के ऐसे मकानात बनाये गये हैं जिन पर किसान का कब्जा है उन सारे केसेज को तहसीलदार रेगुलराइज करेंगे, इससे किसानों को राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उप मन्त्रीजी को मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि उसका पालन नहीं हुआ है। कोटा तहसील में सैंकड़ों केसेज चलाये जा रहे हैं। ऐसे केसेज को रेगुलराइज नहीं किया गया है और उनके खिलाफ दावे किये जा रहे हैं। मकान तोड़ने के आदेश दिये जा रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा जुर्माना किया गया है। आपने एश्योरेन्स दिलाया था कि ६२ से पहले के केसेज हैं ऐसे तो उनको रेगुलराइज कर दिया जावेगा, कोई तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर मकान तोड़ने के आदेश दें, कुर्की के, डिग्री के आदेश दें यह कहां तक उचित हैं। मैं समझता हूं सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। एक सर्क्यूलर इसमें मेन्शन किया गया है उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं। सेटलमेंट हुआ तो कई कुएं ऐसे थे जिनकी खातेदारी दर्ज न करके गुम नाम दर्ज कर दिया। वे सारे कुएं सरकारी कुएं माने जाते हैं और वहां पर जो खातेदारी है जिनके खातों में जमीन है उन काश्तकारों को पानी लेने में, सिंचाई करने में काफी दिक्कत होती है और उस समस्या को सोल्व करने के लिए आपने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया, मैं उसको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे कुओं के स्वामित्व का दावा सरकार द्वारा न किया जाकर इन कुओं को सम्बन्धित खातेदार आसामी द्वारा ३१–१२–६५ तक प्रार्थना-पत्र तथा २५ रु० प्रति कुआ फीस भुगतान करने पर तहसीलदार द्वारा औपचारिक रूप से सनद दे दी जावे तथा १ रु० नामान्तरकरण फीस लेकर इन कुओं का नामन्तरकरण उन व्यक्तियों के नाम कर दिया जावे।"

मुझे इसकी मंशा है उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह प्रतिबन्ध लगाया है ३१–१२–६५ तक प्रार्थना पत्र दे दें। जैसे पहले मेरे नाम कुआ था। सेटलमेंट ने दर्ज नहीं किया। यह जो तारीख दर्ज की है उससे सरकार भी यह महसूस करती है कि गलत तरीके से कुओं को दर्ज कर दिया। सरकार का यह प्रतिबन्ध लगाने का मकसद है कि २५) फीस देकर करवा ले। मैं चाहता हूँ कि तारीख की लिमिट फिक्स न करके आदेश स्पष्ट होने चाहिए कि ऐसे किसान का कुआं है जो वास्तव में यह तसल्ली करा दे कि उसका कुआं है तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाय। न तो सरकार ने कराया और सेटलमेंट वैसे दर्ज कर दिया। ऐसे केसेज हैं कि जहां पर स्पष्ट आदेश नहीं हैं वहां पर कुए सरकार के नाम पर चल रहे हैं। मैं समझता हूं स्पष्ट आदेश पहुंचने चाहिए और पंचायत के पास भी कॉपी जानी चाहिये,

(कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

टाइम बढ़ना चाहिये और जितने ऐसे कुएं हैं जो सरकार की गलती के कारण दर्ज हो गये हैं वे वापिस जिसने कुआं बनाया है उसके नाम दर्ज हो जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जागीर पुनर्ग्रहण कानून में साफ उल्लेख है कि अगर किसी जागीरदार को खुदकाश्त की जमीन पर खातेदारी राइट दिए जाते हैं तो उस पर किसी प्रकार का एक साल का लगान वसूल नहीं किया जावेगा । उसे ऑटोमैटिकली खातेदारी में दर्ज कर लिया जाना चाहिये । इसमें भी अनियमितताएं हुई हैं । भीलवाड़ा जिले में भी उनसे एक साल का लगान मांगा जा रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : That is mutation fees. आप पहले की बात कह रहे हैं । कानून में तब से काफी अमेण्डमेन्ट हो गए हैं । अब तो पांच परसेन्ट रह गया है । सौ रुपये लगान है तो पांच रुपया म्यूटेशन फीस ली जाती है ।

कु० श्री महेंद्रसिंह गांवड़ी : आपका आदेश है कि जो खुद काश्त की जमीन है और जागीर रिज्यूम होती है तो ऑटोमैटिकली तत्काल वह जमीन जागीरदार के खातेदारी में दर्ज कर ली जानी चाहिये । तो म्यूटेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : खुदकाश्त को खातेदारी में लिखाते हैं इसलिए ।

कु० श्री महेंद्रसिंह गांवड़ी : आप फिर समझ लीजिये । कोटा जिले में इस प्रकार के केस हैं, जो जमीन जागीर रिज्यूम होते समय खुदकाश्त में थी वह स्वयं अपने आप खातेदारी राइट्स में आ जानी चाहिये थी बिना किसी फीस के लिए । अगर वह खुदकाश्त में न होकर दूसरी जमीन होती तो उसमें फीस की बात मैं मानता हूँ ।

तो आज इससे जागीरदार लोग प्रभावित हैं । कुछ ने आपको एप्रोच भी किया है । आपने उनके हक में फैसले भी किए हैं । स्टे भी दिए हैं । पर जो नहीं पहुंच सके, उनके मामले अटके हुए हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कतई गलत बात है । सबके साथ समान व्यवहार किया गया है । आप साल-छः महिने पहले की बात कह रहे हैं ।

कु० **श्री महेंद्रसिंह गांवड़ी** : क्या आपने भीलवाड़ा के जागीरदारों को स्टे नहीं दिलवाया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कहता हूँ, म्यूटेशन फीस की समस्या थी । स्टे भी उसमें हुए थे । बाद में सब हल हो चुके । अब कोई दिक्कत ही नहीं है ।

कु० श्री महेंद्रसिंह गांवड़ी : हल अभी नहीं हुए, चल रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां के केस मैं ज्यादा जानता हूं ।

कु० श्री महेंद्रसिंह गांवड़ी : मुझे भी कल इन्फोर्मेशन मिली है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपको गलत इत्तला मिली है। हमारे क्षेत्र की बात हम ज्यादा जानते है।

कुं श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : दूसरी बात कोटा जिले में आप सीलिंग को लीजिए। इसमें हमने तै किया है कि एक एग्रीकल्चरल एकड़ दस मन गेहूं पैदा जहां होगा उसे माना जावेगा। जहां तक पैदावार के आधार पर एकड़ मानने का सवाल है कोटा के साथ अन्याय हुआ है। कोटा जिले के अनकमाण्ड एरिया को ले लीजिए। उसकी औसत पैदावार डेढ़ मन से दो मन बीघा की थी और आज अगर हम यह मानकर चलें कि वहां पर नहरी पानी आ गया है तो पैदावार बढ़ी होगी। यह भी अधिक से अधिक बढ़ी होगी तो दुगनी से ज्यादा नहीं होगी।

वहां के वाटर लोगिंग की समस्या, सिचाई की अव्यवस्था देखी जावें तो जमीन की जो पोजीशन है उसे देखते हुए जों हम समझते हैं कि तीन–चार गुना पैदावार हो जावेगी, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि वहां की जमीन सिचाई के पानी को नहीं मानती। इससें मेल कम खाती है। तो इस तरह से चार मन एकड़ से भी मानें तो तीस एकड़ होनी चाहिये।

गंगानगर और कोटा की जमीनों में बहुत अन्तर है। यह जरूर है कि कोटा की जमीन काली है, पर फर्टाइल के दृष्टिकोण से और नहरी पानी की अनुकूलता की दृष्टि से देखा जावे तो गंगानगर की जमीन कोटा की जमीन से कहीं अधिक उपजाऊ हैं। यह सरकारी आंकड़ों से मालूम हो सकता है।

तो कम से कम आप, और नहीं तो, इतना ही करें कि ३० एकड़ वहां रखी है वही ३० एकड़ जमीन कोटा में रक्खें तो ज्यादा हितकर होगा।

कोटा जिले में कमाण्डेड एरिया के अलावा बहुत से इलाकों में वर्षा का अभाव रहा है। तहसील लाड़पुरा, दीगोद और पीपलदा। लाड़पुरा तहसील में गिरदावरी सही नहीं हुई है। पर जहां सही हुई है वहां पर भी देखने में आया है कि सियाल की फसल की पैदावार ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है। फिर भी वहां मांगपत्र इश्यू कर दिये गए हैं।

इटावा में इन्द्रगढ़, पीपलदा के खातोली, गैंती, कोटया के इलाकों में गिरदावरी में यह नहीं देखा गया कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है।

असल में देखा जावे तो गत दो सालों से फसल का विवरण ही ठीक नहीं लिखा जाता कि कितनी पैदावार किस खेत में हुई है। न फसल करने वालों के नाम टीप में लिखे जाते हैं और न यह लिखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि आज किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कितना नुकसान हुआ चूंकि यह दर्ज नहीं किया गया, इसलिये वह अकालग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया जा सका।

इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में फिर से देखें कि गिरदावरी सही हुई या गलत हुई हैं। इसके बाद अगर वहां पर पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान

(श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी)

हुआ है तो लगान की छूट तो कम से कम दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि अभी निश्चय किया गया सिनोलिकली पार्टी से बोलें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : कल भी उधर के माननीय सदस्य घंटे घंटे भर बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! आप ठहरें तो सही।

चार बजे से फिर जवाब न होकर ४।। बजे से नियुक्त कर दूं ?

पर मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मेम्बर एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए पांच पांच मिनिट बोल लें तो ज्यादा उचित होगा।

That is all.

(विराम)

श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में जनता का राज्य कायम हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट का नियम पालन करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सख्ती से।

श्री उपाध्यक्ष : केवल सूत्रवत् वाक्य बोले जावें।

श्री मोतीलाल चौधरी : जागीरें समाप्त कीं, किसान को खेत का मालिक बनाया। भू-राजस्व के सम्बन्ध में बहुत सी सुविधाएं दीं। पर इसका अन्त नहीं है।

कांग्रेस की नीति है समाजवाद का ध्येय है कि लैंड रिफॉर्म्स तेजी से आते जावें और शनैः शनैः लैंड रेवेन्यू समाप्त कर दी जाय। पर पिछले दो सालों से देखता हूं कि लैंड रेवेन्यू की गति रुक गई है। इसलिए निवेदन करूंगा कि पहले जब हमने कानून पास किया तो चौथा और छठा बांटा किया। पर लैंड रेवेन्यू का अन्त नहीं है। दसवां और बारहवां बांटा लेकर क्रमशः इसे समाप्ति करेंगे। तो इस लैंड रेवेन्यू के ध्येय को देखते हुए जो ढिलाई बरती जा रही है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

किसान से लैंड रेवेन्यू लेकर शासन चलाने की बात आज के युग में उचित नहीं कही जा सकती। यह लैंड रेवेन्यू सिस्टम पुराना है। किसी भी युग से देखें, सम्राट भरत, अशोक, गुप्ता, अकबर के युग को देखें तो यह तब से चला आया है। फिर इस लैंड रेवेन्यू को कायम रखने के लिए, इसे एकत्रित करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे भी देख लें।

फिर अगर हम यह देखें कि राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए लैंड रेवेन्यू का सात

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आठ करोड़ रुपया लेना ही चाहिये तो यह गलत तरीका है। पिछले दस सालों में लैंड रेवेन्यू के टोटल बजट की हालत देखें तो ५२–५३ में कुल बजट का परसेन्टेज था २८ परसेन्ट। आज ११ परसेन्ट पहुँच चुका है। दूसरी इन्कम से सोर्स बढ़ गये हैं।

फिर इस लैण्ड रेवेन्यू की वसूली में करने वाला खर्चे का जो परसेन्टेज है उसे देखें तो पता लगेगा कि जहां सेल्स टैक्स वसूली में परसेन्टेज आता है ४, इन्कम टैक्स वसूली में आता है तीन और दूसरे टैक्स वसूली में आता है तीन वहां इस लैंड रेवेन्यू की वसूली में आता है १६ परसेन्ट। राजस्थान में लैंड रेवेन्यू अनसर्टेन है।

इसलिये भी कहूँगा कि राजस्थान में धरती का मालिक है राज तो इसलिए लैंड रेवेन्यू क्यों नहीं लें ? पर धरती का मालिक राजा नहीं हो सकता। समाज है। समाज राज बनाता है। तो लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उचित दृष्टिकोण लेकर चलना चाहिये।

पूंजीवादी देशों को आप ले लें। वहां लैंड रेवेन्यू नहीं है। तो किसान को खेत का मालिक बनाने के बाद लैंड रेवेन्यू फ्री करनी चाहिये। रूस को ले लीजिए, जर्मन डेमोक्रेटिव रिपब्लिक को ले लीजिए। उन्होंने जमीन से लैंड रेवेन्यू समाप्त कर दिया।

लक्ष्य हमारे सोशल जस्टिस का भी एक होना चाहिये, जब इण्डस्ट्रियल लैंड पर हम रेवेन्यू नहीं लेते, लोग बाग बगीचे लगाकर फल फूल लगाते हैं, अंगूर का बगीचा लगाते हैं उनसे नहीं लेते तो फिर किसान से ही क्यों लेते हैं ?

राजस्थान में जो लैंड है उसका ७० प्रतिशत हिस्सा डेजर्ट, हिल्ली और सेमी डेजर्ट है। तो यहां की आर्थिक हालत यों ही गिरी हुई है। तो चूंकि राजा और जागीरदार परम्परा से लैंड रेवेन्यू लेते आ रहे हैं इसलिए हम भी लेते जावें। हमारा राजस्थान का टोटल लैंड ७५ लाख खेतों में बटी है। प्रति परिवार अगर दस रुपया भी आवे तो आठ करोड़ रुपया हो जाता है। तो लैंड रेवेन्यू को चेन्ज कर देना चाहिये।

शहरों में जो जमीन लेकर रहते हैं वे अपने कम्पाउन्ड में काश्त करेंगे तो लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे। फ्रूट वगैरह के खेत लगावेंगे, बगीचा लगावेंगे तो लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे।

हम अब फोरिन से मंगाते हैं उस हालत में फल पैदा करने वालों से रेवेन्यू नहीं लेते, रिलेक्सेशन देते हैं पर धान पैदा करने वालों को रिलेक्सेशन नहीं देंगे।

समय थोड़ा है इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस लैंड को आपने पब्लिक पर्पज के नाम से, सड़क के नाम से रोड़वेज को दे दिया, रेल को दे दिया इनसे लैंड रेवेन्यू आप नहीं लेंगे। इन्डस्ट्रियल साइड में तीन गुना लेकर फ्री कर देते हैं तो इस दृष्टिकोण से मैं उन गरीब मजदूर किसान के लिए कहना चाहूंगा जो राजस्थान की कुल आबादी का अस्सी प्रतिशत है। गरीब है पर आप उससे लैंड रेवेन्यू लेंगे तो इससे बड़ा अन्याय

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि और बातें आप भले ही करें, लैंड रिफॉर्म्स की भले ही बातें करें पर ये तब तक नहीं पूरे हो सकते जब तक कि लैंड रेवेन्यू आप समाप्त न करें। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस कमेटी का यह ध्येय है कि हम क्रम से लैंड रेवेन्यू को समाप्त करेंगे। तो हम उसमें रुकावट करें, यह ठीक नहीं। चौथी योजना में कृषि के लिये हम इन्सेन्टिव इसी तरह से दे सकते हैं। प्रोडक्शन के लिये इसी तरीके से उत्साह उनको दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इस पर विचार करें और लैंड रेवेन्यू समाप्त करें।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अर्ज करना चाहता हूँ कि यह सैटलमेंट २२ का है, पुराना हो चुका है, इसे नया बनाया जावे। इससे मेरी मान्यता है कि इससे किसान का भी फायदा होगा और गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सैटलमेंट अब नया होना चाहिये। क्योंकि जहां पहले तीन चार रुपया बीघा की वसूली होती है वहां ११ और १५ रुपया के हिसाब से देना पड़ रहा है।

सरकार अपनी मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा सैटलमेंट में लगावे। सीलिंग है। १८ वर्ष कांग्रेस को राज करते हो गए। मेरी मान्यता है अभी तक जयपुर जिले में सैटलमेंट नहीं हुआ। जयपुर जिले में सैटलमेंट कराया जावे और यह इस तरह किया जावे कि कहीं क्या वसूली हो और कहीं क्या; मेरी मांग है कि २६ जिलों की सैटलमेंट एकसार होनी चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आप हर विभागीय कर्मचारी की योग्यता देखते हैं पर रेवेन्यू विभाग की कोई योग्यता नहीं देखता। हर विभाग वाले हुल्लड़ करते मिलेंगे पर रेवेन्यू विभाग ऐसा है कि उसका कोई अफसर या कर्मचारी कभी भी किसी भी प्रकार का हुल्लड़ नहीं करता। चार साल का मेरा अनुभव है, मैंने इस विभाग के अफसर या किसी कर्मचारी को झगड़े की स्थिति में नहीं देखा। जितना गरीब किसान होता है उतना ही गरीब इस विभाग का अधिकारी और कर्मचारी है। मुझे इसका अच्छी तरह अनु-

(४.०० म० प०)

भव है और मैं पटेल हूं इसलिए मेरा तो यह कहना है कि आपके राजस्थान में और भी कई विभाग हैं जहां बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं लेकिन आपको कोई भी शिकायत रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के लिए सुनने को नहीं मिली होगी। इसलिए आप रेवेन्यू के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। आपके रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर्स इस जमाने के लिए बहुत ही खास जरूरी चीज हैं इसलिए मेरी मांग है कि तहसील में आप सहूलियत ज्यादा से ज्यादा दें। अब भी तहसीलों में वही पहले के जमाने की तरह ऊंट वगैरह हैं। आपका बी० डी० ओ० तो जीप में घूमे, और आपके सोशियल वैलफेयर की रांडें जीपों में घूमें, इसलिए मेरी मांग है कि आप तहसीलदार को भी जीप जरूर दें.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : बहुत बड़ी बड़ी रांड़ें घूमती हैं ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : सुन तो लो । मेरी मांग है कि ग्राप पटवारी की योग्यता को देखें, जो रेवेन्यू विभाग के ग्रॉफिसर्स को उनको ग्रच्छी तनख्वाह दी जाये । जैसे काश्त-कार गरीब होते हैं । वैसे ही उनके महकमे के ग्रादमी भी गरीब होते हैं । क्योंकि उनके खिलाफ कभी शिकायत ग्रायेगी तो वह डरपते रहते हैं । ग्राप देखेंगे कि दिन वे दिन पंचायत की शिकायतें ग्रायेंगी, पंचों की शिकायतें ग्रायेंगी, सरपंचों की शिकायतें ग्रायेंगी लेकिन ग्राप मुझे दावे के साथ कह दें कि रेवेन्यू विभाग के एक ग्रॉफिसर की भी कोई शिकायत ग्राई । हां, कन्सोलोडेशन की जरूर शिका-यतें ग्राती होंगी । इसलिये इसके बारे में तो मैं हां नहीं भरता । पता नहीं कितना पर-सेन्टेज ग्रापका था ग्रौर कितना उनका क्योंकि यह विभाग ग्रापका ही बनाया हुग्रा है । ग्राप एक भी शिकायत गिरदावर, पट-वारी या तहसीलदार के बारे में बता दें, एस० डी० ग्रो० के बारे में बता दें या ऊपर के ग्रॉफिसर के बारे में बता दें । इसके जितने सीधे ग्रॉफिसर होंगे उतना किसी भी विभाग के नहीं होंगे । इसलिये जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं उनको सबसे ज्यादा सहूलियत ग्रौर वेतन मिलना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि ग्रापने जो पटे-लाई खत्म की उससे ग्रापने क्या फ़ायदा उठाया........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ग्राप भी पटेल थे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ग्रपनी हुकू-मत जाती रही ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं श्री कुंभा-राम जी से कहूंगा कि पटेल ग्रौर चौधरी का तो जोड़ा है इसलिए पटेललाई को समाप्त नहीं किया जाये, क्योंकि पटेल तो इस तरह से काम करते थे जिसत रह से कर्मचारी काम करते हैं । लेकिन दूसरी तरफ ग्राज के जो चुने हुए लोग ग्राते हैं उनके खिलाफ हर प्रकार की शिकायतें ग्राती हैं लेकिन ग्रापने देखा होगा कि पटेल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती थी ग्रौर ग्रगर होती थी तो तहसीदार उस शिकायत को पहुंचा देता था । तो इस बारे में मेरी यह मांग होगी कि पटेल के लिए भी यदि ग्राप वोटों की प्रथा डालेंगे तो भी ठीक है लेकिन पटेल होना जरूरी है ।

इसके ग्रलावा जो ग्रापने कन्सोलीडेशन किया वह ग्राधी जगह हो रहा है ग्रौर ग्राधी जगह नहीं हो रहा है । कहीं कहीं बाहर के ग्रादमी ग्रा गये हैं तो उनको ग्राप निकाल दो कन्सोलीडेशन ग्रौर सैटलमेंट इस विभाग की दो खास चीजें हैं ग्रौर मेरी मांग है कि ग्रॉफिसर्स को हर तरह की रिलीफ दी जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हर साल ग्राप टैक्स बढ़ाते हैं, मैं नहीं समझता कि इस पर टैक्स की ग्रावश्यकता है । ग्रगर टैक्स होता है तो किसानों को दूसरी चीजें मिलनी चाहिए; उसके पास न तो बिजली है ग्रौर न भूमि है ग्रौर न उसको जमीन को बेचने का राइट है, पेड़ों को भी काटने का राइट नहीं है । किसान पेड़ों को बच्चे की तरह पालता है ग्रौर यदि वह उसको बेच देता है तो उसके ऊपर मुक़दमा

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

आप चला देते हैं। मेरी मांग है कि किसान को अपनी भूमि पर पूरे अधिकार होने चाहिए। आप नारा लगाते हैं कि हमने भू-राजस्व के सारे अधिकार किसानों को दे दिये हैं लेकिन आप मेरे साथ टूर करके देख लें जमीनों पर जमीदारों को कोई अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए मेरी यह मांगें हैं कि ऑफिसर्स को, जमीदारों को आप बहुत ही सहूलियत दें और पटेलाई की प्रथा को बराबर कायम रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी बराबर बजती है इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार ने २६ जिलों में से २४ जिलों में अकालग्रस्त एरिया घोषित किया है। इनमें एक कोटा जिला भी ऐसा है कि जिसमें १५ पंचायतें अकालग्रस्त घोषित नहीं की हैं। उसमें पानी नहीं बरसने के कारण दोनों फसलें नहीं हुई और इस कारण वहां के आदमी परेशान हैं, वहां के पशु परेशान हैं। आदमियों को अन्न और मवेशियों को चारा नहीं मिलता है। उसके लिए वहां के तहसीलदार ने पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद् से भी मांग की है कि वह अकालग्रस्त नहीं घोषित हुई हैं, इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पंचायत समिति इटावा में जो १५ पंचायतें हैं उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाये। और वहां पर अनाज पहुंचाया जाये और मवेशियों के लिए चारा पहुंचाया जाये। वहां पर जब कि दोनों फसलें नहीं हुई हैं फिर भी वहां लगान वसूल कर रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि १५ पंचायतों को जो कि पंचायत समिति इटावा में हैं उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि जमीन का अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है यह मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हमारी सरकार कहती है कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं है उनको पहले जमीन देंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी व्यक्ति हैं उनको उससे वंचित रखा जाता है और जो दूसरे लोग हैं उनको जमीनें अलॉट कर दी जाती हैं। मैं कहूंगा कि ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है उनको पहले जमीन दी जाये। सरकार के नियम हैं कि ३७ बीघा जमीन काश्तकार को दी जायेगी जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन क्या वजह है कि उनको जमीन नहीं दी जाती। कोलोनाइजेशन विभाग जमीन को बेचता है, न तो वह किसी को बुलाते हैं और चुपके चुपके जमीन नीलाम हो जाती है। आपको उनको जमीनें देनी चाहिए। आपसे मैं मांग करता हूं कि कोलोनाइजेशन विभाग को हिदायत दी जाये कि वह नीलाम नहीं करें और भूमिहीनों को जमीन दी जाये।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जो काश्तकार गरीब हैं और बड़ी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं और सरकार बारबार उनके ऊपर टैक्स लगाती है। मैं निवेदन करूंगा कि जब चीन का आक्रमण था तब सरकार ने सरचार्ज लगाया था और कहा था कि जब खतरा समाप्त हो जायेगा तो इसको नहीं लेंगे। क्या कारण है कि पहले ६ पैसे लिया जाता था और अब वह २५ और ५० पैसे लिया जाता है? जब कि मध्य भारत में यह टैक्स नहीं लगाया गया है। आपने कहा था कि चीन के आक्रमण तक इसको लगायेंगे लेकिन अब तो वह भी खत्म हो गया और इसको अभी तक वापिस नहीं लिया! मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सन् ६० से पहले जो लोग जमीन पर काबिज थे, आज कॉलोनाइजेशन विभाग उन जमीनों को बेच रहा है और उनके ऊपर जुर्माना कर रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिनका कब्जा है और ८-१० साल से जिनके कब्जे में है वह उनको दे दी जाये। जब माननीय मंत्री महोदय चुनाव में जीते और राजस्व मंत्री बने तो काश्तकारों को गर्व हुआ कि अब तो हमारे मंत्री चुनकर आ गये हैं और हमारा भला करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके सच्चे हिमायती हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप भी काश्तकार हैं और मंत्री बने हैं तो आप काश्तकारों का हित कीजिए, सीलिंग का कानून सरकार ने पास किया। आपसे निवेदन है और काश्तकारों को खुशी है कि अब तो सीलिंग का कानून समाप्त कर देंगे क्योंकि कुम्भारामजी आये है, लेकिन २२ एकड़ जमीन चम्बल कमान्डेड एरिया में आपने आंकी है जब कि गंगानगर में ३० एकड़ आंकी है। तो क्या कारण है? इसमें तो वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बीमारी का इलाज नहीं करा सकते। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप किसानों के हिमायती हैं तो आप इसको बताइए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक भाखरा कॉलोनाइजेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सीपेज बहुत हो गया है, उसमें आप अठ्ठारह हजार एकड़ भूमि पांच फुट पानी से सिंचित करना चाहते हैं जब कि वहां पर एक लाख ९३ हजार एकड़ जमीन खराब हो गई है। दो लाख एकड़ जमीन को आप इस सिंचाई के अन्दर लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

राज्य-पक्ष के कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए व एक साथ बोलना प्रारम्भ कर दिया)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी बोल लीजिए।

(पुन: कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आप में से कोई भी बोल लें।

(पुन: कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

केवल एक सदस्य बोल सकते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : राजथान में भूमि सुधार में जो प्रगति हुई है....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष, गद्दी के बारे में मैं....

श्री तेजाराम गहलोत : और जो कानून हमारे राजस्थान में हैं वे सारे भारतवर्ष से उत्तम हैं।

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष, ये कल भी बोले हैं और रोज बोलते रहते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता, मेरा कटमोशन भी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इन्कार नहीं कर रहा हूं। आप में से कोई भी बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने अच्छी गुड़ की भेली डाली है।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व सम्बन्धी कानून राजस्थान में सबसे अच्छे होने के बावजूद भी हमारे किसानों को इसकी पूरी राहत नहीं मिल पाई हैं इसका कारण यही है कि जो फैसले होते हैं उनकी जानकारी पटवारियों को नहीं होती। इसका उदाहरण मैं आपको दूं कि राजस्थान में जो आपने भू-राजस्व पर सरचार्ज लगाया है उसमें चाही भूमि के १।३ हिस्सा लगान पर सरचार्ज के लिए व्यवस्था रखी थी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि हमारे पाली जिले में और खास करके सोजत तहसील में पटवारियों को इसी जानकारी न होने से और सरकार की ओर से इसकी सही और स्पष्ट हिदायत न होने की वजह से वहां पर बजाय १।३ हिस्सा चाही लगान पर सरचार्ज लगाने के कई जगह पूरे के पूरे लगान पर सरचार्ज लगाते हैं, इसलिए....

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : किस जगह पर ?

श्री तेजाराम गहलोत : सोजत तहसील में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चीज की हिदायत निकालें कि १।३ हिस्से पर ही लगान लें और जो सरचार्ज उन्होंने गलत तरीके से वसूल कर लिया है उसको किसानों के खातों में एडजस्ट किया जाय, आप इस प्रकार से आदेश जिला अधिकारी को दें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भूमि आवंटन के विषय में नियम बने हुए हैं और उनके तहत में भूमि आवंटन किया जाता है, लेकिन उसमें भी तहसील अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं। मैंने इस विषय में राजस्व मंत्री महोदय को शिकायत भी की है कि खारची, रायपुर और सोजत तहसील के खातों की जांच की जाय। लेकिन उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये मैं बहुत खेद के साथ अर्ज करूंगा कि बावजूद इन सारी चीजों के जानकारी में आ जाने के बाद भी खारची, सोजत और रायपुर तहसील में भूमि आवंटन में अनियमितताएं की गई हैं, उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाया जावे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो इस तरह की

(श्री तेजाराम गहलोत)

अनियमितताएं हों तो उसके बारे में राज्य सरकार को लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ८३ के तहत अधिकार हैं। वह सारे कागजों को मंगा कर जांच कर सकती है और जो गलत तरीके से भूमि का आवंटन कर दिया गया है उसको कैंसिल करवा दे और भूमि-हीन काश्तकारों को भूमि दिला दे।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक नामान्तरण का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी भी कोई अनुपालना नहीं होती है। राज्य सरकार हिदायतें निकालती है लेकिन सरकार के कानूनों का अनुपालन नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १३३ के अन्दर काश्तकार का फर्ज होता है कि वह ट्रांसफर की इत्तला पटवारी को दे, लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि पटवारी को इत्तला मिलने के बाद भी वह म्यूटेशन फार्म भर्ता नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रिकॉर्डस) रूल्स की धारा ६४ से लेकर ८६ तक जो इस सम्बन्धी नियम हैं उसके अन्दर पटवारियों को आप आदेश फरमायेंगे कि जब कभी इस तरह की ट्रांसफर हो या उसको इस तरह के ट्रांसफर की इत्तला मिले तो वक्त गिरदावरी उसको म्यूटेशन के फार्म भरने चाहिएं और रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन कर दूं कि तहसीलों के अन्दर जो पटवारियों के पोस्टिंग होते हैं वे किसी न किसी तरीके से वहीं पर जमे रहते हैं। दस-दस साल से वहां पर ही बैठे हुए हैं और किसानों का शोषण करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो पटवारी एक जगह पर बराबर लगे हुए हैं और अगर एक बार उनका तबादला हो जाता है तो भी साल छः महीने में फिर कोशिश करके उसी जगह आ जाते हैं तो इस सम्बन्ध में आप कदम उठावें और एक आदमी को एक ही जगह पर अधिक समय तक नहीं रहने दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के बारानी इलाके पर जो आपने चार आना प्रति बीघा का अधिभार लगाया है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि न तो अभी वहां पर पानी ही आया है और न ही निकट भविष्य में आने की आशा है तो ऐसी स्थिति में बिना पानी के ही इस तरह का टैक्स लगाना उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-लगातार घण्टी)

और उस एरिया के अन्दर जो काश्तकारों के कब्जे में सरकार की भूमि है और बीस–बीस, पच्चीस–पच्चीस बीघा भूमि खातेदारी के नाम से दर्ज है उसको दुरुस्त कराई जाय।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार के कई अच्छे कानून बनाए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन जो कानून बनते हैं उन कानूनों का पालन नहीं होता है। जैसे गरीब काश्तकारों के

(श्री नाथूराम)

लिए राजस्थान सरकार ने टीनेंसी एक्ट में संशोधन किया कि जो सम्वत् २०१२ से काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी हकूक दिए जाय। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि सम्वत् २०१२ तो क्या सम्वत् २००८ से भी जिन आदिवासी काश्तकारों का भूमि पर कब्जा है उनको भी न तो अभी तक पट्टे मिले हैं और न खातेदारी हकूक ही। केवल उनसे लगान ले लिया जाता है। जिनके नाजायज कब्जे थे और उनको जायज करने के आदेश हुए थे लेकिन उनका पालन नहीं होता है। जो कमजोर काश्तकार भूमि हीन थे वे तो रह गए। लेकिन जो अच्छे काश्तकार थे, जिनके पास ताकत थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने पटवारियों को, तहसीलदार को पैसा देकर रिकार्ड के अन्दर अपने नाम दर्ज करा दिया कि उनका फलां सम्वत् से कब्जा है। मौके पर कब्जा नहीं है लेकिन रिकार्ड में दर्ज करा लिया। तो हुआ क्या है कि जो सरकार ने सम्वत् २०१८ का आॅर्डर निकाला उसकी जगह सम्वत् २०१६,१७ और २०,२१ तक जिनका नाजायज कब्जा था उन्होंने भी सरकार के इस कायदे फायदा उठाया, लेकिन उठाया पैसे वाले लोगों ने ही।

इसी तरह से हजारों की तादाद में बांसवाड़ा में आदिवासी भूमिहीन काश्तकार हैं। सरकार कानून बनाती है कि भूमिहीनों को भूमि वितरण कमेटी के द्वारा भूमि अलाॅट की जाय। मैं आपको गढी तहसील की बात बताता हूँ, मैं हर कमेटी में जाता हूं। लेकिन वहां होता क्या है जिन सदस्यों को इसकी इत्तला मिलती है और हम लोग उस वक्त उसमें जाते हैं तब तो गरीब काश्तकारों को अलाॅटमेंट होता है लेकिन जहां इत्तला नहीं मिलती और तहसीलदार इत्तला नहीं देते है तो वहां क्या होता है कि तहसीलदार दौरे पर चला जाता है पंचायत वाइज और वहां पर जिनसे पैसा मिलता है, पटवारी के द्वारा पैसा मिलता है उसको तो हजारों बीघा जमीन अलाॅट कर देते हैं। गढी तहसील के अन्दर जो मामले हुए हैं उनकी जांच कराने के लिए मैंने गए साल भी निवेदन किया था तो हमारे राजस्व मंत्रीजी नाराज होते है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं अब उप मंत्रीजी से भी निवेदन करता हूं और गए साल भी निवेदन किया था कि जो वहां पर अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच नहीं कराई गई है, हजारों आदिवासी भूमिहीन रह गए हैं और जो भूमि वितरण कमेटी के मेम्बर होते हैं उनके सामने भी पहले से तो कोई जानकारी होती नहीं है, वहां पहले से ही कागज तैयार होते हैं उन्हीं कागजों को देखकर बीघा दो बीघा भूमि अलाॅट की जाती है और उसमें भी पटवारी लोग क्या करते हैं कि जो काबिल काश्त भूमि होती है उसको पैसे देता है उसको अलाॅट कर देते हैं और जो गैर-काबिल काश्त, मगरी और हल चलाने लायक जमीन नहीं है उसको गरीब आदमियों को दे देते हैं।

हमारे बांसवाड़ा में गढी तहसील है, घाटोल तहसील है वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों ने भूमि अपने नाम अलाॅट करा ली, अपने बाल-बच्चों के नाम अलाॅट करा ली, अपनी पत्नियों के नाम अलाॅट करा ली। इसके बारे में जब वहां के कलेक्टर साहब से कहा गया तो भूमिहिनों के लिए कलेक्टर साहब ने मेहरबानी करके इस पर

(श्री नाथूराम)

गौर किया और तीन तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया और जिनके बारे में रेवेन्यू बोर्ड से भी आदेश हुआ कि जिन कर्मचारियों के नाम अलाटमेंट किया गया है वह गैर कानूनी है। वह आदेश जरूर है लेकिन मैं समझता हूं कि उनका पालन नहीं होता है और इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसे आदेश होते हैं उनका उसी तरह से पालन भी किया जाना चाहिए और वह भूमि जो है गरीब काश्तकारों को मिलनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार कानून बना देती है लेकिन उनका पालन नहीं होता है।

इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के अन्दर लगातार दो साल से अकाल पड़ रहा है। गए साल भी जो छोटे २ काश्तकार हैं उनसे वसूली लगान की हुई लेकिन इस साल फिर लगान वसूल करने की बात होगी तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गरीब किसानों का लगान माफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस साल रोक कर अगले साल वसूल हो जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही अर्ज कर दूं कि माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा जिले में है। वहां भूमिहीनों को क्या बताया जाता है कि गढी, घाटोल तहसील यह माही के कमाण्डेड एरिया में भूमि आती है। इनको माही के कमाण्डेड एरिया में बता कर भूमिहीन काश्तकारों को वंचित किया जाता है और जो काश्तकार नाजायज कब्जा कर लेते हैं, पटवारियों से मिल कर नाजायज कब्जा कर लेते हैं उनको बाद में जाकर कानूनी तौर पर जायज कर देते हैं। इस तरह से जो कानून का उल्लंघन होता है तो इस विषय में राजस्व विभाग को जांच करनी चाहिए। इसके अलावा माही प्रोजेक्ट की ३२ करोड़ की योजना है। भारत सरकार ने इसकी मन्जूरी दे दी है, लेकिन ६०-६५ गांव जो डूब में आने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी बसाना चाहिए। ताकि बची हुई जमीन भूमिहीनों को मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

फोरेस्ट के बारे में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। वनों के बारे में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके संक्षेप में निवेदन करूंगा बांसवाड़े के जंगलों की सुरक्षा के बारे में। ठेकेदारी प्रथा में सरकार ने सारे जंगल बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिये उससे हर साल नुकसान होता रहता है। जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। जो आदिवासी जंगलों के पास में रहते हैं उनको हटाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो बीच बीच में काबिल काश्त भूमि है वह राजस्व विभाग को देना चाहिए। जो नग्न पहाड़ियां पड़ी हुई हैं जैसे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सागवान के ऐसे जंगल हैं कि जिनके बीच में पहाड़ियां पड़ी हुई हैं उन पर कलचरल ऑपरेशन के लिए पैसा देना चाहिए। जहां जंगल खत्म हो गये हैं वहां पर कल्चरल ऑपरेशन कराकर जंगलों की रक्षा करना चाहिए ताकि गरीब काश्तकारों को लकड़ी मिल सके और दुष्काल से बचें।

सरकार की योजना में सुधार नहीं होता है क्योंकि जो कर्मचारी रखे जाते हैं वे

Page No. 127

(श्री नाथूराम)

काम नहीं करते हैं। आज कई आदिवासी नवयुवक जो मेट्रिक और बी० ए० तक पढ़े हुए हैं लेकिन फोरेस्ट विभाग में रेन्जर या फोरेस्टर तक नहीं हैं और कोई पद पर नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह कि जंगल के रहने वाले आदिवासी जो पढ़े-लिखे हैं उनको फोरेस्ट डिपार्टमेंट में रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसे आदिवासी फोरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं। फोरेस्ट में आदिवासियों को लिया जायेगा तो वे जंगलों की अच्छी रक्षा करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : और काबिल काश्त भूमि है वह निकाल कर राजस्व विभाग को देना चाहिए। सर्वे फोरेस्ट विभाग की राय से होना चाहिए। ऐसा न हो कि मनमाने ढंग से हो........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सम्बन्ध में मैं सरकार की लब्धियों, उपलब्धियों और खामियों पर प्रकाश डालूंगा। जब से राजस्थान सरकार का एकीकरण....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप यह बता दें कि टाइम मुझे मिलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आपकी बारी नहीं आयगी।

(श्री गिरधारीलाल के उठकर जाने पर)

श्री विजय सिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये वाक आउट कर रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हुआ तब से जागीरदारी उन्मूलन का कार्य सम्पूर्ण किया जो कि वांछनीय था।

भू-मापन का कार्य, सेटिलमेंट का कार्य भी राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लिया और सारे राजस्थान में एक प्रकार की व्यवस्था करना चाहा। उसमें विलम्ब भी हुआ और कई जगहों से काफी शिकायतों की दरख्वास्तें भी आईं। उनकी तरफ राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

यद्यपि हमारी यह धारणा है कि भू-राजस्व पर कोई सरचार्ज नहीं लगना चाहिए, भूमि पर कोई कर नहीं लगना चाहिये, अगर कांग्रेस सरकार की यह मान्यता है कि भूमि पर कर लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा तो यह इनकी मर्जी है, पॉलिसी है।

जहां तक नम्बरदारी प्रथा का ताल्लुक है एक माननीय सदस्य ने कहा था कि नम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने की कांग्रेस सरकार की पॉलिसी है। वह उनकी पॉलिसी हो सकती है। हम इसको गलत समझते हैं और विरोध करते हैं। आयन्दा भी हम चाहते हैं कि इसको आवश्यकतानुसार रिवाइब करना चाहिये और किया जा सकता है।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार के नियमों का ताल्लुक है उन्होंने टीनेन्सी एक्ट, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, कन्सोलिडेन ऑफ होल्डिंग्स एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन एक्ट, आदि उसने बनाये हैं जिससे राजस्थान की भू-राजस्व नीति ने प्रगति की है, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो भी नियम बनाते हैं वे हाफ-हार्टेडली बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेन्टेशन पूरी तरह से नहीं किया जाता है।

हमने रेवेन्यू लॉज़ कमीशन बनाया था। उसकी पांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई हैं, लेकिन उसको अधिनियम का रूप देने में विलम्ब किया। इसके लिए राजस्थान सरकार दोषी है।

इसी प्रकार जो हमारे पास दूसरी भूमि एलॉटमेंट किये जाने योग्य है और जिसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है यह अभी १६ साल की अवधि के बाद भी सम्पूर्ण भूमि को खेती के योग्य बनाने में राज्य सरकार अयोग्य रही है। वह बहुत बड़ी अक्षमता है जिससे कि अन्न-उत्पादन में मदद मिलती वह नहीं हो पा रहा है।

संक्षेप में मैं एक बात और कहूंगा। वैसे तो बातें तो बहुत सी हैं।. काश्तकारों की रहनुमा बनकर कांग्रेस सरकार बैठी है लेकिन राजस्व की अदालतों में जो ढिलाई है उसकी ओर वह ध्यान नहीं देती है। ऐसे ऐसे केसेज है जो ४५–४६ से आज तक वे ट्रायल कोर्ट में पड़े हुए हैं रेवेन्यू बोर्ड से वापस आकर। रेवेन्यू बोर्ड में ६–७ साल मुकदमों में लग जाते हैं। तो इनको मुस्तैदी के साथ इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिये कि ट्रायल कोर्ट में कोई मुकदमा राजस्व का एक साल से अधिक न रहे, ज्यादे से ज्यादा दो साल से अधिक तो किसी भी हालत में न रहे और राजस्व की अपील में एक वर्ष से ज्यादा नहीं लगना चाहिये। राजस्व मंडल में २–३ साल तक मुकदमे पड़े रहते हैं। यह विलम्ब घातक है। तीन से ज्यादा पेशियां किसी भी अपीलेट कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अगर इतना साहस राजस्व मंत्री में हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आर्बीट्रेशन या ट्रिब्यूनल के जरिये फैसला कराना चाहिए जिससे कि किसान अदालतों के झंझटों से छूटें।

अन्त में मैं संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं राजस्व विभाग और मंत्रि–मंडल से कि अपनी पॉलिसी वह जैसी भी हो अच्छी हो या बुरी, हमारी नीति के मुता–बिक कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं उनका सही दिल से, मज-बूती से पालन करायें। खाली कानून बना देने से और उनका क्रियान्वयन नहीं होने से राजस्थान की प्रगति नहीं हो सकती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, भू–राजस्व के बारे में मैंने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ..

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं राजस्व मंत्री जी को याद दिलाऊं कि जो लोग भूख से मरे हैं उसके सम्बन्ध में कुछ लोग आये हैं सरपंच वगैरह। जो रिपोर्ट दी गई है वह गलत है और बनावटी है। इसकी दुबारा जांच करालें राजस्व मंत्री तो उनको संतोष हो जायेगा कि सदन में जो उन्होंने भाषण दिया है वह गलत है। उनको वह इत्मिनान

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हो जायेगा। कई व्यक्ति आये हैं। एक महीने के अन्दर मरे हुए भूखमरी से मरे हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल ३–४ मिनट में ही कुछ प्रश्न माननीय राजस्व मंत्रीजी से करना चाहूंगा, और सबसे पहला प्रशासन–सुधार सम्बन्धी बातों के बारे में है। मैं समझता हूँ कि सन् ५४ से लेकर आज तक जितनी कमेटियां बैठी हैं और आखिर में जो सन् ६२ में कमेटी बैठी थी इस सामान्य प्रशासन के बारे में....

एक माननीय सदस्य : सामान्य प्रशासन !

श्री विजयसिंह झाला : हमारी पार्टी की तरफ से कटौती–प्रस्ताव है इनके बारे में बोल रहा हूँ।

जो भ्रष्टाचार आज पनपा है उसकी जिम्मेदारी जो बताई है वह मन्त्रि–मन्डल की बताई है। तो मैं समझता हूँ कि इस समिति ने यह माना है कि जैसे जैसे मंत्रियों की संख्या बढ़ती गई आपके प्रशासन में उसी प्रकार की अव्यवस्था और उसी अनुपात में भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। तो मैं यह डेफिनिट जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जमात जो मन्त्रियों की बना रखी है जिनको पहचाने जाने की भी बड़ी मुश्किल है कि ये किसके मिनिस्टर हैं ? ये राजस्थान के हैं या बाहर के हैं। तो क्या आप इस प्रकार की बड़ी जमात को कम करना चाहते हैं क्या ? क्योंकि जिस आधार पर आपने केबिनेट में निर्णय लिया था सन् ६२ में प्रशासन सुधार समिति बनी उस आधार पर निर्णय लिया उसमें पहली बात यह थी कि आपका मंत्रि मंडल अपने आपमें अपूर्ण है, संख्या बहुत बड़ी है और ज्यों ज्यों मंत्रि मंडल की संख्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात से बढ़ता जाता है। आप उसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डालना चाहते हैं, उन पर डालना चाहते हैं जो सदन में आकर जवाब नहीं दे सकते। मैं जानना चाहता हूँ कि केबिनेट ने निर्णय लिया उस आधार पर क्या इस जमात को कम करके सही व्यवस्था बनाना चाहते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा पोइन्ट है कुछ एस० डी० ओ० के बारे में। आपने एस० डी० ओज० के ऊपर सहकारी समितियों का भार डाल कर इतनी जिम्मेदारी डाल दी है कि वे इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। मैं चाहता हूं प्रशासन सुधार समिति ने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं उसके अनुसार आप इस बारे में कोई सुधार करना चाहते हैं या नहीं। रेवेन्यू के सारे मामले एस. डी. ओ. के आधार पर नहीं हो सकते। सिविल ऑथोरिटी को यह अधिकार होना चाहिए इसके अलावा और भी माइनर मामले एस. डी ओ. सुनते हैं। जुडिशियरी के सेपरेशन के बाद जो काम जुडिशियरी को सौंपना चाहिए वह उनको सौंप दे तो अव्यवस्था कम हो जायगी।

इसके साथ साथ मैं सीलिंग के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं; कभी ३ महीने की अवधि बढ़ाई जाती है, कभी ६ महीने की अवधि बढ़ाई जाती है, मैं समझता हूं इसका अन्त यही नहीं हो सकता। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो या तो आप यह कह दीजिये कि लागू नहीं होगा, लागू नहीं करना

(श्री विजयसिंह झाला)

चाहते या आपने यदि कोई क्राइटेरिया बनाया है और उसमें कुछ कमी है तो उसको दूर करना चाहिये । तो सिलिंग के बारे में सरकार का क्या रवैया है, कुछ कमी है तो कब तक सरकार उसको पूरा करना चाहती है, लागू करना चाहती है तो कब तक करना चाहती है, मैं डेट जानना चाहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो बोर्डर कमीशन है उसके लिए बजट में जो धन रखा है वह बहुत ही कम है । आप अपने जमात के सदस्यों को कम करके, घूमने का जो खर्चा है उसमें कमी करके राजस्थान बोर्डर के लिए जो धन रखा है उसको बढ़ावें । जबकि आज ताशकंद समझौता समाप्त हो चुका है, चोहटन के लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, यह भय दिखाया जा रहा है कि चोहटन के जो लोग पाकिस्तान गये हैं वे जल्दी ही वापिस आकर धावा करने वाले हैं, यह सारी स्थिति है इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ जो मौजूदा बजट में प्रावधान है राजस्थान बोर्डर कमीशन के लिए वह कम है, ज्यादा होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक बात चोहटन तहसील के बारे में और कह देना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर जितनी तकावी मिली है वह उनको मिली है जो पाकिस्तान के एजेन्ट थे । उनको जितनी तकावी मिली है वह राजस्थान के खिलाफ उपयोग में आई है । इस बारे में मैं एक उदाहरण इब्राहिम मलिया का देना चाहता हूँ जो आपके यहां के मिनिस्टर के खास आदमी थे उनको तकावी दी गई....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : वे मिनिस्टर कौन थे, उनका नाम बताइये ।

श्री विजयसिंह झाला : श्री बरकतुल्ला खां, जो अभी हाउस में अनुपस्थित हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत बात है ।

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल सही है । इब्राहिम मलिया को वे मुख्य मंत्रीजी के पास ले गये और कह दिया कि यह सी. आई. डी. के लिए पाकिस्तान जाना चाहता है, वहां की सारी खबरें हमारे पास लायेगा, वहां के नक्शे लायेगा । उस पर जो केस लगा हुआ था वह भी वापिस ले लिया और तकावी दी गई वह भी ले गया । वह पाकिस्तान गया और वापिस आया और उसके बाद उसके भाई के नाम से तकावी दी गई । जिस समय पाकिस्तान का हम पर हमला हुआ उस समय उसने सारे सीक्रेट्स और नक्शे उसने पाकिस्तान को दिये । मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो गैर–जिम्मेदारी का काम होता है वह इस प्रकार के पाकिस्तानी एजेन्टों के द्वारा होता है जो मिनिस्टरों और सरकारी अधिकारियों के कृपा-पात्र होते हैं और उनके द्वारा उनका पालन-पोषण होता है । इस पर चैक होना चाहिए और राजस्थान के बोर्डर कमीशन को सुविधा जुटानी चाहिये ।

पटवारियों को पंचायतों का अध्ययन करना चाहिए और रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार पंचायतों को होना चाहिये, यह बहुत आवश्यक है । पटवारी में सरपंच के साथ जिम्मेदारी के साथ काम करने की क्षमता नहीं है इसलिए जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक सही व्यवस्था नहीं हो सकेगी ।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू): उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक मिनिट इनको वन विभाग के बारे में बोलने के लिए दे दिया जाय तो विशेष कृपा होगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जनसंघ के ५ आदमी बोल चुके हैं, स्वतंत्र पार्टी के ४ ही बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सिम्बोलिकली सब को चान्स दिया जा चुका है।

श्री मानसिंह महार : आप हम लोगों को बोलने नहीं देते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आसन के आदेश का हम पालन करेंगे, सिर्फ दो मिनिट इनको दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सरकारी पक्ष।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मैं जनता के हित में बोलना चाहता हूं, उनकी बात बताना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सहयोग दें, हमेशा अवसर देता हूं।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मेरे यहां जंगलात के बारे में आन्दोलन हुआ है, मैं दो मिनिट में बोल कर रह जाऊंगा।

मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है ठीक कर देंगे उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले सज्जनों ने और हमने जनता के सामने नारे लगाये थे भूमि और जंगलात किसानों का होगा, लेकिन आज उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है यह सरकार को देखना चाहिये। हमारे यहां २०० से ऊपर एलॉट नहीं कर सकते राणा प्रतापसागर में, बेंगू तहसील के किसानों को छूट नहीं दी जाती है, हजारों बीघा जमीन का डिमार्केशन नहीं हुआ है, उनको नहीं निकालना चाहिये। जंगलात की सीमा गांव के पास से हटनी चाहिये। बरसों से जो कर्मचारी एक ही जगह पर बैठे हैं उनको हटाना चाहिये क्योंकि वे भ्रष्टाचार करते हैं और भी अन्याय होता है। वन के लिये वहां पर आन्दोलन हुआ है, लोग मरे हैं, वहां के लोगों के साथ न्याय होना चाहिये। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है उसको वे पूरा करेंगे।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप धीरे धीरे जवाब दें।

श्री भीखाभाई : आज राजस्व और जंगलात के सम्बन्ध में काफी बहस हुई....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सदन का समय जब तक कार्यवाही समाप्त न हो तब तक के लिये क्या बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के संबंध में कुछ सुझाव आये और खास तौर पर हमारे यहां के विरोधी दल के नेता महारावल साहब ने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये वन्य जन्तुओं के बारे में और वन संरक्षण के बारे में और भी माननीय सदस्यों की ओर से सुझाव आये उन सब के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में भी वे अपने रचनात्मक सुझाव मेरे पास लिखित रूप में भेज सकते हैं ....

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) : आपके विभाग में आपकी चलती नहीं है ।

श्री भीखाभाई : वन संरक्षण के बारे में एक कमेटी का निर्माण हो रहा है उनमें माननीय सदस्य भी हैं और उनको भी इस बात के लिये मौका मिलेगा कि किस प्रकार वन संरक्षण के बारे में अधिक से अधिक बात हो सकती है । इस कमेटी का निर्माण हो चुका है, आज कल ही में आदेश होने वाले हैं । खास तौर से यहां पर जो विचार व्यक्त किये गये उनमें ज्यादातर प्रमुखता इस बात की थी कि वन का क्या महत्व और वन की नीति किस प्रकार होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सन् १९५८ में बोर्ड ऑफ सेन्ट्रल फोरेस्ट्री ने एक प्रकार की नीति का निर्माण किया था और सारी राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए इस नीति का अनुपालन इस देश में प्रारम्भ हुआ । उसके परिणामस्वरूप मैं निवेदन करूं जो पैरामाउण्ट नीड्स हैं, जो पैरामाउण्ट आवश्यकता हैं वे उसके अन्दर बताई गई हैं । मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के डेज़र्ट का अपनी इस वन नीति के अन्दर उल्लेख पाया जाता है, वह इस प्रकार से है कि वन नीति का निर्णय करने के वक्त में किन किन सिद्धान्तों का, किन किन आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखना चाहिये, ये बातें उसमें मिलेंगी । मैं निवेदन करूंगा:–

It is based on the paramount needs of the country.

(i) Innundation

(ii) Erosion

(iii) Study encroachment of Rajputana desert on the fertile place around

इन चार आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रकार की राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण हुआ है । उसके आधार पर मैंने कहा कि उसमें जो नीड्स बताई गई हैं वे चार नीड्स बताई गई हैं....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपने पन्द्रह वर्ष में उस नीति के आधार पर कितना काम किया ?

श्री भीखाभाई : मैं वही बता रहा हूं ।

श्री भीमसेन : हम नीति नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बताइये कि कितना जंगल लगाया ?

श्री भीखाभाई : इन नीड्स में पहला था इनन्डेशन और दूसरा इरोजन खास तौर पर बताया ।

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके सामने इसलिए कहना चाहता था कि राजस्थान का प्रदेश है इस प्रदेश के अन्दर वनों को अधिक उगाने की आवश्यकता है क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जो बड़ा डैजर्ट एरिया है राजस्थान का–जैसलमेर का, बाड़मेर का और चूरू का। यह प्रदेश बढ़ता हुआ आगरा की तरफ चला जा रहा है, उसकी रोकथाम करने की जरूरत है....

श्री भीमसेन : इसके लिये क्या किया ?

श्री भीखाभाई : जो किया, वही बता रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : आगरा तो आप भी उसके साथ साथ जा रहे हैं।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य भी यह चाह रहे हों कि जो प्लान्टेशन हो रहा है उसको रोका जाय ...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप की गलती के कारण जो डूंगरपुर में जंगल लगा रहे हैं वह ज्यादा पैदा नहीं हुए हैं और उनका आप सत्यानाश कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो प्लान्टेशन के बारे में जिक्र हुआ है, जो पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार प्लान्टेशन किया गया, उसके लिए मैं सेन्टपरसेन्ट दावा करने की बात नहीं करता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ किया उसका जो परिणाम निकला है, उस परिणाम को इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर देखा जाय; उसमें मुझे एतराज नहीं है। जो प्लान्टेशन किया जा रहा है उसको देखने के लिए एक कमेटी की जरूरत है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन सज्जनों की, जिन माननीय सदस्यों की उन्हें देखने की इच्छा हो वे मेरे साथ चलें........

श्री विजयसिंह झाला : कब चल रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : कल चलिये, आप मेरे साथ........

कुछ माननीय सदस्य : तैयार हैं। तैयार हैं।

श्री भीखाभाई : मैं बताना चाहता हूँ कि प्लान्टेशन में जो समय लगता है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि चालीस वर्ष जंगल में लगते हैं तब जाकर वह बढ़ता है। और जो चालीस वर्ष लगते हैं उसका हिसाब करके मैंने देखा है, उसके कॉमर्शियल अकाउन्ट मौजूद हैं, उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एकड़ जमीन पर जहां प्लान्टेशन के लिये १२५ रुपये खर्च करते हैं, उनका रिटर्न चालीस साल के बाद में ६०० रुपये आता है। इस हिसाब से अगर प्लान्टेशन को देखा जाय तो मैं कहता हूं उसमें सर्वाइव कितने रहते हैं, यदि हम दो सौ प्लान्टेशन करते हैं तो उसमें ४६ का सर्वाइवल होता है........

श्री जोधसिंह चौहान : दो आने एकड़ के हिसाब से आपने गुलाम अब्बास को जंगल बेच दिया।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, अब पानरवा को खत्म कर दिया है । उस पर आप बोल नहीं सके, एक लब्ज भी नहीं बोल सके । सहरिया कॉर्पोरेशन भी खत्म कर दिया है क्योंकि उस पर भी आप बोल नहीं सके ।

श्री जोधसिंह चौहान : अरे भयंकर जंगल थे उनको आपने नष्ट कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा........

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं और फिर निवेदन करता हूँ कि इस सदन की परम्पराएं हैं और प्रतिष्ठा है; नियमों के अनुसार ही बोला जाय । बाद में अगर समय रहे तो स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न करने हों तो उसका मौका मिल सकता है लेकिन बीच में विक्षेप करना शोभा नहीं देता है ।

श्री जोधसिंह चौहान : गलत बात क्यों कहते हैं ? सही बात कहनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रावतराम (सादूलपुर) : ये अकेले सुनना चाहते हैं । हम भी तो यहां सुनते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस असेम्बली में सब बोनाफाइडी के साथ आते हैं । यह माना जाता है और सब अपनी बात कहते हैं । जो गलत होता है वह गलत सिद्ध होता है ।

श्री विजयसिंह झाला : हम ध्यान से सुन रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर दूं, प्लान्टेशन के बारे में माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं और जो प्लान्टेशन देखना चाहते हैं मैं उनको आमन्त्रित करता हूं । जोधसिंहजी, ने जो जोरों के साथ बोल रहे थे, वन सम्पदा को नष्ट करने में मदद दी है भोले भोले आदिवासियों को....

श्री विजयसिंह झाला : यह बिलकुल गलत है । हम नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०) : आपने दो आने में एक एकड़ जंगल के हिसाब से बेचा है

श्री जोधसिंह चौहान : आपने जंगल को नष्ट कराया है । गुलाम अब्बास को दो आने के हिसाब से एकड़ किसने बेचा है ।

श्री विजयसिंह झाला : आज भी गुलाम अब्बास लकड़ी काटता है । उसमें आपका हिस्सा है । सारा पैसा आप लेते हैं ।

श्री जोधसिंह चौहान : आपकी मोटर उसके यहां जाती है । आज भी आप मोटर में जाते हैं गुलाम अब्बास के यहां और उसको दो आने एकड़ के हिसाब से जंगल को बेचा है ।

श्री विजयसिंह झाला : आप इस तरह की झूठी बात क्यों कहते हैं ?

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार ने उन जंगलों को नष्ट किया है । मैं कहता हूं,

(श्री जोधसिंह चौहान)

आपने जयसमन्द के जंगल को नष्ट किया है।

श्री विजयसिंह झाला : आपको इन शब्दों को वापिस लेना चाहिये।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जयसमन्द में सूअर के बजाय गडुए ले जाकर छोड़े हैं और उनको मैंने दिखाया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भीखाभाई : यह तो एक तरह से तहश-नहश की बात चल पड़ी।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही नहीं है कि आपने सूअर के बजाय गडुए ले जाकर छोड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जोधसिंह चौहान : मैं कहता हूं कि यहां के ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया और सूअर के बजाय उदयपुर नगर से गडुए ले जाकर वहां छोड़े गए। यह मैंने दिखाया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जोधसिंह चौहान : आपने जयसमन्द को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, आपको डूब मरना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अरे ! वाह रे हकूक !

श्री भीखाभाई : मैं प्लान्टेशन के बारे में बताऊं।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह बात सही नहीं है कि जयसमन्द के अन्दर सूअर को बजाय गडुए छोड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इस तरह यह दुर्व्यवस्था ठीक नहीं है, माननीय सदस्य !

श्री जोधसिंह चौहान : यह बताओ कि क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ! ऑर्डर !!

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर ठेकेदारी प्रथा के बारे यहां पर कुछ प्रश्न और सुझाव आये थे। मैं यह निवेदन करूं कि जो विरोधी दल के माननीय नेता हैं उन्होंने भी इस बात को रखा था कि ठेकेदारी प्रथा को दूर करना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि लगभग तीन या चार साल से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अन्दर ठेका बन्द कर दिया और वहां पर ठेका बन्द करने के बाद में वहां जिस प्रकार से सहकारी समितियों का निर्माण होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, यद्यपि १९५६-५७ के अन्दर कुल मिलाकर ११ कोऑपरेटिव सोसाइटी थीं, आज राजस्थान के अन्दर ११३ फोरेस्ट सोसाइटी हैं। और फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ दिन पहले रूल्स के अन्दर कुछ संशोधन किया गया है। हम चाहते हैं कि और भी

(श्री भीखाभाई)

क्षेत्रों के अन्दर उस प्रकार की सहकारी समितियों का निर्माण हो ताकि पूरी ठेकेदारी प्रथा के बारे में, जिस प्रकार फोरेस्ट इन्कवायरी कमेटी ने सिफारिश की है–वह पूरी हो। परन्तु मैं निवेदन करूं कि गति बहुत धीमी है, सहकारी समितियां बनने के बाद बहुत धीमी गति से चल रही हैं और आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अन्दर जिस तादाद के अन्दर सहकारी समितियों का निर्माण होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। उसके परिणाम स्वरूप मैं देवगढ़ की बात कहूं, वहां सोसाइटी के आधार पर क्षेत्र छोड़ा था, लेकिन वहां दो-तीन महीने निकलने के बाद भी सोसाइटी नहीं बनी जिससे वन विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हमारे सामने नहीं हो। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य और जो कार्यकर्ता हैं और जो सहकारिता में विश्वास करते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ायें ताकि वन-सम्पदा का एक्स्प्लॉइटेशन हो और वह सोसाइटी की मार्फत हो सके........

श्री जोधसिंह चौहान : आज भी सहकारी समिति नहीं बनी है जब कि सहकारी समिति के ग्यारह रुपये वसूल कर लिये हैं और आपने अपनी जेब में रख लिए हैं और आज भी जंगल से लकड़ी लाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य !

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह बात भी गलत है ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो सहकारी समितियों की बात कर रहा था, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे भी सहकारी समितियां बनावें। आप यह कहते हैं कि झूठी सहकारी समितियां बनाई गई हैं। आप सच्ची बनावें, मैं उनको इसके लिए आमन्त्रित करता हूं। वे गिरवा क्षेत्र से आये हैं, वहां पर वे सहकारी समितियां बनावें। मैं तब मानूंगा कि जब वे कुछ काम करके दिखावेंगे। वे कुछ रचनात्मक काम तो करते नहीं किसी भील भाई के लिए और यों ही बातें करते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : भील पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्री भीखाभाई : इस तरह से बातें करने से काम नहीं होता। रचनात्मक काम करके दिखावें।

श्री जोधसिंह चौहान : आप भीलों की भलाई की बात नहीं सोचते...........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस तरह से हल्ला करने से...........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भीखाभाई : इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बात उठाई गई है वह बेजा बात है और उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि वे यों ही बातें करते हैं और काम करते नहीं। इससे साफ मालूम हो सकता है कि किस प्रकार वे काम करते हैं। आपको इससे पता चल सकता है कि किस प्रकार से काम करते हैं। अकाल सहायता के सम्बन्ध

(श्री भीखाभाई)

में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की नीति का प्रश्न है - राजस्थान में जो बड़े बड़े बीड़ थे उनको राजस्थान सरकार ने अपने पास रखे हैं और छोटे छोटे थे उनको ग्राम पंचायतों को दिए हैं। वहां वे उनकी घास की कमी को पूरा करते हैं। हमने ४ जगह पर ग्रास फोडर टेंक बनाये।

श्री जोर्धासह चौहान : वे जंगल जिनमें खेती नहीं होगी............

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि या तो डॉक्टरी एग्ज़ामिनेशन हो जावे लोगों की जुबान का। बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, या तो कटवादी जावे जिससे

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका इशारा भीखाभाई के लिए है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो ठीक है। मगर वे हुक्कू का क्या करेंगे आप।

श्री भीखाभाई : अभी जो बात माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें यह तो साफ है कि उनका इशारा मेरी तरफ नहीं है। यह किसकी तरफ है, यह सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है।

श्री भीखाभाई : अभी यह कहा गया कि जब स्टेन्डर्ड ट्रीज कट जाते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी आमदनी लगभग ३ लाख रुपये हुई थी। जब उनको कोई काटता है तो उस पर बराबर जुर्माना किया जाता है और वह जुर्माना जमा होता रहा है।

अब जहां तक आदिवासियों की सुविधा का प्रश्न है इसके बारे में वन विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति सन् १६४६ में निकली थी और उसके बाद में एक विज्ञप्ति १६५५ में निकली है उसके अनुसार मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि आदिवासी लोगों और कृषकों को कबाड़ा मुफ्त में दिया जाता है। आदिवासी जाति में--बावरिया, भील, गिरासिया, मीणा, सहेरिया और अन्य जाति जो इन नियमों के लिये गवर्नमेंट द्वारा आदिवासी घोषित की जावे और कृषकों से अभिप्राय उनसे हैं जिनका जीवन मुख्यतः खेती पर निर्भर करता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कतई मुफ्त कबाड़ा इन लोगों को देते हैं और इससे सरकार को १५ से १६ लाख का घाटा होता है। यहां पर यह बात कहते हैं कि यहां पर आमदनी कम होती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आमदनी १६५५-५६ में ५ लाख ६० हजार हुई और ६४-६५ में ८६ और इस साल ६६ लाख तक आंकी है। इसके अन्दर भी हम लोगों को कन्सेशन देते हैं, वह कन्सेशन इस प्रकार हैं:--

६१-६२ में १७ लाख का कन्सेशन।

६२-६३ में २४ लाख का कन्सेशन दिया गया।

६३-६४ में २६ लाख का कन्सेशन दिया गया।

६४-६५ में ४१ लाख का कन्सेशन दिया गया।

(श्री भीखाभाई)

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि प्रतिवर्ष कितनी ही जमीन इन्डस्ट्रियल यूज के लिये दी जाती है। आपने देखा होगा कि राणा प्रतापसागर और झालावाड़ में हमने काफी जमीन दी है जब कि आबादी का प्रेशर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और आये साल जमीन कुछ रिलीज करते हैं। इसके लिये स्थाई रूप से एक कमेटी जिला स्तर और पंचायत समिति के स्तर पर बनाई है वह जगह-जगह लैंड की सर्वे करके, जहां भी जमीन रिलिज करने के बारे में अपनी राय दे और जो जमीन खेती के काम की है उसके लिये भी प्रावधान कर रखा है। इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं है, मैं उनको इस प्रकार की जानकारी देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस विज्ञप्ति का जिक्र कर रहा हूँ उसमें से पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषकों को इमारती लकड़ी सम्बन्धी रियायतें हैं वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ : आम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं, पहाडी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषक अरक्षित दरख्त खेती के कार्य के लिये इमारती लकड़ी मुफ्त किसी भी जंगल से जो कि कूप कटा बन्द जंगल न हो ले सकते हैं। यदि उस स्थान पर अरक्षित दरख्तों की इमारती लकड़ी उपलब्ध न हो तो वे ऐसी लकड़ी रक्षित से ले सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पहाड़ी और प्लेन क्षेत्रों के बारे में आप कृपया बतावें कि पहाड़ी इलाका कौनसा है और प्लेन कौन सा है ?

श्री भीखाभाई : यह मैं १६५५ की विज्ञप्ति है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ।

श्री अब्दुल जब्बार : आप १६५५ की बात कर रहे हैं। आज ६६ चल रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि वहां पर लोगों को घास नहीं मिलता उसको आपने प्लेन घोषित कर रखा है और जहां पर पहाड़ नहीं है उसको आपने पहाड़ी इलाका घोषित किया है। जिला चित्तौड़ के लोग इससे परेशान हैं। आप इस पर गौर फरमावें।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ?

श्री भीखाभाई : मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी, कबाड़ा तो दिया जाता है। उसके अलावा मकान बनाने के लिये इमारती लकडी आम शर्तों के अनुसार दी जावेगी। ऐसी इमारती लकडी केवल आदिवासियों को उपरोक्त दर्ज शुदा लकड़ी तीन वर्ष में एक बार मुफ्त में अरक्षित दरख्तों की दी जा सकेगी।

इससे यह साबित होता है कि जिन आदिवासियों को उनके रहवास के लिये मुफ्त जमीन मिलती है, वन विभाग कबाड़ा भी मुफ्त देती है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात नहीं समझा। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में मुफ्त कबाड़ा किया जाता, है यह क्या कबाड़ा किया जाता है ? यह समझ में नहीं आया।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

जानना चाहूँगा कि यह जो सुविधा आपने बताई है वह क्या सारे राजस्थान के आदिवासियों को दे रखी है या खास जगह पर दे रखी है ?

श्री भीखाभाई : सारे माननीय सदस्यों को मालूम है। यह केवल यहीं पर लागू है सब जगह पर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा वह वे समझे या नहीं।

श्री गणपतिलाल वर्मा : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सारे राजस्थान के लिये यह सुविधा है या नहीं और अगर नहीं है तो सारे आदिवासियों को अधिकार है कि उनको भी यह सुविधा मिले। आपने यह भेदभाव की नीति क्यों अपनाई है और यह भेदभाव क्यों रखा है ?

श्री भीखाभाई : फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि इन कन्सेशनों को इनसे विड्ड्रॉ करने पर विचार करना चाहिये।

श्री भैंरोंसिंह : जो कन्सेशन्स आपने बताये हैं वे कौनसे एरिया पर लागू हैं ?

(५.०० म. प.)

श्री भीखाभाई : यह सब वे माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री श्रवणलाल : इसका क्या मतलब हुआ, हम तो नहीं जानते।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री भीखाभाई : वन विभाग की जो यह विज्ञप्ति है, इसमें सब लिखा हुआ है। मैं इस विज्ञप्ति की ५ प्रतियां सदन की मेज पर रख देता हूँ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में बैकवर्ड क्लासेज की जो सीटें है, सभी जिलों की हैं, इससे यह साफ प्रमाणित होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स राजस्थान के सभी जिलों में रहते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये सुविधाएं सब जिलों के शिड्यूल्ट कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को क्यों नहीं दी जाती हैं, कुछ जगहों पर ही क्यों दी जाती हैं ?

श्री भीखाभाई : यह हिस्टोरिक सवाल है। तो मैंने निवेदन किया कि फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी राजस्थान सरकार ने बनाई थी उस कमेटी ने यह कहा था कि यह जो कन्सेशन्स दिये हुए हैं वे नहीं देने चाहिये, पर सरकार ने उदारता पूर्वक, क्योंकि उन लोगों को सैटलमेंट में वह राइट्स मिल गये थे इसलिये वह राइट्स दिये। दूसरी जगह भी फोरेस्ट सैटलमेंट होता है और वहां पर भी सैटलमेंट में वह राइट्स मान लिये जाते हैं तो दिये जा सकते हैं। आपने सब एरिया के लोगों के लिये कहा कि सब जगह इस प्रकार के राइट्स देने चाहियें इसके लिये मैं कहता हूं कि मानलीजिये हिन्दूमल कोट के पास भील रहते हैं, वहां क्या इस प्रकार का जंगल हो सकता है और क्या वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती हैं ? तो जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसे न तो एडमिनिस्ट्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, न विधान सभा ही बर्दाश्त कर सकती है।

श्री गणपतिलाल वर्मा : जहां फोरेस्ट्स हैं वहां पर तो इस प्रकार के अधिकार दिये जा सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : माणिक्यलालजी वर्मा के अन्दर में कमेटी बनी थी, उसमें यह तय किया गया था।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मसला यह नहीं है, पर फोरेट्स इन्क्वायरी कमेटी ने इन्कार कर दिया कि ये कन्सेशन्स नहीं देने चाहियें। ठीक है, सरकार की आमदनी कर दी। हमारी सरकार की स्थिति ऐसी थी कि जहां इस प्रकार के कन्सेशन्स का लोग उपभोग करते थे वहां कन्टिन्यू कर दिया। सवाल यह है कि जहां जंगल हैं वहां पर्टीक्यूलर क्लास को कन्सेशन्स दिये जाने चाहिये तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अनाउन्समेंट करें, आपके अनाउन्समेंट से डिक्लेअर करिये कि जहां जंगल होंगे, जहां ट्राइब्स के लोग होंगे वहां जंगल होते हुए यह सुविधा सबको बराबर दी जायगी। अरे साहब आप उनकी बन्द करें तब इनकी भी कर देना। अभी एन्क्वायरी कमेटी का कोई प्रश्न नहीं हैं जब कि आप कन्टिन्यू कर रहे हैं कुछ पर्टीक्यूलर हिस्सों में इस प्रकार के कन्सेशन को। हमारे इलाके के ट्राइब-पीपुल के शामलाती राइट्स थे, उनके वे राइट्स सरकार ने लिये हैं, उनके अधिकारों को भी एक्स्टेन्ड करना चाहिये जब तक कि उनकी माली हालत ठीक नहीं हो जाती। जो ट्राइब्स के लोग हैं, जंगलों में बसते हैं, उनके पक्ष में इस प्रकार की सुविधाओं को अनाउन्स कर देना चाहिए।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये रूल्स सदन की मेज पर रखे हैं, इसमें लिखा है, कहां लागू होंगे। ये नियम फोरेस्ट डिविजन उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व टोंक में लागू होंगे, जहां कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जंगल की पैदावार सम्बन्धी रियायतों के विशेष नियमों की आवश्यकता है और जहां ये रियायतें अब तक मिलती आ रही हैं।

इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार यह डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकती है कि उनके यहां तो आदिवासियों को इस प्रकार की सुविधाएं मिलती रहें और दूसरों को नहीं मिलें। यह डिस्क्रिमिनेशन सरकार कैसे कर सकती है ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को जरा कानून पढ़ना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपके जवाब में ज्वालाप्रसादजी का भी जवाब होना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय ने ठीक कहा है, मैं ताईद करता हूँ, इन्होंने कट मोशन किया है हुक्कू बन्दर सा, ये कानून जानते नहीं और कट मोशन इस तरह हुक्कू बन्दर सा रखते है।

श्री भेरोंसिंह : जिस समय ये वन मंत्री जी बोल रहे हैं तो उस समय आपने यह हुक्कू बन्दर की बात क्यों उठाई ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है पर चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो मैं उत्तर दे देता हूं; आज स्थिति यह है कि जहां फोरेस्ट सैटलमेंट हो रहा है क्योंकि मैं आदिवासी हूं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हूं इसलिये यह कहा जाय कि आदिवासियों को यह सुविधाएं दे दी हैं यह उचित नहीं है, हमने तो कृषक शब्द का इस्तेमाल किया है, कोई भी जाति का कृषक हो, जो खेती करता है वह कृषक है, उनको जो सुविधाएं मिलती थीं वह सबको समान रूप से दी हैं। किसी हिस्से में किसी प्रकार के राइट्स होते है किसी में दूसरे प्रकार के, किसी जगह एक प्रकार के राइट्स ज्यादा हो सकते हैं तो किसी जगह और प्रकार के राइट्स ज्यादा हो सकते हैं। आज जोधपुर में जो ग्रेजिंग राइट्स हैं दूसरी जगह नहीं हैं। तो उन राइट्स को सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। हां जिस समय फोरेस्ट सैटलमेन्ट हो और वहां किसी के राइट्स मान लिये जायं तो हो सकता है कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जाय ...

श्री भैरोंसिंह : कमेटी की सिफारिशों का प्रश्न नहीं। सवाल यह है कि कुछ हिस्सों में गवर्नमेंट ने ये कन्सेशन्स डिक्लेअर किये हैं। आप तो कानून जानते हैं राजस्थान के अमुक अमुक हिस्सों में तो ये कन्सेशन मिलें और दूसरे हिस्सों में ये कन्सेशन्स नहीं मिलें, यह डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : डिस्क्रिमिनेटरी कोई बात नहीं है, इसलिये नहीं है कि राजस्थान के अन्दर अलग अलग जगह अलग अलग चराई की रेट्स हैं, क्या आप यह मानते हैं कि सब जगह एक हो जायं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, जरूर एक रेट कर दी जाय।

श्री भीखाभाई : इस कानून की सेक्शन ८८ में लिखा हुआ है कि जो कानून पहले बने हुए हैं, उन कानूनों को ऐसा माना जायगा कि राजस्थान में पास किये है।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान बनने से पहले जो फोरेस्ट के कन्सेशन्स थे उनको गर्वनमेंट ने दिया है।

श्री भीखाभाई : ५५ में भूतपूर्व राजस्थान ने जिस क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएं देने का कानून पास किया....

श्री भैरोंसिंह : आप भूतपूर्व राजस्थान में ही यह सहूलियतें देना चाहते हैं, तो क्या बाकी का राजस्थान पंजाब के नीचे है क्या ?

श्री भीखाभाई : आप सुन लीजिये, एक एक रेंज में तीन तीन चराई की रेट्स हैं, एक तरफ वह सहूलियत है और फिर यह सहूलियत भी चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो एक बात बता दीजिये। आपके क्षेत्र में वनवासियों को ये सहूलियतें हैं। मेरे क्षेत्र में खुडाला में आदिवासी भील हैं उनको यह सहूलियतें क्यों नहीं हैं ?

श्री भीखाभाई : ये वनवासी नहीं हैं। विरोधी दल के नेता ने कहा था कि जो वन खण्डों में रहते हैं, वनखण्डों की रखवाली करते हैं, उनके लिये ये हैं, आप उनके

(श्री भीखाभाई)

लिये कहते हैं जो वन खण्डों में नहीं रहते, वन खण्डों की रखवाली नहीं करते, सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : जो पहले वाले राज्यों में सहूलियतें दी हैं, वे सिराही में क्यों नहीं दी हैं, वहां जंगल भी है और आदिवासी भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री !

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो नियम बनाए हैं क्य यहा सही है कि उन्हीं इलाकों पर लागू होते हैं जिन इलाकों में ये रियायतें पहले ही मिल रही थीं बाकी इलाकों पर लागू नहीं होते ? आपने कहा था कि जिन इलाकों में पहले से लागू हैं उनमें तो कानूनी रिकॉग्नीशन है।

श्री भीखाभाई : ऐसा लगता है कि जहां इलाकों में राइट्स रिकॉग्नाइज्ड थे उनके राइट्स को कोडीफाई किया, उनके अंतर्गत लिया। अब दूसरी जगह पर जिस प्रकार से राइटस रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको आज भी देते हैं सिवाय इसके कि अगर सैटलमेंट के समय खामोश रहे या रेवेन्यू में जो एप्लीकेशन देंगे; जो खर्चा प्रतिवर्ष है जैसे मैंने पढ़कर सुनाया, वह कन्सेशन का रुपया बढ़ता जाता है और बजट गिर रहा है, सत्यानाश हो रही है, यह कैसे हो सकता है, दोनों बातों का मेल कहीं नहीं बैठ सकता। मैंने अपनी बात कहदी और अब बजट की धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों को भूतपूर्व रियासतों में कन्सेशन्स लोगों को कानून के तहत मिलती थी उनको आज भी नियमों के बावजूद मिलेगी या नहीं ?

श्री भीखाभाई : आप वकील की तरह बात करते हैं, तो मैं भी वकील की तरह जवाब दूंगा। मैंने आपसे कहा कि क्या सैटलमेंट हो गया और सैटलमेंट के राइट्स में क्लेम था या नहीं अगर क्लेम नहीं किया तो गया और क्लेम किया तो मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके नियमों में लिखा है कि राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा ३२ और ७६ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति दिनांक ३१-१-५१ को आंशिक रूप से रद्द करते हुए राजस्थान सरकार जंगल की पैदावार संबंधी रियायतें देने के लिए यह नियम प्रचलित करती है। ये नियम फोरेस्ट डिपार्टमेंट उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक में लागू होंगे जहां कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जंगलों की पैदावार, भूमि रियायतों के विषय में नियमों की आवश्यकता है और जहां ये रियायतें अब तक मिलती आ रही हैं। इसका मतलब इसके अलावा बाकी जगह रियायतें नहीं मिलती थीं और आज भी नहीं मिलेंगी। चूंकि रियायतें मिलती थीं वे नियमों के अन्तर्गत अब भी मिलेंगी यह स्पष्ट हो गया। इसका मतलब जो रह गए जिले जिनमें नहीं मिलती थीं वहां नहीं मिलेंगी।

एक माननीय सदस्य : यदि ऐसा नियम बताया गया है तो खानपुर क्षेत्र में आदीवासियों को जंगल का सामान नहीं मिलता

(एक माननीय सदस्य)

है। यदि ऐसा कानून है तो जांच कराएं कि कृपा करके आदिवासियों को सुविधाएं प्राप्त कराएं।

श्री भीखाभाई : मैं समझता हूं कि मैंने काफी स्पष्टीकरण कर दिया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ पढ़ा है, माषा को टिवस्ट किया है। मैं भी अगर उनकी तरह सुप्रीम कोर्ट में जाता तो उनकी तरह वकालत करता।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने पहाड़ी क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। मैं पढ़कर सुनादूं। आपने चित्तौड़गढ़ जिला बताया है उसमें कनेरा तहसील एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चित्तौड़गढ़ तहसील, पालां, गलियाल, गालेटा अन्लीमाता; पहाड़ी इलाके हैं, आप इनको पहाड़ी इलाका घोषित करें। आपके नियम अधूरे हैं उनको ठीक करें। कानून आपका ऐसा है ...

(अनवरत घंटी)

जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर सही ढंग से ... ...

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी चाहिए ..

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं। राजस्व मंत्री।

श्री भैंरोंसिह : अगर हम बीच में कहते हैं तो आप आदेश देते हैं कि बीच में मत छेड़ो, बाद में सवाल पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने नहीं छेड़ा था उनको इजाजत दी गई थी।

श्री भैंरोंसिह : आपने फरमाया था कि बीच में हस्तक्षेप न किया जाय। कई शिष्टता दिखाने के लिए छेड़-खानी नहीं करते और बाद में सवाल करते हैं तो आप कहते हैं राजस्व मन्त्री बोलें।

श्री दयाचन्द सोन : जो बारां के अन्दर घास का घोटाला हुआ था.......

श्री भीखाभाई : मेरी समझ में नहीं आया।

श्री भैंरोंसिह: बारां के अन्दर घास काटने में, बेचने में, लदान कराने में घोटाला हुआ, उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री भीखाभाई : जांच हुई थी, यह तो कहीं भी कटौती प्रस्ताव नहीं है। इन्क्वायरी हुई थीं, कुछ लोगों को सजा मिली थी। इसमें अकांउटेन्ट और दूसरे आदमी इन्वोल्व्ड थे। मेरे पास यह जानकारी रेडिली अवेलेबल नहीं है।

श्री भैंरोंसिह : चिट बोर्ड फैक्टरी का क्या हुआ ?

श्री भीखाभाई : वह तो बंद है।

श्री भैंरोंसिह : क्यों है ? एग्रीमेंट के अनुसार जिस नाम से लाइसेन्स दिया था उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री भीखाभाई : एक्शन ले रहे हैं । इसमें हमने नोटिस दिया था कि इतने समय के अन्दर कोई फैक्टरी लगाते हो तो उनको काम करने दिया जायगा, नहीं तो नहीं ।

श्री भैंरोंसिंह : लेकिन वह जंगल काट कर तो ले गए ?

श्री भीखाभाई : मैंने सारा एग्रीमेंट पढ़कर सुनाया ।

श्री भैंरोंसिंह : एग्रीमेंट तो कई बार आपने और मैंने बैठकर पढ़ लिया, लेकिन वह जंगल काटकर ले गए और सेठ ने जो एग्रीमेंट किया था, जो उसको काम करना चाहिए था वह तो उसने नहीं किया ।

उप–मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन के माननीय सदस्यों ने राजस्व विभाग की मांगों के सम्बन्ध में कई कटौती के प्रस्ताव पेश किए ।

श्री जोधसिंह चौहान : मिनिस्टर बोलें तो अच्छा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मंत्री महोदय की भाषा सुनने में बहुत प्रिय है, लहजेदार भाषा है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : विशेष तौर से जैसे आज जिस भाषा में विरोधी दल को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग से संबंधित मांगों पर सदन के कई माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स प्रस्तुत किए । इन कट मोशन्स के जरिए राजस्व विभाग से संबंध रखने वाली कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया । कई माननीय सदस्य बोल पाए और कुछ समय के अभाव से नहीं बोल पाए लेकिन ज्यों ज्यों समस्याओं का ज्ञान सरकार को होगा, उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा । स्वतन्त्रता के बाद और राजस्थान के निर्माण के बाद खास तौर से इस राज्य में भूमि सुधारों की शृंखला लग गई जिसकी वजह से राजस्थान में कई नियम, कई उपनियम और इसके बाद में काफी आदेश प्रसारित किए गए । उन सबका इरादा एक ही था । जिस तरह से किसान को जिस समय कठिनाई हो उसको हल करने के लिये समय समय पर सरकार ने ये आदेश प्रसारित किये । इस वजह से इस सम्बन्ध में इन्टरप्रिटेशन में, इम्पलीमेन्टेशन में कुछ कमी रह सकती है, कुछ कमी अनुभव की गयी हो, समस्यायें अनुभव की गयी हों उसके पीछे सरकार का एक ही इरादा रहा है कि समस्याओं को हल किया जाय, उनका निराकरण किया जाय ।

मैं उन कमियों को अनुभव करते हुए भी जितनी विभाग के बारे में चर्चा हुई, जो मुद्दे उठाये गये उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा । विरोधी दल के नेता ने मनुः स्मृति का उदाहरण देते हुए कि मनुः स्मृति ने यह कहा है कि लैंड रेवेन्यू १।१०वां भाग लेने का आदेश है और यह सरकार बहुत ज्यादा ले रही है, इस तरह की बात यहां पर कही गयी । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सम्बन्ध में कि जब राजस्थान बना इसका क्षेत्रफल १.३२ लाख स्कवायर मील था। उसमें ८७ हजार स्क्वायर मील ऐसा एरिया था जो जागीर एरिया था और ४६ हजार स्क्वायर मील केवल खालसा एरिया था। राजस्थान बनने के बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा न केवल उन ८२.८३ हजार स्क्वायर मील एरिया का सेटलमेन्ट किया बल्कि दूसरी जगह जहां सेटलमेन्ट नहीं हुआ था उसका भी सेटलमेन्ट किया और उस सेटलमेन्ट का एक निश्चित परिणाम हमारे सामने आया है। जो जागीर एरिया में उस समय लैंड रेन्ट्स थीं वे बहुत ज्यादा थीं और बहुत ज्यादा होने के साथ-साथ कई जगह केश के साथ-साथ जिन्स में भी लेते थे जिसकी वजह से किसानों को बड़ी तकलीफ थी और सरकार ने उनका सेटलमेन्ट कराके किसानों को वह राहत पहुँचायी।

आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जैसलमेर के ४०० गांवों को छोड़कर जिसका एरिया ११ हजार स्क्वायर मील होगा बाकी सब गांवों में सेटलमेन्ट हो चुका है और रेन्ट रेट्स मंजूर होकर लगान कायम हो चुका है और पहले चाहे जिन्स के रूप में देते हों और केश के रूप में देते हों उसमें कमी हुई है। सेटलमेन्ट कराने का मतलब हमेशा यह नहीं हैं कि लगान में वृद्धि की जाय। डीडवाना से आये माननीय सदस्य ने लगान के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): उदयपुर के अन्दर रेवेन्यू बढ़ा दिया उसको तो बताओ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपको सब बता दूंगा। आप बैठ जाइये।

श्री राधाकृष्ण गोयल: यह अधिकार उपाध्यक्ष महोदय का है।

श्री उपाध्यक्ष: यह उस समय प्रश्न करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सेटलमेन्ट के लगान में वृद्धि होती है तो उसके लिये आधार होते हैं। जमीन उपजाऊ बनती है, कूआ खुदता हैं और किस्म बदलती है और दूसरे फेक्टर प्राइस के वगैरा के उस हिसाब से वृद्धि होती है। लेकिन नागौर जिले में, धौलपुर सब डिवीजन में जब हमने सेटलमेंट जरिये देखा कि लगान की दरें ज्यादा हैं तो उनको नीचे की ओर भुंभनू में भी कई हिस्सों में दरों में छूट दी। कहने का मतलब यह है कि सेटलमेन्ट विभाग केवल लगान की वृद्धि के लिये नहीं हैं, लेकिन भूमि की सही तस्वीर किसानों के सामने रखने के लिये है, किसान को जमीन का, एरिया का, क्षेत्र का सही ज्ञान उनको रहे इस दृष्टि से यहां काम किया जाता है।

लगान के बारे में यह कहा गया कि मनुस्मृति के आधार पर १।१० होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब उनका राज्य था १।२, १।३, १।४ और जिन्स में भी और केश में भी इस तरह से लिया जाता था। आज राजस्थान में १।६ है, हिन्दुस्तान में यह पहला प्रान्त है जिसने १।६ का सिद्धान्त स्वीकार किया है। और उसी सिद्धान्त के आधार पर सारी रेन्ट रिपोर्ट्स और सेटलमेंट किया जाता है। मनु ने भी जैसा रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हैं १।१० नहीं बताया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

"According to manu the share of 1/6th of the gross produce wherever the land produce little or much was heaped on the threshing floor and the kings' officers took its divi:ion in time."

तो १।६ ग्रोस प्रोड्यूस का मनु ने कहा है।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : उस समय एग्रीगेट सोर्स ग्रॉफ इनकम यही थी।

श्री रामप्रसाद लडढा : मैं आगे आता हूं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि १।६ के लिये कहा है मनु ने और १।१० के लिये नहीं कहा है। और मनु स्मृति में क्या कहा जाय, वह यहां पर इस संबंध में रिलेवेन्ट नहीं है। स्टेट, जिसको नेशनल ग्रोनरशिप ग्रॉफ लैंड माना है और उसके बिल एवज स्टेट के डेवलपमेन्ट के काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम, उसमें कॉन्ट्रिब्यूशन देने का एक तरीका है और इस तरीके को डीडवाना के माननीय सदस्य एतराज कर रहे है। उन्होंने रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट में माना है और उसमें लिखा है :

"That the land revenue is an item of the State exchequer."

यह उन्होंने माना है और इस तरह से यहां लैंड रेवेन्यू लॉज जारी है।

अब सवाल यह आता है कि ज्यों २ भारत विकास करता है, देश विकास करता है, इस तरीके को अप्टूडेट न माना जाय और आउट डेटेडमाना जाय, और कोई तरीका हो, उन्होंने सोशलिस्ट और केप्टिलिस्ट्स कन्ट्रीज का उदाहरण दिया कि वहां पर लगान नहीं लिया जाता। मैं अभी रूस गया था। उनके कहने के अनुसार वहां लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता है लेकिन वहां पर जो कुछ प्रोड्यूस होती है उसका सर्टन पर्सेन्टेज है उस पर मिनिमम प्राइसेज फिक्स कर रखी है, गवर्नमेन्ट को वह प्रोड्यूस, जो खेती करता है, उसको देनी पड़ती है। वहां पर क्लेक्टिव फार्मिंग भी हैं। केपिटेलिस्ट्स कन्ट्रीज में इनकम टैक्स के रूप में लेते हैं। खेती में आमदनी होती है, जिसको एंग्जेम्प्शन लिमिट कहते हैं उसको छोड़ देने के बाद जो कुछ बचता है स्लेब सिस्टम, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, लिया जाता है। यहां पर भी ऐसा तरीका अपनाया जा सकता था लेकिन आज देश की परिस्थिति, किसान की परिस्थिति, उनमें शिक्षा का अभाव होने के कारण उन पेचीदगियों को वे समझ नहीं पाते इसलिये हिन्दुस्तान में इस पद्धति को अपनाने की कोशिश नहीं की गई। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पहले लगाया गया था। कमी अनुभव हुई, हालांकि दूसरे तरीके का होता, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देने के बजाय किसान सरचार्ज देना पसन्द कर लेगा लेकिन इनकम टैक्स में रिटर्न वगैरा भरना और कई बारीकियों से गुजरना पड़ता है, ज्यों ज्यों वातावरण आयगा और शिक्षा की कमियां हैं वे दूर हो जावेंगी वैसे वैसे उसके लिये सोचा जा सकता है लेकिन आज की परिस्थितियों में जो कुछ किया जा रहा है उसके सिवाय हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने एरिया में सेटलमेंट किया और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लैंड की तस्वीर बनायी उससे किसानों को राहत मिली है लगान और अधिकारों के रूप में। थोड़े दिन पहले यह फैसला किया गया था कि किसानों को पास बुक जारी करेंगे जिससे उसको जमीन के हक के बारे में रकबे के बारे में, अधिकारों के बारे में, लगान के बारे में पेमेन्ट की अदायगी के बारे में, जमीन की लिस्ट भी उसमें लिख दी गयी हो जिससे वह सिक्योरिटी फील करे, अपने आपको सिक्योर्ड समझें।

यद्यपि हमारे दस हजार गांव सेटलमेन्ट के रिवीजन के लिये ड्यू हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जहां जहां ड्यू हैं उनका रिविजन हो जाय जिससे जमीन का मुश्तकिल नक्शा बन जाय और आगे चल कर यह सोचा जा सकता है कि बार बार रिविजन की आवश्यकता न हो व और तरीका अपनाया जाय।

लैंड लॉज कमीशन ने रेशनलाइजेशन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह भी विचाराधीन है। इस तरह से सेटलमेन्ट और कन्सोलिडेशन में इन वर्षों में किसान को राहत देने में काफी काम किया है।

लगभग ५,१३,६९३ एकड़ पर कन्सोलिडेशन हो गया है। इससे काफी गांवों में जहां पर कम्पलीट होकर पूरा होकर सही रूप से तबादला कब्जे का होकर कार्य हो गया है, इससे किसानों को प्रगति अनुभव हो रही है। इसी तरह से कन्सोलिडेशन के बारे में शिकायतें आयी है, रेकॉर्डस के बारे में शिकायतें हैं म्यूटेशन के बारे में शिकायतें हों तो उसके लिए राज्य सरकार ने हिदायतें जारी कर दी हैं सेटलमेंट के वक्त जितने मुटेशन्स कराने हों, वेरियस सरकुलर्स जो निकाले गये हैं रेगुलेरेलाइजेशन करने का काम हो, जहां जहां भी सेटलमेंट हो रहा हो वहां असिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफीसर, वहीं पर कर डाले। किसानों के रेगुलेराइजेशन के मामले, मुटेशन्स के मामले कब्जे के मामले ये सारे के सारे एक ही अफसर द्वारा वहीं पर हल हो जाय। इसे भिन्न भिन्न स्थानों पर करने का प्रयत्न करना न पड़े जिससे ये मामले दफा १५ के मामले हैं सारे के सारे क साथ ही एरफा हो जाय, जहां रिवीजन हो रहा है वहां हल हो जाते हैं तो इससे काफी राहत मिलती है और मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, अलोटमेंट के सिलसिले में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कई जगह पेचिदगियां हो रही हैं, समय पर कब्जा नहीं मिला, पट्टा नहीं मिलता है, गैर मुमकिन कन्वरशन करने की तकलीफ होती है, अलॉटमेंट में दुविधा होती है। आज राजस्थान, हिन्दुस्तान में एक ऐसा प्रान्त है जहां पर मुफ्त में जमीन अलॉट की जाती है। चाहे उजर करते हों, चाहे जमीन हो या नहीं इस मुफ्त में दिये हुए का फायदा उठाते हैं। इस प्रकार की जमीन की स्क्रुटिनी होती है, जांच होती है डिपार्टमेंट करता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधी, सरपंच, प्रधान, तहसीलदार, विकास अधिकारी, जो पंचायत समिति के मेम्बर होते हैं, उनके होने के बावजूद भी कई त्रुटियां रह जाती है। नक्शा दुरुस्त नहीं होने की वजह से, पटवारी की गड़बड़ की वजह से उसकी नीयत खराब होने की वजह से कई खामियां रह जाती हैं, हो सकती हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इतना होते हुए भी इस काम के गुरुत्व को

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

देखते हुए जो कुछ किया गया है वह काफी महत्वपूर्ण और काफी राहत पहुंचाने वाला हैं। हमने आदेश दिये हैं पटवारी को जब अलाटमेंट हो उस वक्त अलोटमेंट आर्डर की कापी जो जमीन अलोट की है, ट्रेस पासर का नम्बर उस समय दिया जाय । पटवारी पन्द्रह दिन के अन्दर कब्जा अलॉट करने वाले को यदि वह पांच रुपया दे तो सनद भी दे दे उसमें यह उल्लेख हो कि इसका कब्जा इस तारीख को दिया गया है। इस प्रकार का सर्कूलर जारी करने के बावजूद कई जगह इस सर्कूलर का पालन नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा एलॉटमेंट का कम्पेन चलाया था, उस सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार के आदेश प्रसारित किये गये ताकि आयन्दा एलॉटमेंट के वक्त उन अनुभवों का फायदा उठा सकें और उससे किसानों को राहत दे सकें। एलॉटमेंट होते ही समय पर किसानों को कब्जा दे दिया जावे, उसका पट्टा दे दिया जाय जिससे वह अपनी जमीन को इम्प्रूव कर सकें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : आप यह भी बता दें कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को कितना अलॉटमेंट हुआ है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैं यहां पर जो आपको प्रगति पुस्तिका दी हुई है उसमें दिये हुए आंकड़ों को नहीं दोहराना चाहता । मैं जो बता रहा हूँ वह उस प्रगति पुस्तिका में दिए हुए आंकड़ों से अलग है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के अन्दर करीब २,८५,८७६ एकड़ भूमि का एलॉटमेंट हुआ यह मैं नोन प्रोजेक्ट एरिया की बात कर रहा हूं।

उसके अलावा प्रोजेक्ट एरिया में हमने जो जमीन का एलॉटमेंट किया है उसकी भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं वह इस दृष्टि से देना चाहता हूँ पिछले दस वर्ष के अन्दर राजस्थान के अन्दर कितने लोगों को कितनी जमीन एलॉट हुई है, अब कितनी जमीन है और कितने आदमियों को बसाना है उससे राजस्थान की सही तस्वीर का पता लग सकेगा।

राजस्थान केनाल एरिया में ३७५ हजार २५ हजार एकड़ टेम्पोरेरी कल्टीवेशन और ऑक्शन द्वारा दिया गया।

भाखरा ५,४४,३१७ बीघा का अलॉटमेंट हुआ है, यह ऑक्शन में दी है वह भी शामिल है। इसी तरह से गंग कैनाल में हमने ७२,४५८ पर्मानेन्ट एलॉटमेंट ८४,२७८ बीघा है। ६ लाख ६१ हजार ५३ बीघा तीनों केनाल्स प्रोजेक्ट में हमने दी है।

इसी तरह से चम्बल प्रोजेक्ट और मीडियम इरीगेशन में हमने दी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में अलॉटमेन्ट किया है क्या आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट का मतलब शायद आप यह लेते होंगे मुफ्त में दी है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कुल कितना एलॉटमेंट किया और कुल कितना पैसा मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी तरह से चम्बल के फीगर्स अभी मेरे पास नहीं है। लगभग चालीस लाख एकड़ जमीन राजस्थान के अन्दर इन पिछले वर्षों के अन्दर अलॉट की गई है। इसमें टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए अलग है। इतना एरिया इस अरसें में अलॉट किया जाता है जिसके अन्दर ६.६१ हजार को छोड़कर बाकी का सारा एरिया मुफ्त में दिया गया है।

श्री दयाचन्द सोन (बारा-सु०) : चम्बल कमान्ड एरिया में जो जमीन की नीलामी हुई है उनमें आप बतलाइये कि शिड्यूल्ड कास्ट के कितने आदमियों ने खरीदी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप जरा संतोष रखिये। शिड्यूल्ड कास्ट का जब नम्बर जायगा मैं बता दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितना अलॉटमेन्ट राजस्थान में कभी नहीं हुआ उतना अलॉटमेन्ट अब की साल हो गया। इसमें हो सकता है कि जो डिजर्विग हो उनको नहीं मिला हो, कहीं पक्षपात हो गया हो, कहीं थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी होगया है जहां इतना बड़ा अलॉटमेंट होता है उस समय होना स्वाभाविक है। (कुछ माननीय सदस्य सवाल पूछने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मंत्री महोदय के भाषण के पश्चात् जो भी स्पष्टीकरण आप चाहेंगे उसके लिए मैं मौका दूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन्स में जिन बातों का उल्लेख किया है उनका जवाब नहीं आता है तो उसके स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप इस तरह से बाधा नहीं डालेंगे तो अवश्य स्पष्टीकरण के लिए अवसर दूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने फीगर्स बताये हैं वे अलॉटमेंट के हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई किसानों ने राजस्थान के अन्दर सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है उनके रेगूलेराइजेशन के लिये भी कदम उठाये हैं, सरकुलर्स जारी किये हैं ४ लाख १२ हजार ८१७ एकड़ पर रेलेगूराइज की प्रोसीडिंग समाप्त होकर खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। १,३४,४८७ एकड़ पर रेगुलेराइजेशन की कार्यवाही चल रही है।

एक माननीय सदस्य : बाकी के जो बचे हैं ट्रेसपासर्स हैं।

श्री दयाचन्द सोन : कितने शिड्यूल्ड-कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आदमी हैं जिनके मामले रेगूलेराइज हो गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितनों का बाकी है जितनों का स्टेटमेन्ट आया है मेरे पास उतनों का मैंने बता दिया। जितने प्रार्थना पत्रों का रेगूलेराइजेशन हुआ है उसकी सूचना मैंने दी है। हो सकता है हजारों प्रार्थना पत्र राजस्थान में खास तौर से कोटा डिवीजन में चम्बल के अलॉटमेन्ट के झगड़े में पड़े हों, यह मेरी भी जानकारी में है। इसके रेगुलेराइजेशन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। कमान्ड एरिया में रेगुलेराइजेशन का यह सर्क्यूलर नहीं है। उसके लिए दूसरा सर्क्यूलर है उसमें समय की सीमा बांध रखी है कि अमुक क्षेत्र में अमुक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समय तक हो उतने क्षेत्र को रेगुलेराइज कर दिया जाय, इसके अलावा नहीं किया जाय। उसके साथ ही रिजर्व की प्रक्रिया भी फिक्स कर रखी है, उसका जो मूल्य होता है वह उनको किश्तों में देना पड़ता है।

इस सर्क्यूलर की रोशनी में नहीं जाने की वजह से कुछ मामलों में नोटिस वगैरह भी दिये गये। बेदखली की कार्यवाहियां भी हुई हैं, कुछ केसेज़ पेन्डिंग भी हैं। जो इस संबन्ध में सर्क्यूलर्स डायरेक्शन्स जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किये गये हैं, समय समय पर दिये गये आदेशों के अन्तर्गत आने वाले मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा करें ताकि यह समस्या हमेशा के लिए नहीं बनी रहे।

जब मैं यह निवेदन कर रहा था अलॉटमेन्ट के संबन्ध में तो हमारे सामने शिड्यूल्ड-कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में भी बात आई। उनको जमीन मिलती है या नहीं मिलती है तो कहां मिलती है, उनके बजाय औरों को मिल जाती है। इसके बारे में मैं आपके टेस्ट फीगर्स के रूप में बताने की कोशिश करूंगा, उनके साथ जितना न्याय होना चाहिये उतना न्याय करने की कोशिश की गई। मेरे पास १२.१३ डिस्ट्रिक्टस के आंकड़े हैं। १. १. ६३ से ३०. ६. ६५ तक शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, गोल्ड स्मिथ्स और एक्स सर्विस मेन को कितनी जमीन अलॉटमेंट की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें २५,१३ परसेन्ट यानि ३८ परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को की गई है। दो प्रतिशत गोल्ड स्मिथ्स को। साठ परसेन्ट जो है वह बाकी सबके लिए है। ये टेस्ट फीगर्स के रूप में रखना चाहता हूं हमारे रूल्स में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये २५ प्रतिशत रिजर्व की हुई है। हम केवल रिजर्वेशन के आधार पर ही नहीं यदि ६० परसेन्ट जमीन जो सबके लिए है उसमें भी यदि शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी आ जाय लेने के लिये अगर वे इलीजिबल हैं तो यह कोई परसेन्टेज़ सीमित नहीं है, ६० प्रतिशत तक वे ले सकते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार ३८ परसेन्ट हमने शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्ज को जमीन दी है। इससे यह साफ हो जाता है कि जो यह कहते हैं कि इनको जमीन नहीं दी जाती।

श्री दयाचंद सोन : इसमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी हैं ३८ परसेन्ट में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बांसवाड़ा में ६० परसेन्ट जमीन शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को मिली है।

श्री दयाचन्द सोन : आप बांसवाड़ा की बात छोड़िये। वहां तो इन्हीं की आबादी है। जहां इनकी आबादी नहीं वहां कितनी परसेन्ट मिली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झालावाड़, पाली, अजमेर, सिरोही, बीकानेर सभी जगहों पर दी गई है।

श्री दयाचन्द सोन : दूसरी जगह पांच परसेन्ट भी नहीं दी है। कोटा जिले के फीगर्स ही आप बता दीजिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोटा जिले के मेरे पास फीगर्स नहीं हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी के ही बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५८७ व्यक्तियों को २६,०६ अनुसूचित जाति के लोगों को ५३० को २,४२६।

बूंदी में १–१–६४ से ३०-६-६५ तक मिली।

इस बात के हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव के आंकड़े हैं। इसी बात को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा था। हम इस समस्या के बारे में जागरुक हैं। जो वर्ग समाज में आर्थिक दृष्टि से सबके नीचे गिरे हुये हैं उनको आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जाय। उसके लिए राज्य सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप जो कोशिश में लगे हुए हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जिन इलाकों में शिड्यूल्ड कास्ट के या ट्राइब्ज के लोग रहते हैं उसके अलावा जो एरिया है दस पन्द्रह और जिलों में इनको कितनी भूमि दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाड़मेर, बीकानेर, पाली में कहां रहते हैं ?

जयपुर के वे फीगर्स मेरे पास नहीं, जयपुर के फीगर्स मंगवाकर दे सकता हूं। यह जमीन के एलॉटमेंट के सिलसिले में बात हुई।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय मन्त्री महोदय जिस तरह से चाहें उस तरह से आंकड़े बता देते हैं, आप यहां बताकर दूर हो जाते हैं लेकिन वास्तव में उनको जमीन मिलती नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको आंकड़े दिए हैं जिनको जमीन मिली है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ये केवल आंकड़ों में ही वास्तविक मिली नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बावजूद जो बची हुई जमीन है उस जमीन को अलॉनमेंट करने के लिए आदेश जारी किए गये हैं ३०-६-६६ तक जो भी पड़त जमीन हैं जो अलॉट की जा सकती है, केम्पेन के रूप में किसानों को जल्दी से जल्दी अलॉट की जा रही है ताकि उस पर खेती करके वे लाभ उठा सकें।

यहां पर कई बार यह भी कह दिया जाता है कि सरकार ने अधिकार किताबों में दे दिया, कागजों में दे दिया लेकिन वास्तव में वे अधिकार मिले नहीं हैं। इसके लिए दो तीन तरह की दलीलें दी गई हैं और दी जा रही हैं। एक दलील यह दी जाती है सेक्शन १५ के तहत जो अधिकार दिये गये हैं वे वास्तव में मिले नहीं है केवल किताबों में ही वे दिये हुए हैं।

दूसरा यह कहा जाता है कि म्यूटेशन समय पर नहीं होता है, सैकड़ों हजारों केसेज पड़े हुए हैं जिससे लोगों को बड़ी परेशानी है। स्पीकर साहब ने भी इस बारे में कहा था उसके लिए मैंने निवेदन किया था कि जानकारी करके बताऊंगा। मैं इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रश्न को दो हिस्सों में बांटता हूं। पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने दो तरह के टीनेन्ट्स माने हैं एक खातेदार और दूसरा गैर खातेदार। अगर फेक्ट्स और फीगर्स से यह पूर्व हो जाय कि खातेदारों की संख्या इतनी है और गैर खातेदारों की संख्या इतनी हैं, वे सन्तोषजनक हैं तो माननीय सदस्य मान लेंगे, वास्तव में जिन अधिकारों के देने की बात है वे अधिकार दे दिये गये हैं।

नामान्तरण और म्यूटेशन की प्रोसीडिंग के जरिये ही नहीं होते हैं वे सेटलमेंट के वक्त हो जाते हैं।

जयपुर डिवीजिन में पहले से ही खातेदार पटेदार माने जाते थे उस वक्त खातेदारों को अधिकार नहीं था बेचने को उनको प्रीमियम देना पड़ता था। अब खातेदारों का नया कब्जा, म्यूटेशन में वहीं नाम रखा जायगा उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने राजस्थान के सब हिस्से के फीगर्स मंगाने की कोशिश की है। कि राजस्थान में कितने होल्डिंग्ज हैं कितने खातेदार हैं, कितने गैर खातेदार हैं, उससे आप सबको मालुम हो सकेगा कि गैर खातेदारों की संख्या कितनी हैं जो फीगर्स मेरे पास आये हैं वे केवल १८ डिस्ट्रिक्ट्स के आये हैं। ८ डिस्ट्रिक्ट के नहीं आए। इन १८ डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर ३० लाख १२ हजार में। ३ करोड़ ५३ लाख, ६३ हजार, ८२६ खातेदारी का एरिया है। और उसमें खातेदारों की संख्या ३३,७६,७३५ है।

गैर खातेदारों की संख्या ३,७४,७१५ हैं। एरिया है ४०,२४,२८२।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह एरिया एकड़ में है या बीघा में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एकड़ में।

इसमें ८८.६ या ८८।। परसेन्ट से ऊपर खातेदार के रूप में लिखा हुआ है और ११.४ परसेन्ट गैर-खातेदार के रूप में लिखा हुआ है और इस का मतलब ११ परसेन्ट जमीन ऐसी है राजस्थान में आज के रेकार्ड के हिसाब से कि जिसमें किसानों को खातेदारी के अधिकार नहीं हैं बल्कि गैर-खातेदारी के अधिकार हैं। इसी रेशो से जो बाकी के ८ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन रेशो यह है। तो अब जिस जगह ८६ परसेन्ट खातेदार हों और ११ परसेन्ट गैर-खातेदार हों, इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अन्दर जिन लोगों को खातेदारी के अधिकार कानून से मिलने चाहिए थे, उनको मिल गये हैं और वह दर्ज हो गये हैं। अब ११ परसेन्ट ऐसे रह जाते हैं जिनके दर्ज नहीं हुए हैं। उस ११ परसेन्ट में मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी निवेदन कर दूं कि अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि करीब ४० लाख एकड़ जमीन जो पिछले कुछ अर्से में अलॉट की है जिसमें से ३० लाख एकड़ ऐसी है कि जिसमें खातेदारी के हक १० वर्ष बाद मिलते हैं। तो बहुत सारा हिस्सा ऐसा है कि जो अलॉटमेन्ट में खातेदारी के अधिकार किसी निश्चित अवधि के बाद मिलेंगे। इसलिए हो सकता है, ऐसी जमीन इसमें अलग खातेदारी हो। हो सकता है किसी दूसरी जगह पर खातेदारी के हक पूरे तौर पर अन्तिम सीमा तक नहीं पहुंचे हों, इसलिए दर्ज नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुए हों, हो सकता है कहीं म्यूटेशन बाकी हों, सेक्शन १५ या सेक्शन १६ में जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो लेकिन परसेन्टेज ११ परसेन्ट है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आंकड़े....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक सैकण्ड जरा सुन लें। ११ परसेन्ट से भी जब तक कानून की मन्शा में वे खातेदार हो गये हैं उस हद तक हम उसको भी जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो इसका प्रयत्न करेंगे और जिसको खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुए, जैसे १० वर्ष के अलॉटमेन्ट की बात है या और कोई है, तो उसका जब समय आयेगा तब दर्ज होगा। इसी के रेफरेन्स में मैं आपको सेक्शन १५ और १६ के बारे में भी कुछ बात बताना चाहता हूँ जिससे दोनों का समन्वय बैठ सके और सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके। यह रिपोर्ट है इसमें कुछ फिगर्स तब्दील हुए हैं। सैक्शन १५(ए) में हमने ४२,७६,५४८.-७२ एकड़ में अधिकार दे दिये हैं और ५,४७,६४६ व्यक्तियों को दिये गये हैं। इसमें जैसलमेर की फिगर्स नहीं हैं लेकिन जैसलमेर की फिगर्स समेरी स्टेटमेन्ट के वक्त हमारा क्योंकि समेरी स्टेटमेन्ट ५६ में हुआ था इसलिये उसके वक्त में जो खातेदार लिखे वह लिखे जा चुके हैं। इसलिये उनके फिगर्स जोड़ देते हैं तो यह और भी अधिक हो जाते हैं...

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेक्शन १५ (ए) में और क्लियर कर दो कि जो आपने एवरेज बताया है इसके खातेदारों को आपने खातेदारी राइट्स दिये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया है ५,४७,६४६ व्यक्तियों को। इसी तरह से सेक्शन १६ के अन्दर....

श्री मोतीलाल चौधरी : ५ लाख कब तक?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिसम्बर ६५.

श्री मोतीलाल चौधरी : इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अन्दर खातेदार ४० लाख हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां। ४० लाख कब कहा?

श्री मोतीलाल चौधरी : ३५ लाख

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३५ लाख कब कहा?

श्री मोतीलाल चौधरी : ३५ लाख खातेदार पहले थे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३० लाख

श्री मोतीलाल चौधरी : ३० लाख होंगे फिर भी ३६ लाख होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, १५ सेक्शन के जो अधिकार हैं हो सकता है इन अधिकारों में आने वाले व्यक्ति कोई न कोई दूसरी होल्डिंग पहले रखते हों, कोई न कोई खेत दूसरा पहले ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रखते हों तो होल्डिंग उसके नाम पर है। कोई नहीं हो ऐसा भी हो सकता है....

श्री राधाकृष्ण गोयल : आधे से ज्यादा ऐसे हैं कि जिनकी और भी जमीन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन १६ में १,६६,३१३ व्यक्तियों को ६,४०,१६८ एकड़ भूमि में अधिकार दिये गये। यह मैं केवल इसलिये बताना चाहता था कि जितने अधिकार दिये जाने के हैं वह कानून में दे दिये हैं चाहे वह रेकॉर्ड है या नहीं, उसके हकों में कोई असर नहीं डाल सकता और वे आज इस आधार पर बेदखल नहीं किये जा सकते कि म्यूटेशन में वे खातेदार नहीं हैं और एक भी उदाहरण राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जो इस म्यूटेशन की कमी की वजह से खातेदारी से हक मिलते हुए भी बेदखल कर दिए गये हों। अब म्यूटेशन के बाद में एक म्यूटेशन दूसरे तरह से और रह जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में यहां बहुत चर्चायें की जाती हैं और वह म्यूटेशन जो कोई मर जाता है या ट्रांसफर की वजह से, सेल डीड की वजह से और इन्तकाल की वजह से रद्दोबदल करानी पड़ती है उसमें यह शिकायतें सदन के अन्दर आई कि इसमें तेजी नहीं लाई जा रही हैं। राजस्थान ने अपनी ओर से तेजी लाने के काफी प्रयत्न किये। हमने और आदेश जारी किए कि पंचायतों के पास २० दिन में और पटवारी के पास २० दिन में जो आई० एल० आर० होती हैं और फिर २० दिन में पंचायत और इस तरह से २ महीने में म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स फैसल हो जानी चाहियें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसके अनुसार कितनी हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अभी बताऊंगा। लेकिन इस मामले में जितनी सफलता मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिली है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात के कहने में संकोच नहीं करता कि इसके लिए दोषी पंचायत है या पटवारी है या तहसीलदार है। यह बात नहीं है। यह हमारा सारा सिस्टम ऐसा है कि जिसको हम ड्युअल सिस्टम कहते हैं। इसमें पंचायतें और राजस्व विभाग है और पंचायतें समझती हैं कि पटवारी जिम्मेदार हैं और पटवारी यह कह कर छुट्टी पा जाते हैं कि पंचायतें जिम्मेदार हैं, बल्कि रेवेन्यू लाज कमीशन के सामने इस समस्या के ऊपर बहुत गहराई से विचार किया गया। उन्होने अनुभव किया कि इस डिले का मतलब यह हैं कि इसका कारण कोई है तो यह है कि ड्युअल सिस्टम है। इसलिए उन्होंने रिकमन्ड किया है कि यह म्युटेशन वाला मामला चाहे हकों के आधार पर हो यह पंचायतों के पास नहीं बल्कि रेवेन्यू अथोरिटी के पास आना चाहिये और उनको स्ट्रेन्थन करना चाहिये क्योंकि उनके सामने ऐसे उदाहरण आये हैं जहां पंचायतों ने ५-५ और ७-७ हजार बीघा जमीन को इल्लीगल तरीके से इन्तकाल दर्ज करदी

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर, आपने कहा कि पंचायतों ने ऐसा कर दिया तो क्या और पटवारी के नामांकन फार्म भेजे हीं पंचायत अपने आप में म्यूटेशन कर सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, उसमें पटवारी भी शामिल हो सकते हैं। मैं किसी को

Page No. 155

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बचाना नहीं चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब तो इतना सा है कि ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं। डिले के कारण ऊपर भी जांच की गई और एग्जामिन करने के बाद में रेवेन्यू लाज कमीशन ने यह रिपोर्ट दी कि यह काम पंचायतों को ले लेना चाहिये। मैं इस रिपोर्ट को पढ़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनकी यह राय थी। जो भी वह राय हो, जब भी उसका डिसीजन लिया जाये वह अलग बात है लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या किया जाये उसके लिए राज्य सरकार ने कम से कम ७-८ सरकुलर्स पिछले ७-८ महीने में निकाले हैं और यह इम्परेस करने की कोशिश की है कि इसको एक कैम्पन के रूप में चलाकर सारे मामलों को निकालें और उससे जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक म्यूटेशन के केसेज जो रिपोर्ट मेरे पास आई है २,१३,३२१ डिस्पोज आफ हुए है और ५३,५३१ मामले पेन्डिग हैं। सारे राजस्थान के अन्दर कुछ डिस्ट्रिक्टस का जुड़ा हुआ नहीं है जो कि और जोड़ा जायेगा। अब ५३,५३१ में कुछ और जोड़ सकते हैं। यह सारी स्थिति म्यूटेशन के केसेज की राजस्थान की है।

अब माननीय उपाध्यक्षजी, म्यूटेशन के बारे में जो डिफिकल्टीज हैं वह केवल पंचायतों और रेवेन्यू विभाग के डुअल सिस्टम होने की वजह से ही नहीं है बल्कि इसके और भी कारण हैं और वह यह हैं कि हमने जो समय समय पर कानून बनाये, नियम बनाये उनके अन्दर हमने किन्हीं मार्टगेज से, किन्हीं कार्यवाही को नाजायज करार दी। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले दूसरों को नहीं बेच सकते, रजिस्ट्री हम उसकी नहीं रोक सकते। रजिस्ट्री हो जाती है। इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है उसको हम नहीं रोक सकते। वह रजिस्ट्री के हिसाब से बेचते हैं, तहसील के हिसाब से नहीं।

(६ म० प०)

लेकिन हमारे हाथ में यह म्यूटेशन को रोकना है तो बहुत सारे म्यूटेशन्स में इस तरह के ट्रान्जेक्शन्स हैं जिनको चाहे कोलोनाइजेशन के एक्ट में, चाहे टीनेंसी एक्ट में, चाहे और किसी एक्ट में इनवेलिड एण्ड नाजायज करार दे रखा है, वोइड करार दे रखा है जिसके अन्दर इनका म्यूटेशन नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति इसके अन्दर यह है कि म्यूटेशन के वक्त कभी कभी डिविजन का सवाल आ जाता है और जब डिविजन का सवाल आ जावे तो उस हालत में भी म्यूटेशन नहीं कर सकते। तो कुछ मुश्किलातें इस कारण हैं और कुछ मुश्किलातें अधिकारियों की पूरी ना समझदारी की वजह से, कुछ मुश्किलातें अपने अधिकारों को पूरा न समझने की वजह से, और कुछ मुश्किलातें सरकारी चाहे वह पटवारी हो, और कोई हो, उनकी देरी की वजह से होती है। हमने इसके लिए यह आदेश जारी किये हैं कि एस. डी. ओ. और तहसीलदार का यह काम होगा। बल्कि हमारे यहां पर तो पटवारियों की भी मीटिंगें होती हैं तो अब हम यह जल्दी ही आदेश जारी करेंगे कि उस मीटिंग में जितने भी म्यूटेशन के मामले हैं, कितने मामले आए, कितने पेंडिग हैं और कितनों पर रिपोर्ट हो गई है, इन सबकी प्रगति रिपोर्ट इसमें बतावें। साथ ही साथ जो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पंचायतों की मीटिंगें होती है उसके अन्दर भी पटवारी हर मीटिंग में जाए जिससे कि वहां इस तरह के मामले पेश हों तो उसके अन्दर जल्दी से जल्दी फैसला होने में मदद मिल सके। इस तरह म्यूटेशन के सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (प्राटन) : यह प्रेजेन्ट एरिया में अन्तकाल के बारे में क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर कोई सैल प्रोहिबिट है और वह सेल कानून के विपरीत है और उसका म्यूटेशन नहीं करते हैं तो इसमें तो मेरे ख्याल से कानून की दृष्टि से सही ही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं आपको कहता हूँ कि बूंदी के एस० डी० ओ० ने स्वयं ने लोगों के अन्तकाल किए है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है, मैं नहीं कह सकता अभी अवरप्टली कि इन नियमों के होते हुए भी किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की, मैं ऐसा नहीं मानता। खिलाफवर्जी की बात नोटिस में आने पर कार्यवाही कर सकते हैं। नोटिस में ही नहीं आए हों और खिलाफवर्जी के मामले इधर उधर हो गए हों तो इसमें हो सकता है। लेकिन जो यह समस्या सामने आती है वह इस विषय पर आई है। यहां पर माननीय उपाध्यक्षजी, दो तरह की समस्या और आई हैं। एक समस्या जो यहां पर माननीय सदस्यों ने पूरी तरह से नहीं रखी लेकिन कुछ कट-मोशन्स के द्वारा सामने आई हैं। वह समस्या यह है कि लैंड एक्वीजिशन के अन्दर मुआवजा समय पर नहीं मिलता है, जमीन ले ली जाती है लेकिन लगान राइट ऑफ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने हमारे ऑफिसर्स को यह हिदायत की है कि जब तक मुआवजा तय न हो जाय, एक्वीजिशन न हो, दोनों पार्टीज के साथ निगोशियेशन न हो जाय तब तक किसी की जमीन पर कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ जब काम शुरू हो....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इसका दूसरा स्टैप है, मैं बता रहा हूं आपको आगे, आप सुनें। इसके लिए उन्हें यह हिदायत दी गई है कि पटवारी या ओवरसियर या और भी कोई सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ कार्यवाही करता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने को कहा गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे खुद के सामने सात-आठ मामले इस तरह के आए हैं जिस पर मैंने खुद ने पटवारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का, इन्क्वायरी करने का मैंने हुक्म दिया है। लेकिन एक तरीका है इसका कि एक्वीजिशन के बिना कंस्ट्रक्शन न हो। इसका जब पालन हो जाता है तो यह सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक्वीजिशन के बिना कंस्ट्रक्शन न हो यह आयन्दा के लिए हिदायत हो गई लेकिन जो पुराने मामले हैं उनका

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्या हो । तो उनके लिए भी हमने यह तय किया है कि छः महीने के अन्दर यह सारे मामले निपट जाने चाहिए । इसमें आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि चम्बल प्रोजेक्ट के अन्दर इरीगेशन विभाग के बहुत सारे केसेज डिस्प्यूट में चल रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल पहले आया था और हर महीने प्रगति रिपोर्ट मांगते हैं और मुझे सन्तोष है कि काफी मुकदमे निकल गए हैं और अब भी कुछ बाकी है और जो केसेज बाकी हैं उनको भी जल्दी ही निपटायेंगे । लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं हो जाएगी क्योंकि एक्वीज़िशन के बिना कंस्ट्रक्शन न हो इसको माना जाता है तो जो डवलपमेंट के बहुत सारे कार्य हैं वे ठप्प हो सकते हैं । तो फिर क्या तरीका होना चाहिए । हमारा लैंड एक्वीजिशन एक्ट जो आज है वह बड़ा डिफेक्टिव है, उसके तहत काफी देर लग जाती है और इसकी वजह से हमें अवार्ड के अन्दर ही काफी वर्ष लग जाते हैं, अवार्ड नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन भी हो जाय तो गजट में प्रका- नहीं हो पाता है । इस सारी देरी की वजह से ये सारे एक्वीजिशन के मामले बिगड़े हुए हैं । इसलिए सरकार ने इसके लिए यह तय किया है कि हमारे राजस्थान लैंड एक्वी- जिशन एक्ट के अन्दर भी तरमीम करें और इस तरह का प्रावधान रखें कि जिसकी वजह से लैंड एक्वीजिशन प्रोसीडिंग को कम्पलीट करने में जितना समय लग जाता है वह न लगे और जो हमारे लैंड एक्वीजिशन के मामले चल रहे हैं, जो पहले से चलने वाली मुकदमेबाजी है उसको जल्दी से जल्दी निपटा दें । अब हम जल्दी ही विधानसभा के अन्दर इस सम्बन्ध का अमेंडमेंट बिल लाने जा रहे हैं और उसमें हम यह प्रावधान रखना चाहते हैं कि जो अवार्ड हैं वह तीन महीने में हो जाना चाहिए । हम यह भी प्रोविजन कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रिप्रजेन्टेटिव जब एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग हो तो उसकी पेशी पर स्वयं जाय और वह देखे कि एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग जल्दी से जल्दी निवृत हो । हम चाहते हैं कि गजट का नोटिफिकेशन भी जल्दी हो जाय और उसके पब्लिकेशन का भी कोई दूसरा तरीका निकालना चाहते हैं । इस तरह से उस कानून को सिम्पलीफाई करके हम इस तरह का बना देना चाहते हैं कि जिससे एक्वी- जिशन के केसेज जल्दी से जल्दी निपट सकें । इस तरह का फैसला कर लिया गया है और हम जल्दी से जल्दी विधान सभा में इस सम्बन्धी बिल लायेंगे । तो हम इस प्राब्लम को इस तरह से हल करना चाहते हैं ।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्षजी, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा । हालांकि माननीय सदस्यों ने इस सदन में कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक कट- मोशन के जरिए यह बात मालूम हुई है । आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन होते हुए भी काश्त नहीं करते और वह जमीन खाली पड़ी रहती है । वे दूसरे लोगों को भी नहीं देते हैं इस डर से कि कहीं दूसरों के हकूक न हो जायं । इसलिए सरकार ने अभी हाल ही में दो चार रोज पहले ही ऐसे आदेश कलेक्टर्स वगैरा को दिए हैं कि जहां पर भी अधिक भूमि लोगों के पास हो, अधिक भूमि में तीस एकड़ या इससे ऊपर

Page No. 158

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

भूमि हो, या जो अपनी जमीन को पाश्चर के लिए रोटेशनल कल्टीवेशन वगैरा के लिए आवश्यकतानुसार कुछ जमीन को छोड़कर बाकी जो जमीन बचे, वह अगर दो साल से पड़ी रहती है तो राज्य सरकार उसको नोटिस देगी और उस जमीन को उनसे ले लेगी और जो लैंडलेस टीनेंट है उस एरिया के, उनको वह पड़त जमीन लीज पर अलाट कराएगी। इसे हमेशा के लिए लेने का सवाल नहीं है लेकिन टेम्परेरी तौर पर, कुछ अर्से के लिए उनको दे देगी ताकि वह जमीन खाली पड़ी नहीं रह सके क्योंकि अगर जमीन खाली पड़ी रहती है तो इससे नेशनल प्रोडक्शन में कमी आती है वह कमी न आए, इस आशय से ये आदेश प्रसारित किए गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अन्दर जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा एरिया है और जिसे वे काश्त नहीं करते और जमीन खाली पड़ी रहती है तो वह एरिया किसी न किसी तरह से यूटिलाइज हो। यह निर्णय हमें इसलिए लेना पड़ा कि कई बार विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में कहा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसमें जो आप पड़ी हुई लैंड मानते है तो इसमें खातेदारी लैंड से भी आपका मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज्।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पड़त जमीन से मतलब सरकार की जमीन से नहीं है। मैं अर्ज करूं कि मेरे पास दो सौ बीघा खातेदारी की जमीन है और मैं उसके ऊपर बीस बीघा पर खेती करता हूं और बाकी जमीन पड़ी रहती है तो सरकार चाहती है कि उस खाली पड़ी जमीन का यूटिलाईजेशन हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यही हम पूछ रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हमने हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है।

(व्यवधान दो-तीन माननीय सदस्य बोलने लगे)।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! One by one please !

एक माननीय सदस्य : आपके ऐसे आदेश थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने (श्री लड्ढा से) समाप्त कर लिया है तो स्पष्टिकरण के लिए कहूं ? आपने समाप्त कर लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं साहब। ये बातें, माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने लैण्ड युटिलाजेशन के बारे में कहीं।

यहां पर कोटा डिस्ट्रिक से आने वाले माननीय सदस्यों और कई माननीय सदस्यों ने सरकार ने सेक्शन ३१ में रेग्युलेराइजेशन आफ बेनिफिट दिये हुये हैं, उनके बारे में विचार करते हुए कहा कि बहुत मामले पेन्डिंग हैं और उनके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल उसके अन्दर एक डिफि-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कल्टी आई। गये साल हमने कानून बनाया कि एक किसान की जो जमीन है खेती की उसमें से ५०० स्क्वायर यार्डस तो बाड़े के लिए और ५०० स्क्वायर यार्ड्स रेजीडेंशिल परपंजेज के लिए इस तरह से १००० स्क्वायर यार्ड्स (गज) में २ हजार के नीचे वाले गांव का काश्तकार मकान बना सकता है। पहले जो सर्क्यूलर निकाला था रेग्यु-लेराइजेशन का वह २५ स्क्वायर यार्ड का था। उससे ज्यादा जमीन होने पर चार आना मुरब्बा गज से पैसा लेने का सवाल था। इसलिए बहुत सारे लोगों में पैसा लगता था और वे पैसा नहीं देना चाहते थे। जब यह कठिनाई अनुभव हुई तो राज-स्थान सरकार ने फैसला किया और हमने एक कानून गये साल बजट सेशन में पेश किया था कि दो हजार के गांव में ५०० स्क्वायर यार्ड बाड़े के लिए और ५०० स्क्वायर यार्ड रेजीडेन्शिल परपजेज के लिए यानि एक हजार मुरब्बा गज तो जिस तरह की यह छूट दी हैं उसी कानून की रोशनी में पूरे चले आ रहे सारे मामले फैसल किये जायेंगे। इसका मतलब यह होता है कि अब २५० मुरब्बा गज का अधिकार होने पर पहले के सर्क्यूलर के हिसाब से चार आना मुरब्बा गज सेक लेते हैं वह नहीं लेते हैं और उनके रेग्युलेराइजेशन के लिए एक हजार मुरब्बा गज बिना पैसे कर दिया गया हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिनसे ले लिया उसका क्या करेंगे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह सर्क्यूलर आपने किस तारीख को भेजा है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : आपके टीनेन्सी लॉ में यह है कि ५० बीघा जिस काश्तकार के पास में है वह एक बीघा में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। उसमें बाड़ा, मकान, पशुओं के लिए स्टोरेज का इम्प्रूमेंट कर सकता है तो फिर आपने क्या रिलीफ दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप समझते तो हैं नहीं और बीच में ही खड़े हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, वे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और कह रहे थे कि आपने जो २५० मुरब्बा गज रेगुलेराइज करने का सर्क्युलर बनाया है तो हमारे गांवों के पास अधिक जमीन है पर मकान बनाये हुए हैं, मवेशियों के लिए बाड़े बना रखे हैं। वे चार आना मुरब्बा गज कहां से देंगे, तो हमने यह सरक्युलर निकाल कर कहा कि एक हजार तक की छूट दी जा सकती है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बोहडा) : क्या यह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सुनें तो सही। मैंने यह कहा कि जितने भी केसेज ऑफ एन्क्राचमेंट फोर ड्वेलिंग हाउसेज या बाड़े के चल रहे हैं और २४–४–६३ के सर्क्यूलर के तहत जो फाइनली डिस्पोज़ ऑफ नहीं हुए है उन केसेज को अब २४–४–६३ के सर्क्यूलर के तहत डिस्पोज ऑफ नहीं करके, बल्कि नये अधिकार जो किसानों को दिये हैं एक हजार मुरब्बा गज के संबंध में, उस हिसाब से उनको रेग्युलराइज़ किया जाय, उनसे पैसा नहीं लिया जाय।

श्री महेन्द्रसिंह : आप तारीख तो बता दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तारीख बतादें नये सक्यूंलर की ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : तारीख ७ रोज हुए हैं ।

कु ० श्री महेन्द्रसिंह (गांवड़ी) : डेफिनिट तारीख बता दें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ७ रोज हुए हैं सक्यूंलर निकले हुए ।

श्री अब्दुलजब्बार : अभी तीन रोज पहले हम डिसाइड करके आये हैं केसेज और उनके ऊपर जुर्माना किया है चार आने के हिसाब से तो....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो समझा था कि आप इसको सुन कर खुश होंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह स्वागत योग्य है । इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कराइये ।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्री जी....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने भाषण समाप्त कर लिया या नहीं । अगर नहीं किया है तो स्पष्टीकरण के प्रश्न नहीं पूछें, बाद में पूछें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी तरह से लूणकरणसर से और सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया कि डेजर्ट एरिया के अन्दर जो जमीन है वह १० वर्ष के लिए एलॉट नहीं की जाकर थोड़े ही समय के लिए एलॉट की जाती है जिससे किसानों को बारबार एलॉटमेंट की दरख्वास्तें आदि देने के सम्बन्ध में तकलीफ पड़ती है ।

माननीय उपाध्यक्ष, वैसे तो यह डिसीजन जो लिया गया था वह एक पैटर्न को डिसाइड करने के लिये लिया गया था कि आया इस क्षेत्र में एनीमल हसबेन्ड्री हो या क्राप्स हों । अगर क्राप्स हों तो किस तरह की हों । इसलिए जमीन का एलॉटमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी की वजह से रुका हुआ है । अब इसमें यह प्रयत्न चल रहा है कि इसमें काफी समय हो गया है तो एलॉटमैंट के लिये प्रार्थना करने के लिए रिव्यू कराने के लिए दरख्वास्तें देने में जो दिक्कत होती है वह दूर की जाय, और इनको इस मामले में सुविधा दी जाय ।

इसी तरह यहां पर सरचार्ज के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि चाही जमीन पर जो उसका लैण्ड रेवेन्यू है उसके एक तिहाई पर ही सरचार्ज केल्क्यूलेट होना चाहिये, लेकिन उनसे लगातार पूरी रकम पर सरचार्ज लगा रहे हैं । माननीय उपाध्यक्षजी, इस मामले में हमारी ओर से दो–तीन बार क्लेरिफिकेशन निकाल दिया गया है कि चाही जमीन पर जो लगान है उसका एक-तिहाही ही केल्क्यूलेट किया जायेगा फार दी परपजेज ऑफ लेविंग सरचार्ज ; और इस वजह ले इनके यहां अगर दिक्कत हो रही है या गलती हो रही है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे । और जहां तक रकम

श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वसूल हो गई है उसको रिफण्ड कराने का सवाल है तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भी आदेश दिये हैं कि इस तरह की कानून के विपरीत सरचार्ज के अन्दर अगर अधिक रकम—एक-तिहाई पर लेना चाहिये था और पूरे पर ले लिया है तो वह उन्हें वापिस रिफण्ड हो या लैण्ड रेवेन्यू में एडजस्ट हो जाय। इस तरह के आदेश जारी किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर सीलिंग के बारे में कई प्रकार के विचार रखे गये, और जिस तरह के कट मोशन्स थे उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैसे कुछ लोग सीलिंग को नहीं चाहते हैं या उसमें देरी करना चाहते हों, और कुछ लोग बहुत जल्दी करना चाहते हों। उपाध्यक्षजी, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है यह राष्ट्रीय नीति है और राज्य सरकार भी उससे बंधी हुई है और वह इस नीति को अपनाने में और पालन करने में हर समय प्रयत्न करेगी। अभी जो इसका समय दो बार बढ़ाया गया है वह विशेष परिस्थितियों के कारण बढ़ाया गया है। एक बार तो लगभग ४०० रिट्स पेश हो गई थीं सीलिंग के कानून के खिलाफ। उन रिट्स का फैसला होने में देर हुई। उसके बाद हमने देखा कि रिट्स फैसल होंगी तो एक डेट फिक्स कर देंगे। उसके बाद में दूसरी डेट इस किस्म की आ गई कि उस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो दूसरी तरफ डिक्लेरेशन आदि में चूंकि वह बोर्डर एरिया था और उन्हीं पर सीलिंग का अधिक प्रभाव पड़ता था और वहीं पर लड़ाई चल रही थी। इस कारण इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया कि १ अप्रेल, १९६६ से इसको लागू किया जाय। १ अप्रेल, १९६६ से सीलिंग का कानून लग रहा है और अब कानून के अन्तर्गत जिन लोगों को घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन के लिए देना है उसकी अवधि निश्चित है कानून के अन्दर और एग्जेम्प्शन के लिए एप्लाई करना है उसकी अवधि भी निश्चित करदी है उसके अन्दर। जो घोषणा-पत्र देंगे या एग्जेम्प्शन के लिए एप्लीकेशन देंगे उस सब को स्क्रूटिनाइज करेंगे और जो नहीं देंगे उनके भी मामलों को स्क्रूटिनाइज करेंगे, और अवधि के बाद जो कानून के अन्दर प्रावधान दिया है उसके अन्दर कार्यवाही इसमें करेंगे। इस नीति को कार्यान्वित करना चाहते हैं। इसमें देरी करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सोशियल जस्टिस, समाजवाद है वह हम लाना चाहते हैं, हम फर्क को मिटाना चाहते हैं। उस फर्क को मिटाने के अन्दर सीलिंग का कानून एक लिंक है। इसलिए उस लिंक को मिस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए किसी माननीय सदस्य के मन के अन्दर यह शंका नहीं होनी चाहिए कि हम इस लिंक को मिस करेंगे और कानून में देरी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर चरागाहों के बारे में कहा गया....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सीलिंग के प्रश्न को लेकर आपका ध्यान कोटा में चम्बल कमाण्डेड एरिया के बारे में कहा था....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पिड़ावे से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और हमने मांग की है कि कोटा जिले में चम्बल का कमाण्डेड एरिया है उसमें कुछ सीलिंग निश्चित किया है, वह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में कम किया है, इस संबंध में मैं विचार जानना चाहता हूं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कह रहा हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसका ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा चम्बल कमान्ड एरिया में जो आपने २२ एकड़ सीलिंग फिक्स किया है वह वाटर लोगिंग को देखते हुए, प्रोडक्शन कम हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कम है। जिस तरह से आपने गंगानगर में ३० एकड़ किया है क्या यह उचित नहीं है कि उसको देखते हुए चंबल एरिया में भी ३० एकड़ सीलिंग निश्चित करें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य जानते हैं कि उसके रूल्स प्रकाशित हुए थे, वर्क्ड आउट एरिया घोषित हुआ, ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये, माननीय सदस्यों ने भी ऑब्जेक्शन्स दिये, जनता के भी ऑब्जेक्शन्स आये उनको सुनकर जो उचित निर्णय किया गया उसके बाद लागू किया गया। मैं इस समय उसकी सारी हिस्ट्री और बैकग्राउन्ड के अंदर नहीं जाना चाहता यहां पर किस आधार पर कितना एरिया बनता है यह लंबी बात है। यदि आप चाहें तो मुझ से अलग चर्चा करलें तो मैं आपको कन्विन्स करने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने २२-२३ हजार गांवों में चारागाह मुकर्रर कर दिये हैं। १०-१२ हजार गांवों में जमीन कम होने से या और झगड़े होने से कायम नहीं हुए हैं। इस मामले में पिछले वर्ष में काफी कार्यवाही हुई है। मैं इस संबंध में बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करता हुआ यही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष में राजस्व विभाग ने चाहे कानून के जरिये, चाहे फील्ड के जरिये जो प्रगति की है उससे निश्चित कहा जा सकता है कि किसानों की बहतरी का काफी काम हुआ है। डॉक्टर धूलसिंह और रेवेन्यू लॉज कमीशन ने रेवेन्यू लॉज और उनके तहत किये हुए कामों को और उनसे जो किसानों पर असर पड़ा है, उनकी जो प्रगति हुई है, उनकी मामूली हालत और अधिकारों पर असर पड़ा है, उसको बहुत सराहा है। उन्होंने कहा है कि सोशियो–इकोनोमिक रिवोल्युशन के जरिये राजस्थान की पीजेन्ट्री खुश हाल हुई है, उनकी खुशहाली बढ़ी है। जो कुछ कानून, नियम राजस्थान में बने हैं उनके लिये कहा है कि हिन्दुस्तान में ऐसा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन और किसी दूसरे स्टेट में नहीं बना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं कुछ प्रश्न स्पष्टीकरण के लिये करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी नोट करते जावें और एक साथ जबाब दे दें। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अभी राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती योग्य होते हुए भी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उस पर खेती नहीं की जाने लगी है । क्या मन्त्रीजी यह अनुभव करते हैं, कोई भी दूसरी सरकार होती तो भी यह जमीन बेकार पड़ी रहती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जवाब दे सकता हूँ, हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है ; जिसमें राजस्थान में जितनी भूमि एलॉट की है उसकी आधी भी की हो ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने यहां हजारों एकड़ ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उसको समतल बनाकर कृषि योग्य बनाने के लिये, सरकार ने कोई कदम उठाया या नहीं ? साथ ही जो जमीन चारागाह के लिये निकाली है उसमें घास अधिक उपजाने के लिये ध्यान दिया है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : घास उपजाने का काम पंचायतें करती हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुकदमों में कई साल लग जाते है उस संबंध में क्या आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? इसके साथ ही साथ आपके जो अभिवक्ता हैं उनकी दिन दूनी और रात चौगुनी तन्ख्वाह बढ़ रही है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसकी ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो आपके रेवेन्यू बोर्ड में एडवोकेट हैं उनको पहले ४००) देते थे फिर रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट से ८००) कर दिये और फिर १२००)····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको क्या दर्द हो गया ? किस की बढ़ गई, क्या हो गया ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : पुरुषोत्तमदास कुदाल की बढ़ गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो ऐसी क्या आफत हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : मैं दो–तीन प्रश्नों की जानकारी चाहता हूँ । एक तो यह है कि आपने बताया कि जितने एन्क्रोचमेन्ट के केसेज़ हैं उनको रेगुलराइज़ करने के ऑर्डर ७ दिन पहले ही दिये हैं । यदि आप बता सकें कि कौनसी तारीख को सर्क्यूलर निकाला है और यदि नहीं निकाला है तो निकालने की कृपा करें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इंग्लिश में निकला, हिन्दी ट्रान्सलेशन दो–तीन दिन में हो जायगा ।

कु. श्री महेन्द्रसिंह : इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद । कुओं के बारे में···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझ गया आपकी बात को । माननीय सदस्य ने कूओं के बारे में कहा था ३१–१२–६५ तक दर्ख्वास्त नहीं दी तो क्या होगा, हमने सर्क्यूलर में यह नहीं कहा है कि ३१–१२–६५ तक के लिये ही है, हमने यह भी कहा है कि न भी दें तो भी उसके बाद चालू मामलों से तहसीलदार स्वयं के विवेक, जिसे अंग्रेजी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में सूम्रो मोटो कहते हैं, का अधिकार है ऐसी चीज को रेगुलराइज करने का। इसलिये यह जो कठिनाई मियाद की है वह नहीं रहती। सैटलमेंट के बारे में निवेदन किया था कि ऐसे मामले जो क्लीयर हैं पहले किसान के नाम जमीन थी, सैटलमेंट में गलत इन्द्राज हो गया उनको जल्दी ही दुरुस्त कर दिया जाय दो-तीन महीनों में।

कु. श्री महेन्द्रसिंह : मैंने प्रश्न दिया था जागीरदारों के बारे में, जिनकी जागीरें रिज्यूम हो गई। रिज्यूम होने से पहले जिनके पास खुद काश्त की जमीन थी वह रिज़म्पशन के बाद खुद काश्त में बिना म्यूटेशन फीस के मिलनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिना फीस के नहीं मिलेगी। खातेदारी अधिकार दूसरी चीज है म्यूटेशन फीस दूसरी चीज है। पहले यह फीस १००) रु० के लगान पर १००) रु० थी अब १००) रु० के बजाय ५) रु० कर दिये हैं। ५ परसेन्ट क्या हैवी फीस ?

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Vyas will ask first.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अलावा खेती के जमीन होती है उसमें तरी भी इन्क्ल्यूड होती है क्या ?

क्या तरी वसूल करना बंद करेंगे ? मेरा दूसरा सवाल और सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कितने पूछेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : यह क्वेश्चन आवर तो है नहीं, जो एक के बाद एक पूछते ही जावें ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसे तालाबों से पिलाई होती है और खाली जमीन में पानी जाता है तालाब का उनमें लगान के साथ सिंचाई इन्क्लूडेड है। क्या अलग से सिंचाई वसूल करने को रोकेंगे ?

श्री रावतराम (सादूलपुर): मेरा सवाल यह था कि २ हजार की आबादी के गांव हैं, वहां के काश्तकारों को अपने खेत में आबाद होने की छूट दी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि २ हजार की आबादी के बड़े गांवों में भी यह छूट क्यों नहीं देते ? जो भी खातेदार हैं उनको राइट होना चाहिये कि खेतों में आबाद हो सकें चाहें वे कस्बों में रहने वाले हों।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : उदयपुर में सैटलमेंट हो रहा है उसमें बीघा छोटा कर दिया गया है। वहां पर पटवारी सैटलमेंट कर रहे है वे कह रहे हैं बाद में बीघा ठीक हो जायगा। क्या स्टेन्डर्ड बीघे के हिसाब से लिखा जायगा ?

दूसरा मैं और अर्ज करूं कि उदयपुर नगर के पास में कोई जमीन जो है अब

(श्री जोधसिंह चौहान)

एक्वायर की जा रही है और जमीन, पुराना राज्य सरकार का सैटलमेंट है उसमें काबिल काश्त नहीं है लेकिन सब जगह काश्त कर रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं और लाखों रुपये की ग्रामदनी कर रहे हैं। इसकी जांच करनी चाहिये।

श्री दयाचन्द सोन : बडुग्रा में जो चन्दन के पेड़ का बाग था उसको जाट लिया है, उसका क्या हुग्रा ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह भीखाभाई ने बता दिया है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : एक प्रश्न ...

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज !

यह कन्वीनियेन्स के लिये किया गया था, ग्रब सब उठ उठ कर एक प्रश्न उठा रहे हैं। I won't allow any further questions.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष जबाब के उसमें नहीं पड़ता। ग्रासीन्द से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तरी पिलाई के बारे में, हालांकि यह मेरा सवाल नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि तरी पिलाई नहीं लेनी चाहिये, यह नावाजिब है इसलिये सरकार ने उसको मुल्तबी रखने का ग्रादेश प्रसारित कर दिया है। वह मामला ग्रन्डर एग्ज़ामिनेशन है ग्रौर हमेशा के लिये बन्द करने की बात ग्रायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : तालाब की पिलाई वाला ग्रौर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरा मामला भी इन्वेस्टीगेशन में चल रहा है ग्रौर उसमें भी रेवेन्यू, सैटलमेंट ग्रौर इर्रिगेशन-इन तीनों विभाग के ग्रॉफिसर्स की एक कमेटी बनाई है, जो एग्जामिन करके रिपोर्ट देगी उसके बाद में निर्णय लिया जायगा।

पिड़ावा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो हजार की ग्राबादी के लिये कन्सेशन है ग्रौर बाकी के लिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं उसके लिये बढ़ा दिया जाय। सरकार ने इस सम्बन्ध में थोड़े दिन पहले कानून बनाया था, उसमें मुनासिब समझा, कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जब चाहे जमीन पर बना सकता है। इसे तरह की छूट श्री वह छूट दो हजार के गांवों तक सीमित रखी है। उसके बाद विचार किया जा सकता है लेकिन दो हजार तक ग्रभी तक है वह ग्रोनली बिदिन प्लानिंग है, उसका प्लानिंग लीर दूसरी चीजों पर ग्रसर पड़ता है या नहीं, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री दयाचन्द सोन : पचास हजार के चन्दन के पेड़ कट गये उसका क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा माननीय सदस्य ने कहा उदयपुर के बारे में, सैटलमेंट के बारे में कि जो रकम है, जो बीघा है वह छोटा-बड़ा कर दिया है। हम राजस्थान में देखते हैं कि १३२ ग्रौर १६५ के बीघे हैं, उसकी सर्वे एण्ड सैटलमेंट करें। ग्रगर बीघा छोटा या बड़ा हो जाता है तो उसका लगान के घटत-बढ़त में फर्क नहीं होता है। बीघा के छोटा या बड़ा होने से लगान के ऊपर कोई ग्रसर नहीं पड़ेगा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो मेरी खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, में हुग्रा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है और कई जगह पर हुआ है, उसके अन्दर पहले की परिपाटी है, या दूसरा परिवर्तन किया गया है। लेकिन बीघा छोटा या बड़ा होने के आधार पर कोई लगान में परिवर्तन हुआ है, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा एक प्रश्न रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि यह मांग पास न हो आज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक प्रश्न बहुत जरूरी है। आवश्यक बात है।

श्री मोतीलाल चौधरी : लैण्ड लॉज़ कमीशन के बारे में मुझे पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना है। एक गलत समाचार दिया है, मैंने जो दृष्टिकोण से कहा है ...

श्री राधाकृष्ण गोयल : आसन खड़ा है, आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : कल कर दें।

श्री मोतीलाल चौधरी : गलतफहमी हो जायगी। मैं मेम्बर था उसमें क्या बात हुई ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : एक एक स्पष्टीकरण देंगे तो बहुत हो जायेंगे। ऑर्डर प्लीज़ !

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अनुशासनहीनता है। ऑर्डर प्लीज़ ! I cannot allow any more questions.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २,३२,४२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,०५,४८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता....

श्री जोधसिंह चौहान : 'ना' पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ना पक्ष जीता ।

श्री भोखाभाई (वन मन्त्री) : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it again.

श्री राधाकृष्ण गोयल : मान ली गई ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है····

श्री राधाकृष्ण गोयल : मान लिया गया, 'हां' पक्ष जीता !

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,०५,४८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बज कर ३५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक २५, मार्च, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २४ मार्च, १९६६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	३	जोधसिह : चौहान (गिरवा)	जोधसिंह चौहान (गिरवा) :
३	अन्तिम से ७	GrOund	(Ground
५	१०	श्री जुभारसिह	श्री जुभारसिंह
५	१२	क्षी	श्री
६	१७	बिरुद्ध	विरुद्ध
,,	१९	नायव	नायब
७	१९	मैने	मैंने
१०	४	गुलाव	गुलाब--
११	शीर्षक	त रांकित	तारांकित
,,	८	डागी	डांगी
,,	८	महोदय.	महोदय,
,,	अन्तिम से १०	है,	है ?
,,	४	वितरण	वितरण
१२	१७	वचता	बचता
१३	८	आवश्य	अवश्य
१३	८	जायगो	जायगी।
,,	अन्तिम से ५	(कोटा)	(कोटा) :
१४	अन्तिम से ८	कृष्णकुमार	कृष्णकुमार
१५	४	,,	,,
१५	२०	बह	वह
१६	शीर्ष	(श्री दिशराय नेडांगी)	(श्री दिनेशराय डांगी)
,,	५	जोधसिह	जोधसिंह
,,	अन्तिम से ३	एग्जोक्यूटिव	एग्जीक्यूटिव
२४	१०	कांम	काम
,,	१५	टूरीस्ट ये	टूरिस्ट पे
,,	अन्तिम से ८	रामप्रसद	रामप्रसाद
२५	शीर्षक	२९	२४

१	२	३	४
२६	६	लडढा	लड्ढा
२७	१७	डांयी	डांगी
२८	अन्तिम से ४	लडढां	लड्ढा
२६	११	ती	तो
,,	११	दो	दी
,,	१४	निश्चय	निश्चित
३१	१४	ग्रोर	ग्रौर
३३	११	श्री दिनेशरांय	श्री दिनेशराय
३८	१७	शिड्यूल	शिड्यूल्ड
,,	अन्तिम से ८	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
४१	२०	बांकि	बाकी
,,	२२,२७,२८	शिडयूल्ड	शिड्यूल्ड
,,	अन्तिम से ५	शाथ	साथ
४२	शीर्षक	२४ मार्च	२४ मार्च,
४३	४	कुग्रों	कुग्रों
४६	६	सारणा	सारण
४८	४	श्री हरीप्रसाद	श्री हरिप्रसाद
४६	३	उक्त	उक्त

टिप्पणी—स्कम्भ ५१ से ग्रागे जहां कहीं "श्री बरकतुल्ला खां" या कुछ मुद्रित हुग्रा है उसके स्थान पर "श्री बरकतुल्लाखां" पढ़ें।

टिप्पणी—स्कम्भ ५१ से ग्रागे जहां कहीं "श्री भैरोंसिह" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुग्रा है उसके स्थान पर कृपया "श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर)" पढ़ें।

५२	३	लोक्ल	लोकल
,,	७	पर	—
,,	८	डिस्क्शन	डिस्कशन
,,	७	विरोधो	विरोधी
,,	७	नगरपालिकों	नगरपालिकाग्रों
५५	शीर्षक	२४ मार्च, २६	२४ मार्च, ६६
५६	४	एक्जीक्यूटेटिव	एक्जीक्यूटवि
५६	५	पह	पर

१	२	३	४
५७	१	हैं	हुं
,,	७	(भूं भुनु)	(भुं भुनू)
,,	अन्तिम से ६	ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
५६	१७	द्वार्रा खाशानों	द्वारा खाद्यानों
६३	शीर्ष	(उप मन्त्री सामान्य प्रशासन)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
,,	अन्तिम से ६	यार	वार
६४	४	वींर	वीर
६५	१६	मेंज	मेज
६६	११	विस्तृन	विस्तृत
,,	१४	काश्त्त	काश्त
,,	१८	राजस्यान	राजस्थान
६७	७	श्री रामप्रशाद लड्ढा	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
,,	१५	रिजर्वेशन	रिजर्वेशन
६८	अन्तिम से ७	हिमालय	हिमाचल
,,	५,४	जवरदस्ती	जबरदस्ती
६९	७	अपनीं बात से वेंक	अपनी बात से बैंक
,,	१४	हीं	ही
७०	८	**रामप्रसादलड्ढा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
,,	१२	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**	,,
७५	अंतिम से २	**श्री रामप्रसादलडडा**	,,
,,	५	इसालिए	इसीलिए
७६	१४	खोते	खोते तो
७७	शीर्षक	तार्रांकित	तारांकित
,,	१	मैं	में
७८	१	कंपीटल	कैटिल
,,	८	कार्‌्य	कार्य
,,	१४	कठ:ये	उठाये
,,	१६	आवश्यघता	आवश्यकता
,,	२१	वा	व
७९	८	मे आपने	आपने
,,	१३	जसीन	जमीन
८०	१५	**श्रीं भीमसिह**	**श्री भीमसिंह**

१	२	३	४
८०	२०	श्री भीसिह	श्री भीमसिंह
,,	अन्तिम से ६	श्री गोविन्दसिह	श्री गोविन्दसिंह
८२	१	इसमें से	में इससे
८३	१४	भूमी	भूमि
,,	१८	में	ने
,,	अन्तिम से ५	नियुक्	नियुक्त
,,	अन्तिम से ३	को	श्री
,,	अन्तिम से २	नियूक्ति	नियुक्ति
८४	४	समबन्धियों	सम्बन्धियों
,,	५	सम्बम्व	सम्बन्ध
,,	६	गत सत्रत्य	गत सत्र
८४	१४	सम्बन्धिय	सम्बन्धित
,,	अन्तिम से ८	देवखल	बेदखल
,,	,, ७	मैं	में
,,	,, ६	मन्नलाल	मन्नालाल
८५	१६	और	ऑफ
,,	अन्तिम से ६	ये	में
८६	६	बीचार	विचार
,,	१३	मैं	में
,,	१५	सह	सही
,,	२१	मरमत	मरम्मत
,,	२२	स्वीकृतई	स्वीकृत
,,	२५	अतरांकित	अतारांकित
,,	अन्तिम	सवाई	सिंचाई
८७	अन्तिम से १०	कर्मचारीयों	कर्मचारियों
८८	अन्तिम से ७	कार्याविन्त	कार्यान्वित
,,	अन्तित से ४	श्री अब्दुल जब्बा खां	श्री अलब्दु जब्बार
८९	१२	उतर	उत्तर
९०	शीर्षक	अतारांकित्त	अतारांकित
,,	१४	म० प्र०)	म० प०)
,,	१८	माननीश	माननीय

१	२	३	४
९२	अन्तिम	सचाई	सिचाई
९३	अन्तिम से १	स्तीफा	इस्तीफा
९४	२०	प्राइनाफेसिया	प्राइमाफेसी
९५	११,१३	चौमू	चौमू
९६	१८	ग्रात्भ-हत्या	ग्रात्म-हत्या
९७	शीर्षक	२६ मार्च, ६६	२४ मार्च, ६६
९८	६	परिक्षाग्रों	परीक्षाग्रों
,,	१२,१४,१७,१६	चेकिग	चैकिग
९९	शीर्षक	क्षात्रों	छात्रों
,,	२	किसा	किसी
,,	११,१४,२६	चेकिंग	चैकिंग
१००	२५	का है	की हैं
,,	३४	व्योरला	ब्योरली
१०१	१६	इत्तला	इत्तिला
१०३ से १०५	शीर्षक	क्षात्रों	छात्रों
१०७	१८	इन्वेजिलेटर	इनविजिलेटर
,,	२६	,,	,, ,,
१०८	३	,,	,, ,,
,,	२५	टिप्प्णी	टीपणी
१०९	१०	टिप्पणी	टीपणी
,,	३०	ग्रान्सवर	ग्रानसर
११०	४	ने	ते
१११	शीर्षक	छाचों द्वारा परीक्षा	छात्रों द्वारा परीक्षा
,,	७	टिप्पणी	टीपणी
११२	१४	शर्गा	शर्मा
११५	१२	श्री ग्रध्यक्ष	श्री ग्रध्यक्ष
११६	२१	श्री पोहूलाल ईसरदास	पोहूमल ईसरदास
,,	२८	श्री चौसरसिंह बावेल	श्री चौसरसिंह बावेल
११७	शीर्षक	प्राक्कलस	प्राक्कलन
,,	८	करोड़िया	कराड़िया
,,	२७	गयी	गई
११८	६	कॉमसे	कॉमर्स

१	२	३	४
११८	१०	परीश्रा	परीक्षा
१२२	शीर्षक	व्वतव्य	वक्तव्य
१२४	शीर्षक	ववक्तव्य	वक्तव्य
१२५	शीर्षक	व्यक्तव्य	वक्तव्य
,,	४	मानेंगे	मांगेंगे
१२८	शीर्षक	व्क्तव्य	वक्तव्य
१२९	अन्तिम से ११	मौजूद	मौजूदा
,,	अन्तिम से १०	धर्मपत्नि	धर्म पत्नि
१३०	४	में इसके में इसके	में इसके
,,	१०	२ ४, ६,	२, ४, ६,
,,	अन्तिम से ६	दी	दिये
१३४	,, १	रहो हैं	रहे हैं ।
१३५	७	का	के
,,	१४	हूं.	हूं ।
१३६	१४	डिमेब्लड पसन्स	डिसेबल्ड पर्सन्स
१३७	१६	वहां	वह
१३९	१२,१३	रिलिफ	रिलीफ
,,	१४	वह ही	वही
,,	अन्तिम से ७	बगैरह	वगैरह
१४१	अन्तिम से २	रिलिफ	रिलीफ
१४२	१७	वह ही	वही
१४४	शीर्षक	यक्तव्य	वक्तव्य
१४६	१,२६,२८, ३२	रिलिफ	रिलीफ
,,	अन्तिम से १	अफी	अभी
१४७	६	करुंगा	करूंगा
,,	९	वहां उपस्थिति	वहां की उपस्थिति
,,	११	जिलाधिश	जिलाधीश
१४८	१८	महोंदय	महोदय
१५०	अन्तिम से ८	जथपुर	जयपुर
१५१	अन्तिम से ११	मॉगों	मांगों
१५१	अन्तिम से १०	हुए :)	हुए :–

१	२	३	४
१५२	३, ७, २७	अनियमितताऐं	अनियमितताओं
,,	अन्तिम से ११	रक्वे	रकवे
१५३	६	बन्दोवस्त	बन्दोवस्त
१५४	अन्तिम से ३	बन्दोवस्त विसाग द्वारा बन्दोवस्त	बन्दोवस्त विभाग, द्वारा बन्दोवस्त
१५५	स्कम्भ	५५१	१५५
,,	शीर्ष	(श्री रघुनाथ विशनोई)	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
,,	१०	जाय)	जाय
,,	अन्तिम से २	(डीगोद)	(दीगोद)
१५६	१४	चद्रवन्दी	चकबन्दी
१५६	२०	सही तोर	सही तौर
,,	अन्तिम	किया	किये
१५९	३	मय	भय के
,,	६	भूराजस्व	भू-राजस्व
,,	अन्तिम से १०	संख्वा	संख्या
१६१	अन्तिम से २	चीजेंन हीं	चीजें नहीं
१६६	अन्तिम	।	-
१६७	शीर्ष	श्री चन्द्रसिह	श्री चन्द्रसिंह
,,	१६	ने	से
१६९	शीर्षक	२९ मार्च	२४ मार्च,
,,	८	को	के
१७०	२१	को समस्या की	की समस्या को
१७३	१२	भृष्ट	भ्रष्ट
१७४	अन्तिम से ५	(मूमि	(भूमि
१७५	१८	श्री चतुर्भुज उपाध्याय	
१७६	अन्तिम से ९	शीषक	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१८०	११	वह	शीर्षक
१८१	११	ज्यादा	-
,,	अन्तिम से ६	को	-
			से
१८२	अन्तिम से ३	नेहनत	मेहनत
१८३	१५	क्रड	क्रूड़

१	२	३	४
१८४	२	वड़	वड़्
१८७	२	ते	के
,,	अन्तिम से ३	ह्रास	ह्रास
१८६	,, ५	फोटो ाफ	फोटोग्राफ
,,	,, २	का	को
१६३	अन्तिम से ५	।ीटिंग	मीटिंग
१६५	७	कादजकार	काश्तकार
,,	अन्तिम से ३	डाडा	डांटा
१६८	५	गें	में
१६६	२	पडेगी	पड़ेगी
१६६	६	जाव	जाय
१६६	अन्तिम से ३	हिसाव	हिसाब
२०१	अन्तिम से ५	नही	नहीं
२०२	३	उपयागिता	उपयोगिता
२०५	१७	गायव	गायव
२०६	३	कैस	कैसे
२०६	अन्तिम से ५	जा	जो
२०८	२२, २६	श्री दयानन्द सोन	श्री दयाचन्द सोन
२०६	३	वारों	बारां
,,	२७	श्री दयानन्द सोन	श्री दयाचन्द सोन
२१०	८	कॉग्रेसी का	कांग्रेसी का
		कॉग्रेसी से	कांग्रेसी से
२१२	अन्तिम से ५	कठिनाइयों	कठिनाइयां
२१७	शीर्षक	मात्र	मार्च
,,	१३	श्री दयानन्द सोन	श्री दयाचन्द सोन
२२७	शीर्षक	२३ मार्च ६६	२४ मार्च, ६६
,,	अन्तिम से ७	आवश्य	अवश्य
२२६	शीर्षक	माग	मांग
२२६	अन्तिम	कु श्रो महेन्द्रसिह	कुं. श्री महेन्द्रसिंह
२३०	१३	श्रीं	श्री
,,	१५	महिने	महीने

१	२	३	४
२३२	६	गहुत	बहुत
२३३	शीर्ष	(श्री महैन्द्रसिह गांवडी)	(कुं. श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)
२३४	८	सूविधाए	सुविधाएं
२३६	अन्तिम से ३	राजस्थान	राजस्थान
२३६	शीर्षक	वत	वन
२४०	३	पटेल लाई	पटेलाई
,,	११	तहसीदार	तहसीलदार
२४५	अन्तिम	हसी	सही
२४६	७	लढ़ढा	लड्ढा
२४६	अन्तिम से ६	भूभि	भूमि
२५०	अन्तिम से २	भूमिहिनों	भूमिहीनों
२५१	२३	महोथय	महोदय
२५२	अन्तिभ से ५	करना	करनी
२५५	३	कन्सोलिडेन	कन्सोलिडेशन
२५६	१	करना	करनी
२५६	१०	होना	होनी
२५७	२	हुए	हैं, वे
२६१	१, १६, २४	वाबिल	वावेल
२६५	शीर्षक	२६, मार्च, ६६	२४ मार्च, ६६
२८३	१३	क्य वह	क्या यह
२८४	अन्तिम से ७	चूंकि	चूंकि
२८६	अन्तिम	उसेके	उसके
२८७	२	दिय	दिया
२८६	५३	रेन्ट्स	रेट्स
२६०	१३	सेटलमेन्ट	सेटलमेंट के बाद के
२६४	१२	क	एक
,,	,,	एरफा	रफा
२६६	अन्तिम से ६	लड्ढा	लड्ढा
२६७	१६	जायगा	आयगा
,,	अन्तिम से ५	श्री राधा कण्ण	श्री राधाकृष्ण
२६६	अन्तिम से १२	नहीं	नहीं,

१	२	३	४
२९९	अन्तिम से ११	की	को
,,	,, ८	१२. १३	१२–१३
३०२	१	रातोरिया	राजोरिया
३०३	५	पूर्व	प्रूव
,,	१७	था । अव	था । अव
,,	१८	नाभ	नाम
,,	१८	कब्ला	कब्जा
,,	२०	हु	हूं
,,	अन्तिम से २३	मवको	सबको
३०५	अ० से १० व ९	स्टेटमैन्ट	सैटलमेंट
३०८	१	विश्नोइ	विश्नोई
,,	१५	छट्टी	छुट्टी
,,	अन्तिम से ५	दिवा	दिया
३०९	१२	सरकुलर्स	सक्यूलर्स
,,	१३	मैं	में
,,	अ० से ११ व ५	ओर	और
,,	अन्तिम से १२	डिस्ट्रिक्टस	डिस्ट्रिक्ट्स
३१०	३	रजिस्ड्रेशन	रजिस्ट्रेशन
३११	९	प्रेजेन्ट	प्रजेन्ट
३१२	१६	सुनें ।	सुनें ।
३१३	४	इरीगेशन	इर्रिगेशन
,,	अन्तिम से ४	समग्र	समय
,,	,, से ८	राजस्थात	राजस्थान
,,	,, १०	एक्बीजिशन	एक्वीजिशन
३१४	७	रिप्रजैन्टेटि	रिप्रजेन्टेटिव
,,	९	प्रोसीडिक	प्रोसीडिंग
,,	अन्तिम से ३	वगैरा	वगैरह
,,	अन्तिम से १४	इसके बाद	इसके बाद,
३१५	१	भूभि	भूमि
,,	२	वगैरा	वगैरह

१	२	३	४
३१६	११	ध्यावधान	व्यावधान के बाद डेस
,,	१७	उपाध्यश्रे	उपाध्यक्ष
,,	१८	स्पष्टिकरण	स्पष्टीकरण
,,	अन्तिम से ७	डिस्ट्रिक	डिस्ट्रिक्ट
३१८	१६	निम्बोहडा	निम्बाहेडा
३१६	५	(गांवडी)	(दीगोद)
३२६	६	कु. श्री महेन्दसह	कु. श्री महेन्द्रसिह
३२८	६	जाट	काट
३३०	१६	लौर	और